नगर लखनऊ शनिवार 3 सितंबर, 2022, रु. 6.00 (20 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

प्रधानमंत्री ने कहा

सीने से उतर गया गुलामी का बोझ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोच्चि में भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत 'आइएनएस विक्रांत' का जलावतरण किया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसे बड़े युद्धपोतों के निर्माण की घरेलू क्षमताएं हैं। मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना के नए निशान (ध्वज) का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि आज देश ने भारत ने गुलामी के एक निशान, 'गुलामी के एक बोझ' को सीने से उतार दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ' विक्रांत विराट है, विहंगम है, विशाल है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है। यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में स्वदेश निर्मित जहाज को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। इस जहाज का नाम नौसेना के एक पूर्व जहाज 'विक्रांत' के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने विमानवाहक पोत की कुछ विशेषताओं के बारे में भी बात की। उन्होंने इसे 'फ्लोटिंग एअरफील्ड, एक तैरता हुआ शहर' के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि आइएनएस विक्रांत में जितनी बिजली पैदा होती है उससे पांच हजार घरों को रोशन किया जा सकता है।

इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह आइएनएस विक्रांत को मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा, 'आज दो सितंबर, 2022 की ऐतिहासिक तारीख को, इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने, गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है।' उन्होंने कहा, 'भारतीय नौसेना के झंडे पर अब तक गुलामी की पहचान बनी हुई थी। लेकिन आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित होकर नौसेना का नया ध्वज समुद्र और आसमान में लहराएगा।' नौसेना ने पहले कहा बाकी पेज 8 पर

विशाल, विराट, विहंगम

विक्रांत



कोच्चि में शुक्रवार को विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रांत को नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

-संबंधित खबर पेज 9

थरूर ने निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर उनसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के आगामी चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची प्रकाशित करने की मांग की है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ऐसी खबर है कि असम के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने भी मिस्त्री को पत्र लिखकर निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग की है।

कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव

उन्होंने ऐसे समय में पत्र लिखे हैं जब निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ बाकी पेज 8 पर

बेबाक बोल

भाग दरबारी



आज जब कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव का एलान हो गया है तो देखना होगा कि चिट्ठी-क्रांति करने वाला समूह चुनाव में भाग लेता है या चुनावी प्रक्रिया खट्टी है कह कर मुंह फेर लेता है। पेज 7

छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती ट्रेन से फेंका, मौत

चंडीगढ़, 2 सितंबर (एजंसी)।

हरियाणा के फतेहाबाद में टोहाना स्टेशन के पास छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक व्यक्ति ने 32 वर्षीय महिला को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। इस कारण कथित तौर पर महिला की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना महिला के नौ साल के बेटे की मौजूदगी में हुई। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने कहा कि महिला टोहाना जाने के लिए रोहतक के लखन माजरा के पास से यात्री ट्रेन में सवार हुई थी। जीआरपी के एक अधिकारी ने बताया कि घटना गुरुवार रात की है। जीआरपी थाना, हिसार के एसएचओ नरेश कुमार ने

दिल्ली से टोहाना जा रही ट्रेन में हुई वारदात *महिला* के नौ वर्षीय पुत्र की मौजूदगी में हुई घटना।

कहा कि महिला अपने बेटे के साथ यात्रा कर रही थी। उन्होंने कहा, 'यात्री ट्रेन दिल्ली से टोहाना जा रही थी और महिला और उसका बेटा लखन माजरा से उसमें सवार हुए थे।' कुमार ने कहा कि अधिकांश यात्री पिछले स्टेशन पर ट्रेन से उतर चुके थे और घटना के दौरान ज्यादातर डिब्बे खाली थे।

उन्होंने कहा कि टोहाना स्टेशन पर महिला का पति उनका इंतजार कर रहा था। अधिकारी बाकी पेज 8 पर

तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी। तीस्ता 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 26 जून से गुजरात पुलिस की हिरासत में हैं।

प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ बाकी पेज 8 पर



अहमदाबाद में मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी के दौरान तीस्ता सीतलवाड़।

न्यायाधीशों ने कहा, तीस्ता एक महिला हैं। वे दो महीनों से हिरासत में हैं और जांच तंत्र को सात दिनों की अवधि के लिए हिरासत में पूछताछ का लाभ भी मिला है।

उनके खिलाफ कथित अपराध 2002 से संबंधित हैं और अधिक से अधिक 2012 तक संबंधित दस्तावेज पेश करने की मांग की गई थी।

तीस्ता 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 26 जून से गुजरात पुलिस की हिरासत में थीं।

ट्विटर ने जानबूझकर देश के कानून की अवज्ञा की : केंद्र

बंगलुरु, 2 सितंबर (एजंसी)।

केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि ट्विटर ने जानबूझकर भारत के कानूनों का पालन नहीं किया और उसकी अवज्ञा की तथा देश की सुरक्षा में इस सोशल मीडिया मंच की कोई भूमिका नहीं है। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआइटीवाई) ने गुरुवार को ट्वीट हटाने और अकाउंट ब्लाक करने से जुड़े सरकारी आदेशों के खिलाफ ट्विटर की ओर से दायर याचिका का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियों के संबंध में पेश 101 पन्नों के बयान में यह दलील दी।

-पूरी खबर पेज 8

सागर व भोपाल में चार चौकीदारों की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार

भोपाल, 2 सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य के सागर एवं भोपाल शहरों में पिछले पांच दिन में चार चौकीदारों की हत्या करने के मामले में शुक्रवार को एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान शिव प्रसाद धुर्वे (18) के रूप में उसके आधार कार्ड से हुई है। उन्होंने बताया कि उसने सागर शहर में तीन चौकीदारों और भोपाल में एक चौकीदार की हत्या की है।

उन्होंने बताया कि घटना के वक्त ये चारों चौकीदार ड्यूटी पर थे और सो रहे थे। पुलिस ने बताया कि उसने शुक्रवार को गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले भोपाल में चौकीदार की हत्या कर दी थी। सागर के पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने कहा कि 18 साल और आठ महीने के धुर्वे ने चार हत्याओं को कबूल करते हुए कहा कि वह सोशल मीडिया से प्रभावित था और प्रसिद्ध होने के लिए उसने इन घटनाओं को अंजाम दिया। धुर्वे की मानसिक स्थिति के बारे में पूछे जाने पर नायक ने कहा कि वह सामान्य प्रतीत होता है। नायक ने कहा कि यह 'साइको किलर' मामला नहीं है। इससे पहले राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि चार चौकीदारों की हत्या के आरोपी धुर्वे को सागर पुलिस ने भोपाल में शुक्रवार तड़के मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया।

नया निशान

औपनिवेशिक पहचान वाली लाल धारियां हटाई गईं

भारतीय नौसेना को मिला नया ध्वज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

भारतीय नौसेना को शुक्रवार को नया ध्वज मिला। नए ध्वज में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाल धारियों को हटा दिया गया है जिसे 'क्रास आफ सेंट जार्ज' कहा जाता है। यह औपनिवेशिक युग की याद दिलाता था। नए ध्वज में अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। नौसेना के मूल मंत्र को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोच्चि में नया ध्वज और चिह्न, राष्ट्र को समर्पित किया।

ब्रिटिश शासन से लेकर गणराज्य के प्रतीक तक यह झंडा सदियों में विकसित हुआ है। यह



नए ध्वज में प्रतीक शिवाजी महाराज की मुहर पर आधारित।

ध्वज अनिवार्य रूप से एक विशेष डिजाइन वाला झंडा होता है, जो जहाजों या नौसैन्य बल की पहचान और राष्ट्रीयता को दर्शाता है, खासकर गहरे समुद्र में। ध्वज के 'फ्लाई' क्षेत्र में जुड़वां सुनहरी सीमाओं के साथ एक अष्टकोणीय आकार शामिल किया गया है, जो शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित है। नौसेना द्वारा जारी एक वीडियो के अनुसार, नीले अष्टकोणीय आकार में एक लंगर के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक को शामिल किया गया है जो दृढ़ता को दर्शाता है। यह नौसेना के आदर्श वाक्य 'शं नो वरुणः' के साथ एक ढाल पर लगाया गया है, जिसका अर्थ है: 'हमारे लिए शुभ हो ओह वरुण'। अष्टकोणीय आकार आठ दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय नौसेना की बहु-दिशात्मक पहुंच और बहु-दिशात्मक बाकी पेज 8 पर



जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Virender Singh Malhan So Shri Cap. Rishal Singh Malhan Ro RZ-122, X- Block, New Roshan Pura, Najafagrh, New Delhi 110043 here by inform that Virender Singh Malhan and Vijay Singh Malhan are the same person.
0050203634-1

I, Neha Sareen Trivedi W / o Abhinav Trivedi, R / o Flat No1201,Tower - 7, Omaxe The Nile Sector -49,Gurugram, Haryana-122018, have changed my daughter's name from Shanaya Trivedi to Keemaya Trivedi.
0050203609-1

his is to inform that in my service records the name of my daughter Sheetal is wrongly mentioned as Shital. Hari Ram Gurjar service no 300739M,Rank HAV, unit-4 Rajput c/o 56APO Res. Village-Pathredi Dhani Biharipur Wali, Tehsil- Kotputli Pathredi, Dist Jaipur - Rajasthan 303107
0060094140-1

I,Vinod Sharma W/o Jai Bhagwan R/o H.No-592/18, New Tara Nagar, Sonipat, Haryana-131001 have changed my name to Vinod.
0040630108-2

I,Vandana Chugh W/o Sandeep Kumar R/o 267/13 SF-5, Techman Moti Appt. Sector-1, Vaishali Ghaziabad, have changed my name to Vandana for all purposes.
0040630101-2

I,VAISHALI GARG,W/O PIYUSH GARG D/O.ASHOK KUCHHAL, R/O.417 STARLITE APARTMENT SECTOR-14 EXTN.ROHINI DELHI-85 HAVE CHANGED MY NAME VAISHALI GUPTA.
0040630243-2

I,Udaya Chand Yadav,S/o Kehar Singh Yadav,H.No.24, Old Khaira-Road Najafgarh, Delhi-110043,have changed my name to Uday Chand.
0040630203-9

I,Surender Singh Latwal, R/O. RZ-13A,Old Rajapuri,Uttam Nagar,New Delhi-110059,Have Changed my Minor-Son's Name Aditya Singh to Aditya Singh Latwal.
0040630197-1

I,Shiv Prakash Avana,S/O Lakhi Ram,R/O, H.No-3448,Gali No-1,Hansa Puri Main Road,Tri-Nagar,Delhi-110035,have changed my name to Shiv Prakash.
0040630051-6

I,Shaeed S/O Abdul Razaque,R/O,A-533, J.J.Colony Ph-2,Nangloi Delhi-110041, have changed my name to Mohd Shahid.
0040630197-3

I,Sarita Agarwal,W/O Pawan Kumar Agarwal R/O GD-Block, H.No.24,Pitam Pura, Delhi-88,hereby declare that Sarita Agarwal,Sarita Aggarwal and Sarita all are the names of same & one Person.
0040630203-11

I,Sandeep Chugh S/o Ram Parkash R/o 267/13 SF-5, Techman Moti Appt. Sector-1, Vaishali Ghaziabad, have changed my name to Sandeep Kumar for all purposes.
0040630101-1

I,SATISH S/O SH KIRORI MAL, R/O.A-164, 2ND-FLOOR MEERA BAGH PASCHIM VIHAR DELHI-87 HAVE CHANGED MY NAME TO SATISH GARG.
0040630243-3

I,Reena Singh W/o Late Amarjeet Chopra R/o-86 Pkt-9,Sector-21,Rohini Delhi-110085,changed my name to Reena Chopra.
0040630203-8

I,Ravindra Ram Raoji Sakhare,S/o Sh.R.G. Sakhare,R/o.B-84,Vikas Vihar,Vikas Nagar,Uttar Nagar,Delhi-110059,declare that my name has been wrongly-written as Ravindra Sakhare in my minor son's Ankit Sakhare School-Records and his Identity Proof Documents.The actual-name of mine is Ravindra Ram Raoji Sakhare for all purposes,Which may amended accordingly.
0040630243-9

I,Rajeev Kumar/Rajeev Kumar Gupta,S/O Prem Chand Gupta,R/O, Flat.No-143,SFS-Flats-Golden Jubilee-Apartment Pkt-10, Sec-11, Rohini,Delhi-110085,have changed my name to Rajeev Gupta.
0040630051-5

I,Ujjwala Sharma D/o Dayanand Sharma R/o-158, Sharda Niketan, Pitampura, Delhi-110034 have changed my name to Kanan Sharma for all purposes.
0040630068-1

I,RAJ BALA W/O SATISH GARG,D/O SATYA NARAYAN JINDAL,R/O.A-164,2ND FLOOR, MEERA BAGH PASCHIM VIHAR DELHI-87,HAVE CHANGED MY NAME TO RAJ BALA GARG.
0040630243-4

I,Purnima Singh D/o Vinod Kumar R/o B-10/50,Block-B Pocket-10 Sector-18 Rohini Delhi-110089,changed my name to Purnima.
0040630203-5

I, Ruby Sharma, W/o Sh. Lakhbir Singh Chauhan R/o 1050C, Gali No.10, 3rd Floor Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 confirm that I have changed my name from Ruby Sharma to Ruby Chauhan after my marriage to Lakhbir Singh Chauhan on 27-02-2002. Ruby Sharma & Ruby Chauhan is same person. Now I will use my name as Ruby Chauhan for all future purposes.
0040630115-2

व्यक्तिगत

I,Pankaj Kumar Sharma S/o,Irwin Pritam Singh R/o,D-12,2nd Floor, Jangpura, A-B,south Delhi-14,have only changed my name to David Singh, not my religion.
0040630243-6

I,Palwe Bharati Pralhad,W/O Rajendra Athale,R/O,H.No-E-22, G/F, Avantika Sector-1,Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Bharti Athale.
0040630051-7

I,PUJA VISHWAKARMA,D/O OM PRAKASH VISHWAKARMA, R/O.FLAT.NO-005,TOWER-C1,SUPERTECH LIVINGSTON, CROSSING-REPUBLIC, GHAZI-ABAD,UTTAR PRADESH-201016,have changed my name to POOJA VISHWAKAR-MA, for all,future purpose.
0040630051-3

I,PRABHJOT SINGH,S/O JASBIR SINGH R/O.A-55, AMAR COLONY,LAJPAT NAGAR-4, DELHI-110024, has changed my name to PRABHJOT SINGH ANAND.
0040630051-1

I,Manoj Kumar,S/o Sh.Darogi Shah,R/o 254 -255,S/F Back-Side Om-Vihar Phase - 1A,Uttam-Nagar,New-Delhi-110059,That I,have changed the name of my-minor son aged about 8-Years,from Daksh Kumar to Daksh Kumar Gupta,for all future purposes.
0040630197-7

I,Manish Gupta S/o.Sh.Mohan Gupta R/o.102, LGF,Kailash Hills,East of Kailash,New Delhi-110065 have changed my minor Son's Name Ayaan Gupta to Mivaan Gupta for all purposes.
0040630096-1

I,MD Shahabuddin Siddiqui, S/O MD Rafique Alam,R/O Plot No-40,Block-A, Sector-8, Dwarka,New Delhi-110077, Have Changed my Name to MOHD Shahabuddin Siddiqui.
0040630243-5

I,Lila Vati Gupta,W/o-Brajendra Kumar Gupta,R/o-H.No.409, Sector-9A,Gurugram, Haryana,inform you that my,name was wrongly-writ-ten as Neelam Gupta in the documents of my,daughter Prachi Gupta.My correct name is Lila Vati Gupta. Please make the changes in school and councils records.
0040630197-8

I,Kulvinder Singh,S/O Nazar Singh R/O,D-1/47-48,Ground Floor,Sector-16,Rohini Delhi-110086,have changed my name to Kulvinder Singh Pandher.
0040630197-2

I,Kuldeep kumar,S/o-Hari Kishan Gupta R/o-341/1C,Gali No.2,Shalimar Park,Bhola nath nagar,Shahdara Delhi-32,have changed my name to Kuldeep Kumar Gupta,for All Purposes.
0040630203-4

I,Jai Bhagwan Sharma S/o Kanwar Lak R/o H.No-592/18, New Tara Nagar, Sonipat, Haryana-131001 have changed my name to Jai Bhagwan.
0040630108-1

I,Inderjeet Singh S/O.Lal Singh R/O.WZ- 37,Ram Nagar ext.Tilak-Nagar,New Delhi-110018,have changed my name to Inder Singh,for all purposes.
0040630197-6

I,Hitherto Known As Suraj Thapa Alias Suraj,S/o Khushiman Thapa,Residing At,H.No.38,Block-A,Gali. No.1, Phool-Bagh Colony,Shastri Park Extn.Burari,Civil Line, North Delhi-110084,Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Surya Kumar Sarki.
0040630203-2

I,Rahul Arora,S/o-Shri.Subhash Arora,R/o-2/57,Nehru Nagar,New Delhi-110065,inform that my,daugh-ter's Birth Certificate name Anayta Arora is written-wrongly instead of correct name Amayra Arora and Date-of-birth is 02-08-2022,for all future purposes.
0040630197-10

I,Himanshu Kumar Jha,S/o Naveen Jha R/o.H.No.-90A,Dabar Enclave,Jaffarpur, New Delhi-110073,have changed my name to Himanshu Jha,permanently.
0040630250-2

I,HITHERTO KNOWN AS AVINASH KUMAR SHARMA, S/O SH.ZILE SINGH SHARMA, R/O-30/4,DAKSHA-ROAD VISH-WAS-NAGAR, SHAHDARA, DELHI-110032,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HERE-AFTER BE KNOWN AS AVINASH SHARMA.
0040630051-8

I,GAURAV JAIN S/O-VIJAY KUMAR JAIN R/O.87 2ND FLOOR POCKET E-4 SECTOR-7,ROHINI,DELHI-85,HAVE CHANGED MY SON NAME YUVAN JAIN TO YUVAAN JAIN
0040630243-1

I,Bidisha Garg,D/O Buddha Kanti Basu,R/O E- 97/8, Bengali Colony,Mahavir Enclave,Palam Village,Delhi-110045,have changed my name to Bidisha Basu(both are same person) permanently.
0040630203-10

I,Bhoomika Rajput,D/O Kamal Kant,R/O H.NO-1119/1,Ward. No.1,Dayanand Colony ,Gurgaon-122001,Haryana Have Changed my Name to Bhoomika Rajpoot.
0040630051-2

I,Anil Kumar Nagar from 3/406,2nd floor,Vasundhara, Ghaziabad as mentioned in my Adhaar was known with both Anil Nagar and Anil kumar Nagar.In future I will be known for Anil Kumar Nagar,for all purposes.
0040630197-9

I,Deepti Batra,W/o-Vikram Batra , Address- A7/2,Ground Floor, Vasant Vihar New Delhi 110057, Changed my name to Deepti Mahajan Batra.
0040630203-7

I,BHAVITA BHUPENDRA MODI,W/O NAKUL SACHDEVA R/o-FLAT.No.440 MANDAKINI-ENCLAVE ALAKNANDA DELHI-110019,HAVE CHANGED MY NAME TO BHAVITA MODI.
0040630203-3

I,Ashok Kumar Tuteja,S/O Pari Ram Tuteja,R/O,2310,Bawana-Road Padam Dham-Colony Mandi-Extension Narela, Delhi-110040,have changed my name to Ashok Tuteja.
0040630051-4

I,Anjeet Singh S/o Om Parkash Malik R/o-A-39,Laxmi Kunj Plot,No.6 Sector-13 Rohini Delhi-110085,changed my name to Anjeet Singh Malik.
0040630203-6

I, ZUBAIDA KHATOON w/o MOHD NADIM r/o E-281, 4th floor, Budh Nagar, J.J. Colony, Delhi-110012 declare that my date of birth has been wrong-ly written as 09/06/2002 in Aadhaar no. 777154526889. My correct date of birth is 09/06/2004.
0040630063-2

I, VICKAS ZADOO, S/o SHIBEN KRISHEN, R/O- D D A Flat no-47-B, D G-2, Vikaspuri West Delhi-110018 have changed my name to VIKAS ZADOO for all purposes.
0070802164-1

I, Shradha W/o Sunil Kumar Choubey R/o.Flat No.-503, Aristo Tower, 34 Pavillion, Supertech, Sector-34, Noida, Gautam Budh Nagar, UP-201301 have changed my name to SHRADHA CHOUBEY for all future purposes.
0070802193-1

I, Seema Kumari W/o Rajesh Kumar Raghav R/o H.No: 286, Gali No.13, Laxman Vihar, Phase-2, Gurgaon, Haryana. have changed my name to Seema Singh for all Purpose.
0070802159-1

I, Sanjay Sharma S/o Bisha Sharma R/o Janta-Flat No.68, Pocket-1, Block-A, Madipur, Paschimpuri, New Delhi-110063,have changed my minor daughter's name Jahnavi Sharma to Jhanvi Sharma.
0040630209-4

I, Sangita Pathak W/o Navin Tripathi R/o 243, Main Market, Badarpur, Delhi-110044, have changed my name to Sangeeta Tripathi.
0040630209-3

I, Roseline Boje Thakuri d/o Raju Boje r/o 195, G/F, Humayunpur, Safdarjung Enclave, Delhi-110029 have changed my name to Roseline Boje.
0040630074-2

I,Farukh S/O Alla Banda R/O,H.No-810, P-4 Block,Sultan Puri,Delhi-110086,have changed my name to Farukh Khan.
0040630197-4

I, Reena Mittal W/o Sandeep Mittal R/o G-27/236 Sector-3 Rohini Delhi have changed my name as Reena permanently
0040630119-2

I, Ravinder Singh S/o Sunder Singh R/o 3, PWD Colony Session Marg, Karnal, Haryana-132001, have changed my minor daughter's name from Vaishnavi Gusain aged 14 years to Yashika for-ever
0070802192-1

I, Ramesh Kumar Kadian,S/o-Dilbagh Singh,Resident of Flat.No.322, Sector-A-6, Pocket-1, Narela, Delhi-110040,have changed,my name RAMESH KUMAR,to RAMESH KUMAR KADIAN,for future,purposes. RAMESH KUMAR is wrong in,my passport.
0040630216-1

I, Rajesh Kumar Goyal,S/o-Bishan Swaroop Goyal,R/o-28,Samman Bazar Lane, Bhogal Jangpura,New Delhi-110014,have changed my minor,daughter name,from Aanya Goel,to Aanya Goyal,for all purposes.
0040630216-4

I, Raj W/o Late Mr Vikesh Kumar R/o H.No.-37A, Kamla Nagar, Delhi, North Delhi, Delhi-110007 have changed my name to Raj Ahuja for all future purposes.
0040630050-1

I, Omkar Yadav S/o Lala Ram Yadav R/o 993P Upper Ground Floor Sector-10 Gurgaon, Haryana-122001 have changed my name as Onkar Nath Singh Yadav permanently
0040630119-3

I, Niharika Tewari R/o Flat 8120, Tower 8, Mahagun Mywoods, Gaur Ciry2, Sector 16C, Noida, 201309 have changed my name to Niharika Tiwari
0070802196-1

I, Narinder Singh Matta,alias Narinder Singh,S/o-Late Chunni Lal,R/o-2/11,Double Storey,Jangpura Extension,New Delhi-110014,have changed my name,from Narinder Singh Matta,alias Narinder Singh,to Narender Singh,for all purposes.
0040630216-2

I, Naresh Chander Joshi S/o Sadanand Joshi R/o 228/14, Khasra No-14/14, Gali No-29, Chandan Vihar, Kamal Pur Majra Burari, Delhi-110084, declare That name of mine and my father has been wrongly written as Naresh Chandra Sharma and Sadanand Sharma in my ESIC CARD and EPF Records DLCPM/26887/1122750 and name of mine and my father has been wrongly written as Naresh Chand Sharma and Sadanand Sharma in my LIC Policy and SBI Bank Account and name of mine and my father has been wrongly writ-ten as Naresh Chand Sharma and S N Sharma in my Driving Licence No-DL01 20010093588. The actual name of mine and My father are Naresh Chander Joshi and Sadanand Joshi, which may be amended accordingly.
0070802133-1

व्यक्तिगत

I, Narender Kumar Gupta S/o Rameshwar Dass Gupta R/o NS-7 Upper Ground Floor, Miya Wali Nagar,Sunder Vihar, Punjabi Bagh Delhi have changed my name as Narender Gupta permanently
0040630119-1

I, Lokesh S/o Sanjay R/o Village Jhinjauli (234) Sonipat Haryana-131103 have changed my name to Sangam for all future purposes.
0040630048-1

I, Lakshaya Chopra S/o Sumeet Chopra R/o E-15, Mansarovar Garden, N.Delhi-15, have changed my name to Lakshya Chopra.
0040630209-1

I, Hema Devi w/o Sh. Vijay Singh Bisht r/o E-184, Gali No. 3, West Vinod Nagar, New Delhi-92 have changed my name from Hema Devi to Hansi Devi for all future purposes.
0040630046-1

I, Lakhbir Singh, S/o Late Sh. Dalip Singh R/o 1050C, Gali No.10, 3rd Floor, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 con-firm that I have changed my name from Lakhbir Singh to Lakhbir Singh Chauhan, Lakhbir Singh & Lakhbir Singh Chauhan is a same person. Now onwards, I will use my name as Lakhbir Singh Chauhan for all purposes.
0040630115-1

I, Kusum Devi W/o Bhupendra Singh Rawat R/o 687-A, Munirka Village Delhi-67, declare that my nickname is Pooja Singh. Kusum Devi & Pooja Singh is one and the same person. Hereafter I will use my name Kusum Devi for all purposes.
0040630171-1

I, Jagdish Kumar Nagpal S/o Lachman Dass Nagpal R/o 73C, BW-Block, Shalimar Bagh, Delhi have changed my name to Jagdish Nagpal for all purposes.
0040630044-1

I, GAURAV CHADDA, S/o HAR-ISH CHADDA, R/O- 141 SF, Ashiyana Green, Ahinsha Khand-2, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014 have changed my name to GAURAV CHADHA for all purposes.
0070802171-1

I, Bhupinder Kaur Chadha,W/o-Narender Singh,R/o-2/1, Double Storey Jangpura Extension,New Delhi-110014,have changed my name,from Bhupinder Kaur Chadha,to Bhupinder Kaur,for all purposes.
0040630216-3

I, Ajit Kaur W/o Malkeet Singh R/o.J-65, Gali.No.-1, Swaroop Nagar, Delhi-110042, have changed my name to AJEET KAUR for all future purposes.
0070802200-1

I, Abdul Wakif,S/o Gulam Nabi,R/o-1019, Rajan Street,Farash Khana, Delhi-110006,have changed my name to Abdul Waqif,for all purposes.
0040630216-5

I, KUNAL KWATRA, S/o SUNIL KUMAR, R/O-H No- 150A, Near Masjid, Mundka Village, West Delhi-110041 inform that KUNAL KWATRA and KUNAL both are same and one person.
0070802162-1

I Sonal Kalra S/o Sh. Subhash Chander Kalra R/o H.No.407, Dhakka Johar, Behind Parmanand Colony, Nirankari Colony, North West Delhi,Delhi-110009 have changed my name to Sahil Kalra for all purposes.
0040630041-2

I Saakir Ahmed,S/O Khurshid Ahmed R/O,H.No-283-284, Block-P-P, Sultan Puri Delhi-110086,have changed my name to Sakir
0040630197-5

I Krishna Nand Sharma S/o Late Sh. Keshwa Prasad R/o C.No.1803, Gali No.5, Shiv Mandir, Sangam Vihar, Wazirabad, Timarpur, North Delhi, Delhi-110054 have changed my name to Krishna Nand Rai for all purposes.
0040630041-3

I Jai Kumar S/o Hari Ram Borkar R/o F-1/44, Budh Vihar, Phase-1, Delhi, 110086 have changed my name to Jai Kumar Borkar for all future purposes.
0070802154-1

I Jai Krishan, R/O. House No 6 and 7, 2nd floor, Pocket 11, Sector 22 Rohini New Delhi 110086 Have Changed My Name From Jai Krishan To Jai Krishan Jha For All Purposes.
0070802132-1

I Hitherto Known As Anuj,S/o Suraj,Residing At,H.No.38, Shastri Park,Phool Bagh Colony,Ibrahimpur Ext. Gali No.1,Alipur North-West,Delhi-110036,Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Anuj Basyal.
0040630203-1

I Devendra S/o Amar Singh R/o Village- Duka, Post- Khadi, Tehsil- Ashta, Distt- Sehore, Madhya Pradesh-466116, have changed my name to Hirdesh Mewada
0070802204-1

I,Thinley Tharchin S/o L.C. Bhutia R/o H/no.8, Block.No.4,Old Camp,Tibetan Colony,Majnu ka Tila,New Aruna Nagar,Delhi-54,have changed my,name to Thinley Tharchin Bhutia for all.Purposes.
0040630243-7

I, ABHINAY SEMWAL S/o HARI BALLABH SHARMA R/o HOUSE NO-283 GR GARDEN -1, CHIPYANA BUZURG GREATER NOIDA WEST, GAUTAM BUDH NAGAR, UP-201009 have changed my name to ABHI-NAYA SEMWAL
0070802197-1

I, Rita W/o Anil Kumar Singhal R/o 388/1, First Floor, Shakti Khand-1, Indirapuram, Ghaziabad-201014 have changed my name to Rita Singhal for all purposes
0040630112-1

मैं , आशिमा पुत्री श्री प्रमोद तंवर, निवासी डब्ल्यू जेड-908, नारायणा रिंग रोड, नई दिल्ली-110028 ने भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए मेरा नाम आशिमा से बदलकर आशिमा तंवर कर दिया है।

सर्व विदित हो कि मैंने (मनीष गुप्ता पुत्र स्व0 बी0के0 गुप्ता निवासी-91, समर विहार कॉलोनी, आलमबाग, लखनऊ) अपने पुत्र का नाम Arav Gupta से बदलकर Aravv Gupta रख दिया है। अतः भविष्य में उसे समस्त अभिलेखों व दस्तावेजों में Aravv Gupta के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

मैं, शंकर प्रसाद सिंह S/o स्वर्गीय सरयुग सिंह निवासी, ग्राम- छोटी पसराहा, वार्ड नंबर-2, पो.-पसराहा, थाना-पसराहा, जिला-खगड़िया (बिहार) पिन-851212 ने अपना नाम शंकर प्रसाद सिंह से शंकर सिंह शपथ पत्र 3649 तिथि 27 अगस्त 2022 के सभी उद्देश्यों के लिए बदल दिया है।

I, Navin Chander S/o M.R. Tripathi R/o 243, Main Market, Badarpur, Delhi-110044, have changed my name to Navin Tripathi.
0040630209-2

I,JESMIN KAUR LAMBHA alias JASMINE LAMBA D/o Charanjit Singh Lamba R/o A-24, Naraina Vihar, Delhi-110028 have changed my name to JASMINE LAMBA for all purposes.
0040629935-3

खोया+पाया

I Anurag Nagpal s/o Joginder R/o Y-3C, 2nd floor Lohamandi Naraina New Delhi 110028 have lost my Original Allotment letter, Position let-ter for the above mentioned property. If found contact 9315304900
0040630054-1

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्रीमती रेखा रानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार अपने पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश एवं पुत्रवधु पूजा पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश निवासी E-2/9, शिव राम पार्क, कमरुद्दीन नगर, नांगलोई, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110041, को इनके शत्रुतापूर्ण और आक्रामक व्यवहार के कारण अपनी सभी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सभी संबंध-विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में इनके द्वारा किये गए किसी भी तरह के लेनदेन और कृत्यों एवं पुलिस केस के लिए मेरे मुवक्किल और उनके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

हस्ता/-
अधिवक्ता
(अमित कुमार)
D/7901/2020

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्रीमती सुदेश कुमारी पत्नी श्री अशोक कपूर निवासी A-90, प्रथम तल, जैन पार्क, किरन गार्डन, उत्तम नगर, पश्चिम दिल्ली -110059, (आधार न. 7514 5205 7322) ने अपने पुत्र अरुण कपूर को अपने चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। तथा अभी से उससे सारा सम्बन्ध खत्म कर लिया है क्योंकि वह नियंत्रण से बाहर है तथा मेरे मुवक्किल एवं उनके बेटी दामाद के साथ दुर्व्यवहार करता है। कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की लेन-देन बात-विचार अगर अरुण कपूर से करता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पर करे। मेरे मुवक्किल एवं उनके परिवारों की उनके द्वारा किया गया किसी कृत्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

मिथिलेश कुमार झा
अधिवक्ता
Enr no. D-1267/07

PUBLIC NOTICE

My client, Smt. Tara Devi, W/o Sh. Prakash Chand, H. No. 279, Upper Ground Floor, Vipin Garden, Kashmiri Gali, Uttam Nagar, New Delhi-110059 has severed her all relations from her son namely Rohit and sister-in-law (Bahu) namely Aarti, W/o Rohit, D/o Sh. Inder Singh and disowned them from all her movable and immovable properties including the properties bearing H. No. 279, Upper Ground Floor, Vipin Garden, Kashmiri Gali, Uttam Nagar, New Delhi-110059 due to their disobedience. My client shall not be responsible for any of their criminal acts and civil liabilities.

Sd/-
Abhishek Kumar
Advocate
Enrl. No. D/4903/18
Ch. No. 442-A, Lawyers Block, Saket Courts, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

My client Sh Pritam Singh S/o Late Pratap Singh, R/o 35/11, Old Rajender Nagar, ND-60, got a Public Notice published, on 02/09/2022 in Indian Express, Page No.14, (English) & Jansatta Page No.2 (Hindi) both Delhi Daily Edition, wherein Khasra No.38/13 was mistakenly written as 38/11. Kindly read the correct Khasra No.38/13 instead of 38/11. Rest of the contents of above Public Notice would remain the same with above correction.

Mohd. Arif Advocate
Office: K-153A, Tishazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that my client SH. DALIP KUMAR (aged about 65 years old, Senior Citizen of India) S/O LATE SH. SOHAN LAL R/O A-141, NAND RAM PARK, UTTAM NAGAR, D.K. MOHAN GARDEN, WEST DELHI, DELHI - 110059, has served all their relations from his son LOVE MALHOTRA (AGED ABOUT 30 YEARS), disowned and debarred him from all his moveable and immoveable properties with immediate effect because of disobedience and temperaments issues with the son and atrocities committed by them against my client. Any person dealing with them shall be doing so that their own risk, cost and consequences. My client shall not be responsible in any manner for the same.

Sd/-
NAKUL GROVER (Advocate)
G-22, Suneja Tower-1, District Centre Janakpuri, New Delhi-110058

PUBLIC NOTICE

It is for information of general public that my client **SHRIMATI SHUSHMA SHARMA** WIFE OF SHRI RAMESH CHAND SHARMA R/o House No.111, Rani Garden, Shastri Nagar, Delhi-110031, have disowned her son namely **SHIVA SHARMA** and he shall have no right or concern with her moveable and immoveable properties. In future my client shall not be held liable and responsible for the acts & deeds of said **SHIVA SHARMA**. **Tarun Babbar** (Advocate) 84, Manu Appts., Mayur Vihar-I, Delhi.

PUBLIC NOTICE

Be it Known to all that, my client ABDUL HAFIZ S/o ISLAMUDDIN and ZAMILA KHATOON W/o ABDUL HAFIZ R/o R-3 A2/23 B, Mohan Garden, Uttam Nagar, West Delhi-59 have disowned their son MOHD. SALIM and his wife NUSRAT KHATOON severed all their relations social and financial with them due to their disobedience. They have debarred them from inheriting their properties movable and immovable. They shall not be responsible for any of their acts, deeds and things, Anybody dealing with them shall be doing so at his/her own risk.

Sohan Kumar (Advocate)
B-5,Suneja Tower-1,District Center Janakpuri, New Delhi-110058
Mobile No. 9268276091

PUBLIC NOTICE

It is notified that my client Shri Sadhu S/o. Shri Dhan Singh R/o. H.No. 279, Gali No. 6, Village Jagatpur, Burari, Delhi has disowned his grandson Akash and his wife Komal along with children from all his moveable and immoveable properties and my client has no concern whatsoever. Any person dealing with the said grandson Akash and his wife Komal along with children would do at their own risk and cost and my client will not be responsible for any of their acts.

RAJEEV KUMAR TOMAR (Advocate)
Ch. No. C-54, C.L. JOSEPH BLOCK, TIS HAZARI COURTS, DELHI -110054

शिक्षा संबंधित

निश्चय IAS Since.2009
MEDIUM हिन्दी/ENGLISH Certainty of Success..
MEGA OFFER
Complete Preparation For.
IAS / PCS
Just ₹35000/-
Last Date for Admission 05 SEPTEMBER 2022
Only 50 Students
7390000900, 7390009001
Kapoorthala, Aliganj, Lucknow.

TRINITY INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES
SECTOR - 9, DWARKA
(Affiliated to GGSIPU & Approved by BCI, Delhi)
Admission Under Management Quota (Session - 2022-23) Open for the following Courses:
BBA (G)
BA (JMC)
B.COM (H)
BCA
B.A. LLB
Reservation as per rules
Applications are invited (Apply within 18 days)
www.tips.edu.in

ADMISSION for NURSING
Estd. : 1999
Baba Haridass Institute of Nursing Education
(Recog. by INC & DNC)
Jharoda Kalan, Najafgarh
New Delhi - 110072
(On Najafgarh Bahadurgarh Road)
GNM & ANM COURSE (2022-23)
Applications are invited for 3 yrs Dip. in General Nursing & Midwifery (GNM) and 2 yrs Dip. in Auxiliary Nurse & Midwife (ANM) on prescribed form available with prospectus.

Eligibility:	Age:
ANM - 12th pass	17-30 yrs.
GNM - 12th pass with 40% marks (any stream)	17-35 yrs.

All other information available in the prospectus. Principal
7840021047, 9318307459

APPOINTMENT
NCPE COLLEGE OF LAW
(Run by Mahavira Pupils Education Society)
(To be Affilated to Ch. Charan Singh University, Meerut)
Required Following Faculty of B.A.LL.B (5 years integrated Course) for the session 2023-24
PRINCIPAL - 1 NO. (Ph.D. with 15 years teaching exp. in law college)
ASSISTANT PROFESSOR in Law - 6 Nos.
ASSISTANT PROFESSOR (English, History, Hindi, Pol. Sci., Economics, Sociology) 12 Nos. (Qualification as per UGC & University Norms)
Notes: 1. Educational qualification as per BCI, UGC & University Norms.
2. Salary as per U.P. Govt. & University Norms.
Please send your resume along with photo and all testimonials latest by 18-09-2022 for the below mentioned address.
College Campus: Jawahar Vidyalaya Road, Village Dhoom Manipur, Near Dadri, Distt. Gautam Budh Nagar - 203207, U.P
Administrative Office: Main Road, I-Block Market, Sector-22, Noida-201301, G.B. Nagar, U.P
Ph.: 9467774070, 9818938400, 9718832248
E-mail: ncpedadri@gmail.com
Last date: 18.09.2022 (Dr. Anil Kumar) Director

NOIDA COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION
(Approved by NCTE & Under Section (F) & 12(B) of the UGC Act)
(To be Affiliated to Ch. Charan Singh University, Meerut)
Required Faculty of the following department for the session 2023-24
PRINCIPAL - 1 NO. (Ph.D. with 15 years teaching exp. at UG/PG Level)
Management Department
B.Com-06 Asstt. Professor
B.B.A.-06 Asstt. Professor
B.C.A.- 06 Asstt. Professor
B.Sc. (Maths Group)
Mathemetics - 02 Asstt. Prof.
Physics - 02 Asstt. Prof.
Chemistry - 02 Asstt. Prof.
B.Sc. (Biology Group)
Botany - 02 Asstt. Prof.
Zoology - 02 Asstt. Prof.
Chemistry - 02 Asstt. Prof.
Notes: 1. Educational qualification as per BCI, UGC & University Norms.
2. Salary as per U.P. Govt. & University Norms.
Please send your resume along with photo and all testimonials latest by 18-09-2022 for the below mentioned address.
College Campus: Jawahar Vidyalaya Road, Village Dhoom Manipur, Near Dadri, Distt. Gautam Budh Nagar - 203207, U.P
Administrative Office: Main Road, I-Block Market, Sector-22, Noida-201301, G.B. Nagar, U.P
Ph.: 9467774070, 9818938400, 9718832248
E-mail: ncpedadri@gmail.com
Last date: 18.09.2022 (Dr. Anil Kumar) Director

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client Smt. Darshan Kaur W/o. Lt. Sh. Kulwant Singh presently at 3, DDA Flats, New Ranjeet Nagar, New Delhi-8, has disowned his son Mr. Deepak Karir with his wife Ms Payal Talwar & grand daughter baby Rhythm Kaur due to their cruel behave and misdeeds towards my client from all moveable and immoveable properties. My client severed all relation with her.

AMIT KHANNA (Advocate)
CH. NO. K-73, TIS HAZARI COURTS, DELHI -110054

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client Sh. Anil Kumar Gupta S/o Sh. Yashpal Gupta R/o H.No. 1-2, First Floor, Block-G, Opp. SDM Market, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have severed all his relation with his Son Mr. Vikas Gupta, his Daughter-in-law Mrs. Honey Gupta W/o Mr. Vikas Gupta and his Grand daughter Ms. Kiyara Gupta D/o Mr. Vikas Gupta from the date of this public notice. Now my client has no relation with his Son, Daughter-in-law and Grand Daughter. My client declare that his abovesaid son, daughter-in-law and grand daughter shall have no right, title or interest whatsoever in any manner in the movable and immovable property of my client and if anybody made dealing with them shall do at their own risk, cost and consequences.

Sd/- **ROHIT ARORA** (Advocate)
Ch. No. P-36, Post Office Lane, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

I Harvinder Kaur D/o Rajendra Singh Bhui R/o C-18, Hazara Park, Shiv Puri, Delhi-110051 have lost my(1) GPA & ATS executed on 05.11.1979 by Gurbux Singh, Kashmiri Lal & Chander Paul in favour of Raj Pal Chawla, (2)GPA & ATS executed on 10.09.1980 by Raj Pal Chawla in favour of Satya Parkash Chugh(3) GPA, ATS & Will executed on 08.07.1999 by Satya Parkash Chawla in favour of Kunti Devi all W.R.T Property No. C-18, Hazara Park, Near Shiv Puri, Delhi-110051. Finders may contact at above address.

PUBLIC NOTICE

It is for information of general public that my client **SHRIMATI RAJNI VIJ** WIFE OF LATE SHRI SATISH VIJ R/o House No.E-35, Preet Vihar, Delhi-110092, have disowned her son namely **GAGAN VIJ** and he shall have no right or concern with her moveable and immoveable properties. In future my client shall not be held liable and responsible for the acts and deeds of said **GAGAN VIJ**.

Tarun Babbar (Advocate) 84, Manu Appts., Mayur Vihar-I, Delhi.

PUBLIC NOTICE

It is for information of general public that my client **SHRI GYAN KAUSHAL** S/O SHRI KANHAIYA LAL KAUSHAL R/o H.NO.75-A, GALI NO.11, NEW LAHORE SHASTRI NAGAR, DELHI-110031, have disowned his son namely **JITENDER KAUSHAL** alias **MINTOO** and he shall have no right or concern with his moveable and immoveable properties. In future my client shall not be held liable and responsible for the acts & deeds of said **JITENDER KAUSHAL** alias **MINTOO**.

Tarun Babbar (Advocate) 84, Manu Appts., Mayur Vihar-I, Delhi-110091

PUBLIC NOTICE

Be it known to all the general public that my client Owner Mr.Samrender Kumar (Seller) S/o Sh. Ram Iqbal Shah R/o R-301, Vrandavan Heights Vrandavan Garden Ghaziabad UP have sold Vehicle No.UP14DT-5348 Chassis No. MAT457403D7E15488 Engine No.497TC92EWY824998 Makers:Tata LPT 1109 Model:2013 Open Body Truck Goods Carriers to Mr.Gurdev Singh (Buyer) R/o Sarsol, Kol, Aligarh, Uttar Pradesh-202001. If anybody have any dispute/claim/objection, please contact mobile no.: 9599239753 within 7 days of publication of this notice, and any claim/objection thereafter shall be treated as null and void.

PRAVEEN RASTOGI (Advocate)
ENRL No.D-244/06

PUBLIC NOTICE

This is for the information of general public that my client Mr. Chanchal Singh S/o Sh. Gurbaksh singh R/o W2-53, Ist Floor, Gali No. 6, Guru Nanak Nagar, Tilak Nagar, New Delhi-110018, has disowned and debarred his son KAWALJEET SINGH S/o S

बाढ़ का पानी घटा, संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा

लखनऊ, 2 सितंबर (भाषा)।

प्रदेश के वाराणसी, बलिया समेत कई जिलों में अब बाढ़ का पानी कम होने लगा है और संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि राहत और बचाव के लिए पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में अब गंगा और वरुणा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है और दोनों नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का पानी अब कम होने लगा है।

वाराणसी में गंगा के जलस्तर में कमी आने के बाद संबंधित क्षेत्रों से पानी कम होना शुरू हो गया है। वरुणा पार के भी कई रिहायशी इलाकों से पानी निकल गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है, परंतु इसके साथ ही बाढ़ के पानी के साथ आए गाद और गंदगी की सफाई और उससे फैलने वाली संक्रामक बीमारियों से लोगों में भय व्याप्त है। वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डाक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जगह-जगह कीचड़ और जल जमाव से संक्रामक रोग न फैले इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है।

सीएमओ ने बताया कि संक्रामक रोगों से बचाव के लिए कार्रवाई तेज कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि जल जमाव वाले स्थानों पर मच्छरजनित बीमारी डेंगू, मलेरिया आदि के फैलने की आशंका अधिक होती है लिहाजा बाढ़ से प्रभावित रहे सभी क्षेत्रों में एंटी लार्वा का छिड़काव करने के साथ ही नगर निगम के सहयोग से फागिंग भी कराई जा रही है। जिला मलेरिया अधिकारी एस सी पाण्डेय ने बताया कि एंटी लार्वा के छिड़काव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डूडा से 15 कर्मियों को मांगा है, जो विभिन्न इलाकों में एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहे हैं।

प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार बलिया जिले में गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट के बाद जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों का प्रसार रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू कर दिया है। बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. जयंत कुमार ने शुक्रवार को एजंसी को बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट के बाद जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों का प्रसार रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू कर दिया है।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की 76 टीमें तैनात की गई है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गंदगी के कारण कोई अनहोनी न हो, इसके लिए गांव एवं नगरीय क्षेत्र में फागिंग और अन्य कार्य कराया जा रहा है।

बलिया जिला प्रशासन के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी पीयूष सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 5347 लोगों का उपचार किया गया है और 3743 ओआरएस पैकेट तथा 19779 क्लोरीन गोली का वितरण किया गया है।

ग्यारह स्थानों पर छापे, 45 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई

हापुड़, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

बसपा के धौलाना विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा चुनाव 2022 के प्रत्याशी (ग्राम ढबारसी प्रधान) के खिलाफ पुलिस में विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। अधीक्षण अभियंता यूके सिंह ने बताया कि रात्रि में 11 स्थानों पर छापामार 45 लाख रूपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। विजिलेंस ने सभी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।

कार्यवाही के दौरान प्रवर्तन दल में शामिल अधिकारियों को भुगतने की धमकी भी दी गई। बता दें एससी यादव, प्रभारी निरीक्षक मुमताज खान अपनी टीम के साथ सर्वप्रथम रात्रि में गांव ढबारसी प्रधान आसमा पत्नी बसपा नेता वासिद अली के घर छापा मारा।

यहां सीधे केबिल डाल 5.125 किलोवाट की विद्युत चोरी होती पकड़ी गई। कार्यवाही के समय वासिद घर पर मौजूद नहीं थे। जहां टीम को ग्रामीणो के विरोध का सामना करना पड़ा। उक्त कार्यवाही गांव के पूर्व प्रधान इस्तेकार की सूचना पर की गई। वहीं वर्तमान प्रधान की सूचना पर रात्रि में ही प्रवर्तन दल ने पूर्व प्रधान इस्तेकार के ठिकाने पर भी छापा मारा। जहां पर 5.145 किलोवाट की बिजली चोरी डायरेक्ट करते पकड़ा गया। इसके अलावा टीम ने दोनो पक्षों के लोगों की सूचना पर कासिम, तैयब, कमरूद्दीन, आमिर, नजर पान, समशेर, रसीना, कुर्बान व फरियाद के घरों व घेर पर मीटर से पूर्व केबिल में कट लगाकर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा।

ग्रामीणों की आपसी रंजिश का लाभ उठाते हुए विद्युत विभाग ने भारी मात्रा में बिजली चोरी को पकड़ा है। बसपा नेता वासिद का कहना है कि उन्हे राजनीतिक रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। जबकि अधीक्षण अभियन्ता ने बताया कि विजीलैंस टीम द्वारा चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जनपद में बडे पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है जिसे रोकना हमारा कर्तव्य है।

किशोर से बलात्कार के दोषी को 20 साल कैद

सुल्तानपुर, 2 सितंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश में किशोर से अप्राकृतिक बलात्कार के मामले में आरोपी व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (पाक्सो) कानून के तहत विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने गुरुवार को शैलेंद्र उर्फ पुजारी पांडेय के अपराध को अत्यंत गंभीर मानते हुए उसे दोषी करार दिया और 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। बरेहता के रहने वाले आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि 30 जून 2020 को पीड़ित किशोर जब गाय चराने गया था तब मौके पर पहुंचा आरोपी किशोर की गाय को झाड़ियों की तरफ लेकर चला गया। जब पीड़ित अपनी गाय के पीछे-पीछे वहां पहुंचा तो एकांत में पाकर आरोपी ने उससे अप्राकृतिक बलात्कार किया। जब किशोर ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे मारा-पीटा और धमकाया। पीड़ित ने परिजनों से अपनी आपबीती सुनायी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ।

एक सीरियल किलर की खोज

फिल्म समीक्षा
रवींद्र त्रिपाठी

कठपुतली

★★½

निर्देशक : रंजीत एम तिवारी

कलाकार : अक्षय कुमार, रकुलप्रीत सिंह, सरगुन मेहता, चंद्रचूड़ सिंह, रेनाए तेजानी



लगातार तीन फ्लाप फिल्में देने के बाद अक्षय कुमार ने आखिर अपनी राह थोड़ी बदली है और उनकी नई फिल्म कठपुतली ओटीटी डिस्ने हाटस्टार पर रिलीज हुई है। ये फिल्म चार साल पर आई साइको सीरियल किलर पर आधारित तमिल फिल्में रतसासन का हिंदी रिमेक है और हां, इसमें संदेह नही कि एक चीज को छोड़ दें तो ये फिल्म अक्षय कुमार की हालिया फिल्मों से बेहतर है। जिस पहलू पर उंगली उठाई जा सकती है वो ये है कि इसकी कहानी को हिमाचल प्रदेश के कसौली इलाके पर आधारित रखा गया है लेकिन ज्यादातर शूटिंग लंदन में कई गई है और इसी कारण इसकी विश्वासनीयता कमजोर हुई है। फिर भी एक रहस्यपूर्ण थ्रिलर के रूप में ये दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखती है और आखिरी लम्हों मे ही जाकर इस बात पर से पर्दा उठता है कि सीरियल किलर कौन है?

अक्षय कुमार ने अर्जन सेठी नाम के एक ऐसे पुलिस अफसर का किरदार निभाया है जो बनना तो चाहता था फिल्म मेकर लेकिन बन जाता है और पुलिस कर्मी। और जैसे ही वह हिमाचल प्रदेश के कसौली थाने में अपना पद संभालता है कि कि वहां स्कूली लड़कियों की हत्या शुरू हो जाती है। पुलिस शुरू में इसे साधारण हत्या समझती है लेकिन अर्जन बार बार कहता है कि ये सीरियल किलिंग का मामला है। आखिरकार अर्जन की ही बात सही साबित है लेकिन मसला इस बात पर अटकता है कि हत्यारा कौन है और किस वजह से वो ये सब कर रहा है।

अक्षय ने अपनी भूमिका प्रभावशाली तरीके से निभाई है। जहां तक रकुलप्रीत सिंह का मामला है वो इसमें वो अंग्रेजी की शिक्षका बनी हैं लेकिन उनको किसी क्लासरूम में अंग्रेजी पढ़ाते नहीं दिखाया जाता है। हां शुरूआती दृश्य में उन्होंने अक्षय कुमार की जो क्लास ली है वो मजेदार है। पर सरगुन मेहता ने थाना प्रभारी की जो भूमिका निभाई है वह काफी दमदार है। एक अरसे के बाद चंद्रचूड सिंह फिल्मी पर्दे पर आए हैं लेकिन वे कुछ खास छाप नहीं छोड़ पाते।

प्रबंध निदेशक ने किया बस अड्डे का निरीक्षण, दिए सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश

सहारनपुर, 2 सितंबर ।

प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम संजय कुमार ने मानकमऊ स्थित रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण किया और बस स्टैंड पर पानी, शेड, लाइट आदि सुविधाओं के साथ उसे व्यवस्थित और विकसित करने के निर्देश दिए। संजय कुमार ने रोडवेज व नगर निगम को समन्वय बनाते हुए बस स्टैंड पर व्यवस्थाएं बनाने को कहा। प्रबंध निदेशक यूपीएसआरटीसी संजय कुमार शुक्रवार को मानकमऊ स्थित रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण करने पहुंचे। महापौर संजीव वालिया, विधायक राजीव गुंबर, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, नगरायुक्त गजल भारद्वाज, एसएसपी विपिन ताड़ा व अपर नगरायुक्त राजेश यादव के अलावा रोडवेज के अधिकारी भी मौजूद रहे। नगर विधायक राजीव गुंबर ने संजय कुमार से यात्रियों को धूप, बारिश आदि से बचाव के लिए बस स्टैड पर शेड, शुद्ध पेयजल, शौचालय तथा प्रकाश व्यवस्था का सुझाव दिया। नगर विधायक ने इसके अलावा बसों के आवागमन को व्यवस्थित करने के लिए राजबाहे की दिशा में पुलिया बनवाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि चारों ओर से खुला होने के कारण बस स्टैंड पर सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है, अतः बस स्टैंड के चारो ओर एक चारदीवारी भी बनवाई जानी चाहिए। संजय कुमार ने नगर विधायक से सहमति जताते हुए नगर निगम व रोडवेज अधिकारियों को परस्पर समन्वय बनाकर ये सब व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए।

संजय कुमार ने मेयर संजीव वालिया, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व नगरायुक्त से भी राज्य परिवहन यातायात व व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श किया। नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने प्रबंध निदेशक को आश्वस्त किया कि पेयजल, प्रकाश व शौचालय आदि नगर निगम द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं को शीघ्रातिशीघ्र कराया जाएगा।

गाजीपुर में बिजली गिरने से तीन की मौत

गाजीपुर, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के सोफीपुर गांव में कल गुरुवार की शाम खेत में काम कर रहे पति पत्नी और पुत्र की मृत्यु आकाशीय बिजली से हो गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि सोफीपुर गांव के रहने वाले हीराराम (63) अपनी पत्नी फूलमती (60) और पुत्र रमेश कुमार (31) के साथ आज शाम खेत में धान की निराई कर रहे थे कि अचानक बादल तेज गरजा और बिजली की चपेट में आ गए। तीनों बुरी तरह घायल हो गए। लोगों ने उन्हें अस्पताल ले गए। जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तीनों का शव पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

तीन फीसद पानी पीने योग्य, इसलिए बचत जरूरी : जलशक्ति मंत्री

चंदौली, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

जनपद में दौरे पर आए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए एक दलित परिवार के घर भोजन के किया। फिर, नियामयाबाद विकासखंड के कुंडलिया गांव में आयोजित जल उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए जल शक्ति मिशन योजना का श्रीगणेश किया। इस मौके पर उन्होने कहा कि पूरे देश में मात्र तीन फीसद पानी ही पीने योग्य है। इसलिए पानी की बचत करना हम सभी का कर्तव्य है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। बरसात के पानी को भी बचाना होगा। उन्होने कहा कि दो महीने में जनपद के सभी घरों तक पीने योग्य शुद्ध पानी पहुंच जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह दूरगामी सोच की योजना है।

पचास साल बाद की आबादी क्या होगी, उसे देखते हुए टंकी का निर्माण किया जा रहा है। नल की टोटियों को लगाया जा रहा है। इसे सुरक्षित रखना आप सभी का कर्तव्य है। खेतों की मेड़ पर अरहर की खेती करने की सलाह देते हुए जल शक्ति मंत्री ने कांग्रेस, सपा बसपा को निशाना करते हुए कहा कि यह लोग 70साल में जो विकास कार्य नहीं कर सके, उसे यह सरकार जातिवाद, धर्मवाद, परिवार वाद से ऊपर उठकर किया है। आज पूरी दुनिया में देश का नाम ऊंचा हुआ है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ पर आप सभी का आशीर्वाद बना रहे।

आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/शैल, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये एकल पैकेट प्रणाली आधारित खुली निविदा सूचना सं.: एमसीएफ/आरबीएल/टेंडर/सामग्री की आपूर्ति के साथ एसएस ट्रक का निर्माण और फिटमेंट/2022-23/सी571ए दिनांकः- 30.08.2022, आईआरईपीएस के पोर्टल **www.ireps.gov.in** के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैः- **कार्य का नामः** कार्य के दायरे के अनुसार सामग्री की आपूर्ति के साथ एसएस ट्रक का निर्माण, फिटमेंट और वेल्डिंग, **कार्य की अनुमानित लागत (₹)ः** ₹ 44,59,692.00, **निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹)ः** ₹ शून्य, **अमानत राशि (₹)ः** ₹ 89,200.00 (₹ नवासी हजार दो सौ) मात्र, **कार्य की मात्राः** शैड्यूल के अनुसार, **कार्य समापन की अवधिः** 12 माह, **निविदा बंद होने की तिथि एवं समयः** दिनांक 22.09.2022 को 15:00 बजे। **नोटः** • निविदा सूचना, एलीजीबिलिटी क्राइटेरिया, टर्म्स एवं कंडीशन IREPS वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। **उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/शैल**

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य गुणवत्ता प्रबंधक, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये खुली ई-निविदा सूचना संख्या M-300-MCF-ISO-Greenco-22, दिनांक **30.08.2022** के माध्यम से एकल पैकेट प्रणाली पर आधारित खुली ई-पोर्टल के रेल भारतीय निविदा- **www.ireps.gov.in** के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैः- **कार्य का नामः** आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229120 में कार्य क्षेत्र के अनुसार, ग्रीनको रेटिंग सिस्टम/ग्रीन इंडस्ट्रीज इकाई के दस्तावेज़ीकरण, कार्यान्वयन और प्रमाणन के लिए सीआईआई-ग्रीनको फैसिलिटेटर्स का अधिग्रहण, **कार्य की अनुमानित लागत (₹ में)ः** ₹ 8,61,400/-, **अमानत राशि (₹ में)ः** ₹ 17,300.00, **निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹ में)ः** ₹ 2,000.00 मात्र, **कार्य समापन की अवधिः** 36 माह । • **निविदा प्रपत्र जमा करने की अवधिः** दिनांक 08.09.2022 से 30.09.2022 तक । • **निविदा बंद होने की तिथि एवं समयः** दिनांक 30.09.2022 को 15:15 बजे तक । • **निविदा खुलने की तिथि एवं समयः** दिनांक 30.09.2022 को 15:30 बजे से। • निविदा सूचना, एलीजीबिलिटी क्राइटेरिया, टर्म्स एवं कंडीशन इंडियन रेलवेज IREPS वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। **नोटः (1)** निविदाकार अपनी मूल/संशोधित निविदा को निविदा बंद होने की तिथि एवं समय तक जमा कर सकते हैं। इस निविदा के लिए पूर्व प्रचलित मैनुअल आफ़र प्रक्रिया अनुमेय नहीं है और यदि कोई मैनुअल ऑफर प्राप्त होता है तो उस ऑफर पर विचार नहीं किया जाएगा। **(2)** निविदा प्रपत्र का मूल्य का भुगतान केवल ऑनलाइन नेट बैंकिंग द्वारा प्रधान वित्त सलाहकार/आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के पक्ष में अथवा IREPS पोर्टल पर उपलब्ध गेटवे भुगतान प्रक्रिया के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, जमा रसीद एवं फिक्स्ड डिपाजिट रसीद इत्यादि द्वारा भुगतान मान्य नहीं है। **उप मुख्य गुणवत्ता प्रबंधक**

ई-एडवर्टाइज्ड टेंडर नोटिस सं. 35/ईटी/2022-23 **दिनांकः 30.08.2022**

क्र.सं.	निविदा सं.	माल का विवरण	मात्रा	नियत तिथि
01	03221524	एएल माउडिंग इएक्स यूएनईक्यू एगिंल (3.2 x 19 x 25.4) एल = 1.8	21650 नग	27.09.2022
		एएल माउडिंग इएक्स यूएनईक्यू एगिंल (2.5 x 35 x 55) एल = 1.8	6918 नग	
02	03221596	एअर इनलेट डक्ट फॉर पीसी (एलएचबी)	159 नग	02.11.2022
03	06221072	पीयू बेसड वेट आन वेट पेन्ट अप्लीकेबल एक्सटेरिअर पेंटिंग सिस्टम फॉर एलएचबी कोचेज	330 सेट	10.10.2022
04	04221166	डोर अरेंजमेंट (आरएच एण्ड एलएच)	396 सेट	20.09.2022
05	06221050ए	सप्लाई एण्ड अप्लीकेशन ऑफ अधेशन प्रोमोटिंग प्राईमर (ईटीसीएच पराईमर) फॉर इंटीरियर एण्ड एक्सटीरियर ऑफ एलएचबी कोचेज	141236 लीटर	26.09.2022
06	05221392	500 के.वी.ए., 750 वोल्ट, 3. फेज डीजल अल्टरनेटर सेट फॉर एलएचबी पावर कार	229 सेट	23.09.2022
07	05221282ए	हार्नेस ऑफ अंडरफ्रेम एंड रूफ अरेंजमेंट फॉर एलएचबी ईओजी एलएफसीडब्ल्यूसी टाइप कोचेज	17 सेट	28.09.2022
		हार्नेस ऑफ अंडरफ्रेम एंड रूफ अरेंजमेंट फॉर एलएसएलआरडी टाइप कोचेज	17 सेट	
		हार्नेस ऑफ अंडरफ्रेम एंड सुपर स्ट्रैक्चर अरेंजमेंट फॉर एचओजी कम्प्लाईन्ट एलएचबी ईओजी हाई कैप्सटी पारसेल वैन कोचेज	26 सेट	

शुद्धि पत्र

01	28/ईटी/2022-23 दिनांकः 05.08.2022	टैन्डर नं. 06221084	निविदा खुलने की तिथि- 29.08.2022 स्थान पर तिथि 09.09.2022 पढ़े।

Website Address: www.ireps.gov.in & www.mcf.indianrailways.gov.in
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/शैल
ग्राहको की सेवा में मुस्कान के साथ

AUTOCOP (INDIA) PRIVATE LIMITED
NOTICE FOR AMENDMENT IN FORM G Dated 18th July, 2022
The last date for submission of Expression of Interest (EOI) in the matter of Autocop (India) Private Limited has been extended upto 14th September, 2022 and consequently other timelines have been changed as detailed below :

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of the corporate debtor	AUTOCOP (INDIA) PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	18th September, 1991
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies - Mumbai
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U74999MH1991PTC063312
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Plot No. F - 14, Ambad MIDC, Nashik (Maharashtra) 422010
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	16th March, 2022, The Copy of the Order Received by Interim Resolution Professional on 21st March, 2022
7.	Revised Date of invitation of expression of interest	3rd September, 2022
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	http://autocopindia.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	http://autocopindia.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	14th September, 2022
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	23rd September, 2022
12.	Last date for submission of objections to provisional list	28th September,2022
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	8th October,2022
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	28th September,2022
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Resolution Applicant may contact the Resolution Professional at the Contact Details mentioned against Serial No. 21 for obtaining Request for Resolution Plan, Evaluation Matrix, Information Memorandum and any further Information if required.
16.	Last date for submission of resolution plans	27th October,2022
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In the electronic form on the email id madan.vaishnawa@icai.org or in Password Protected Pen Drive or through speed post or hand delivery in sealed envelope at the address given in Serial no. 21.
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	As soon as approved by Committee of Creditors (COC)
19.	Name and registration number of the resolution professional	Madan Bajarang Lal Vaishnawa IBBI/IPA-001/IP-P02011/2020-21/13052
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Madan B Vaishnawa Address: 341- 704 Kalpataru Srishti Sector 3 Mira Road (East) Thane (MS) 401107 Email Id: madan.vaishnawa@icai.org
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Madan B Vaishnawa Plot No. F - 14, Ambad MIDC, Nashik (Maharashtra) 422010 Email Id: cirp.autocop@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	Madan B Vaishnawa Plot No. F - 14, Ambad MIDC, Nashik (Maharashtra) 422010 **Email Id:** cirp.autocop@gmail.com **Website:** www.autocopindia.com
23.	Date of publication of Amended Form G	3rd September, 2022

For, **AUTOCOP (INDIA) PRIVATE LIMITED**
SD/-
CA Madan B Vaishnawa
Interim Resolution Professional
IBBI/IPA-001/IP-P02011/2020-21/13052
405 – 407, Hind Rajasthan Building,
DS Phalke Road, Dadar (E), Mumbai – 400014.
Date: 3rd September, 2022
Place: Mumbai

MOREPEN LABORATORIES LIMITED
CIN: L24231HP1984PLC006028
Regd. Off.: Morepen Village, Nalagarh Road, Baddi, Distt. Solan, H.P. - 173 205, INDIA
Tel.: +91-1795-266401-03, 244590, **Fax:** +91-1795-244591
Corp. Off. : 2nd Floor, Tower C, DLF Cyber Park, Udyog Vihar-III, Sector 20, Gurugram, Haryana-122016, INDIA
Tel: +91 124 489 2000, **E-mail:** investors@morepen.com, **Website:** www.morepen.com

NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Morepen Laboratories Limited ("the company") will be held on **Tuesday, 27th September 2022 at 12:30 p.m.** through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC"/ "OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder ("the Act") and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, ("Listing Regulations") read with applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the ordinary and special businesses, as set out in the notice calling AGM.

Notice of AGM: The notice together with the Annual Report for the financial year 2021-22 has been sent in electronic mode to members whose e-mail addresses are registered with the company/ Registrar & Share Transfer Agent ("RTA")/ Depositories and hard copies of notice along with Annual Report has been sent to those members who have requested for the same. The notice of the AGM together with the Annual Report is also available on the website of the company at **www.morepen.com**, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at their respective websites viz., **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at **www.evoting.nsdl.com.**

Book closure period: Pursuant to Section 91 of the Act, notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from **Wednesday, 21st September 2022** to **Tuesday, 27th September 2022 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

Voting: Pursuant to Regulation 44 of the Listing Regulations read with Section 108 of the Act and the relevant rules made thereunder, the company has availed the services of NSDL to facilitate the members to exercise their right to vote by remote e-voting and e-voting at AGM. The detailed process for participating in the remote e-voting and e-voting at AGM is available in the notice of the meeting. The members of the company holding shares in either physical or dematerialized form as on **Tuesday, 20th September 2022**, being the cut-off date, may cast their vote electronically by remote e-voting. Additionally, the company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM, detailed procedure for e-voting is provided in the notice of the AGM.

The remote e-voting period will commence on **Friday, 23rd September 2022** at 9.00 a.m. and end on **Monday, 26th September 2022** at 5:00 p.m. The results of voting would be declared as stipulated under the relevant rules and will also be posted on the website of the company, stock exchanges and NSDL.

We hereby state that:

a) remote e-voting shall not be allowed beyond **Monday, 26th September 2022** after 5:00 P.M.
b) the facility for e-voting by the members, who have not voted through remote e-voting, shall be available at the AGM.
c) a member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM through e-voting during the AGM.
d) a person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM and the voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date.
e) any person, who acquires shares of the company and becomes a member of the company after sending of the notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at 'evoting@nsdl.co.in'. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing user ID and password for casting the vote.

Members are also requested to refer frequently asked questions ('FAQ') for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the downloads section of NSDL at www.evoting.nsdl.com

In case of any query or issue regarding e-voting or grievance connected with the facility for voting by electronic mode/ attending AGM through VC/OAVM, the concerned person may contact to Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL at evoting@nsdl.com / 1800-1020-990 / 1800-2244-30 or Mr. Deepanshu Rastogi, Assistant Manager, MAS Services Limited at info@masserv.com / 011- 26387281/ 82/ 83.

For Morepen Laboratories Limited
Sushil Suri
(Chairman & Managing Director)
DIN: 00012028
Date: 2nd September 2022
Place: Gurugram, Haryana

बागपत, 2 सितंबर (भाषा)। बागपत में एक युवक ने एक लड़की के माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है।

यूको बैंक — **माँग सूचना**

अंचल कार्यालय: बी-1/32 सिविल लाइन, रोशनगंज, लखनऊ-226018, फोन: 4937564, ईमेल: zo.lucknow@ucobank.co.in

(U/S 13(2) of Securitisation of Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूको बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में निम्नलिखित ऋणियों को माँग सूचना जारी की थी तथा माँग सूचना पत्र उनके फ्लो पर रजिस्टर्ड डाक से भेजी गयी थी। परन्तु माँग सूचना पत्र दिनांक 30.07.2022 को अप्राप्य वापस हो गया। पुनः इस सूचना के प्रकाशन द्वारा यह ऋण सहिता को, जिन्होंने इससे ऋण प्राप्त किया था, विशिष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि वह इस सूचना के 60 दिनों के भीतर अपने ऋण विवरण अधोवर्णित का भुगतान कर दें। ऋण सहिताओं, जमानतादारों एवं उनके विधिक उत्तराधिकारियों को विशिष्ट रूप से और सर्व साधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार क्रय-विक्रय नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। विवरण:

क्र. सं.	खातेदार/जमानतकर्ता का नाम एवं पता व शाखा का नाम	बकाया धनराशि (रू०)	सम्पत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि
1.	श्री ज्योतिरेश पांडेय पुत्र स्व० कृष्णा चन्द्र पांडेय एवं डॉ. सविता पांडेय पत्नी श्री ज्योतिरेश पांडेय 65/32/32 के, पितापुर रोड, लखनऊ जमानतकर्ता: श्रीमती पुष्पा पांडेय पत्नी स्व० श्री कृष्णा चन्द्र पांडेय 65/32/32 के, पितापुर रोड, लखनऊ शाखा: अमीनाबाद शाखा	रू. 4,73,957.43 + ब्याज व अन्य खर्च	मकान सं. 65/32/32 के, स्थित पितापुर रोड, लखनऊ, सेल डीड सं. 2930, बोल सं. 1384, पेज सं. 233-246, बुक सं. 1, दिनांक 25.01.1992 पितापुर रोड जिला-लखनऊ, माप 384 वर्ग फिट, श्रीमती पुष्पा पांडेय पत्नी स्व० श्री कृष्णा चन्द्र पांडेय के नाम से सम्पत्ति चौहद्दी: पूर्व-अख्तर अहमद कुरैशी के मकान की दीवार, पश्चिम-स्व० राम मरोसे के मकान की दीवार, उत्तर-हाजा बाबू हाता शत्रुघ्नम की दीवार, दक्षिण-15 फिट चौड़ी सरकारी पितापुर पेन्टेड रोड	25.07.2022

दिनांक: 02.09.2022 स्थान: लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

POONAWALLA HOUSING FINANCE — Apna Ghar, Apni Pehchan

POONAWALLA HOUSING FINANCE LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS MAGMA HOUSING FINANCE LTD.)
REGD. OFF : 602, 6TH FLOOR, ZERO ONE IT PARK, SR. NO. 79/1, GHORPADI, MUNDHWA ROAD, PUNE - 411036

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT,2002

You the below mentioned Borrowers / Co-borrowers / Guarantors have availed Home loans / Loans against Property facility (ies) by mortgaging your Immovable property / ies from Magma Housing Finance Ltd "MHFL" now renamed as Poonawalla Housing Finance Ltd "PHFL" . You defaulted in repayment and therefore, your loan/s was classified as Non-Performing Assets. A Demand Notice under Section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 for the recovery of the outstanding dues sent on last known addresses however the same have returned un-served. Hence the contents of which are being published herewith as per Section 13(2) of the Act read with Rule 3(1) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 as and by way of Alternate Service upon you.

Details of the Borrowers, Co-borrowers, Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent under Section 13(2) and Amount claimed there under are given as under

Sl. No.	Name of the Borrower, Co-Borrower, Guarantor and Loan Amount	DETAILS OF THE SECURED ASSET	DEMAND NOTICE DATE	AMOUNT DUE IN RS.
1.	**UMA AWASTHI, DEEPU** **Loan Amount : Rs. 17,23,561.84** **Loan No : HM/0045/H/18/100548**	All that Piece and Parcel of Mortgaged Property of 2/3 part of House No. NBTRV/105A, Rajeev Vihar, Naubasta, Kanpur Nagar Measuring 111.48 Sq.mtr. Equal to 133.33 Sq. YDS. Out of Total Area 200 Sq. YDS. Built on Pvt. Plot No. 105A Situated in part of Arazi No. 937, Village Naubasta, Pargana - Tehsil Kanpur Sadar, District Kanpur Nagar, Boundaries as per Registered Agreement to sell, Doc. No. 14926 Dated 15.10.2019 Are : **East :** Part of Sold House Thereafter Plot No. 27, **West :** 60 Feet Wide Road, **North :** 80 Feet Wide Road, **South :** House No. 105, Shivshanker Tiwari.	13.07.2022	**Rs. 7,35,028.05 (Rupees Seven Lakh Thirty Five Thousand Twenty Eight and Five Paisas Only) together with further interest @ 13.50% P.A till repayment.**
2.	**MANISH PRATAP SINGH, ANITA SINGH** **Loan Amount : Rs. 22,00,000/-** **Loan No : HF/0043/H/19/100369**	All that Piece and Parcel of Mortgaged Property of Shop No. U.G.F. - 4, Upper Ground Build on Plot Part of Khasra No. 438 Min, Area 280 Sq.Ft. Situated at K.L. Tower, Vill - Mishrapur, Pargana - Mahona, Tehsil - BKT & Dist - Lucknow. Boundaries Are : **East :** 6 Ft. Wide Road, **West :** Kursi Road, **North :** 7 Ft. Wide Corridor, **South :** Shop U.G.F - 05.	22.07.2022	**Rs. 24,21,987.52 (Rupees Twenty Four Lakh Twenty One Thousand Nine Hundred Eighty Seven and Fifty Two Paisas Only) together with further interest @ 14.50% P.A till repayment.**

You the Borrower/s and Co-Borrower/s / Guarantors are therefore called upon to make payment of the above-mentioned demanded amount with further interest as mentioned herein above in full within 60 Days of this Notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the act to enforce the above mentioned security / ies. Please Note that as per Section 13(13) of The Said Act, You are in the meanwhile, restrained from transferring the above-referred securities by way of sale, lease or otherwise without our consent.

PLACE : KANPUR NAGAR & LUCKNOW (U.P.)
DATE : 03.09.2022

FOR POONAWALLA HOUSING FINANCE LTD
(FORMERLY KNOWN AS MAGMA HOUSING FINANCE LTD)
AUTHORISED OFFICER

ADVERTISEMENT OF DEFENCE CIVILIAN EMPLOYEE RECRUITMENT IN THE ARMY STATION HEADQUARTERS FATEHGARH

Application (proforma att) invited for following post from citizen of India fulfilling the requisite qualification/specification as mentioned below on prescribed format as a Central Government Defence Civilian Group 'C' employee. Application alongwith connected documents duly attested by a Gazetted Officer, should be addressed to The Station Headquarters, Fatehgarh (UP) -209601.

S No	Name of Post	No of Vacancy	Pay Scale Group 'C'	Education and other qualification	Category
1	LDC	01	Level-2 19900/- to 45700/-	(i) 12th Pass or equivalent from recognized Board or University (ii) English Typing @ 35 wpm on computer and Hindi Typing @ 30 wpm on computer (35 words per minute and 30 words per minute corresponding to 10500-9000 Key Depressions for each word.	Un-Reserved (UR) Gen

2. Age Limit:- Crucial date of calculation of age limit will be as on last date prescribed for receipt for application for Un Reserved (UR) Gen candidate is **18 to 25 years**
3. Documents to be attached with the application :
   (a) Two Copies of recent passport size colured photographs
   (b) Two self addressed envelopes bearing postal stamp of Rs 25/-
4. Last date of receipt of application 1200hrs on **01 Oct 2022**

APPLICATION FOR THE POST OF _____

1. Post applied for _____
2. Name of the candidate (in block letters) _____
3. Name of Father/ Mother/ Husband _____
4. Date of Birth _____
   (att copy of birth certificate duly attested)
5. Age as on last date of prescribed for receipt of application
   Years_____Months_____days
6. Address for Correspondence:
   House No/Street/Village_____
   Post Office_____Distt_____
   State_____PIN Code_____
7. Permanent Address (Attach Certificate in case of SC/ST/OBC)
   House No/Street/Village_____
   Post Office_____Distt_____
   State_____PIN Code_____
   Aadhar No_____Mob No_____
8. Caste Gen/OBC/SC/ST_____(attach copy of Domicile certificate duly attested)
9. Educational qualification/experience_____(attach education certificate duly attested)
10. Any other qualification / experience (attach copy of experience certificate duly attested)
11. Whether registered with any employment exchange : Yes /No If yes, mention Registration No and Name of employment exchange.
12. I here by certify that above particulars mentioned in the application are correct and true to the best of my knowledge and belief, if particulars mentioned by me are found false at any stage then I shall be liable to be terminate without any notice.

Photograph

Dated : _____ (Signature of candidate)

.....

FOR OFFICIAL RECORD ONLY

1. Received on _____
2. Accepted/Rejected _____
3. Reason for rejection : Underage/Overage/Incomplete documents/Any other reason to be specified_____
4. Index No: _____ Date of Test/Interview _____

0518/STA/EST/Appt/2022

गुटीय संघर्ष में बारह लोग घायल

मोदीनगर, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

भोजपुर थाना के अन्तर्गत एक गांव में बीती देर शाम एक मोटर साइकिल व कार के मध्य हुई टक्कर के बाद दोनों गुटों में हुए विवाद में जहां लाठी-डंडों खुलकर चले, वहीं खुलकर फायरिंग भी हुई। दोनों पक्षों के बारह लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है, जिनमें दो की हालत चिंताजनक बताई गई है।

सभी घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया। यह विवाद दो समुदायों से जुड़ा होने के चलते उत्पन्न तनाव को देखते हुए भोजपुर गांव में पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। भोजपुर थाने के उपनिरीक्षक विपिन कुमार की तहरीर पर पुलिस ने दोनों पक्षों के 20-20 लोगों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई हैं, जिनमें 15 नामजद व 25 अज्ञात बताए गए हैं।

बरेली में दो सैनिक स्कूलों की स्थापना की कवायद शुरू

बरेली, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

जिले में दो सैनिक स्कूलों की स्थापना की कवायद शुरू की गई है। मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे ने अधिकारियों की साथ हुई बैठक में कहा कि जिन दो स्कूलों को सैनिक स्कूलों में परिवर्तित किया जाना है, उनकी जमीन की नापजोख अपर जिलाधिकारी प्रशासन के नेतृत्व में करा ली जाए। उन्होंने कहा कि अन्य औपचारिकताएं भी पूरी कर शासन को भेजी जाएं ताकि सैनिक स्कूलों की स्थापना का काम समय से हो सके।

मंडलायुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ गुरुवार को हुई बैठक में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा देश में सौ नवीन सैनिक स्कूलों की स्थापना जन सहभागिता (पीपीपी) से करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के इस निर्णय के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 16 सैनिक स्कूलों की स्थापना की अपेक्षा की है। सैनिक स्कूल में निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त शारीरिक दक्षता, खेलकूद और दूसरी शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त खेल के मैदान की आवश्यकता होगी।

उन्होंने बताया कि सैनिक स्कूल के लिए न्यूनतम छह एकड़ और आवासीय सैनिक स्कूल के लिए न्यूनतम आठ एकड़ भूमि की दरकार होगी। बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि जिले की मीरगंज तहसील के राजकीय इंटर कालेज अगरास और फरीदपुर के सीएएस इंटर कालेज को सैनिक स्कूलों में परिवर्तित किए जाने की पेशकश पूर्व में शासन को प्रेषित की जा चुकी है। मंडलायुक्त ने दोनों प्रस्तावित स्कूलों की भूमि की पैमाइश कराकर अपर जिलाधिकारी प्रशासन से इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कराकर जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट सिटी योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए आयुक्सेत जे नगर विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी को निर्देश दिए कि मलिन बस्तियों में शौचालय निर्माण प्राथमिकता से करवाए जाएं और इसकी सूची भी उपलब्ध करा दी जाए।

उन्होंने संजय कम्युनिटी हाल के पास स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण का काम 15सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम कार्यालय के सामने स्मार्ट वेंडिंग जोन की दुकानों और पुस्तकालय को ऐसा बनाया जाए कि दूर से दिखाई दे। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की कोई शिथिलता न बरती जाए।

अवैध निर्माण को लेकर चार अभियंताओं के खिलाफ जांच

सहारनपुर, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण के तहत हुए अवैध निर्माण को लेकर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सहायक अभियंता और तीन जूनियर इंजीनियरों की जांच सहारनपुर के अपर आयुक्त को सौंपी है।

प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकरण ने सहारनपुर के कमिश्नर डा. लोकेश एम को भेजे पत्र में कहा है कि प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सहारनपुर के अपर आयुक्त प्रशासन को जांच अधिकारी नामित किया है। जानकारी के मुताबिक जांच के दायरे में आए सहायक अभियंता विजय पाल सिंह, पूर्व में सहारनपुर विकास प्राधिकरण में जेई थे। वह वर्तमान में बरेली विकास प्राधिकरण में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं।

इसके अलावा जूनियन इंजीनियर शमीम अहमद, हरिओम गुप्ता और रोहित पाठक तीनों सहारनपुर विकास प्राधिकरण में बतौर अवर अभियंता कार्यरत हैं। इन चारों इंजीनियरों पर आरोप है कि उन्होंने सहारनपुर महानगर में हुए अवैध निर्माणों की अनदेखी की। राज्यपाल को जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर भेजी जानी है।

बलात्कारी को 10 साल की कठोर सजा

मैनपुरी, 2 सितंबर (भाषा)।

जिले की एक स्थानीय अदालत ने छह साल के एक नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में दोष सिद्ध होने पर 25 वर्षीय युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकुंद रायजादा ने शुक्रवार को बताया कि पाक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश पूनम त्यागी ने बृहस्पतिवार को आरोपी प्रवीण यादव (25) को बलात्कार का आरोप सिद्ध होने के बाद 10 वर्ष कठोर कारावास और 32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसका भुगतान पीड़िता को किया जाएगा। घटना के संदर्भ में रायजादा ने कहा कि तीन सितंबर 2016 को बरनाहल थाना क्षेत्र के एक गांव के प्रवीण यादव ने उसी गांव की 13 साल की बच्ची के साथ अपने दोस्त के घर पर बलात्कार किया था।

घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी थी लेकिन लड़की ने पूरी घटना अपने परिवार वालों को बताई, जिसके बाद उसके पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई और इसके बाद प्रवीण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आरोप पत्र दाखिल किया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने प्रवीण यादव को सजा सुनाई।

बीएचयू से लापता छात्र को पुलिस ने ढूंढ़ निकाला

वाराणसी, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

बीएचयू के लालबहादुर शास्त्री हास्टल के रूम नंबर 50 का अधिवासी उज्ज्वल तिवारी 19 अगस्त को लापता हो गया था। पुलिस ने उसे गुरुवार को सांयकाल ढूढ़ निकाला और उसे परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने शुक्रवार को बताया की जन्माष्टमी के दिन बीएचयू के लालबहादुर शास्त्री हास्टल से लापता छात्र को पुलिस ने 12 दिन बाद खोज निकाला है।

पुलिस ने बताया कि छात्र उज्ज्वल तिवारी उधारी चुकाने के डर से खुद ही गायब हुआ था। उसके पिता प्रकाश चंद्र तिवारी ने अनहोनी की आशंका जताई थी। 20 अगस्त को लंका थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उज्ज्वल को बरामद कर उसके पिता को सुपुर्द कर दिया है। बेटे के मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। लंका थाना के इंस्पेक्टर ने बताया की भदोही के दुलासी निवासी उज्जवल तिवारी को कल वाराणसी कैंट स्टेशन के पास से बरामद कर लिया गया।

सांप के काटने से युवक की मौत

उरई, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम सेता में बीती रात सोते समय युवक को सर्प ने काट लिया। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। गुरुवार रात को कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम सेता निवासी राजेश कुमार (28 वर्ष) पुत्र राजबहादुर अपने घर में सो रहा था तभी उसे सांप ने काट लिया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और उसका शरीर नीला होने लगा। यह देखकर परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए जहां उसे मृत बताया गया। राजेश की मौत की खबर सुनते ही परिवार में रोना पीटना मच गया। मृतक मजदूरी करता था और उसी की मजदूरी से परिवार चल रहा था।

SBI भारतीय स्टेट बैंक
आर.ए.सी.पी.सी. - सेक्टर बी, निकट राम राम बैंक चौराहा, अलीगंज लखनऊ

कब्जा नोटिस (नियम 6 (1) के तहत चल सम्पत्ति)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी **भारतीय स्टेट बैंक, आर.ए.सी.पी. सी.** द्वारा एस.बी.आई. एस.ओ.पी. कारलोन जब्तीकरण के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा-13(2) एवं 13(12) सहपठित नियम 8 व 9 के अर्न्तगत निम्नलिखित खातेदार को उनके सम्मुख अंकित तिथि को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अन्दर नोटिस में वर्णित राशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/जमानतदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सहपठित नियम 9 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित खातों में बंधक सम्पत्ति/वाहन का उनके सम्मुख अंकित तिथि को कब्जा प्राप्त कर लिया है। अतः इस सम्पत्ति के सम्बंध में किसी भी प्रकार का सौदा/व्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक, आर.ए.सी.पी. सी.** के अतिरिक्त किसी अन्य से न करें। ऐसा कोई भी सौदा व्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक** को देय राशि व तत्सम्बंधित ब्याज, जैसा कि खाते में उल्लिखित किया गया है, के अधीन हो। **ऋणी को सुरक्षित परिसम्पत्ति के आधार पर धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधान के अन्तर्गत दिये गये समय में आमंत्रित कर रहें हैं। सम्पत्तियों का विवरण जिसका कब्जा लिया गया है :-**

ऋण-ग्रहिता का नाम एवं पता/ खाता संख्या/शाखा	बंधक चल सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि 13(2) के अनुसार	प्रथम तिथि / द्वितीय तिथि
ऋणी का नाम: श्री सूरज लाल म.स. 69 लोहिया विहार, सेक्टर-9, इन्दिरा नगर, लखनऊ **खाता सं : 65243241924** **शाखा :** इस्माइलगंज, लखनऊ	**Vehicle Regn. No. :** UP32 GP 4004 **Asset/Vehilce Make** MAHINDRA XUV 508 FWD W10 **ENGINE NO.** MA1YU2HHUF6J17942 **CHASIS NO.** L.M.V.(JEEP7GYPSY)	रु. 3,73,396/- दिनांक 02.06.2022 तक + ब्याज व अन्य खर्च	02.06.2022 / 24.06.2022

दिनांक : 02.09.2022 स्थान : लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

अदालत ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज की

नोएडा, 2 सितंबर (भाषा)।

गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पिछले महीने नोएडा की एक महिला के साथ मारपीट और अपशब्द कहने वाले कथित वीडियो के के बाद त्यागी को गिरफ्तार किया गया था। आदेश की प्रति के अनुसार, जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) रणविजय प्रताप सिंह ने जमानत याचिका खारिज कर दी। त्यागी के वकील सुशील भाटी ने जमानत याचिका खारिज होने की पुष्टि की है। नोएडा पुलिस ने त्यागी (34) को नौ अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। गैंगस्टर अधिनियम के अलावा त्यागी पर उसकी कारों पर ऐसे स्टिकर और राज्य सरकार के प्रतीक का उपयोग करने के आरोप में धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया गया था।

ADITYA BIRLA CAPITAL

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय- इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362266
शाखा कार्यालय- जी कॉर्पोरेशन टेक पार्क, कसारवादावली, घोड़बंदर रोड, ठाणे-400607 (महा.)

मांग सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के तहत)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस की प्रतिस्थापित सेवा।

एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों को नोटिस दिया जाता है कि चूंकि उन्होंने आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एबीएचएफएल) से प्राप्त क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी की पुस्तकों में उनके ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, एबीएचएफएल ने उक्त कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत उक्त मांग सूचना में बताए गए अनुसार उपरोक्त राशि और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि पर संविदात्मक दर पर आगे के ब्याज के साथ पूरी बकाया राशि का भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की की गई है। हालांकि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार, प्रकाशन के माध्यम से भी मांग सूचना दी जा रही है:

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार तथा जमानती/सह-जमानती का नाम एवं पता तथा ऋण खाता सं.	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	तिथि तक मांग सूचना के अनुसार राशि
1	1. कमलदीप त्रिपाठी, फ्लैट नंबर 203, ऑर्किड्स, दूसरी मंजिल पर, एल्डेको पार्क व्यू, अपार्टमेंट सीतापुर रोड, निराला नगर, लखनऊ, उ.प्र.-206020 इसके अलावा:- लक्ष्मी ऑयल एंड वनस्पति प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, 14/113, 704, कान चैंबर, सिविल लाइंस, कानपुर, उ.प्र.-208001 साथ ही:- प्लॉट नंबर 42, ब्लॉक-के, आर.एस. पुरम, काकादेव, कानपुर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208025, 2. लक्ष्मी ऑयल एंड वनस्पति प्राइवेट लिमिटेड, 14/113,704, कान चैंबर, सिविल लाइन्स, कानपुर, उ.प्र.-208001 इसके अलावा:- प्लॉट नंबर 42, ब्लॉक-के, आर.एस. पुरम, काकादेव, कानपुर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208025 3. आरएसए वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड 446 टोटल एनवायरनमेंट रेनड्रॉप्स 10-1/2, हरालूर रोड, सरजापुर रोड, बैंगलोर, कर्नाटक-560102 इसके अलावा:- प्लॉट नंबर 42, ब्लॉक -के, आर.एस. पुरम, काकादेव, कानपुर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208025 4. केशव गौड़, बंगला नं. 27, अमरपाली एन्क्लेव, चूनाभट्टी कोलार रोड, भोपाल, म.प्र.-462001 इसके अलावा:- प्लॉट नंबर 42, ब्लॉक-के, आर.एस. पुरम, काकादेव, कानपुर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208025, 5. सतीश रावत, केदारनाथ लक्ष्मीपुरा वार्ड इतवारा बाजार सागर, मध्य प्रदेश-470002 इसके अलावा:- प्लॉट नंबर 42, ब्लॉक-के, आर.एस. पुरम, काकादेव, कानपुर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208025, ऋण खाता संख्या LNKANHL-04180038210 तथा LNKANHL-04180039409	10.07.2022	29.08.2022	रु. 2,10,80,185.56/- (रुपये दो करोड़ दस लाख अस्सी हजार एक सौ पिचासी एवं छप्पन पैसे मात्र) तथा 30.08.2022 तक ब्याज

अचल सम्पत्ति/बंधक सम्पत्तियों का विवरण : प्लॉट नं. 42, आर.एस. पुरम, ब्लॉक-के, काकादेव, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण भाग, क्षेत्रफल माप 362.03 वर्ग मीटर।

हम एतद्वारा यहां उपरोक्त कर्जदार से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर हमें बकाया राशि(यों) के साथ-साथ उस पर आगे के ब्याज के साथ-साथ लागत, शुल्क, खर्च आदि का भुगतान करने के लिए कहते हैं, जिसमें विफल होने पर हम लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से आपके जोखिम पर प्रतिभूत संपत्ति का कब्जा लेने और बेचने के लिए प्रतिभूत प्रवर्तित करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से, पूर्वोक्त प्रतिभूत संपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अनुसार, यदि एबीएच एफएल की बकाया राशि, एबीएच एफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बिक्री के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय एबीएचएफएल को प्रस्तुत की जाती है, तो प्रतिभूत संपत्ति को एबीएचएफएल द्वारा बेचा या या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, और एबीएचएफएल द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा या उस प्रतिभूत संपत्ति का हस्तांतरण या बिक्री नहीं की जाएगी।

दिनांक: 03.09.2022
स्थान: लखनऊ

ह./- अधिकृत अधिकारी
(आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

सेंट्रल विस्टा : नए प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में 'एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव' के निर्माण को दिल्ली प्रदेश पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआइएए) ने मंजूरी दे दी है। इस एन्क्लेव में प्रधानमंत्री का नया कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली प्रदेश विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) ने पिछले सप्ताह एसईआइएए को परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने की सिफारिश की थी। एसईआइएए ने बुधवार को एक बैठक में परियोजना पर चर्चा की तथा इसे मंजूरी दे दी।

वन विभाग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) को 23 अगस्त को दिल्ली पेड़ संरक्षण कानून, 1994 के तहत सेंट्रल विस्टा परियोजना स्थल से 807 में से 487 पेड़ों को उखाड़कर कहीं और लगाने की मंजूरी दी थी। बैठक में एसईआइएए ने कहा कि इस परियोजना से निर्माण स्थल पर 60 फीसद पेड़ों को हटाया जाएगा। सीपीडब्लूडी अधिकारियों ने कहा कि इस प्रस्ताव को गत वर्ष दिसंबर में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भेजा गया था। परियोजनाओं को मंजूरी के लिए एसईआइएए के पास भेजे जाने से पहले उनका मूल्यांकन करने वाली एसईएसी ने इस महीने की शुरुआत में पेड़ों को उखाड़कर कहीं और लगाने के लिए दिल्ली सरकार की नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक उप-समिति का गठन किया था। सरकार ने दिसंबर, 2020 में अधिसूचित की गई नीति में कहा था कि संबंधित एजंसियों को उनके विकास कार्यों के कारण प्रभावित 80 फीसद पेड़ों को किसी और स्थान पर लगाना होगा।

एसईएसी ने पहली बार 31 जनवरी को एक बैठक में प्रस्ताव पर गौर किया था।

पेंशन घोटाला : मप्र सरकार ने नहीं दी मुकदमा चलाने की मंजूरी

इंदौर, 2 सितंबर (भाषा)।

इंदौर की विशेष अदालत ने वर्ष 2005 के कथित पेंशन घोटाले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और तत्कालीन महापौर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्यवाही खत्म कर दी है क्योंकि 17 साल बीतने के बावजूद राज्य सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी। प्रदेश कांग्रेस इकाई के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के.के. मिश्रा ने 33 करोड़ के इस कथित घोटाले को लेकर यह शिकायत दायर की थी।

विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने राज्य सरकार द्वारा विजयवर्गीय और अन्य तत्कालीन लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के अभाव का हवाला देते हुए शिकायत की कार्यवाही खत्म करने का आदेश 29 अगस्त (सोमवार) को जारी किया।

आदेश में कहा गया कि अभियोजन स्वीकृति की प्रत्याशा में शिकायत पर आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकती है और मामले को अनंतकाल तक लंबित भी नहीं रखा जा सकता।

विशेष अदालत ने हालांकि अपने आदेश में जोड़ा कि अगर शिकायतकर्ता को प्रदेश सरकार की अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होती है, तो वह इस मामले में अदालती कार्यवाही बहाल कराने के लिए स्वतंत्र है।

भारत जोड़ो यात्रा : राहुल गांधी को तिरंगा सौंपेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सात सितंबर को 'भारत जोड़ो यात्रा' शुरू करने से पहले श्रीपेरंबदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर प्रार्थना सभा में शामिल होंगे और कन्याकुमारी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन उन्हें राष्ट्र ध्वज सौंपेंगे।

महात्मा गांधी मंडपम में कार्यक्रम के दौरान स्टालिन भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ उस सार्वजनिक रैली स्थल पर जाएंगे जहां से यात्रा शुरू की जाएगी। पार्टी ने गांधी सहित 118 नेताओं को 'भारत यात्रियों' के रूप में वर्गीकृत किया है जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की दूरी तय करेंगे। वे प्रतिदिन औसतन 20-25 किमी की दूरी तय करेंगे। 'भारत जोड़ी यात्रा' वेबसाइट पर 37,000 से अधिक ऐसे आम लोगों ने भी पंजीकरण कराया है जो पार्टी से संबंधित नहीं हैं।

कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की जांच की मांग पर सुनवाई से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

जम्मू- कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की एसआइटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित अथारिटी के सामने जाने को कहा। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।

> इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रूट्स इन कश्मीर संस्था की याचिका को भी खारिज कर दिया था।

एक गैर सरकारी संगठन वी द सिटीजन ने यह याचिका दाखिल की थी। याचिका में कश्मीर में 1990 से 2003 तक कश्मीरी पंडितों और सिखों के संहार और अत्याचार की जांच के लिए एसआइटी के गठन की मांग की गई थी। साथ ही विस्थापितों के पुनर्वास की मांग भी की गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रूट्स इन कश्मीर संस्था की याचिका को भी खारिज कर दिया था। जिसमें 1989-90 में कश्मीरी पंडितों की हत्या की 215 घटनाओं की जांच की मांग की गई थी।

जिंदल सॉ लिमिटेड
सीआईएन - L27104UP1984PLC023979
पंजीकृत कार्यालयः ए-1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नंदगांव रोड कोसी कलां, जिला मथुरा (उ. प्र.) 281403

नोटिस

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में सूचना दी जाती है कि कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को दोपहर 12.30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो वीजुवल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जायेगी एवं कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वार्षिक आम बैठक बुलाने कि नोटिस 2 सितंबर, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी के उन सदस्यों को भेजा गया हैं, जो 19 अगस्त, 2022 को कंपनी के शेयर धारक हैं। एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.jindalsaw.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी क्रमश उपलब्ध है।

एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज एजीएम की सूचना के प्रसार की तारीख से सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों का निरक्षण करने के इच्छुक सदस्य investors@jindalsaw.com पर एक ई-मेल भेज सकते हैं।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग :

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य अपना वोट यहां नीचे दी गई तारीखों ("रिमोट ई-वोटिंग") पर दूरस्थ रूप से भी डाल सकते हैं। कंपनी ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाओं को लिया गया है।

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण किताब 21 सितंबर, 2022 से 27 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक आम बैठक में लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

एजीएम की सूचना में जानकारी और निर्देश प्रदान किया गया है जिसमें डीमैटीरियलाइज्ड मोड,फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया सदस्य द्वारा मतदान सहित दूरस्थ रूप से मतदान के तरीके शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी की सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि (नीचे उल्लिखित) के अनुसार शेयर धारण करता है/सदस्य जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे इसे प्राप्त/उत्पन्न कर सकते हैं, एजीएम के नोटिस में भी दिया गया है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगीः
रिमोट ई-वोटिंग का प्रारंभ : शनिवार 24 सितंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति : सोमवार 26 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी)

उपरोक्त अवधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम मेइलेक्ट्रानिक रूप से वोट कर सकेंगे। एक व्यक्ति, जिसे कट-ऑफ तिथि यानी 20 सितंबर 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, केवल एजीएम में ई-वोटिंग या रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

सदस्य एजीएम नोटिस में दिए गए ई-वोटिंग निर्देश को पढ़ सकते हैं या https://evoting.nsdl.com पर जा सकते हैं और किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं जो https://evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं।

जिंदल सॉ लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
सुनिल के जैन
कम्पनी सचिव
एफसीएस-3056

स्थानः नई दिल्ली
तिथि : 02.09.2022

RAKAN STEELS LIMITED
CIN: L27320UP1985PLC007582
R/O: NH-2 (1 km from Bara Toll Plaza) Umran, Rania,Kanpur Dehat-209311
Corporate Office: Anand Palace, 10/499, Allen Ganj, Kanpur-208002
E-Mail: support@rakansteels.co.in
Ph: Regd. Office: +91-9598668666 WEB: www.rakansteels.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the the 35TH Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 30th September, 2022 at 03:00 P.M. at the Registered Office of the Company at NH-2 (1 km from Bara Toll Plaza), Umran, Rania, Kanpur Dehat-209311. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Financial Statements (Standalone) for the financial year 2021-2022, along with the Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website and on the website of the Stock Exchange, i.e. MSE Limited at www.msei.in. Pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of The Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company shall remain closed from 23rd September, 2022 to 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to provisions of Section 108 of Companies Act 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Company is pleased to provide its members the electronic facility (remote e-voting) to transact all the business mentioned in the notice through National Services Depository Limited (NSDL). All the members are informed that:-

(a) The cut off date for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting or voting at the AGM is 22nd September, 2022.
(b) The remote E-voting shall commence on September 27, 2022 at 09:00 a.m. IST and end on September 29, 2022 at 05:00 p.m. IST. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
(c) A person, who has acquired shares and become member of the Company after the email sending date i.e. 02nd September, 2022 and holding shares on cut off date i.e. 22nd September, 2022, may obtain the procedure to login by sending request at www.evoting.nsdl.com. However, if the person is already registered with NSDL for e voting than he can use his existing login ID/user ID and password for casting the vote through e voting.
(d) Members holding shares in Physical Mode, who have not registered/updated their email addresses with the company, are requested to visit the website of the company's Registrar at www.skylinerta.com click on email registration and upload required documents therein.
(e) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses, are requested to register/update their email addresses with depository participants with whom they maintain their demat accounts.
(f) The Notice of AGM is available on the Company's website www.rakansteels.co.in and on NSDL website www.evoting.nsdl.com;
(g) The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 35th Annual General Meeting as well as in the email sent to the Members and on NSDL website www.evoting.nsdl.com. In case of any queries pertaining to e-voting, member can e-mail to evoting@nsdl.co.in and/or support@rakansteels.co.in;
(h) Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, manner of casting vote through remote e-voting or through ballot paper during the AGM.

Date- 03/09/2022
Place- Kanpur

By the order of the Board
For: Rakan Steels Limited
Sd/- Madhu Bansal
Company Secretary

जे.के. कॉटन लिमिटेड

सीआईएन : U17111UP1924PLC000275
पंजीकृत कार्यालय : कमला टावर, कानपुर-208001, उ.प्र. (इण्डिया)
फोन : +91 512 2371478-81, फैक्स : +91 512 2332665
ई-मेल : abhishek.pandey@jkorg.co.in वेबसाइट : www.jkcotton.com

99वीं वार्षिक आम सभा व पुस्तक बंद होने की जानकारी

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, दिनांक 5 मई, 2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021 और दिनांक 5 मई, 2022 के परिपत्र ('परिपत्रों') द्वारा एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('VC')/अन्य ऑडीओ विजुअल मीन्स ('OAVM') के माध्यम से वार्षिक आम सभा ('AGM') आयोजित करने की अनुमति दी। इन परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में AGM के नोटिस में बताये जाने वाले कारोबार को संपादित करने के लिये जे के कॉटन लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 99 वीं AGM VC/OAVM के माध्यम से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को दोपहर 02:00 बजे आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट के साथ AGM के नोटिस केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जायेगी, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('DP') या कंपनी के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jkcotton.com पर, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगें। सदस्य केवल VC/OAVM के माध्यम से AGM में उपस्थित होने और भाग लेने में सक्षम होंगे। AGM में शामिल होने के निर्देश AGM के नोटिस में प्रदान किये जायेगें और VC/OAVM के माध्यम से AGM में शामिल होने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जायेगी।

कंपनी अपने सदस्यों को AGM के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा के साथ-साथ AGM के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर अपने वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। कंपनी ने सदस्यों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए CDSL की सेवाएं ली हैं। इस संबंध में विस्तृत निर्देश AGM के नोटिस का हिस्सा बनेंगे।

जिन सदस्यों के ई-मेल पते DP या कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने ई-मेल पते पंजीकृत करायें:

1- फिजिकल शेयरधारकों के लिए: कृपा फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट (आगे और पीछे) की स्कैन कॉपी, पैन (पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) जैसे आवश्यक विवरण कंपनी को abhishek.pandey@jkorg.co.in पर ईमेल में जमा कर दे।
2. डीमैट शेयरधारकों के लिए-कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपडेट करे। यह ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमो के तहत एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्य के रजिस्टर और शेयर अन्तरण रजिस्टर शुक्रवार 23 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 तक (दोनों दिन सम्मिलित) AGM के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

बोर्ड की आज्ञानुसार
हस्ता0/-
(अभिषेक सिंघानिया)
प्रबन्ध निदेशक

स्थानः कानपुर
दिनांकः 02.09.2022

भारतीय साधारण बीमा निगम

(भारत सरकार की कंपनी)
पंजीकृत कार्यालयः 'सुरक्षा', 170, जे. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020
टेलीः + 91-22-2286 7000 **फ़ैक्सः** + 91-22-2288 4010,
वेबसाइटः www.gicofindia.com, **ई-मेलः** investors.gic@gicofindia.com,
सीआईएनः L67200MH1972GOI016133, **आईआरडीएआई पंजी. सं.**112

GIC Re आपत्काले रक्षिण्यामि

50 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

वार्षिक आम बैठक की सूचना:

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लागू एमसीए परिपत्रों और कंपनी अधिनियम तथा सेबी विनियम (सामूहिक रूप से सांविधिक प्रावधान के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्यों का लेन-देन करने के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम की **50 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, दिनांक 26 सितंबर 2022 दोपहर 3:00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी. एजीएम की कार्यवाही निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी.

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट :

एजीएम बैठक की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट **शुक्रवार, 2 सितंबर 2022** के ईमेल से उन सदस्यों को भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) रजिस्ट्रार / ट्रांसफ़र एजेंट्स (आरटीए) के पास उपलब्ध हैं. उक्त दस्तावेज़ निगम की वेबसाइट www.gicofindia.com, स्टॉक एक्सचेंज (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) एवं ई-वोटिंग एजेंसी मेसर्स नेशनल सेक्युरिटीज़ डिपॉसिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वोटिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, निगम ने मेसर्स नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की सेवाओं को दूरस्थ ई-मतदान सुविधा के प्रावधान के लिए निम्नवत् लागू किया है :

विवरण	एजीएम से पूर्व	एजीएम के दौरान
दूरस्थ ई-वोटिंग का आरंभ	**बुधवार, 21 सितंबर 2022 को सुबह 09:00 बजे से (भारतीय मानक समयानुसार)**	**सोमवार, 26 सितंबर 2022**
दूरस्थ ई-वोटिंग का समापन	**रविवार, 25 सितंबर 2022 को शाम 05:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)**	**सोमवार, 26 सितंबर 2022 (एजीएम समाप्त होने के 15 मिनट बाद)**
कट ऑफ डेट (वोट के लिए हकदार)	**सोमवार, 19 सितंबर 2022**	
एक्सेस के लिए वेबलिंक	https://www.evoting.nsdl.com	
ई-वोटिंग इवेंट नंबर	EVEN-121687	

टिप्पणियाँ:

1. केवल वही व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तारीख अर्थात **सोमवार, 19 सितंबर 2022** तक सदस्यों / लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज है, दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्राप्त करने के साथ-साथ वार्षिक आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा.
2. सदस्यों का मतदान अधिकार **19 सितंबर 2022** तक निगम की चुकता साम्य शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा.
3. ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है या कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की नोटिस भेजने के बाद लेकिन कट ऑफ़ तारीख से पहले यानि **19 सितंबर 2022** तक निगम का सदस्य बने हों, सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के लिए फोलियो नं./डीपी-आइडी क्लाइंट आइडी का उल्लेख करते हुए निगम को investors.gic@gicofindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं. ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करें.
4. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग से अपने वोट डाले हैं, वे भी वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन वे फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे.
5. जो सदस्य वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम के दौरान वोट करने के हकदार होंगे.
6. जो सदस्य वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में सांविधिक रजिस्टरों / दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक हैं, एजीएम की तारीख तक अपनी डीपी-आईडी और क्लाइंट आईडी या फोलियो का उल्लेख करते हुए इस संबंध में निगम को ईमेल आईडी cs.gic@gicofindia.com पर मेल डाल सकते हैं.
7. जो सदस्य एजीएम के दौरान सवाल पूछना चाहते हैं, उन्हें **सोमवार 19 सितंबर 2022 (09:00 बजे भारतीय मानक समय) और बुधवार, 21 सितंबर 2022 (05:00 बजे भारतीय मानक समय)** के बीच gicagm.speakers@gicofindia.com पर अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अनुरोध भेजकर खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत करना होगा. केवल उन्हीं सदस्यों को, जिन्होंने वक्ता के रूप में पूर्व-पंजीकृत किया है, ई-एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी. निगम के पास ई-एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर बोलने वालों की संख्या को सीमित करने का अधिकार है.
8. किसी भी प्रकार की पूछताछ के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com पर शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज़) और एनएसडीएल के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं. सदस्य निम्नलिखित पर भी संपर्क कर सकते हैं:
   टोल फ्री नं.: 1800-222-990 या 1800-22-44-30 या श्री अमित विशाल या सुश्री पल्लवी म्हात्रे से एनएसडीएल से ईमेल evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं.
   यह सार्वजनिक सूचना निगम की वेबसाइट (www.gicofindia.com) पर भी उपलब्ध है.

कृते भारतीय साधारण बीमा निगम

हस्ताक्षरित/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

स्थान: **मुंबई**
दिनांक: **02.09.2022**

DELHIVERY
डेल्हीवरी लिमिटेड

(पूर्व नाम डेल्हीवरी प्राइवेट लिमिटेड)
सीआईएनः L63090DL2011PLC221234

वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित होने वाली 11वीं वार्षिक आम बैठक से सम्बन्धित सूचना

सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम की सूचना ("**सूचना**") में निर्धारित व्यवसाय(यों) के लेन-देन के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम**") के समस्त प्रयोज्य प्रावधानों, उसके तहत निर्मित नियमों एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा इस सम्बन्धि जारी अनुगामी परिपत्रों, नवीनतम 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 एवं इस सम्बन्ध जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से "**परिपत्र**" सम्बन्धित) के अनुपालन में डेल्हीवेरी लिमिटेड ("**कम्पनी**") की 11वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) पर आयोजित की जायेगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के लिए की जायेगी।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 ("**वार्षिक रिपोर्ट**") उचित समय पर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टीसिपेन्ट्स ("**डीपी**") के साथ पंजीकृत हैं। यह कम्पनी की वेबसाइट **www.delhivery.com**, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर, कम्पनी के डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड **https://www.evoting.nsdl.com**/तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("**लिंक इनटाइम**") की वेबसाइट **www.linkintime.co.in** पर भी उपलब्ध होगा। वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना की प्रतियां इसके लिए निवेदन करने वाले सदस्यों के पास भेज दी जायेंगी।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका :

सदस्य सूचना में निर्धारित व्यवसाय(यों) पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("**ई-वोटिंग**") के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। अभौतिक मोड, भौतिक मोड में शेयर धारित करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए दूरस्थ वोटिंग ("**रिमोट ई-वोटिंग**") सहित वोटिंग का तरीका सूचना में दिया गया है। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट कर सकेंगे।

ई-मेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने की रीति :

क) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य : लिंक इनटाइम के साथ ई-मेल पता पंजीकृत करके। उनकी वेबसाइट **www.linkintime.co.in** पर लिंक **Investor Services** टैब को क्लिक करके **E-mail Registration** शीर्षक चुनें और उसमें निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। सदस्यों से नाम, डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी/पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी जैसे विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया जायेगा। किसी भी जिज्ञासा के मामले में, सदस्य लिंक इनटाइम को **rmt.helpdesk@linkintime.co.in** पर ई-मेल भेज सकते हैं।

ख) इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी से सभी संचार प्राप्त करने के लिए डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके संबंधित डीपी के साथ डीमैट धारिता के संबंध में अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करके।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोटिस और विषेश रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते डेल्हीवेरी लिमिटेड
ह./-
सुनील कुमार बंसल
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथि : 01 सितम्बर, 2022
स्थान : गुरुग्राम

पंजीकृत कार्यालयः एन24-एन34, एस24, एस34, एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स सेंटर-II, सामने गेट 6 कार्गो टर्मिनल, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 5, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122002, हरियाणा-122002
वेबसाइटः www.delhivery.com; **ई-मेलः** corporateaffairs@delhivery.com; **दूरभाषः** +91 124 6225602

COURT NOTICE
In The Court Of
Harpreet kaur Nafra
JMIC -4, Jalandhar
Sandeep Narang
Vs
Nazar
CNR NO: PBJL03-024311-2019
Next Date : 23-09-2022
Publication Issued To: Nazar - Prop Of Ms City Sports Near Cine House Moothu Mukku Attingal Kerla 695101
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 23-09-2022 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?frs=district_notice&district=Jalandhar
JMIC-4, Jalandhar

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओ. ए नं. 99/2020
भारतीय स्टेट बैंक **विरूद्ध** **आवेदक**
मयंक रस्तोगी एवं अन्य
सेवा में **प्रतिवादी**

**1. मयंक रस्तोगी व अन्य पुत्र श्री संज

जनसत्ता

सामरिक उपलब्धि

स्वदेशी तकनीक से बने विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रांत के जलावतरण से भारत की सामरिक ताकत और आत्मविश्वास निस्संदेह काफी बढ़ गया है। करीब सोलह सौ सदस्यों वाले चालक दल के लिए तैयार किया गया यह युद्धपोत एक तरह से समुद्र में चलती-फिरती वायु और जलसेना छावनी की तरह काम करेगा। इस पर एक समय में करीब तीस हल्के लड़ाकू विमान और हेलिकाप्टर तैनात किए जा सकेंगे। इस तरह यह देश का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत है। हालांकि अमेरिका, चीन और रूस के पास इससे कुछ अधिक क्षमता वाले पोत हैं, पर विक्रांत के जलावतरण के बाद भारत अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस की कतार में खड़ा हो गया है। भारत के पास एक और विमानवाहक पोत सक्रिय है- विक्रमादित्य। यानी अब भारत के पास दो ऐसे युद्धपोत हो गए हैं। चीन के पास भी इतने ही पोत हैं। विक्रांत के संचालन से इसके जरिए मिग आदि लड़ाकू विमानों को समुद्र में उतारने और उड़ान भरने की सुविधा उपलब्ध होगी। विक्रांत खुद एक युद्धक जलपोत है। इस तरह हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ गई है। स्वाभाविक ही विक्रांत के संचालन से खासकर पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ गई है। अभी तक हिंद महासागर में चीन का दबदबा बना हुआ था और अपनी सामरिक ताकत के बल पर वह भारत को धौंस देता रहता है। इससे उसका मनोबल कुछ कमजोर होगा।

विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इसमें देश की करीब पांच सौ छोटी-बड़ी कंपनियों ने सहयोग दिया। इसके पहले वाला विक्रांत युद्धपोत ब्रिटेन से मंगाया गया था। विक्रमादित्य रूस से खरीदा गया था। इस तरह विक्रांत की सफलता के बाद भारत का स्वदेशी सैन्य साजो-सामान के मामले में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प विक्रांत के जलावतरण से साकार होता दिख रहा है। भारत उन देशों में है, जो अपने सैन्य साजो-सामान पर काफी धन खर्च करता है। इसलिए कई देश उससे सैन्य उपकरणों की खरीद आदि के लिए लालायित रहते हैं और इसके मद्देनजर अपने अंतरराष्ट्रीय रिश्तों और रणनीतियों में बदलाव भी करते रहते हैं। कई बार इसी आधार पर वे भारत पर दबाव बनाने का प्रयास करते देखे जाते हैं। दरअसल, कई देशों की अर्थव्यवस्था सैन्य साजो-सामान के कारोबार पर निर्भर है। वे बिचौलियों को मोटा कमीशन, घूस आदि देकर लड़ाकू विमान, हेलिकाप्टर, पनडुब्बी, हथियार आदि खरीदने का सौदा कराते रहते हैं। अगर भारत इस मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाता है, तो न सिर्फ इन अड़चनों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि वह खुद एक सैन्य साजो-सामान के बाजार में खड़ा हो सकता है। इसका रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इसलिए भी हथियार बनाने वाले देशों को विक्रांत का जलावतरण खटक रहा होगा।

सबसे बड़ी बात कि विक्रांत की हिंद महासागर में मौजूदगी से चीन का एकाधिकार समाप्त होगा और वह भारत को जब-तब आंखें दिखाने से बचेगा। अभी भारत को हिंद महासागर में सबसे अधिक चुनौती चीन की तरफ से ही मिलती रही है। पाकिस्तान भी उसी की शह पर भारत को उकसाने का प्रयास किया करता था। अब वह ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस युद्धपोत में पानी के भीतर से आसमान में मार करने वाले अत्याधुनिक हथियार लगे हुए हैं। दुश्मन पनडुब्बियों की टोह लेने में भी आसानी हो गई है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि विक्रांत के आने से हिंद प्रशांत और हिंद महासागर में शांति का वातावरण बनेगा।

टकराव का हासिल

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच औपचारिक बैठकों तक में स्थिति जैसी होती जा रही है, उससे सवाल यह पैदा हो रहा है कि इससे राजधानी और यहां के लोगों का क्या भला हो रहा है! शुक्रवार को दोनों के बीच होने वाली साप्ताहिक बैठक टलने की वजह यह बताई गई कि चूंकि अरविंद केजरीवाल गुजरात के दो दिनों के दौरे पर हैं, इसलिए उपराज्यपाल के साथ होने वाली बैठक में वे शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन लगातार तीसरी बार हर सप्ताह होने वाली बैठक में शामिल नहीं होना यह बताने के लिए काफी है कि दोनों के बीच कई मुद्दों पर हो रहे टकराव की वजह से पैदा होने वाला तनाव अब किस रूप में दिखने लगा है। सवाल है कि अगर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच होने वाली बैठक का मकसद राजधानी दिल्ली में सरकार चलाना और शासन का सहज रूप से कामकाज सुनिश्चित किया जाना है तो इसमें निजी आग्रहों की जगह क्यों होनी चाहिए। वहीं, अगर बैठकें नहीं हो पाने की वजह कोई आग्रह, तनाव या टकराव नहीं है तो क्या इसे शासन चलाने के लिए जरूरी कामों की प्राथमिकता सूची में कम महत्त्व का माना जा रहा है?

दरअसल, पिछले काफी समय से उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जिस स्तर की खींचतान चल रही है, उसमें यह साफ दिख सकता है कि इसकी वजह केवल तकनीकी बाध्यताएं नहीं होंगी। दिल्ली में 'आप' की सरकार की ओर से कई पार्टी के नेता यहां के विकास को बाधित करने के आरोपों के साथ उपराज्यपाल को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। दूसरी ओर, उपराज्यपाल की ओर से कुछ तकनीकी आधार के चलते सरकारी कामकाज से संबंधित फाइलों पर सवाल उठाया जा रहा है। मसलन, उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई सैंतालीस फाइलों को इसलिए वापस भेज दिया कि उन पर संवैधानिक मानदंडों के मुताबिक मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं थे। इस बीच, दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े विवाद ने कई स्तर पर जो संदेह खड़े किए हैं, वह अब एक सार्वजनिक बहस का विषय हो चुका है। फिर उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से यहां के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के लिए अतिरिक्त कमरे बनाने से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में भी रिपोर्ट तलब की। जाहिर है, इन मसलों पर दिल्ली में 'आप' एक तरह से घिरी हुई है।

यह बेवजह नहीं है कि आम आदमी पार्टी की ओर से भी उपराज्यपाल पर चौदह सौ करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए दावा किया गया कि जब वे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के पद पर थे, उस दौरान यह घोटाला हुआ था। जाहिर है, दोनों पक्षों के बीच टकराव ने जो शक्ल अख्तियार कर लिया है, उसमें मामला अब केवल आपसी तनाव तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर अब राज्य के सामान्य कामकाज पर भी पड़ने लगा है। पिछले कई हफ्तों से जिस तरह उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बैठकें रद्द होने का जो क्रम चल रहा है, उसका हासिल आखिर क्या होने वाला है? दिल्ली को देश के सभी राज्यों से अलग और विशेष चेहरा देने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए यहां के विकास और लोगों के हित प्राथमिक हैं या आपसी खींचतान के बीच पलता कोई अहं? वहीं, अगर उपराज्यपाल के सामने भी अगर कोई बड़ी बाधा नहीं है तो उन्हें भी टकराव या तनाव के बजाय जनहित में दोनों पक्षों के बीच सौहार्द के हालात बनाते हुए अपनी गरिमा को कायम रखने की जरूरत है, ताकि दिल्ली और यहां के लोगों के लिए एक बेहतर शासन और विकास सुनिश्चित किया जा सके।

कल्पमेधा

रहस्य सत्य का मित्र नहीं है। किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान देकर विनम्र बनने की आवश्यकता नहीं है।
- वोल्तेयर

बढ़ते हाथ, घटते काम

सरोज कुमार

इतने बड़े घरेलू बाजार में मांग होती, तो निर्यात घटने के बाद भी विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित नहीं होता, और रोजगार की परिस्थिति इतनी जटिल नहीं होती। मगर गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम आबादी के पास मांग करने की शक्ति नहीं रह गई है। इसका खमियाजा रोजगार बाजार, और अंत में अर्थव्यवस्था को भुगतना है।

बाजार जब रोजगार पैदा करना बंद कर दे तो समझिए अर्थव्यवस्था नीतिगत बीमारी की शिकार हो गई है, जिसका इलाज मुश्किल होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। चिंता की बात यह है कि कुशल हाथ बेकार हैं, फिर भी श्रम बाजार सिकुड़ रहा है। भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बेशक दुनिया के देश कमोबेश कठिनाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारत की कठिनाई अलग तरह की है। विशाल उपभोक्ता बाजार और उत्पादन की क्षमता होने के बावजूद यहां मांग और आपूर्ति का संकट है। बेरोजगारी की लंबी खिंचती परिस्थिति के बीच मांग में अतिरिक्त गिरावट की आशंका है। मांग खर्च पर निर्भर होती है और खर्च कमाई पर। कमाई की क्या स्थिति है, आंकड़े नहीं, जेब टटोल कर देख लीजिए।

मांग की एक नई खिड़की निर्यात में वृद्धि के साथ खुली थी, और उसके साथ ही रोजगार बाजार के पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी थी। मगर भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दुनिया में मंदी की आहट के साथ यह खिड़की भी बंद होती दिख रही है। निर्यात घटेगा तो जाहिर है विनिर्माण का इंजन सुस्त पड़ जाएगा। रोजगार की पैदावार रुक जाएगी। भारतीय निर्यात में उछाल से उत्साहित कारपोरेट जगत ने 2021-22 में 791 परियोजनाओं के लिए 1,94,548 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की थी, जो 2020-21 की 576 परियोजनाओं के लिए 1,16,603 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा से काफी अधिक है। अगर यह सारा निवेश बाजार में उतरता तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बनते। मगर जब मांग की ही संभावना धूमिल हो चली है, तो ऐसी स्थिति में भला कौन निवेशक अपनी पूंजी गड्ढे में फेंकना चाहेगा?

महामारी की रफ्तार थमने के बाद दुनिया के बाजार खुले तो मांग में भी तेजी आई। भारत ने 2022 में अब तक के रिकार्ड 421.89 अरब डालर का निर्यात किया। लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध ने परिस्थिति को पलट दिया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आहट के कारण मांग घटने लगी है। इसका असर भारत के निर्यात पर पड़ा है। जुलाई 2022 में भारत का निर्यात गिर कर 35.24 अरब डालर हो गया, जो जून में 35.51 डालर था।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च ने अपने एक अध्ययन रपट में कहा है कि निर्यात में वृद्धि के कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 2022 में जो तेजी आई थी, निर्यात में गिरावट के कारण वह 2023 में नहीं रहने वाली है। एजेंसी के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की चिंता और चीन में कोविड नियंत्रण के कड़े उपायों के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन प्रभावित हुआ है। रपट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 के दौरान भारत का वार्षिक औसत निर्यात 297.02 अरब डालर रहा था, जो वित्त वर्ष 2019 में बढ़ कर 330.08 अरब डालर हो गया। और 2021-22 में यह रिकार्ड 421.89 अरब डालर पर पहुंच गया। निर्यात में यह वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के कारण हुई। यानी विनिर्मित उत्पादों का निर्यात बढ़ने से औद्योगिक इकाइयों ने अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन किया, और इसके कारण 2022 में नौकरियों की उम्मीद भी वापस लौटी। लेकिन मंदी के आसन्न संकट ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है।

भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के दो सबसे बड़े ग्राहक अमेरिका और यूरोप के लिए निर्यात की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआइएस) के आंकड़े बताते हैं कि यूरोप के लिए भारतीय निर्यात की वृद्धि दर जून 2022 में घट कर उनतालीस फीसद रह गई, जो अप्रैल 2022 में इकसठ फीसद और मई 2022 में चालीस फीसद थी। इसी तरह अमेरिका के लिए भारतीय निर्यात की वृद्धि दर जून में घट कर उनतीस फीसद रह गई, जो मई में बत्तीस और अप्रैल में इकतीस फीसद थी। वित्त वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में भारत ने यूरोप को 19.3 अरब डालर, और अमेरिका को 21.7 अरब डालर मूल्य की वस्तुओं-सेवाओं का निर्यात किया। भारतीय सामान के चौथे सबसे बड़े ग्राहक चीन के लिए निर्यात जून तिमाई में इकतीस फीसद घट कर 4.7 अरब डालर रह गया। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका और यूरोप की सम्मिलित हिस्सेदारी 2022 में



तैंतीस फीसद थी, जबकि चीन की हिस्सेदारी पांच फीसद। यानी भारतीय निर्यात का अड़तीस फीसद हिस्सा संकट में है। निर्यात के इतने बड़े हिस्से के संकटग्रस्त होने से घरेलू उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा, और इसका रोजगार पर क्या असर होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है।

इस साल गेहूं का उत्पादन दस से तीस फीसद घट गया। अब असमान बारिश के कारण धान का उत्पादन भी आठ फीसद कम होने का अनुमान है। यानी जिस कृषि क्षेत्र ने महामारी के दौरान रोजगार बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों को सहारा दिया था, वहां से भी घरेलू मांग में किसी तरह की मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। इतने बड़े घरेलू बाजार में मांग होती, तो निर्यात घटने के बाद भी विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित नहीं होता, और रोजगार की परिस्थिति इतनी जटिल नहीं होती। मगर गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम आबादी के पास मांग करने की शक्ति नहीं रह गई है। इसका खमियाजा रोजगार बाजार, और अंत में अर्थव्यवस्था को भुगतना है।

सेंटर फार मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआइई) के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय रोजगार बाजार इस समय एक विचित्र स्थिति में पहुंच चुका है। यह बूढ़ी और कम पढ़ी-लिखी श्रमशक्ति की एक बस्ती बन चुका है। यहां कामकाजी उम्र के पढ़े-लिखे युवाओं के लिए काम नहीं है। कामकाजी उम्र (15-24 वर्ष) का हो जाने के बाद भी युवा आबादी विद्यार्थी जीवन जीने को मजबूर हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां कामकाजी उम्र के लगभग पंद्रह फीसद लोग विद्यार्थी थे, वहीं 2019-20 में इस उम्र के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ कर अठारह फीसद हो गई। 2020-21 में इक्कीस फीसद और 2021-22 में तेईस फीसद हो गई। वित्त वर्ष 2016-17 और 2021-22 के बीच देश में कामकाजी आबादी 12.10 करोड़ बढ़ गई, जबकि इसी अवधि में श्रमशक्ति एक करोड़ घट गई।

वित्त वर्ष 2016-17 में देश में रोजगार में लगी कुल श्रमशक्ति का एक-चौथाई हिस्सा तीस साल तक की उम्र के लोगों का था। जो 2019-20 में घट कर इक्कीस फीसद और 2021-22 में अठारह फीसद रह गया। अर्थव्यवस्था के लिए यह एक खतरनाक संकेत है। किसी देश की कामकाजी युवा आबादी वहां की बड़ी पूंजी मानी जाती है। जब देश अपनी उपलब्ध पूंजी का ही उपयोग न कर पाए तो वह किस घाट लगेगा, कह पाना कठिन है।

भारतीय श्रम बाजार में पढ़े-लिखे लोगों के लिए भी जगह नहीं रह गई है। वित्त वर्ष 2018-19 में जहां स्नातक और परास्नातक श्रमिकों की हिस्सेदारी 13.4 फीसद थी, वहीं 2021-22 में यह घटकर 12.2 फीसद रह गई। भारतीय श्रमशक्ति का बड़ा हिस्सा छठी से बारहवीं पास लोगों का है। वित्त वर्ष 2016-17 में दसवीं, बारहवीं पास श्रमिकों का हिस्सा अठाईस फीसद था, जो 2021-22 में बढ़ कर अड़तीस फीसद हो गया। वित्त वर्ष 2016-17 में श्रमशक्ति में ऐसे श्रमिकों की हिस्सेदारी अठारह फीसद थी, जो 2021-22 में बढ़ कर उनतीस फीसद हो गई।

बाजार में मांग नहीं, श्रम बाजार में रोजगार नहीं, और निजी निवेशक तैयार नहीं। बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। फिर तो भविष्य बेरोजगारी और बदहाली का ही है।

जड़ता की अंधी गलियां

भावना मासीवाल

दुनिया मेरे आगे

हमारे देश की आजादी के पचहत्तर वर्ष पूरे हो गए हैं और इसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया भी गया। इस महोत्सव के मूल में ब्रिटिश हुकूमत से भारत की आजादी है। हम बाहरी ताकतों से देश के आजाद होने का उत्सव हर वर्ष मनाते ही हैं, लेकिन यह वर्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक तरफ जब पूरा देश आजादी के इस महापर्व के उल्लास और उमंग में था तो दूसरी तरफ राजस्थान के एक स्कूल में हुई घटना हमें देश के भीतर की अराजक व संकीर्ण मानसिकता से भरी ताकतों से घिरे होने का अहसास कराती हैं। बाहरी ताकतों से तो हमें आजादी मिल गई और हम देशवासी फिर से बाहरी ताकतों से एकजुट होकर लड़ सकते हैं, अलग-अलग अपेक्षाएं और उनकी सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन जो ताकतें देश के भीतर विराजमान हैं, उनसे लड़ना और उनकी सीमाओं का निर्धारण करना सरल नहीं है।

दरअसल, हम आजाद देश के नागरिक जरूर हैं, मगर भीतर से परंपरा के नाम पर कई विकृत रूढ़ियों से बंधे हैं। ये रूढ़ियां हमारे विचार व व्यवहार में इतनी अधिक संकीर्ण है कि समाज को भीतर से खोखला और अपंग बना रही हैं। यह अपंगता व्यक्ति के विचार और व्यवहार में देखी जा सकती है। हम चाह कर भी इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि कहीं राजस्थान में मासूम बच्चे द्वारा पानी पीने के मटके को छू देने भर के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोने की खबर आती है तो कहीं स्त्री होने के कारण यौन शोषण के त्रासद अपराध के दौर से गुजरना पड़ता है और जीवन भर अपने ही खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ अकेले लड़ना पड़ता है। हमारे आसपास ऐसी बहुत-सी घटनाएं होती रहती हैं जो हमें खुद से ही सवाल करने पर मजबूर करती है। लेकिन सच यह है कि हम उन सवालों के जवाब न पाकर व्यवस्था के प्रति आक्रोश जाहिर करने लगते हैं। यह आक्रोश कभी न्याय का मजबूत पक्ष बनता है तो कभी अन्याय का।

यह हमारे समय की विडंबना ही कही जाएगी कि एक तरफ हम देश को वैश्विक फलक पर मजबूत प्रतिनिधि के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, हम एक राष्ट्र, प्रेम और सौहार्द का गीत गाते हैं, मगर वहीं हमारे ही बीच के कुछ लोग उस राष्ट्रभाव और एकता के बंधन को अपनी संकीर्ण, जड़ और हिंसक प्रवृति के कारण खंडित करते देखे जाते हैं। फिर वह जाति और जेंडर की संकीर्ण मानसिकता ही क्यों न हो। जबकि इस कसौटी पर नाकाम समाज और देश अपने न्यायपूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता। यों भी किसी देश की उन्नति उसके नागरिकों के आपसी सहयोग व सौहार्द से होती है। जब आम नागरिक ही सामाजिक रूढ़ियों, जातिगत भेदभाव की बंदिशों से घिरा होगा तो हम किस राष्ट्र का विकास करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा भी था कि 'कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता, जब तक उसके लोगों की सोच या उनका काम संकीर्ण रहेगा'। यह एक देश और समाज के बनने के लिए एक शर्त के तौर पर देखा जाना चाहिए।

शिक्षा व्यक्ति को मनुष्य बनाती है, उसमें आत्मसम्मान, प्रेम, आजादी, सौहार्द, भाईचारे, समानता का भाव जगाती है। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में आपसी सौहार्द से अधिक जातिगत तो कभी सामाजिक लिंग यानी जेंडर के मसले पर तो कभी क्षेत्रगत वैमनस्य का भाव देखने को मिलता है। यह भाव कभी श्रेष्ठता के झूठे बोध की ग्रंथि से तो कभी हीनता बोध की ग्रंथि से ग्रसित मिलता है। दोनों ही स्थितियों में यह समाज को खोखला और नई पीढ़ी को वैमनस्य के भाव से भर रहा है। यह वैमनस्य का भाव किताबी शिक्षा से अधिक व्यावहारिक शिक्षा और ज्ञान से दूर किया जा सकता है, लेकिन इसे अपने हाल में या यथास्थिति में छोड़ देने के नतीजा यह होगा कि राजस्थान जैसी कितनी ही घटनाएं घटित होती रहेंगी और एक व्यक्ति की संकीर्ण मानसिकता पूरे समाज और राष्ट्र को कठघरे में खड़ा करती रहेगी।

हम इस सच से भी वाकिफ हैं कि हमारे समाज की इस जड़ मानसिकता को खाद पानी देने का काम राजनीति ने ही किया है। दरअसल, राजनीति इसी व्यवस्था को हथियार बनाकर अपना वोट बैंक तैयार करती है। यही वोट बैंक फिर समाज में राजनीति के समीकरण तैयार करता है और जड़ संकीर्ण मानसिकता को पैदा करता है। एक ओर समाज में जाति व्यवस्था के टूटने की बात की जाती है तो दूसरी ओर जाति के भीतर उप-जातियां अधिक मजबूत बनकर उभर रही हैं। यह हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का ही हिस्सा है कि हम समाज और जातिगत व्यवस्था को बदलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर समाज बदलता है तो वर्चस्वशाली जातियों की जातिगत राजनीति भी टूटने लगेगी और जड़ मानसिकताएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी। लेकिन यह एक आम आदमी का दिवास्वप्न ही है, क्योंकि आज भी राजनीति में वर्चस्वशाली समूह अपनी सुविधा के मुताबिक मुद्दे उभरने देते हैं और उसके हल की खोज करते हैं।

कथनी-करनी

अण्णा का आईना' (संपादकीय, 1 सितंबर) पढ़ा। इस विषय में यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल के गुरु अण्णा हजारे हैं। एक समय प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने के लिए जब अण्णा हजारे ने अपना आंदोलन किया था, तब अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन में शामिल हुए थे और आंदोलन का संचालन भी किया था। तब आंदोलन के समय ही केजरीवाल ने सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गठन करने की भी घोषणा की थी। बाद में इसी पार्टी ने दिल्ली राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़ कर जीता और फिर सरकार भी बनाई थी। वहीं केजरीवाल जब सच्चाई एवं ईमानदारी की कसमें खाने के बाद भी आज जब नैतिकता भूल बैठे हैं तो अण्णा हजारे उनसे नाराज हैं।

कारण स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जब उनके साथ थे, तब अण्णा हजारे उनकी ईमानदारी से काफी प्रभावित हुए थे, पर आज के समय में अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति से अण्णा हजारे काफी नाराज है। यही कारण है उन्होंने एक चिट्ठी भी केजरीवाल को लिखी, जिसमें उन्होंने सरकार की आबकारी नीति की आलोचना की और कहा कि आपकी पार्टी आजकल गलत नीति पर चल रही है... सरकार का शराब को बढ़ावा देना और रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना, दोनों ही एक तरह से गलत काम है। इनसे आम आदमी पंगु एवं खोखला हो रहा है।

हम तो यही कहेंगे कि जब आज के समय अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े नेता हैं तो उन्हें अपनी ख्याति और साख का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अण्णा हजारे, जो उनके राजनीतिक गुरु भी हैं, की बात को ध्यान रखकर अपनी छवि पर लगते दाग को धोने का अवश्य प्रयास करना चाहिए।

- मनमोहन राजावत राज, शाजापुर, मप्र

किसका विकास

एक सर्वे के अनुसार, भारत में आत्महत्या करने वालों में हर चौथा व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर है। इस खबर को पढ़ने के बाद हर संवेदनशील भारतीय का मन व्याकुल होना स्वाभाविक है, पर विचार और विमर्श का विषय है कि अन्य तीन हिस्से कौन हैं। क्या देश के अन्य आत्महत्या करने वालों के विषय में चिंता और चिंतन नहीं होना चाहिए? आखिर कोई भी इंसान आत्महत्या क्यों करे?

एक अन्य खबर पुर्तगाल से आई जहां इलाज में देरी के कारण एक गर्भवती महिला की मौत के बाद विभाग के मंत्री ने पदत्याग कर दिया। कहने का आशय यह कि असल वजह है जिम्मेदारी से भागना। अगर हमारे देश में भी जवाबदेही तय हो और नैतिक आधार को सर्वोपरि मानकर फैसले लिए जाएं तो शायद देश के किसी नागरिक को आत्महत्या करने की आवश्यकता ही न पड़े। हर जान कीमती है, रमेश हो या रियाज, आशा हो या अफसा, हर वर्ग जरूरी है दिहाड़ी मजदूर हो या किसान। व्यवस्था की भेंट कोई भी चढ़ता है तो ये निश्चित ही चिंता का विषय है।

- मनोज, मेरठ, उप्र

वक्त का तकाजा

आज के समय हर क्षेत्र में तेजी से खपत बढ़ रही है। मोबाइल ऐप ने इस काम को और भी आसान बना दिया है। चाहे खाने-पीने की चीज हो या कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण, आजकल सब कुछ घर बैठे ही उपलब्ध कराया जा सकता है। दवाइयों को घर तक उपलब्ध कराने के लिए भी ऐसे कई ऐप हैं जो वृद्ध एवं असहाय लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हुए हैं। आज से दस साल पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि ई-कामर्स इतनी बड़ी क्रांति लेकर आएगा। लेकिन इस क्रांति का एक चिंताजनक पहलू जरूरत से ज्यादा बढ़ती खपत भी है।

लोगों की बढ़ती आय और ई-कामर्स की आसान दुनिया ने लोगों को खपत के मामले में लापरवाह बना दिया है और उन्हें अपने द्वारा मंगाई गई वस्तु भी जल्द से जल्द चाहिए।



किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

कई लोग चाहते हैं कि उन्हें उनका सामान दो-तीन घंटे से लेकर दिन के अंत तक मिल जाए। ऐसे में ई-कामर्स कंपनिया अपने वितरण प्रबंधकों पर जल्द से जल्द वितरण करने का दबाव बनाती हैं। हाल ही में जोमैटो द्वारा दस मिनट में डिलीवरी करने की घोषणा इस बात का प्रमाण है। उल्लेखनीय है कि ऐसे में वितरण कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने के लिए बिना अपनी परवाह किए अपने काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में वे किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। अन्य कई तरह के नुकसान भी हो सकतेहैं।

इसलिए हमें अपनी जरूरत से ज्यादा हो रही खपत पर अंकुश लगाने की जरूरत है। वितरण कर्मचारी 'गिग वर्कर्स' की श्रेणी में आते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए कोई बीमा या अन्य सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में भारत सरकार को जल्द से जल्द इसका संज्ञान लेना होगा। आज यह एक विकल्प ही नहीं बल्कि समय की मांग है।

- विवेक चौबे, हावड़ा

सियासी आंकड़े

हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा अठारह ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में समाहित करने संबंधी अधिसूचना को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। अदालत ने सरकार के कामकाज पर सख्त टिप्पणी करते हुए संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश की अठारह ऐसी जातियां हैं, जिन पर हमेशा राजनीतिक दलों की निगाह टिकी होती हैं। इन जातियों को 2005 में मुलायम सिंह यादव ने, 2016 में अखिलेश यादव और 2019 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ओबीसी वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने संबंधित अधिसूचना जारी की थी।

दरअसल यह एक राजनीतिक कलाबाजी अलावा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की इन अठारह जातियों में निषाद केवट मल्लाह, राजभर, भर बाथम, नोनिया जातियों की आबादी कुल मिलाकर बारह फीसद है, जिनको सभी राजनीतिक अपने पाले में करना चाहते हैं। इस प्रकरण में सिर्फ बसपा का स्पष्ट मत रहा है कि अगर बिना आरक्षण बढ़ाए बारह आबादी को ओबीसी से अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया जाता है तो यह न्यायसंगत नहीं है। यह अनुसूचित जाति वर्ग के हितों पर कुठाराघात होगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि आरक्षण के बावजूद सार्वजनिक महकमों से लेकर लगभग हर स्तर पर अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी आज भी न्यायसंगत स्तर तक नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में किसी तरह मिल सके उनके अधिकारों में ही कटौती की जाने लगेगी या उनका हिस्सा कम किया जाने लगेगा तो इसे कैसे देखा जाएगा?

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली



गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से रुखसत होने के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी दो प्रतिद्वंद्वी चेहरे आमने-सामने आए। कांग्रेस नेतृत्व पर आरोपों की झड़ी लगाने वाले आजाद के घर उनसे मिलने के लिए अन्य असंतुष्ट नेताओं के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे थे। इसके बाद कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि नेताओं के इस कदम ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रमित और निराश किया है। कुमारी शैलजा ने सवाल किया कि जब एक शख्स ने पार्टी छोड़ दी है तो उनसे मिलने जाने का क्या औचित्य है।



कांग्रेस में पिछले दो दशक में संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए हैं। भारतीय राजनीति में जब कोई दल लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो संगठनात्मक स्तर पर लोकतांत्रिक कवायद से बेपरवाह हो जाता है। आलाकमान का वचन ही शासन होता है। कभी शीर्ष के बल पर शीर्ष में रखे गए नेता जितनी तेजी से कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगा कर पार्टी को अलविदा कह रहे हैं उतनी तेजी से तो पार्टी में सुधार संभव नहीं दिखता। इन नेताओं ने 2014 से पहले लोकतांत्रिक कांग्रेस की मांग नहीं की थी क्योंकि इन्हें सत्ता में अहम भागीदारी मिली थी तो संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी शायद विपक्षी दलों का काम समझ लिया गया था। आज जब कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव का एलान हो गया है तो देखना होगा कि चिट्ठी-क्रांति करने वाला समूह चुनाव में भाग लेता है या चुनावी प्रक्रिया खट्टी है कह कर मुंह फेर लेता है। कल तक दरबारी का बिल्ला लगा रखे नेताओं के बागी बोल पर बेबाक बोल।

बेबाक बोल

भाग दरबारी

मुकेश भारद्वाज

गुल भी मानिंद-ए-खार हैं अब तो
नंग-ए-फस्ल-ए-बहार हैं अब तो
- नामी नादरी

कांग्रेस के लिए यह समय राजनीतिक विपन्नता का है। राजनीतिक शक्ति के संसाधन में वह अर्श से फर्श पर पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है कि यह समय पार्टी के उन लोगों के लिए बहुत कष्टकारी होगा जिन्होंने लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगा है। अभी कांग्रेस महज दो जगहों पर सत्ता में है। पार्टी को अपने नेताओं के पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है सिवाय संघर्ष के लिए उत्साहित करने के। लेकिन, संघर्ष शब्द आदर्श रूप से जितना आकर्षक लगता है, व्यावहारिक रूप से उतना ही मुश्किल।

केंद्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद जितनी जल्दी जी-23 का जन्म हुआ वह उतना भी आश्चर्यजनक नहीं था। लंबे समय से जनता से दूर नेताओं के लिए सबसे आसान काम था, चिट्ठी लिख कर पार्टी आलाकमान से अपनी नाराजगी जताना। दूसरी ओर, सबसे मुश्किल काम था, जनता के बीच जाकर उनकी नाराजगी दूर करना। चिट्ठी लिखी गई, मीडिया को दी गई और बहुचर्चित हुई। कांग्रेस को उपदेशों की झड़ी के साथ पार्टी छोड़ने वालों की लड़ी लग गई। जो कल तक खुद 'राग दरबारी' सप्तम सुर में गा रहे थे, आज वे कह रहे हैं कि कांग्रेस सुरक्षाकर्मियों (इशारा शायद केबी बायजू की ओर था जो राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा के पूर्व सदस्य हैं) और चपरासियों के हवाले है। जरा सोचिए, दरबार की सुरक्षित कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों के लिए सुरक्षाकर्मियों और अन्य कर्मचारियों के लिए कितनी घृणा है। आज गुलाम नबी आजाद उस खेमे के मुरीद हो रहे हैं जिसने राजनीति में इसी कथित सामंती संभ्रांत मानसिकता को तोड़ा है। आजाद की सामंती सुर की भाषा ही उनकी अचकन पर लगा उनकी पहचान बताने वाला बिल्ला उचक-उचक कर दिखा रही है।



इसके पहले अपनी राज्यसभा की सदस्यता खत्म होते ही कपिल सिब्बल के अंदर भी बगावत की क्रांति आई और वे कांग्रेस को छोड़ कर समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा सांसद बन गए। अभी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती का मैदान है। वहां चुनाव आने वाले हैं और पार्टी को बहुत मेहनत करनी है। जाहिर सी बात है कि हिमाचल में कांग्रेस विपक्ष में है और वहां आम आदमी पार्टी का उभार तेजी से हो रहा है तो कांग्रेस को मुकाबले में रहने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब मेहनत करने से अच्छा है कि किसी भी तरह की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ो। आनंद शर्मा ने हिमाचल में चुनौतियों का हिमालय देख आरोप और उपदेश का आसान रास्ता चुना।

चुनावों में लगातार मिल रही पार्टी की हार के बाद मनीष तिवारी से लेकर आनंद शर्मा तक पार्टी के संगठनात्मक ढांचे से नाराज हैं। पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी लिख कर अपनी नाराजगी दिखाई। अब इनकी नाराजगी दूर करने का मौका आ गया है। कांग्रेस ने संगठनात्मक ढांचे में आम चुनाव का एलान कर दिया है। पार्टी का संदेश है कि लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाए, चाहे वह राहुल गांधी हों या कोई और। अब, वे सभी नेता जिन्हें लगता है कि राहुल इस जिम्मेदारी के योग्य नहीं हैं उन्हें अध्यक्ष-पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी के संविधान के मुताबिक पार्टी का कोई भी सदस्य चुनाव लड़ सकता है। अध्यक्ष पद के लिए इंदिरा गांधी तक को चुनौती दी भी जा चुकी है। सीताराम केसरी को शरद पवार और राजेश पायलट ने चुनौती दी थी। सोनिया गांधी को जितेंद्र प्रसाद ने चुनौती दी थी।

डूबती हुई नाव से सबसे पहले वही भागते हैं जिनमें जहाज खेने का जज्बा न बचा हो। अभी दरबारी पुराण छेड़ कर सवाल उठाने वाले लोग वहीं हैं जो नब्बे के दशक में मनमोहन सिंह के समय में कांग्रेस में उभरे। इन नेताओं का संबंध कभी भी जमीनी राजनीति से नहीं रहा है। इन सबने कांग्रेस की बनी-बनाई जमीन पर अपनी सुविधाजनक राजनीति की आलीशान इमारत बनाई। राहुल गांधी की अयोग्यता की दलील देने वाले सभी हुनरमंद नेता हैं जो कांग्रेस के आधार पर ही स्थापित हुए।

अब जब बना-बनाया आधार खिसक गया है तो इनके पास क्षमता नहीं है कि अपना आधार बनाने के लिए संघर्ष करें। कांग्रेस में लंबे समय से तो कोई आधार बनाने के लिए गया ही नहीं। आधार बनाने का सारा काम ऊपर से ही हुआ। ये सभी ऊपर से ही डाले गए नेतृत्व थे। नेतृत्व ने ही इन्हें उठा कर मंत्रिमंडल में लिया। ये हमेशा शीर्ष पर शीर्ष की बदौलत ही रहे। आज जब इनके पांवों ने जमीन मांगी तो हवा में लटकने का सारा दोष भी शीर्ष पर ही डाल रहे।

राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि कांग्रेस की कमान उन्हें तब मिली जब यह चौतरफा संकटों से घिर चुकी थी। अब उनके पास तो ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितिन प्रसाद की तरह भाजपा में चले जाने की सुविधा है नहीं। विरासती नेता का आरोप उन्हें झेलना है तो इस विरासत को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी सिर्फ उन्हीं की मानी जा रही है। दूर से तो राहुल गांधी की कोशिश ऐसी टीम खड़ी करने की दिख रही है जो जमीन से जुड़ी हुई संघर्षशील हो। राहुल संगठन का ढांचा भी दुरुस्त करने की कवायद में दिख रहे हैं। इन सब में सिर्फ आसमानी दलील वाले बेजमीनी नेता कहीं से भी योग्य नहीं ठहरते हैं। यहीं से विरोधाभास शुरू होता है। हर चुनावी हार के बाद नेताओं की पार्टी छोड़ने की सुविधाजनक दलील शुरू हो जाती है।

चाहे वे अशोक गहलोत हों या दिग्विजय सिंह, इन नेताओं में इस तरह का संकट नहीं दिखता है। सत्ता से दूर रहने की हताशा तो स्वाभाविक है लेकिन इनके पास अपनी बनाई जमीन है तो वापसी की उम्मीद भी रहती है। संकट में वे ज्यादा दिखे जो कांग्रेस की बनी-बनाई जमीन पर स्थापित किए गए। जो कभी सत्ता के गलियारे में आसमान से टपके और अब सत्ता के लिए कहां जाएं की सोच पर अटके हैं।

भाजपा लगातार दूसरी पारी खेल रही है और आगे भी उसका भविष्य उज्ज्वल ही दिख रहा है। चुनाव सुधार के नाम पर चुनावी चंदे का भी सीधा-सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। ये लोग वैसे शाही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की गरीबी के दिन नहीं देखे थे। ऐसी स्थिति में चाहे कपिल सिब्बल हों या गुलाम नबी आजाद, अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी करने के लिए पार्टी छोड़ना ही बेहतर समझ रहे हैं।

पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठा रहे नेता आगे नजीर तभी बनेंगे जब वे सांगठनिक चुनाव का हिस्सा बन कांग्रेस में सुधार को लेकर अपनी गंभीरता दिखाएं। अगर आपने इस मौके का फायदा नहीं उठाया और सिर्फ प्रक्रियागत दोष निकाला तो यही माना जाएगा कि आप कांग्रेस के बने रहने के खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि उसका खेल ही खराब कर देना चाहते हैं। जैसे कि सारे विपक्षी दल चुनाव से पहले ही ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। वहीं, दिल्ली व पंजाब में उनकी जीत हो जाती है तो फिर उन्हें विपक्ष में कोई खामी नजर नहीं आती है। यानी हार के पहले ही आरोपों का प्रहार करने का रास्ता आप बना लेना चाहते हैं।

कांग्रेस के बागी नेता संगठनात्मक चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं तो यही माना जाएगा कि आप में और विपक्ष में इतना ही फर्क है कि वे पार्टी के बाहर हैं और आप अंदर। अगर आपने चुनावों में हिस्सा लिया और 23 वोट ही हासिल कर लिए तो भी आप अपनी चिंताओं को वैधानिकता दे पाएंगे। नहीं तो यही माना जाएगा कि आप कोई नया रास्ता नहीं बनाना चाहते, सिर्फ पिछले दरवाजे से कुर्सी, बंगला ही सुरक्षित रखना चाहते हैं।

गहराया संकट

झारखंड में राजनीतिक अनिश्चितता शुक्रवार को तब और बढ़ गई जब राज्यपाल रमेश बैस रांची से दिल्ली चले गए। राजभवन के सूत्रों ने इसे गैर राजनीतिक यात्रा बताया पर माना यही जा रहा है कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सियासी भविष्य पर फैसला करने से पहले केंद्र सरकार से मंत्रणा करने के मकसद से गए हैं। इससे पहले यूपीए के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात कर चुनाव आयोग की सिफारिश पर फैसला जल्द करने का आग्रह किया था। बैस ने एक तो यह बात मान ली थी कि चुनाव आयोग की सिफारिश उन्हें मिल चुकी है। दूसरे उन्होंने फैसला दो-तीन दिन में करने का भरोसा भी दे दिया था। यह बात अलग है कि राज्यपाल पर फैसला करने के लिए कानूनन समय-सीमा की कोई बाध्यता नही है। चुनाव आयोग ने माना है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए निजी लाभ के लिए फैसला किया था। इस नाते उनकी विधानसभा सदस्यता का जाना तो तय ही माना जा रहा है। दुविधा बस इसे लेकर है कि उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जाता है या नही? बताते हैं कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल से ऐसी कोई सिफारिश नही की है। बहरहाल पहले चर्चा थी कि हेमंत विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। लेकिन अब उन्होंने दो मोर्चों पर रणनीति बनाई है। एक तो यूपीए के विधायकों को दल-बदल से बचाने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेजा है। दूसरे पांच सितंबर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें बहुमत दिखाने की उनकी योजना है। वैसे इस तरह का संकट मनमोहन सरकार के दौर में एनएसी का अध्यक्ष होने के कारण सोनिया गांधी पर भी आया था। लेकिन उन्होंने एक तरफ तो लोकसभा की



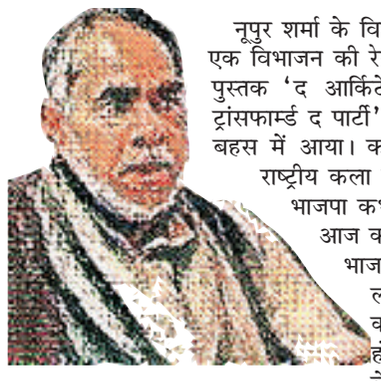
राजपाट

सदस्यता से इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ा था दूसरी तरफ मनमोहन सरकार ने कानून बदलकर एनएसी अध्यक्ष के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया था। झारखंड के 81 सदस्यीय सदन में फिलहाल झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और राजद का एक यानी यूपीए के कुल 49 सदस्य हैं। भाजपा की अपनी सदस्य संख्या 26 और सहयोगी आजसू के दो सदस्य हैं। यूपीए को डर है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे की दशा में भाजपा उनके विधायकों की खरीद-फरोख्त कर खुद सरकार बना सकती है। यह बात अलग है कि अभी तक महाराष्ट्र की तर्ज पर उसे झारखंड में कोई एकनाथ शिंदे नही मिल पाया है। हालांकि कांग्रेस में सेंध आसान दिख रही थी पर पार्टी अपने विधायकों को बुरी नजर से बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी तरह झामुमो में भी टूट का खतरा फिलहाल तो टल गया ही दिखता है। लेकिन हकीकत तो राज्यपाल के फैसले के बाद ही सामने आ पाएगी कि सियासी घटनाक्रम क्या मोड़ लेगा।

गले में फांस

केसीआर को पटना में पत्रकारों ने उलझा दिया। विपक्षी मोर्चे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस समय केंद्र की सरकार और भाजपा के सबसे प्रबल विरोधी हैं। वे 2024 की तैयारी को अभी से अंजाम देना चाहते हैं। ममता बनर्जी के बाद वही एक चेहरा हैं जो भाजपा को कड़ी चुनौती देने की बात कहते हैं। लेकिन तेलंगाना में भाजपा उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है। इसलिए केसीआर के सामने अपना अस्तित्व बचाने का भी संकट है। तभी तो पटना में एलान किया कि वे 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन पत्रकारों ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। सवाल दाग दिया कि क्या वे प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। केसीआर ने फरमाया कि इसका फैसला करने वाले वे कौन होते हैं। यह फैसला सब दल मिलकर करेंगे। दुविधा तो यही है कि विपक्षी एका हो पाए इससे पहले ही प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का सवाल गैर भाजपा विपक्ष के गले की फांस बन जाता है। कांग्रेस को अछूत मान भी लें तो भी बाकी सारे गैर भाजपाई विरोधी दल एकजुट हो कहां पा रहे हैं।

बात जिम्मेदारी की...



नूपुर शर्मा के विवाद ने भाजपा से जुड़े बुद्धिजीवियों के बीच एक विभाजन की रेखा खींच दी है। हाल ही में अजय सिंह की पुस्तक 'द आर्किटेक्ट आफ न्यू बीजेपी : हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफार्म्ड द पार्टी' के विमोचन समारोह में यह मुद्दा फिर बीच बहस में आया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष रामबहादुर राय ने कहा कि भाजपा कभी काडर आधारित पार्टी नहीं थी, यह न तो आज काडर आधारित है और न आगे होगी। उन्होंने भाजपा को जनमानस पर आधारित और लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में रखा। राय ने कहा कि अगर भाजपा काडर आधारित पार्टी होती तो नूपुर शर्मा का इस्तीफा नहीं होता या वे प्रवक्ता ही नहीं नियुक्त होतीं। राय ने यहां तक कहा कि अगर नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाला गया तो उनके बयान की जिम्मेदारी लेते हुए भाजपा अध्यक्ष का भी इस्तीफा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह व जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। हालांकि, राम बहादुर राय की इस टिप्पणी पर वहां मौजूद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मौन ही रखा।

(संकलन : मृणाल वल्लरी)

आप में कुछ काला है

यह सियासत का वह सच है जिसने सफेद होने के हर दावे को झूठ बना दिया है। सियासत किसी मुल्क के दायरे में बंधी नहीं होती न ही किसी सूबे की मिल्कियत। लिहाजा हिंदुस्तान की राजधानी के इलाकाई सूबे की सियासी सफेदी पर बहस चली तो हर परत काली निकली। अलग बात है कि सूबाई हुकूमत के उस पार खड़े सियासी खिलाड़ियों के गले में टंगी सफेदी मशीन वाले तमगे की चमक ज्यादा चटक हो गई है। बेशक दिल्ली की शराब नीति के पीछे कानूनी खामियां हों मगर मयखानों के इर्द-गिर्द उठे बवंडर में खामियों का गुबार कम नहीं। कीचड़ कुछ इस कदर उछाली गई कि हर चेहरा काला नजर आने लगा। सबसे अलग दिखने वाली सियासी जमात को राजपूती खून का वास्ता देना पड़े तो शक की सुई का थम जाना लाजिम है। 'आप' तो पहले से ही उन भगोड़ों में शुमार हैं जो हर फर्जी शिकायत पर माफीनामा लिए खड़े मिले। आने वाले महीनों की सियासी तपिश आज ही महसूस होने लगी है।

-एमके मिश्रा, रांची, झारखंड।

सत्ता बनाम भ्रष्टाचार

इतिहासकार लार्ड एक्टन ने उन्नीसवीं सदी में कहा था कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है। इतिहास के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति वे बने जो सत्ता के शिखर पर रहे। इस हिसाब से राज्यों की छोटी सत्ता के मुकाबले केंद्र की बड़ी सत्ता के भ्रष्ट होने की संभावना ज्यादा है। प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआइ, आयकर विभाग आदि ने विपक्षी सरकारों का भ्रष्टाचार तो उजागर कर दिया। मगर क्या इनमें इतनी कूवत है कि वे देश की सबसे बड़ी सरकार के भ्रष्टाचार को भी उजागर कर सकें? सत्ताधारी राजग सरकार में कुछ लोग ईमानदार हो सकते हैं। मगर क्या उनके सभी विधायक और सांसद ईमानदार हैं जबकि उनमें से कई आपराधाकि रेकार्ड वाले हैं।

-बृजेश माथुर, बृज विहार, गाजियाबाद।

आपके पत्र

आम का जवाब बबूल

समस्त देशवासियों को मालूम है कि भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर किस बुनियाद पर आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप से दिल्ली सहित देश की जनता को जरूर निराशा हुई होगी। जांच के नतीजे तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन फौरी तौर पर जो बात सामने नजर आई, विशेषकर छीटाकशी के दरमियान, वह यह थी कि बात हो रही थी आम की जवाब दिए जा रहे थे बबूल के बारे में। आप क्या परोस रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि जनता वही सुनेगी तो यह गलतफहमी है। सही सवाल तो है कि अगर स्कूली व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो फिर अफसरों, मंत्रियों के कितने बच्चे वहां पढ़ते हैं? भ्रष्टाचार की जांच की आंच पड़ने मात्र से अस्मिता की पहचान की याद दिलाने की नौबत क्यों आई?

-मुकेश कुमार मनन, पटना।

कठघरे में क्रांति

कहां अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए थे और अब उन्हीं आरोपों के कठघरे में हैं। असंगत और बचकाना बातें करके जिस तरह केजरीवाल मनीष सिसोदिया का बचाव कर रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि वे भी कहीं न कहीं उसमें सम्मिलित हैं। अगर ऐसा न होता तो वे तत्काल सिसोदिया को मंत्रिमंडल से हटा देते। धारा-302 के तहत दर्ज मामलों में से बहुत से मामले साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं होते तो क्या 302 के तहत मुकदमे दर्ज होने बंद हो जाएं? हमें तो नहीं लगता कि केजरीवाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जगह अपनी आम आदमी पार्टी को प्रतिस्थापित कर पाएंगे, सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है।

-राधेश्याम मिश्र, लखनऊ।

एकतरफा कार्रवाई

इन दिनों विभिन्न जांच एजंसियों की कार्यशीलता बढ़ गई है। इसका परिणाम है कि बड़ी मात्रा में काला धन भी बाहर आ रहा है। यह कार्यशीलता मुख्य रूप से विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही दिख रही है। इसलिए इसका एक राजनीतिक संदेश भी जा रहा है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही जांच एजंसियों का अति सक्रिय हो जाना इसका ताजा उदाहरण है। वही नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) जैसी संवैधानिक संस्था की अकर्मण्यता भी हमारे सामने है। देश में कोयला खनन और टू-जी घोटाले हुए जो सीएजी की रपटों से उजागर हुए थे। अब उस तरह की किसी रिपोर्ट से कोई हंगामा नहीं होता है।

-दल सिंह खरत, गाजीपुर, दिल्ली।

कायाकल्प

आम आदमी पार्टी का यह कायाकल्प भारतीय राजनीति के लिए दुखद है। अब जनता विकल्प की किन बातों पर भरोसा करेगी। इधर कुआं तो उधर खाई में से एक को चुनना होगा। इससे अच्छा तो यह होता कि आम आदमी पार्टी न तो स्थापित होती और न सपना दिखता।

-अंकुर सिंह, गाजियाबाद।

विशेष पन्ना कैसा लगा

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है :
vishesh.jansatta@expressindia.com

कई खूबियां बनाती हैं नौसेना के युद्धपोत विक्रांत को खास

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

दो फुटबाल मैदानों के आकार के बराबर एक फ्लाइट डेक, 18 मंजिल की ऊंचाई, एक दिन में 16,000 चपाती बना सकने वाले रसोई के उपकरण, समुद्र में हर पल नजर रखने वाली प्रणाली, 2,500 किलोमीटर लंबी केबल जैसी विशेषताएं भारत के स्वदेश निर्मित पहले विमानवाहक पोत 'आइएनएस' विक्रांत को खास बनाती हैं।

तैरता नगर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कोच्चि में 'आइएनएस विक्रांत' का जलावतरण किया और इसे 'तैरता नगर' तथा 'तैरती हवाई पट्टी' करार दिया जो 5,000 घरों को रोशन करने समान विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम है। इस 45,000 टन वजनी युद्धपोत को आज जब भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तो इसके फ्लाइट डेक पर एक उन्नत हल्का हेलिकाप्टर (एएलएच), एक कामोव-31 और एक मिग-29के खड़ा था। यदि किसी को जहाज के मार्ग और लाबी से गुजरना हो तो उसे लगभग 12 किमी चलना पड़ेगा।



युद्धपोत के नियंत्रण कक्ष में नौसेना का अधिकारी।

क्षमता

2,500 किमी से अधिक की केबल
एक दिन में 16,000 चपातियां और 6,000 इडली बनाने में सक्षम स्वचालित प्रणाली।
सीटी स्कैन मशीन के साथ पूरी तरह कार्यात्मक अस्पताल, देश में युद्धपोत में पहला।
दो आपरेशन थिएटर, चालक दल के 1,600 सदस्य, 2,200 से अधिक कक्ष
18 मंजिल ऊंचाई।

उपकरण

आरएएन-40एल 3डी हवाई निगरानी रडार
एमएफ-स्टार (नौसेना रडार प्रणाली)
टीएसीएन (सामरिक हवाई नौवहन प्रणाली)
रेजिस्टर-ई एविएशन काम्प्लेक्स शक्ति ईडब्लू सूट (पोत विध्वंसक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा की एक इलेक्ट्रानिक परत)
डाइवर निगरानी प्रणाली
ईएलके-7036 वीयूएचएफ कोमिंट

लंबाई : 262.5 मीटर
चौड़ाई : 62.5 मीटर
विस्थापन : 42,800 टन
गति : 28 समुद्री मील
विद्युत उत्पादन क्षमता: 24 मेगावाट
7,500 समुद्री मील की क्रूजिंग रेंज
700 से अधिक सीढ़ियां

आइएनएस विक्रांत पूर्व सरकारों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

कांग्रेस ने शुक्रवार को भारत के पहले स्वदेश निर्मित पोत 'आइएनएस विक्रांत' को राष्ट्र को समर्पित करने का श्रेय लेने के लिए केंद्र सरकार के दावे पर सवाल उठाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के योगदान को उचित स्थान नहीं देकर पाखंड किया है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय नौसेना, उसके डिजाइन ब्यूरो और कोच्चि शिपयार्ड को बधाई दी और 'आइएनएस विक्रांत' को नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने को देश की समुद्री सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह ऐसी उपलब्धि है जिससे देश की मजबूती को बल मिलेगा। एक वीडियो साझा करते हुए रमेश ने यह भी कहा कि तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने 12 अगस्त 2013 को भारत के पहले स्वदेशनिर्मित विमान वाहक पोत आइएनएस विक्रांत को 'लांच' किया था। प्रधानमंत्री ने इसे आज बेड़े में शामिल किया है। आत्मनिर्भर भारत 2014 से पहले भी था। इससे जुड़े पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान की भी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आइएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया जाना 1999 के बाद की सभी सरकारों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कृष्णा मेनन ने ब्रिटेन से इसे हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी।

रमेश ने कहा कि आइएनएस विक्रांत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाना भारतीय नौसेना के इंजीनियरों, अधिकारियों और कोच्चि शिपयार्ड के कर्मचारियों को समर्पित है।

देश में कोरोना संक्रमण के 6,168 मामले आए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

देश में एक दिन में कोरोना विषाणु संक्रमण के 6,168 मामले आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 4,44,42,507 हो गई। वहीं, संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 59,210 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.13 फीसद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 21 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 5,27,932 पर पहुंच गई है। इन 21 मौतों में वे दो लोग भी शामिल हैं, जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनःमिलान करते हुए केरल ने संक्रमण से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में डाले हैं। चौबीस घंटे में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 3,538 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.68 फीसद हो गई है।

नीतीश कुमार ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर बताया

पटना, 2 सितंबर (भाषा)।

भाजपा के साथ पिछले महीने गठबंधन टूटने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 'राष्ट्रीय राजनीति' में आने की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर कहा कि वह प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं।जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के मुख्यालय पर पत्रकारों के केंद्र की राजनीति में भूमिका निभाने संबंधी सवालों के जवाब में नीतीश का जवाब था, 'छोड़िए ये सब बात।' वहीं, पार्टी के मुख्यालय पर लगे बड़े-बड़े पोस्टरों में से कुछ पर लिखा है 'प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा।' इन नारों से विभिन्न अर्थ निकाले जा सकते हैं।



वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने 'भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए ध्रुवीकरण' के तंज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुक्रवार को निशाना साधा। उन्होंने यह भी याद दिलाने का प्रयास किया कि वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के शासनकाल के दौरान केंद्र में थे। राज्य के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक से महज कुछ ही घंटे पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचे नीतीश ने कहा कि वह शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उसके एक दिन बाद होने वाली राष्ट्रीय परिषद की तैयारियां देखने आए हैं।

पोस्टर कर रहे अलग कहानी बयां

पटना, 2 सितंबर (भाषा)।

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता नीतीश कुमार भले ही अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे हों, लेकिन यहां पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। इनमें से कुछ में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है, तो कुछ में उन्हें (कुमार को) एक ऐसा व्यक्ति बताया गया है, जो 2024 में बदलाव का सूत्रपात करेगा। एक पोस्टर में कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री ' जुमला नहीं, हकीकत' हैं , जबकि एक अन्य में 'मन की नहीं, काम की' बात कही गई है। इस तरह इन पोस्टर में कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरूद्ध पेश किया गया है।

प्रधानमंत्री देश की सेवा में जुटे हैं तो परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार बचाने में : नड्डा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि एक ओर देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए एक योद्धा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेवा में जुटे हुए हैं तो दूसरी ओर परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को, अपने बेटे-बेटी, भतीजे और दामाद को बचाने में जी-जान से लगी हुई हैं। नड्डा दो दिन के हरियाणा के दौर पर हैं और शुक्रवार को कैथल में अमृतकाल संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बदल रहा है और सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन वाली मनोहर लाल खट्टर सरकार हरियाणा के जन-जन के कल्याण के लिए कटिबद्ध भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न तो वैचारिक पार्टी है, न राष्ट्रीय और न ही प्रादेशिक।

भारत की बंदरगाह क्षमता आठ साल में दोगुनी हुई : प्रधानमंत्री

मंगलुरू (कर्नाटक), 2 सितंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास विकसित भारत के निर्माण का मार्ग है और यही लोगों की आकांक्षा है।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी राज्य कर्नाटक में लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को तेजी से पूरा करने के लिए भाजपा सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, 'आज का भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दे रहा है क्योंकि यही विकसित भारत के निर्माण का मार्ग है। आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण सुविधा बढ़ाने के साथ ही बड़े पैमाने पर नए रोजगार का भी निर्माण करता है।

ट्विटर ने जानबूझ कर देश के कानून की अवज्ञा की : केंद्र

बंगलुरु, 2 सितंबर (एजंसी)।

केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि ट्विटर ने 'जानबूझकर' भारत के कानूनों का पालन नहीं किया और उसकी अवज्ञा की तथा देश की सुरक्षा में इस सोशल मीडिया मंच की कोई भूमिका नहीं है।

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआइटीवाई) ने गुरुवार को ट्वीट हटाने और अकाउंट ब्लाक करने से जुड़े सरकारी आदेशों के खिलाफ ट्विटर की ओर से दायर याचिका का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियों के संबंध में पेश 101 पन्नों के बयान में यह दलील दी। राजनीतिक ट्वीट हटाने के निर्देश से संबंधित ट्विटर के दावों पर केंद्र ने कहा कि उसने सिर्फ असत्यापित खातों को ब्लाक करने के लिए कहा था। याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए सरकार ने कहा, 'याचिकाकर्ता ने जानबूझकर कानूनों का अनुपालन नहीं किया और उनकी अवज्ञा की। प्रतिवादी नंबर-2 (केंद्र) की अनुवर्ती कार्रवाई और 27 जून 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद ही याचिकाकर्ता ने अचानक सभी दिशा-निर्देशों पर अमल शुरू कर दिया, जिसकी वजह वही बेहतर जानता है।'

ट्विटर ने 39 यूआरएल (यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर) को ब्लाक करने के संबंध में दायर आदेश को चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। ट्विटर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ट्वीट हटाने और अकाउंट ब्लाक करने से संबंधित सरकारी नोटिस से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

कंपनी ने कहा कि उसके सोशल मीडिया मंच पर सामग्री साझा करने वाले लोगों को संबंधित सामग्री हटाने के लिए कहने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। हालांकि, सरकार ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि चूंकि ट्विटर एक मध्यस्थ है, इसलिए उपयोगकर्ताओं को सूचित करना माइक्रो-ब्लागिंग वेबसाइट की जिम्मेदारी थी।

केंद्र ने कहा, 'जब सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा कोई मुद्दा उठता है तो कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है, न कि किसी मंच पर। लिहाजा, कौन-सी सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों के लिए सही है या नहीं, इसे तय करने की अनुमति मंच को नहीं दी जानी चाहिए।' सरकार ने दलील दी कि आनलाइन मंच द्वारा बनाई गई कोई भी निजी नीति या नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अधीन आते हैं।

भारत व आस्ट्रेलिया प्रारंभिक शिक्षा, कौशल विकास में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

भारत और आस्ट्रेलिया प्रारंभिक शिक्षा व कौशल विकास के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमत हो गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि हमने ज्ञान के क्षेत्र में अपने मजबूत एवं विविधतापूर्व सहयोग एवं दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गति प्रदान करने पर सहमति जताई है। दूसरी ओर, प्रधान ने इंडोनेशिया के शिक्षा मंत्री नदीम अनवर मकारिम के साथ भी बैठक की और समग्र सामरिक सहयोग की पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच अकादमिक एवं कौशल विकास भागीदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। प्रधान इन दिनों इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी20 समूह के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं।

प्रधान ने शुक्रवार को आस्ट्रेलिया की प्रारंभिक शिक्षा मंत्री एनी एली व यूनेस्को की सहायक महानिदेशक स्टेफानिया गियानिनी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने व प्रारंभिक एवं स्कूली शिक्षा में आपसी संपर्कों को गहरा बनाने पर चर्चा की। प्रधान ने आस्ट्रेलिया की प्रारंभिक शिक्षा मंत्री एनी एली के साथ बैठक के बाद कहा कि एली से आरंभिक शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को गहरा बनाने के बारे में सार्थक चर्चा हुई।

प्रधान ने कहा कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच उच्च शिक्षा, शोध और कौशल विकास के क्षेत्र में विविधतापूर्ण सहयोग है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में संपर्कों को गहरा बनाने से दोनों देशों के बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए मजबूत आधार बनाया जा सकेगा। प्रधान ने यूनेस्को की सहायक महानिदेशक स्टेफानिया गियानिनी के साथ भी बैठक की और 2030 के शिक्षा एजंडे पर चर्चा की।

थरूर ने निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग की

पेज 1 का बाकी

रही है और पार्टी के भीतर इस पर बहस तेज हो गई है। सूत्रों ने बताया कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे थरूर ने मिस्त्री को पत्र लिखा और निर्वाचन सूची प्रकाशित करने की मांग की। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में 10 प्रस्तावक शामिल हैं जो प्रदेश कांग्रेस समिति (पीसीसी) के प्रतिनिधि (डेलिगेट) होंगे। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इन प्रतिनिधियों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उनका नाम अंतिम सूची में नहीं आता तो नामांकन पत्र खारिज हो सकता है। नेताओं द्वारा लिखे गए पत्रों और निर्वाचन सूची के प्रकाशन की मांग को लेकर उठ रही आवाजों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस ने इसे तवज्जो नहीं दी और कहा कि एक के बाद एक आवाजें उठ रही हैं कि राहुल गांधी को पार्टी का अगला अध्यक्ष होना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, 'अगर आप देश के कोने-कोने के हर कार्यकर्ता से चाय पीते या खाना खाते समय पूछेंगे, तो वह यही कहेगा, हमारी इच्छा है कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालें।' उन्होंने कहा, 'कांग्रेस का चुनावी कार्यक्रम सबके सामने है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस के संविधान और पूरी व्यवस्था के अनुसार होगा।'मनीष तिवारी, कार्ति चिदंबरम और थरूर ने बुधवार को भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग की थी। कांग्रेस के 'जी 23' समूह में शामिल रहे तिवारी के साथ ही थरूर ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े निर्वाचक मंडल की सूची सार्वजनिक नहीं किए जाने पर वस्तुतः सवाल खड़े करते हुए बुधवार को कहा था कि चुनाव से संबंधित पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का इरादा जता चुके थरूर ने तिवारी से सहमति जताई और कहा कि हर किसी को यह जानने का हक है कि कौन नामित कर सकता है तथा कौन मतदान कर सकता है।

रेलवे बोर्ड ने विभिन्न भत्तों की समीक्षा के लिए कहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

परिचालन खर्च बढ़ने से चिंतित रेलवे बोर्ड ने सातों जोन से 'अतिरिक्त समय अवधि', रात्रिकालीन कार्य और यात्रा तथा ईंधन एवं रखरखाव के लिए मिलने वाले भत्तों की समीक्षा करने को कहा है।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके त्रिपाठी ने तिमाही समीक्षा बैठक में पाया कि परिचालन से जुड़े खर्चे काफी अधिक हैं। चालू वित्त वर्ष में मई तक सातों जोन में यह रेलवे के पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 26 प्रतिशत औसत वृद्धि से कहीं ऊपर है। ये जोन हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (37.9 प्रतिशत), उत्तर रेलवे (35.3 प्रतिशत), दक्षिण-मध्य रेलवे (34.8 प्रतिशत), दक्षिण-पश्चिम रेलवे (33.1 प्रतिशत), उत्तर-पश्चिम रेलवे (29 प्रतिशत), पश्चिम रेलवे (28 प्रतिशत) और उत्तर-मध्य रेलवे (27.3 प्रतिशत)। एक सवाल के जवाब में रेलवे ने कहा कि परिचालन खर्च को लेकर 2022-23 के लिए कुल बजटीय अनुमान 2.32 लाख करोड़ रुपए है। चूंकि खातों का आडिट होना बाकी है, संबंधित आंकड़े अस्थायी हैं। विभाग ने कहा कि रेलवे ने वित्त मंत्रालय के व्यय नियंत्रण और प्रबंधन पर दिए गए दिशानिर्देश को जारी किया है। विभिन्न मोर्चों पर मितव्ययिता और किफायती उपायों को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, ईंधन की खपत को अनुकूलतम बनाने के साथ माल भंडार प्रबंधन में सुधार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान रेलवे बोर्ड ने जोन को अपने खर्च को कम करने के लिए 'तत्काल कदम' उठाने का निर्देश दिया और महाप्रबंधकों को इस संदर्भ में कार्ययोजना बनाने को कहा।

सीने से उतर गया गुलामी का बोझ

पेज 1 का बाकी

था कि नया 'निशान' समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप होगा। विक्रांत के नौसेना के बेड़े में शामिल होने के साथ ही भारत अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है, जिसमें स्वदेशी रूप से एक विमानवाहक पोत का निर्माण करने की विशिष्ट क्षमता है। कुल 262 मीटर लंबा तथा 62 मीटर चौड़ा यह जहाज 28 समुद्री मील से लेकर 7500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है। बीस हजार करोड़ रुपए की लागत से बना यह विमान वाहक जहाज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह देश में बने 'एडवांस्ड लाइट हेलिकाप्टर' (एएलएच) के अलावा मिग-29के लड़ाकू विमान सहित 30 विमान संचालित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा, 'यदि लक्ष्य दुरंत हैं, यात्राएं दिगंत हैं, समंदर और चुनौतियां अनंत हैं तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत।'महिला शक्ति पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ' विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा, तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेंगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति, ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है।'नौसेना का बजट बढ़ाने पर मोदी ने कहा, 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया है, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता हैं। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं।'

छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को ट्रेन से फेंका, मौत

पेज 1 का बाकी

ने कहा, 'प्रारंभिक जांच के दौरान यह पता चला है कि घटना में एक आरोपी शामिल था। हम उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।'उन्होंने कहा कि जब ट्रेन टोहाना पहुंची, तो बिलख रहे बच्चे ने अपने पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि महिला का शव बाद में टोहाना से कुछ दूरी पर पटरियों के पास मिला। पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भारतीय नौसेना को मिला नया ध्वज

पेज 1 का बाकी

परिचालन क्षमता का प्रतीक है।भारतीय नौसेना का मूल औपनिवेशिक काल में जाता है, और एक स्वतंत्र भारत के नौसैन्य बल के रूप में अपनी पहचान धारण से पहले इसके नामकरण में पिछली कुछ शताब्दियों में कई बदलाव हुए हैं।नेवल डाकयार्ड मुंबई (एनडीएम) में विरासत दीर्घा में एक पैनल पर प्रदर्शित जानकारी के अनुसार, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में सूरत में अपनी गतिविधियों की शुरुआत की और उसके जहाजों को माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी के मरीन के रूप में जाना जाता है। इसने कैंटन में सेंट जार्ज क्रास के साथ धारीदार ध्वज अपनाया।

सूरत से बंबई में गतिविधियों के स्थानांतरण के साथ, बांबे मरीन का गठन 1686 में किया गया था।वर्ष 1707 में, ब्रिटिश संघ के ध्वज से कैंटन में सेंट जार्ज क्रॉस को बदल दिया, और 1801 में ब्रिटिश ध्वज को विकर्ण के साथ लाल धारियों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। साल 1830 में, बांबे मरीन का नाम बदलकर 'हर मेजेस्टीज इंडियन नेवी' कर दिया गया।नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 1863 से 1877 तक इसका नाम 'बांबे मरीन' रहा और इसके बाद इसका नाम 'हर मेजेस्टीज इंडियन मरीन' कर दिया गया। 1892 में नाम 'रायल इंडियन मरीन' कर दिया गया। 1934 में 'रायल इंडियन मरीन' को 'रायल इंडियन नेवी' नाम दिया गया और इसकी सेवाओं को मान्यता देते हुए इसे 1935 में 'किंग्स कलर' प्रस्तुत किया गया था।वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के साथ, स्वतंत्रता के बाद, रायल इंडियन नेवी को रायल इंडियन नेवी और रायल पाकिस्तान नेवी में विभाजित कर दिया गया। 26 जनवरी, 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ, उपसर्ग रायल को हटा दिया गया और इसे भारतीय नौसेना (इंडियन नेवी) के रूप में नया नाम दिया गया।छब्बीस जनवरी 1950 से 2001 तक, भारतीय नौसेना ने ब्रिटिश नौसैन्य ध्वज के एक संशोधित संस्करण का उपयोग किया, और कैंटन में यूनियन जैक को भारतीय तिरंगे से बदल दिया गया।

15 अगस्त, 2001 से, इस ध्वज को भारतीय नौसेना के क्रेस्ट वाले एक सफेद ध्वज के साथ बदल दिया गया, क्योंकि पिछला ध्वज भारत के औपनिवेशिक अतीत को प्रतिबिंबित करता था और यह 2004 तक बना रहा।वर्ष 2004 के बाद से, क्रास के केंद्र में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को जोड़ने के साथ ही ध्वज को सेंट जार्ज क्रास डिजाइन में वापस बदल दिया गया और 2014 में प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य - सत्यमेव जयते - को नीचे जोड़ा गया।

तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत

पेज 1 का बाकी

ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की तीस्ता के खिलाफ दी गई तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए यह कदम उठाया। पीठ ने उन्हें हाईकोर्ट द्वारा मामले पर विचार किए जाने तक अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है।न्यायाधीशों ने कहा-तीस्ता एक महिला हैं। वह दो महीनों से हिरासत में हैं और जांच तंत्र को सात दिनों की अवधि के लिए हिरासत में पूछताछ का लाभ भी मिला है। तीस्ता के खिलाफ कथित अपराध 2002 से संबंधित हैं और अधिक से अधिक 2012 तक संबंधित दस्तावेज पेश करने की मांग की गई थी।

पीठ ने कहा-हमारे विचार में अपीलकर्ता अंतरिम जमानत पर रिहा होने की हकदार है। यह कहा जाना चाहिए कि जैसा कि सालिसिटर जनरल ने तर्क दिया था कि मामला अभी भी हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए या नहीं। उस पर हाईकोर्ट द्वारा विचार किया जाना है। हम केवल इस दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं कि क्या मामले पर विचार के दौरान अपीलकर्ता की हिरासत पर जोर दिया जाना चाहिए।तुषार मेहता ने तीस्ता को अंतरिम जमानत न देने और मामले को गुजरात हाईकोर्ट के विचार के लिए छोड़ देने पर लगातार जोर दिया तो अदालत का सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा प्राथमिकी में और कुछ नहीं है। दोनों दिखाते हैं कि यह सच नहीं है। मजिस्ट्रेट के सामने गवाह के बयान रखने पर गुजरात सरकार पर भी पीठ ने सवाल उठाया और कहा कि ये बयान सीलकवर में होते हैं। ये मजिस्ट्रेट के पास होने चाहिए। आपको ये बयान कैसे मिले। ये मजिस्ट्रेट कोर्ट की कस्टडी में होने चाहिए। ये कोर्ट से कोर्ट आने चाहिए।तीस्ता सीतलवाड की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 124 लोगों को उम्रकैद हुई है। ये कैसे कह सकते हैं कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ। ये सब एक उद्देश्य के लिए है। ये चाहते हैं कि तीस्ता ताउम्र जेल से बाहर न आए। 20 साल से सरकार क्या करती रही। ये हलफनामे 2002-2003 के हैं, तो ये जालसाजी कैसे हो गए? ये हलफनामे इस मामले में दाखिल नहीं किए गए। ये पहले के मामलों में दाखिल किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को जमानत देते हुए कहा कि तीस्ता को जल्द से जल्द संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय कर जमानत दे। तीस्ता जांच में सहयोग करेंगी।

Malegaon Municipal Corporation, Malegaon

Dist. Nashik, Maharashtra State

Re E-Tender Notice No. Ws/Jal-Mal/02/2022-23

The Commissioner Malegaon Municipal Corporation invites Online Tender in B-1 Format for the work of SEWERAGE SCHEME FOR MALEGAON CITY UNDER AMRUT ABHIYAN, Tal. MALEGAON, Dist. Nashik, In the State of Maharashtra, Cost of Tender Rs. 5,47,59,932/- & for all relevant information that is scope of work, time table will be made available on web site https://www.mahatenders.gov.in/ form 03/09/2022 for detailed information.

Date : 03/09/2022 to 19/09/2022

Commissioner
Malegaon Municipal Corporation, Malegaon

"आईये उन सभी लोगों को याद करे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुती दि."

आरसीआई इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

सीआईएन L74900DL 1992PLC047055

पंजीकृत कार्यालय रू इकाई सं. 421, चौथी मंजिल, पर्ल ओमेक्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, दूरभाष :+91 11 41681828,+91 11 27371334

वेब : : www.rciind.com, ई–मेल :compliance@rciind.com

31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), ई–वोटिंग जानकारी तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 31वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय के लेन–देन के लिए कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यम (''ओएवीएम'') के माध्यम से शुक्रवार 30 सितम्बर, 2022 को प्रातरू 10.30 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 क्रमशरू दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआरपी/पी/2020/79 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 क्रमशरू दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुसार 31वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में केवल उन सदस्यों के पास भेजी गई है जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 03 सितंबर, 2021 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.rciind.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों तथा सामान्य बैठक (एसएस–2) पर सचिवीय मानक के अनुपालन में, कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से अपने सदस्यों को वीसी/ओडब्ल्यूएएम सुविधा के माध्यम से एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से मतदान करने एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इस संबंध में प्रक्रियाधिनिर्देश–एजीएम की सूचना के नोट्स में प्रदान किए गए हैं।

कट–ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2022 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान करने या वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा एजीएम में मतदान के पात्र होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, रिमोट ई–वोटिंग अवधि मंगलवार 27 सितंबर 2022 (09.00 पूर्वा. भा.मा.स.) पर शुरू होगी और गुरुवार 29 सितंबर, 2022 (शाम 05:00 बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्यों द्वारा रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से एक संकल्प पर वोट देने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के जरिए वोट डालने वाले सदस्य भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 23 सितंबर 2022 तक शेयर रखता है, वह evoting@insdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

श्री गौरव शाह, कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएसरू 46647), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे 23 सितंबर, 2022 तक या इससे पहले अपना नाम, डीमैट खाता/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के पास अपने पंजीकृत ई–मेल के माध्यम से compliance@rciind.com पर हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ शेयरधारकों के नाम और पते, पैन/अन्य पहचान और पते के प्रमाण की स्व–सत्यापित प्रति का उल्लेख करते हुए अनुरोध भेजकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने ईमेल पते को अपडेट करें।

ई–वोटिंग या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) और e-voting नेमत उंदनस वित Shareholders देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800–1020–990 या 1800–224–430 पर कॉल करें या इलेक्ट्रॉनिक मेल पर अनुरोध भेजें या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए–विंग, 4था तल, कमला मिल कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013 से निर्धारित ईमेल आईडी evoting@nsdi.co.in पर संपर्क करें।

कृते आरसीआई इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
ह./–
प्रिया रस्तोगी
(कम्पनी सचिव)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 सितम्बर, 2022

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 27बीकेसी , सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई– 400051, बी.ओ.: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 7वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर–125, निकट डेल कैंपस, नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201313

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ता और सह–उधारकर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त किया है, जिसका विशेष रूप से यहां वर्णन किया गया है और इसके पुनर्भुगतान में आपने चूक की है। आपकी चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋणों को गैर–निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और उक्त ऋण खातों को नीचे उल्लिखित असाइनमेंट के अलग–अलग कार्यों के माध्यम से सभी अधिकारों, शीर्षकों और हितों के साथ, प्राप्य लाभ को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में सौंपा गया है, बैंक ने उक्त असाइनमेंट के अनुसार और बकाया राशि की वसूली के लिए, वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया गया, जिसकी सामग्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार और आप पर वैकल्पिक सेवा के रूप में यहां प्रकाशित की जा रही है। उधारकर्ता, सह–उधारकर्ताओं, प्रतिभूतियों, ऋणदाता, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

उधारकर्ता , सह–उधारकर्ता का नाम और पता, ऋण खाता संख्या, ऋण की राशि	अचल संपत्ति का विवरण	1. ऋणदाता का नाम 2. असाइनमेंट की तिथि 3. मांग सूचना दिनांक 4. रु. में देय राशि
मैसर्स साई कंस्ट्रक्शन (इसके अधिकृत साझेदार श्री तुलसी राम के माध्यम से) और श्रीमती लज्जावती वास्ते श्री तुलसी राम और सुश्री प्रियंका पुत्री श्री तुलसी राम और श्री तुलसी राम पुत्र श्री स्वामी दीन, सभी निवासी: 309/310, तीसरी मंजिल, एमएसएक्स दूसरा सेक्टर, अल्फा –1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर परदेश। इसके अलावा यहाँ भी : मकान सं. 113, आदर्श कॉलोनी, बिहारीपुरिया, गांव – डुंडाहेरा तहसील–लोनी, गाजियाबाद, उत्तर परदेश – 201001। इसके अलावा सभी : ए – 56, डेल्टा 1, ग्रेटर नोएडा, यूपी। ऋण खाता संख्याः LNDEL00615&160000154 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 35,48,303/– (पैंतीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ तीन रूपए मात्र)।	**संपत्ति 1.** प्लॉट मापक्षेत्र 83 वर्ग गज, खसरा नंबर 32/4 मिन, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, बिहारीपुरा गांव दुंडाहेरा परगना लोनी,तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। **संपत्ति 2.** प्लॉट मापक्षेत्र 56 वर्ग गज, खसरा नं. 32/3 मिन, गली नंबर 8, आदर्श कॉलोनी, बिहारीपुरा गांव दुंडाहेड़ा परगना लोनी तहसील और जिला –गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। **संपत्ति 3.** प्लॉट मापक्षेत्र 50 वर्ग गज, खसरा नंबर 31/3 मिन, गली नंबर 11, आदर्श कॉलोनी, बिहारीपुरा गांव दुंडाहेड़ा परगना लोनी तहसील और जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। **संपत्ति 4.** प्लॉट मापक्षेत्र 50 वर्ग गज, खसरा नंबर 31/3 मिन, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, बिहारीपुरा गांव दुंडाहेड़ा परगना लोनी तहसील और जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। **संपत्ति 5.** प्लॉट मापक्षेत्र 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खसरा नं. 31/3 मिन, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, बिहारीपुरा गांव दुंडाहेड़ा परगना लोनी तहसील और जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। **बन्धक का नाम:** श्री तुलसी राम पुत्र श्री स्वामी दीन और श्रीमती लज्जावती पत्नी श्री तुलसी राम।	1.एक्सेल फाइनेंस बिजनेस लोन लिमिटेड 2. 18.02.2020 3. 17.08.2022 4. रु 44,27,587/– (चवालीस लाख सत्ताईस हजार पांच सौ सत्तासी रुपये मात्र) 18.08.2022 से पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज के साथ 17.08.2022 तक बकाया और देय।

इसलिए आप उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता/ओं को इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित मांगी गई पूर्ण राशि के साथ अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसके विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रतिभूतियों को लागू करने वाले अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना होगा। आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके आधार पर आप पूर्वोक्त प्रावधान में निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिभूति संपत्ति को भुनाने के लिए भुगतान करने के लिए स्वतंत्र हैं। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से रोक दिया गया है।

स्थानः गाजियाबाद, दिनांकः 03.09.2022 **अधिकृत अधिकारीः कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड**

द दिल्ली सेफ डिपॉजिट क. लि.

(CIN: L74899DL1937PLC000478)

पंजी. कार्यालयः 86, जनपथ, नई दिल्ली–110001 (भारत)

टेली.: 011–43580400, 23320084, 23321902

ईमेल:delsafe@dsdgroup.co.in, वेबः www.dsdgroup.co.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि द दिल्ली सेफ डिपॉजिट कम्पनी लिमिटेड के शेयरधारकों की 84वीं एजीएम कोविड–19 महामारी की अनवरतता के कारण विडियो कान्फ्रेंस (''वीसी'') अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 10.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने (सर्क्युलर तिथि 8.4.2022, 13.4.2020, 5.5.2020, 13.01.2021 तथा 05.5.2022) तथा सेबी ने (सर्क्युलर तिथि 12.5.2020, 15.01.2021 तथा 13.05.2022) के द्वारा सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां शेयरधारकों को भेजने से छूट दी है तथा साथ हीं वर्ष 2022 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति से वार्षिक आम सभा (एजीएम) के आयोजन की अनुमति दी है।

हम एतद्द्वारा सभी शेयरधारकों से आग्रह करते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना तथा कम्पनी से अन्य सभी सूचनाओं के प्रेषण के लिये अपना ईमेल आईडी अद्यतन करा लें।

कृपया ध्यान रहे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रति सदस्यों को एजीएम के दौरान अथवा उसके बाद नहीं भेजी जाएगी।

डिमैटरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयरधारित करने वाले शेयर धारकों से आग्रह है कि ईमेल पता, बैंक मैन्डेट्स तथा मोबाईल नं. को अद्यतन करने के लिये अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स से सम्पर्क करें।

भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से आग्रह है कि अपना नाम, फोलियो नम्बर, शेयर प्रमाणपत्र (फ्रान्ट एवं बैक) की स्कैन्ड कॉपी, पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन्ड कॉपी तथा आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन्ड कॉपी प्रस्तुत कर रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट–बिग शेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के पास अपना i) ईमेल आईडी तथा ii) बैंक मैन्डेट पंजीकृत/अद्यतन करा लें।

वांछित दस्तावेजों के साथ उक्त विवरण बिग शेयर सर्विसेस प्रा.लि.–आरटीए के पास ईमेल आईडीः investor.del@bigshareonline.com पर भेजी जा सकती है।

कृते, द दिल्ली सेफ डिपॉजिट कम्पनी लिमिटेड
हस्ता./–
विजय कुमार गुप्ता
प्रबंध निदेशक/सीईओ
DIN-00243413

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 3.9.2022

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : 502, टॉवर–ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013
सर्किल कार्यालय : कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, 9–बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110005

परिशिष्ट–IV–ए [नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार से कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार के नीचे वर्णित राशि की वसूली हेतु निम्नलिखित तिथियों पर ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे वर्णित है।

क्र.सं.	1. कर्जदार(रों) का नाम 2. बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति की ईएमडी 3. वर्धित मूल्य
1.	1. मैसर्स ओ.पी. टिम्बर मर्चेंट (''कर्जदार'') 2. श्री राम नारायण 3. श्रीमती राज बाई (सह–कर्जदार) ऋण खाता सं. LNCGCKKDTL0000004198 रुपये 62,40,985/– (रुपये बासठ लाख चालीस हजार नौ सौ पिचासी मात्र) 07.12.2021 तक तथा प्रयोज्य भावी ब्याज	मकान नं. 554, खेवत/खाता सं. 5413/7025 में से, खसरा नं. 12716/3490/908–910, 3582/999 (0–0–13.5) में से, फिरोज गांधी कॉलोनी–1, तहसील एवं जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित।	1. ई–नीलामी की तिथि : 20.09.2022 (3:00 बजे अप. से 4:00 बजे अप.) 2. केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि : 19.09.2022 3. निरीक्षण की तिथि : 17.09.2022	आरक्षित मूल्य : रु. 39,50,000/– (रुपये उनतालीस लाख पचास हजार मात्र) जमा धरोहर राशि : रु. 3,95,000/– (रुपये तीन लाख पिचानवे हजार मात्र) वृद्धि मूल्य : रु. 20,000/– (रुपये बीस हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.Capriglobal.in/auction/ में प्रावधानित लिंक का सन्दर्भ लें।

ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :

1. सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे है, जो है वहीं है तथा उपचार रहित आधार'' पर की जा रही है। क्योंकि बिक्री बिना किसी वारंटी तथा इंडेम्निटी के है।
2. ई–नीलामी बिक्री सूचना में सम्पत्ति/आस्तियों के विवरण (जैसे विस्तार तथा माप) प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं और प्रतिभूत लेनदार किसी त्रुटि, गलत बयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार तथा माप में अन्तर हो सकता है।
3. प्रतिभूत लेनदार द्वारा निर्गत ई–नीलामी बिक्री सूचना अपनी संविदाएँ जमा करने हेतु जनसामान्य के लिए एक आमन्त्रण है और प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधान नहीं नहीं निर्मित करती है और न करती हुई मानी जायेगी। इच्छुक संविदाकारों को अपनी संविदा/एँ जमा करने से पूर्व सम्पत्ति/आस्तियों के स्वामित्व तथा वर्तमान दशा एवं सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के विषय में अपना स्वतन्त्र पूछताछ/ड्यू डिलिजेंस संचालित करने की सलाह दी जाती है।
4. नीलामी केवल वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड'' में अथवा सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा प्रावधानित ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप के माध्यम से संचालित की जायेगी जो ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था तथा समन्वयन करेंगे।
5. संविदाकार अपने मनचाहे स्थान से संविदा हेतु ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था संविदाकार को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन बोली के लिए सम्भावित संविदाकार सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नं. 079–079–68136880/68136837), श्री राम कुमार, मोबाइल नं. 8000023297. ई–मेल : ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक संविदाकार को अग्रिम रूप से अपना नाम https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पंजीकृत कराना होगा और यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक संविदाकारों को सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त होने के तुरन्त बाद अपना पासवर्ड बदल लेने की सलाह दी जाती है।
8. ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकार को आरक्षित मूल्य के 10% की प्रतिदेय ईएमडी जमा करनी होगी जो 19 सितम्बर, 2022 को या इससे पूर्व ''कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड'' के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी है।
9. इच्छुक संविदाकार ईएमडी के प्रति डिमाण्ड ड्राफ्ट रेमिटेंस सहित विधिवत भरे संविदा प्रपत्र (प्रारूप https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) एक मुहरबन्द लिफाफे में अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को सम्बोधित, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 3बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110005 के पास अधिकतम 19 सितम्बर, 2022 को 03.00 बजे अप. तक भेजने हैं। मुहरबन्द लिफाफे पर ''कर्जदार का नाम'' की सम्पत्ति हेतु ऋण खाता सं. ..... (जैसा ऊपर उल्लिखित है) में ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु संविदा'' लिखना होना चाहिए।
10. ईएमडी सहित संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि समाप्त होने पर अधिकृत प्राधिकारी प्राप्त संविदाओं की जाँच करेंगे और क्वालिफाइड संविदाकारों (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपने कोट किये हैं और प्रतिभूत लेनदार के पास निर्दिष्ट ईएमडी जमा कर दी है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास करेंगे ताकि केवल वे ही संविदाकार ऑनलाइन इंटर–से बोली/नीलामी प्रक्रिया में ई–नीलामी बिक्री सूचना में उल्लिखित तिथि एवं समय पर भाग ले सकें।
11. क्वालिफाइड संविदाकारों के मध्य इंटर–से बोली क्वालिफाइड संविदाकारों द्वारा उच्चतम कोट की गयी बोली से प्रारम्भ होगी। इंटर–से बोली प्रक्रिया के दौरान ''10'' मिनट प्रत्येक का असीमित विस्तार समय होगा अर्थात यदि बोली अन्तिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगायी जाती है तो ई–नीलामी बोली का अन्तिम समय प्रत्येक बार स्वतः ही 10 मिनट बढ़ जायेगा।
12. एक बार लगाई गयी बोली निरस्त नहीं होगी। संविदाकार को प्रदत्त यूजर आईडी से लगायी गयी बोली केवल उसी के द्वारा लगायी गयी मानी जायेगी।
13. ई–नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के तुरन्त बाद उच्चतम संविदाकार ई–मेल द्वारा अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 3बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110005 तथा सेवा प्रदाता के पास ई–नीलामी प्रक्रिया में सफल संविदाकार घोषित होने के लिए अपने द्वारा कोट की गयी अन्तिम संविदा राशि की पुष्टि ई–मेल द्वारा करेगा।
14. सफल संविदाकार को अपने पक्ष में होने पर संविदा राशि का 25% (ईएमडी सहित) बिक्री के 24 घण्टे के भीतर जमा करना होगा तथा शेष 75% राशि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक द्वारा बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
15. सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय में उपर्युक्त निर्दिष्ट राशियों का भुगतान करने में चूक करने पर बिक्री निरस्त कर दी जायेगी और पहले से जमा राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः बिक्री पर रखा जायेगा।
16. सफल संविदाकार के निवेदन पर अधिकृत प्राधिकारी अपने विवेक से संविदा राशि का शेष भाग जमा करने हेतु लिखित में अधिक समय की स्वीकृति दे सकते हैं।
17. सफल संविदाकार बिक्री मूल्य का 1% टीडीएस (बिक्री कार्यवाहियों में से) अदा करेगा और अधिकृत प्राधिकारी के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा तथा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि से 15 कार्यकारी दिनों के भीतर अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर किसी अन्य विस्तारित तिथि तक ईएमडी समायोजित करने के पश्चात बिक्री मूल्य की सम्पूर्ण राशि (1% टीडीएस कटौती को घटाकर) जमा करनी होगी जिसमें असफल रहने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
18. नगर निगम/पंचायत कर, बिजली के बकाये (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण के बकाये (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल संविदाकार को करना होगा। संविदाएँ सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विधिक बकायों पर विचार करते हुए तैयार की जायेंगी।
19. बिक्री प्रमाणपत्र सम्पूर्ण क्रय राशि/संविदा राशि जमा करने तथा सम्पूर्ण करों/प्रभारों के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक प्रमाण का उल्लेख करने के उपरान्त ही सफल संविदाकार के पक्ष में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी।
20. कन्वीएंस, स्टैम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभार एवं अन्य आकस्मिक प्रभारों हेतु प्रयोज्य विधिक प्रभारों का वहन नीलामी क्रेता द्वारा किया जायेगा।
21. अधिकृत प्राधिकारी बिना कोई कारण बताये ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं। यदि ई–नीलामी बिक्री निर्धारित तिथि के 15 दिनों से पूर्व किसी बाद की तिथि को स्थगित की जाती है तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
22. अधिकृत प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी तथा प्रश्नचिह्न रहित होगा।
23. संविदाएँ जमा करने वाले समस्त संविदाकारों के लिए माना जायेगा कि उन्होंने ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे उनसे सहमत हैं।
24. **अधिक विवरण एवं पूछताछ के लिए सम्पर्क करें : अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, श्री सुशील गुप्ता, मोबाइल नं. 7400445137 तथा अन्य पूछताछ के लिए सुश्री कल्पना चेतनवाला–7738039346.**
25. यह प्रकाशन उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित होने के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अनुसार कथित उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतियों हेतु 15 (पन्द्रह) दिनों की सूचना भी है।

विशेष निर्देश/चेतावनी : अन्तिम मिनट/सेकण्ड में बोली लगाने से संविदाकार स्वयं के हित में बचें। न तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में संविदाकार के पक्ष पर किसी खामी/फेल्योर (इंटरनेट फेल्योर, पॉवर फेल्योर आदि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी विषम परिस्थिति से बचने के लिए संविदाकार समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ/विकल्प जैसे बैक–अप पॉवर सप्लाई तथा जो कुछ भी अन्य अपेक्षित हो, कर लें ताकि वे ऐसी विषम परिस्थिति से निपट सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान : दिल्ली/गुरुग्राम **तिथि : 03.09.2022** **ह./– (अधिकृत प्राधिकारी) कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड**

विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

VISTAAR FINANCE

CIN: U67120K1991PTC059126, RBI पंजीकरण क्र.: B-02.00251
पंजीकृत कार्यालयः प्लाट नंबर 59 और 60 -23, 22nd क्रॉस, 29 मैन, BTM लेआउट, 2nd स्टेज, बैंगलोर–560076

शाखा स्थानांतरण की सूचना

**बिल्डिंग नंबर प्लॉट नं.5 जी – 34ए, 2री मंज़िल, बग्गा कॉम्प्लेक्स, एन आई टी 5, फरीदाबाद – हरियाणा – 121001 , स्थित शाखा कार्यालय को प्ररिचालन कारणों एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने की सूचना एतद्वारा दी जा

MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED
CIN – L52110DL1985PLC020240
Regd Office: K-27, Jiya Sarai, 1st Floor, Near IIT Gate, New Delhi 110 016
Website : www.meenakshisteel.in Email Id : meenakshisteelindustries@gmail.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at the Registered Office of the Company at K-27, Jiya Sarai, 1st Floor, Near IIT Gate, New Delhi 110 016 on Wednesday, 28th September, 2022 at 3.00 pm

The Annual Report for the financial year 2021-22 including the Notice convening this Annual General Meeting has been sent to the members at their registered address by post / courier and electronically to those members who have registered their email Id with the Company. The Book Closure date is Thursday, 22nd September, 2022 to Wednesday, 28th September, 2022 (both days inclusive)

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be passed at this Annual General Meeting by Electronic Mean (e-voting). The Members may cast their vote using an electronic voting system from the place other than Venue of the Meeting (Remote e-voting)

The Remote e-voting facility shall commence on Sunday, 25th , September, 2022 from 9.00 am and end on Tuesday, 27th September, 2022 at 5.00 pm. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person whose name appear on Register of Members / Beneficial Owners as on 21st September, 2022 (Cut off date) only shall be allowed to avail the facility of remote e-voting / Voting at the meeting.

By order of the Board of Directors
For MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
Sudha Jajodia
Director
(DIN – 00376571)

Place: Mumbai
Date: September 3, 2022

FSL

फ्रंटलाइन सिक्योरिटीज लिमिटेड

सीआईएन : U65100DL1994PLC058837
पंजी. कार्यालय : एम–6, द्वितीय तल, एम–ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048
कार्पोरेट कार्यालय : बी–22, सेक्टर–4, नोएडा–201301
वेबसाइट : www.fslindia.com, ई–मेल : secretarial@fsltechnologies.com
फोन : +91–120–2534067, फैक्स : +91–120–2534111

28वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई–वोटिंग एवं पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सक्युंलर तिथि 5 मई, 2020 के साथ पठित सक्युंलर तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021, 8 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 तथा 5 मई, 2022 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' सन्दर्भित) के अनुपालन में फ्रान्टलाइन सिक्युरिटीज लिमिटेड की 28वीं वार्षिक साधारण सभा मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 3.30 बजे अप. में किसी विशेष स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें सभा की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

उपरोक्त सक्युंलर के अनुसार एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.fslindia.com तथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों के संदर्भ में एनएसडीएल की ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से एजीएम में ई–वोटिंग के साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में (''रिमोट ई–वोटिंग'') द्वारा मतदान की सुविधा सदस्यों को उपलब्ध करा रही है। एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदान करने की प्रक्रिया एजीएम सूचना की नोट नं. 16 एवं 17 में दी गई है।

रिमोट ई–वोटिंग अवधि शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथा सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य ई–वोटिंग के लिए EVEN No 121848 का चयन कर सकते हैं। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जोगी। सदस्यों का मताधिकार मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 (''कट–ऑफ तिथि'') को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरों के अनुपात में होगा।

यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट–ऑफ तिथि को शेयर धारित करते है, वे एनएसडीएल की वेबसाईट अर्थात् https://www.evoting.nsdl.com पर रिमोट ई–वोटिंग सुविधा द्वारा मतदान कर सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी/आरटीए द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में ई–वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो सदस्य वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में उपस्थित हों तथा जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर पहले मतदान नहीं किये हों, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा मतदान के लिए योग्य होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में फिर से मतदान के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

कम्पनी के ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हों, वे निम्न प्रक्रिया के अनुसार उसे पंजीकृत करा सकते हैं:

1. भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि फोलिओ नं., शेयरधारक का नाम, ईमेल आईडी, मोबाईल नम्बर, शेयर प्रमाणपत्र (फ्रान्ट एवं बैंक) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन्ड कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन्ड कॉपी) अथवा ई–मेल पते के पंजीकरण के लिये किसी अन्य दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसैन्स, बैंक विवरण, इलेक्शन कार्ड, पास्पोर्ट) से शामिल विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र secretarial1@fsltecologies.com पर भेजकर कम्पनी के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन करा लें।
2. डिमैट पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा प्रक्रिया के अनुसार तथा डीपी की सलाह से डिमैट खाता में अपना ईमेल पता पंजीकृत कराऐं।

रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिये सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800–222–990 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर एनएसडीएल से सम्पर्क करें अथवा श्री अभिषेक मिश्रा, एनएसडीएल से विनिर्दिष्ट ईमेल आईडीः abhishekm@nsdl.co.in पर अथवा टेलीफोन नम्बर +91 22 24994545 पर सम्पर्क करें। सदस्यगण secretarial1@fsltecologies.com पर कम्पनी सचिव को भी लिख सकते है।

एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 से सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

फ्रान्टलाइन सिक्युरिटीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
राकेश के. जैन
निदेशक
DIN: 00050524

तिथि: 2.9.2022
स्थान: नोएडा

अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: राइडर हाउस, चौथा तल, प्लॉट सं. 136, सेक्टर 44, गुरुग्राम–122003
दूरभाष नं.: 91–124–4556677, सीआईएन: L67120HR1980PLC039125
वेबसाइट: www.aravalisecurities.com, ई–मेल: info@aravalisecurities.com

42वीं वार्षिक आम बैठक, बही समापन तथा रिमोट ई–वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के लेन–देन के लिए अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस लिमिटेड के सदस्यों की 42वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से गुरुवार 30 सितम्बर 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) पर आयोजित की जायेगी। निरंतर जारी कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट कार्यालय मन्त्रालय (''एमसीए'') ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 एवं 17/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल 2020 एवं दिनांक 13 अप्रैल 2020 के द्वारा, कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत कोविड–19 के कारण उपजी परिस्थिति पर विचार करते हुए कंपनियों द्वारा साधारण एवं विशेष संकल्पों के पारित होने पर स्पष्टीकरण के संबंध में, निर्गत परिपत्र सं. 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020 ''वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित करने पर स्पष्टीकरण'' तथा परिपत्र सं. 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी 2021 जो ''वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित करने पर स्पष्टीकरण'' के संबंध में है (सामूहिक रूप में ''एमएसीए परिपत्रों'' के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') ने अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई 2020 जो ''सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 – कोविड19 महामारी के निश्चित प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में अतिरिक्त छूट'' के संबंध में है तथा परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी 2021 जो ''कोविड–19 महामारी के कारण सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के निश्चित प्रावधानों के अनुपालन से छूट'' के संबंध में है (सामूहिक रूप में ''सेबी परिपत्रों'' के रूप में संदर्भित), किसी साधारण स्थल पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक (''एजीएम'') के आयोजन की अनुमति प्रदान करता है। एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एजीएम हेतु निर्धारित स्थल को माना जाएगा। दिनांक 3 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना की सॉफ्ट प्रतियां सदस्यों द्वारा डाउनलोड किए जाने के उद्देश्य से कंपनी की वेबसाइट www.aravalisecurities.com पर उपलब्ध हैं।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91, कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 10 तथा सूचीबद्धता अनुबन्ध के उपबन्ध 16 के अनुपालन अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों की शेयर अन्तरण पुस्तिका शुक्रवार 23 सितम्बर, 2022 से बृहस्पतिवार 29 सितम्बर 2022 (दोनों दिवस शामिल) तक वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का रिकार्ड लेने के उद्देश्य से बन्द रहेंगी।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों एवं सूचीबद्धता अनुबन्ध के उपबन्ध 35बी के अनुपालन में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एलएसडीएल) के माध्यम से उनके पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग अवधि सोमावर, 26 सितम्बर, 2022 (9.00 बजे प्रात) प्रारम्भ होगी और बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 (5.00 बजे अप.) समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के उपरान्त ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस अवधि के दौरान कम्पनी के सदस्य जो कट–ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2022 तक भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करते हैं वे रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और इस सूचना के निर्गमन के पश्चात कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2022 तक कम्पनी के शेयर धारण करता है, उसे कट–ऑफ तिथि के पश्चात मेल के माध्यम से यह सूचना उपलब्ध कराई जायेगी और ऐसे सदस्य evoting@nsdl.co.in या आरटीए, स्काइलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड भी प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह मतदान के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। इसके पश्चात एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा। जो सदस्य वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से 29 सितम्बर, 2022 को बैठक में भाग ले रहे हैं वे एजीएम की सूचना दिनांक 10 अगस्त, 2022 को सूचना में निर्दिष्ट प्रकार्य पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैठक के दौरान एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई–वोटिंग) के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। किन्तु, केवल वे ही सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है और उन्हें अन्यथा ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है वे एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्प मतदान के पात्र होंगे।

यदि उपर्युक्त प्रारूप के किसी मतदान से सम्बन्धित कोई पूछताछ या परेशानी है तो आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (''एफएक्यू'') तथा सदस्यों हेतु ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा एनएसडीएल से टोल फ्री नं. 1800–222–990 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई–वोटिंग हेतु विस्तृत सूचना प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रावधानित है। रिमोट ई–वोटिंग से सम्बन्धित कोई पूछताछ/शिकायत सुश्री रुचि श्रीवास्तव, कम्पनी सचिव, प्लॉट नं. 136, चौथा तल, राइडर हाउस, सेक्टर–44, गुरुग्राम–122003, हरियाणा, दूरभाषः 91–124–4556677, फैक्सः 91–124–4556677, ई–मेलः companysecretary@aravalisecurities.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता./–
रुचि श्रीवास्तव
कम्पनी सचिव

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 10.08.2022

सार्वजनिक सूचना

ICICI Home Finance | **पंजी. कार्यालयः** आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुंबई–400051

कार्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई–400059
शाखा कार्यालयः भू तल, 104/438, पी. रोड, सिसमऊ, रामबाग चौराहा, कानपुर–208012
शाखा कार्यालयः भू तल, एल्डेको हाउस/ एल्डेको शॉपी, हॉल–1, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

निम्नलिखित कर्जदार/रों ने उनके द्वारा आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड (''आईसीआईसीआई एचएफसी'') से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के भुगतान में चूक की है और ये ऋण अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन निम्नवर्णित तिथि को एक सूचना उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, तथापि यह उनको सुपुर्द नहीं की जा सकी और अतएव एतद्द्वारा उनको इस सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर का नाम (ऋण खाता संख्या) एवं पता	प्रत्याभूत आस्ति/प्रवर्तित की जाने वाली आस्ति का सम्पत्ति पता	प्रेषित सूचना की तिथि/सूचना की तिथि तक बकाया राशि	एनपीए तिथि
1.	अंशु गुप्ता (ऋणधारक), श्यामा गुप्ता (सह–ऋणधारक), 75ए, सफीपुर 1, कत्री सफीपुर, हरजिन्दर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश–208007 LHKAN00001367968	हरजेन्द्र नगर 2, हरजेन्द्र नगर, एनए, एच. नं. 91 बी कानपुर, उत्तर प्रदेश–208007, चौहद्दीः उत्तरः तेजवीर सिंह का मकान सं. 91–ए, दक्षिणः मकान का भाग, पूर्वः 30 फीट चौड़ा रोड, पश्चिमः प्लॉट शक्ति पुरम	7.6.2022 रु. 2765054/–	2 जून, 2022
2.	अभिशेक गुप्ता (ऋणधारक), वीना जैन (सह–ऋणधारक), एच. नं. 719, अमेठिया सलेमपुर, काकारी, काकोरी लखनऊ, उत्तर प्रदेश–227107 LHLKS00001395902	माधोपुर वार्ड, कन्हिया मिडिल क्लास खसरा नं. 42 एवं 43 में स्थित मकान सं. 64, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226003. चौहद्दीः उत्तरः 25 फीट चौड़ा रोड, दक्षिणः 12 फीट चौड़ा रोड, पूर्वः विला नं. 05, पश्चिमः विला नं. 07	7.6.2022 रु. 27,01,425/–	2 जून, 2022

सूचना प्रदान करने हेतु वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/रों तथा/अथवा उनके गारंटरों (जैसा लागू है) को उक्त बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, जिसमें विफल रहने की स्थिति में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

तिथिः 3 सित. 2022
स्थानः कानपुर, लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

Registered Office : Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat-362 266.
Corporate Office : 10th Floor, R Teck Park, Nirlon Complex, Near Hub Mall, Goregaon (East) Mumbai-400 063. Maharashtra.

DEMAND NOTICE

UNDER SEC 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("THE ACT") READ WITH RULE 3 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("THE RULES")

The undersigned being the **Authorized officer** of **Aditya Birla Finance Limited (ABFL)** under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) **within 60 days** from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is / are avoiding the service of the demand notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of demand notice(s) are extracted herein below:

In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) to pay to **ABFL**, **within 60 days** from the date of the respective Notice/s, the amount indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents / writings, if any, executed by the said Borrower's. As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to **ABFL** by the said Borrower's respectively.

Sr. No.	Name and Address of the Borrower(s)	Demand Notice Date & NPA Date	Total Outstanding Dues Amount
1	**1. AVINASH MISHRA, 2. VISHNU MISHRA** **3. GAYATRI DEVI MISHRA,** W/o. PREM NARAYAN MISHRA **ADD. 1 :** H. No. 570/105, Virat Nagar, Alambagh, Lucknow-226 006, U. P., **Mobile No.** 97948 43579, **Email :** avikushol1722@gmail.com; **ADD. 2 :** House No. 570/755, Mohalla-Pakri, Ward-Geeta Palli, Khasra No. 105, Kasimpur Pakri, Pargana-Bijnour, District : Lucknow-226 005, U. P. **LAN : ABFLLNWDSB0000135298**	17th August, 2022 & 05th July, 2022	₹ 32,57,458/- (Rs. Thirty Two Lakh Fifty Seven Thousand Four Hundred Fifty Eight Paisa Only) as on 16th August, 2022.

Description of Immovable property : All that piece and parcel of property House No. 570/755, Mohalla Pakri, Ward-Geeta Pali, District Lucknow situated on Khasra No. 105, Kasimpur Pakri, Pargana-Bijnour Janpad-lucknow **Admeasuring area** 825 sq. Ft. **Bounded by - ❖ Boundries -** ✦**East :** Road 10 ft. Personal Road; ✦**West :** Plot of Basant Kumar Kapoor; ✦**North :** Seller Plot; ✦**South :** Seller Plot.

With further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in respective Demand Notices dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realization. If the said Borrower's shall fail to make payment to **ABFL** as aforesaid, then **ABFL** shall proceed against the above Secured Asset(s) / Immovable Property (ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) as to the costs and consequences.

The said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s) / Immovable Property(ies), whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of **ABFL**. That please note that this is a final notice under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002). Needless to say, that **ABFL** shall be within its right to exercise any or all of the rights referred to above against the borrower(s) entirely at their risk, responsibility and costs.

Sd/-
Authorised Officer
ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

Place : Lunknow, Uttar Pradesh
Date : 02.09.2022

फोस्टर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN : L51103DL1980PLC299384
पंजी. कार्यालय : फ्लैट नं. 702, 7वां तल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001
फोन : +91 11 23310001-05, ईमेल : hcslndl@yahoo.co.in
वेबसाईट : www.fosterengineeringltd.com

41वीं वार्षिक आम सभा की सूचना

41 वीं वार्षिक आम सभा की सूचना एतद्वारा सूचित किया जाता है कि फोस्टर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 41 वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को 10.00 बजे पूर्वा. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 702, 7 वां तल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी जिसमें सदस्यों को ईमेल की गई सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021–22 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल आइडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट के पास पंजीकृत हैं।

यह कम्पनी एजीएम के किसी अन्य स्थान से नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1. एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
2. एजीएम के सूचना का प्रेषण 01.09.2022 को पूरा कर लिया गया है।।
3. रिमोट ई–वोटिंग 23.9.2022 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी।
4. रिमोट ई–वोटिंग 25.9.2022 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी।
5. 25.9.2022 को 5.00 बजे अप. के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. एजीएम की सूचना कम्पनी के वेबसाईट **www.fosterengineeringltd.com** पर भी अपलोड की गई है तथा साथ ही कलकत्ता स्टॉक एक्सचैंज लिमिटेड (सीएसई) की वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगी।
7. ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए एनएसडीएल से सम्पर्क करें, विवरणों के लिए एनएसडीएल की वेबसाईट देखें अथवा कम्पनी के आरटीए स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, ईमेल : **compliance@skylinerta.com** से सम्पर्क करें।
8. ई–वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथि 19.9.2022 निर्धारित की गई है।
9. सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें वार्षिक आम सभा के उद्देश्य से 20.9.2022 से 26.09.2022 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

फोस्टर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
अरविन्द सिंह

तिथि : 1.9.2022

प्रद्युम्न स्टील्स लिमिटेड

CIN : L27109DL1972PLC319974
पंजी. कार्यालय : फ्लैट नं. 702, 7वां तल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001
फोन : +91 11 23310001-05, ईमेल : hcslndl@yahoo.co.in
वेबसाईट : www.psteelltd.com

49वीं वार्षिक आम सभा की सूचना

49 वीं वार्षिक आम सभा की सूचना एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रद्युम्न स्टील्स लिमिटेड के सदस्यों की 49 वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 702, 7 वां तल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी जिसमें सदस्यों को ईमेल की गई सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021–22 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल आइडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीकृत हैं।

यह कम्पनी एजीएम के किसी अन्य स्थान से नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1. एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
2. एजीएम के सूचना का प्रेषण 01.09.2022 को पूरा कर लिया गया है।
3. रिमोट ई–वोटिंग 23.9.2022 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी।
4. रिमोट ई–वोटिंग 25.9.2022 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी।
5. 25.9.2022 को 5.00 बजे अप. के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. एजीएम की सूचना कम्पनी के वेबसाईट **www.psteelltd.com** पर भी अपलोड की गई है तथा साथ ही कलकत्ता स्टॉक एक्सचैंज लिमिटेड (सीएसई) की वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगी।
7. ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए एनएसडीएल से सम्पर्क करें, विवरणों के लिए एनएसडीएल की वेबसाईट देखें अथवा कम्पनी के आरटीए स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, ईमेल : **compliance@skylinerta.com** से सम्पर्क करें।
8. ई–वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथि 19.9.2022 निर्धारित की गई है।
9. सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें वार्षिक आम सभा के उद्देश्य से 20.9.2022 से 26.09.2022 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

प्रद्युम्न स्टील्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
एम.एल. बिरमीवाला
निदेशक

तिथि : 1.9.2022
स्थान : नई दिल्ली

ASSOCIATED FINMAN LIMITED

Regd. off: 59/17, Ground Floor,Bahubali Apartments, New Rohtak Road New Delhi, 110005
CIN: L65910DL1984PLC018871 **Ph.** No. 011-32963621
Website: www.associates.net.in,**Email:** associatedfinman1984@gmail.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Friday, the 30th Day of September, 2022 at 11:00 AM at 59/17, Ground Floor, Bahubali Apartments, New Rohtak Road, New Delhi, - 110005 to transact the business as set out in AGM Notice dated 01st Day of September, 2022.

The Notice convening the 38th AGM and the Annual Report for the financial year 2

पश्चिम मध्य रेल

इंजीनियरिंग विभाग, खुली निविदा, दिनांक 30.08.2022

निम्नलिखित कार्य के लिये ई–निविदा भारत संघ के राष्ट्रपति के पक्ष में वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के द्वारा आमंत्रित की जाती है। **निविदा सूचना क्रमांक**– डी. आर.एम. डब्ल्यू– जे.बी.पी.–138–2022, **कार्य का नाम लोकेशन सहित**– सहायक मंडल इंजीनियर ब्यौहारी उप मंडल के अधीन दो विभिन्न कार्य के बचा हुआ कार्यः **पार्ट एः** रेलवे साइडिंग बरगवाँ के लिये डस्ट प्रोटेक्शन वाल की डिजाइन, सप्लाई एवं इन्स्टालेशन का कार्य। **पार्ट बी**– रेलवे साइडिंग गोंडावली के लिये डस्ट प्रोटेक्शन वाल की डिजाइन, सप्लाई एवं इन्स्टालेशन का कार्य। **कार्य का अनुमानित मूल्य रूपये**– 1,27,36,615/–, **बयाना राशि रूपये**– 2,13,700/–, **समापन अवधि**– 03 माह, **निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 15:00 बजे तक**– 15.09.2022, **निविदा खुलने का समय 15:15 बजे तिथि**– 15.09.2022, उपरोक्त ई–निविदा संपूर्ण जानकारी वेबसाईट https://www.ireps.gov.in उपलब्ध है एवं इसकी पूरी जानकारी मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) कार्यालय पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर रखी गई है। ई–निविदा के अलावा उपरोक्त कार्य के लिए कोई भी निविदा स्वीकार नहीं कि जाएगी।

मंडल रेल प्रबंधक (कार्य)
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

कोरोना को है हराना, तो टीकाकरण जरूर कराना

एड्सरीअल ईस्टेट प्राईवेट लिमिटेड

पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 148, ब्लॉक–21, सेक्टर–24, रोहिणी, दिल्ली–110085
CIN: U70100DL2009PTC187845,
सम्पर्क नं. 9812022197,
ईमेल आईडी: dsp1997pnp@gmail.com
प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

एड्स रीअल ईस्टेट प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय **प्लॉट नं. 148, ब्लॉक–21, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली–110085 में है**, आवेदक, के मामले में।

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 26 अगस्त, 2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह या तो एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म भरकर या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, 2वीं पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से
एड्स रीअल ईस्टेट प्राईवेट लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली	**हस्ता./–**	**हस्ता./–**
तिथि: 2.9.2021	**अतुल मित्तल**	**नितेश मित्तल**
	निदेशक	**निदेशक**
	DIN: 03580971	**DIN: 03580978**

मैक्नोर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बी–8/46, सेक्टर–11, रोहिणी, दिल्ली–110085
CIN: U51909DL2007PTC163043, ई–मेल आईडी: macnor@yahoo.co.in

फॉर्म नं आईएनसी–28
[कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

मैक्नोर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड ,जिसका पंजीकृत कार्यालय : **बी–8/46, सेक्टर–11, रोहिणी, दिल्ली–110085 है, के मामले में** ..... **याचिकाकर्ता**

आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने में सक्षम बनाने के लिए 25" अगस्त, 2022 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

सी–41, गली नं.03, नांगली विहार एक्सटेंशन, बपरोला, दिल्ली–110043

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
प्रगति इलेक्ट्रोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–

दिनांक : 02.09.2022 **वीरेन्द्र कुमार** (निदेशक)
स्थान : दिल्ली **डीआईएन** : 00740414

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और

प्रगति इलेक्ट्रोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
(CIN : U32109DL2002PTC117789)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : **सी–41, गली नं.03, नांगली विहार एक्सटेंशन, बपरोला, दिल्ली–110043** में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **30 अगस्त, 2022** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा आवेदक कम्पनी के उपरोक्त दिए गए पते पर पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
मैक्नोर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड

	हस्ता /	**हस्ता /**
	सतीश कुमार	**मंजीत दलाल**
	(निदेशक)	**(निदेशक)**
	डीआईएन : 01234244	**डीआईएन: 01238623**

दिनांक: 02.09.2022
स्थान : नई दिल्ली

जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: L31104DL1989PLC362504
पंजी. कार्यालय: 574, 2रा तल, मैन रोड, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली–110017
फोन नं.: 011–41834411/41834111, **ई–मेल:** info@jmg-corp.in, **वेबसाईट:** www.jmg-corp.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली 33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी परिपत्र दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, जिसने सूचीबद्ध संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड (सामूहिक रूप से परिपत्रों के रूप में संदर्भित) में भेजने की अनुमति दी है, के अनुपालन में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') की 33वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को 12:00 बजे अपराह्न (भा.मा.स.) आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 574, द्वितीय तल, मेन रोड, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली–110017 माना जाएगा।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

सदस्य यह भी नोट करें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में और सरकार की गो–ग्रीन पहल को आगे बढ़ाते हुए, 33वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स बुधवार, 21 सितंबर, 2022 से मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।

सदस्य यह भी नोट करें कि कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की ई–वोटिंग सेवाओं का लाभ उठाएगी ताकि उसके सदस्य एजीएम की सूचना में दिए गए प्रस्तावों पर अपना वोट डाल सकें।

कंपनी ने रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा वोट करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए मंगलवार, 20 सितंबर, 2022 को 'कट–ऑफ तिथि' के रूप में निर्धारित किया है।

सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई–वोटिंग की अवधि रविवार, 24 सितंबर, 2022 (सुबह 9:00 बजे) (भा.मा.स.) से शुरू होगी और सोमवार, 26 सितंबर, 2022 (5:00 बजे) (भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान वोट डालने के लिए ई–वोटिंग प्रणाली प्रदान करेगी।

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या बैठक के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम के नोटिस में दिए गए तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं।

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य http://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध 'Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and participation in AGM and remote e-Voting user manual for Members" का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें। सदस्य कंपनी को info@jmg-corp.in पर ईमेल भी लिख सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम के दौरान वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में भी दी गयी है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट नियत समय में कंपनी की वेबसाइट www.jmg-corp.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर पर भी उपलब्ध होगी। उपरोक्त सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों और समय–समय पर जारी सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है।

कृते जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ह./–
दिनांक: 02 सितंबर, 2022 **निशा कुमारी**
स्थान: नई दिल्ली **(कंपनी सचिव)**

GLOBUS POWER GENERATION LIMITED

(Formerly known as Globus Constructors and Developers Limited)
Regd. Office : Shyam House, Plot No. 3, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur-302021
CIN: L40300RJ1985PLC047105, **Email Id: globuscdl@gmail.com**
Website: www.gpgl.in

NOTICE OF THE THIRTY SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Thirty Seventh Annual General Meeting (AGM) of **Globus Power Generation Limited (**Formerly known as Globus Constructors and Developers Limited) **(Company)** will be held on Tuesday, September 27, 2022 at 11:30 A.M. through video conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses set out in the Notice of AGM in compliance of MCA Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with the circular No. 14/2020 dated April 08, 2020; 17/2020 dated April 13, 2020; 20/2020 dated May 05, 2020; and 19/2021 dated December 08, 2021 and SEBI Circular dated May 12, 2020 and May 13, 2022, without the physical presence of the Members at common place.

In Compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, since there is no requirement of sending physical copies of Annual Report to the Members of the Company, the Annual Report for the financial year 2021-22 along with the Notice of 37th AGM have been sent through e-mail to all the Members of the Company on Friday, September 2, 2022 whose name appear in the Register of Members at the closing of business hours on Friday, August 26, 2022 and whose email addresses are registered with the Company/Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial and Computer Services Pvt. Ltd. /Depository Participant(s). Further, the aforesaid Notice and Annual Report is also available on Company's Website at **www.gpgl.in**, and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at **www.bseindia.com** and also on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com.**

The Members can attend the AGM through VC/OAVM facility only. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Book Closure : Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members of the Company and Transfer Books will remain closed from Wednesday, September 21, 2022 to Tuesday, September 27, 2022 (both days inclusive).

Voting through Electronic Mode – In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members, holding Equity shares in dematerialized or physical form as on September 20, 2022 (Cut off date), the facility to exercise their voting rights in electronic mode in the following manner in respect of the businesses proposed to be transacted at the AGM, through e-voting services provided by NSDL.

- **Remote e-voting:** The Remote e-voting period will commence on Saturday, September 24, 2022 at 9:00 A.M. and end on Monday, September 26, 2022 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond said period.
- **E-voting at the AGM:** The facility of remote e-voting shall also be available at the AGM to those members who have not cast their vote by remote e-voting and are attending the meeting through VC/OAVM.

Further, the manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the members holding the shares in dematerialized form, physical form & Members who have not registered their e-mail id, instructions and procedure related to login id and password for e-voting are provided in the Notice of AGM.

Any Person, who acquires shares and become a member of the Company after sending the Notice and holds shares as on cut off date i.e September 20, 2022 may obtain the login id and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** . However, if you are already registered with NSDL for e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting vote.

Manner of registering/updating e-mail addresses

(a) Shares Held in physical Form: Please send the PAN and KYC details to the Company's Registrar and transfer Agent, Beetal Financial and Computer Services Pvt. Ltd. at Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Complex, New Delhi -110062 or email at **beetalrta@gmail.com** in duly filed and signed Form ISR-1 (available on the website of the Company) along with other relevant Forms and documents. The Company has already sent letters to the Shareholders for furnishing the required details as per SEBI Circular :SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 03, 2021.

(b) Shares held in Demat Mode: Please contact your Depository Participant(s) to register/ update your e-mail address as per the process advise by your Depository Participant(s).

Members are requested to read carefully all the notes/ instruction set out in the Notice of AGM including instructions for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting/e-voting during the AGM.

In case of any queries, Members may contact to Company Secretary of the Company, having phone number 011-41411071 or email at **globus@gmail.com** or to Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial and Computer Services Pvt. Ltd. at email id **beetalrta@gmail.com** or call at 011-29961281/82.

By Order of the Board
For **Globus Power Generation Limited**
(Formerly known as Globus Constructors and Developers Limited)
Sd/-
Date: 2nd September, 2022 **Abhay Khanna**
Place: New Delhi **Director**

ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज़ लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: बी–09, 412, आईटीएल टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110088
टेली: 011–45058963, CIN: L74899DL1994PLC057507
ई–मेल: brilliantportfolios@gmail.com, वेबसाइट www.brilliantportfolios.com

28वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, किताबबंदी और रिमोट ई– वोटिंग पर जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक रविवार, 25 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना में बताए गए अनुसार व्यापार को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी।

एमसीए और सेबी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, 01 सितंबर, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजी है जिनके ई–मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी वेबसाइट **www.brilliantportfolios.com** और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.bseindia.com** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध होगी। सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को एमसीए और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल की रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई–वोटिंग') प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा भी प्रदान करेगी। एजीएम के दौरान ई–वोटिंग/एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम नोटिस में प्रदान की जाएगी। एजीएम में किए जाने वाले कारोबार की मदों से संबंधित दस्तावेज **www.brilliantportfolios.com** पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग के लिए निर्देश:

i) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108, जैसा कि संशोधित है और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 44 के अनुसार कंपनी एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में शेयरधारकों को एनएसडीएल के माध्यम से ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करती है। एजीएम की कार्यवाही के दौरान रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका और निर्देश नोटिस में प्रदान किया गया है।

ii) जिन शेयरधारकों के नाम कट–ऑफ तारीख यानी रविवार, 18 सितंबर, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। नोटिस में निर्धारित प्रस्ताव पर किसी भी शेयरधारक द्वारा मतदान किया जाता है, उसे बाद में बदला नहीं जा सकता है। रिमोट ई–वोटिंग गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 को सुबह 9 बजे शुरू होगी और शनिवार, 24 सितंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। एक व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि, यानी रविवार, 18 सितंबर, 2022 को शेयरधारक नहीं है, उसे केवल सूचना के उद्देश्य से नोटिस को समझना चाहिए।

iii) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम की कार्यवाही के दौरान अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के पात्र होंगे। रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले शेयरधारक भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन एजीएम की कार्यवाही के दौरान फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

iv) सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 42 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुवर्ती सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स सोमवार, 19 सितंबर, 2022 से रविवार, 25 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क विवरण नीचे दिया गया है:

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या 022–23058738 या 022–23058542–43 पर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

कृते ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज लिमिटेड
ह./–
स्थान: दिल्ली **(आशीष)**
दिनांक: 02.09.2022 **कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी**

श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड

(पूर्व में एस्कॉर्ट्स सिक्योरिटीज लिमिटेड के रूप में प्रचलित)
701, 7वीं मंजिल, अंसल भवन बिल्डिंग, 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली–110001
सीआईएन: U74899DL1994PLC062140, **दूरभाष:** 011–43587500
ईमेल आईडी: complianceofficer@shreeyamsecurities.com
वेबसाइट: www.shreeyamsecurities.com

सार्वजनिक सूचना

सेबी पोर्टफोलियो प्रबंधक पंजीकरण का समर्पण

श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड (पूर्व में एस्कॉर्ट्स सिक्योरिटीज लिमिटेड के रूप में प्रचलित), सेबी पंजीकरण संख्या **INP000001454,** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक), विनियमनों के तहत एक पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत है।

व्यावसायिक पुनर्गठन के एक भाग के रूप में, श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) के तहत सेबी पंजीकरण को वापस कर रहा है। इसके मद्देनजर, कोई भी पीड़ित पक्ष इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर कंपनी और/या सेबी के समक्ष समर्पण के खिलाफ कोई भी अभ्यावेदन दे सकता है।

सेबी पंजीकरण संख्या: INP000001454
सेबी के साथ मध्यस्थ की श्रेणी: पोर्टफोलियो प्रबंधक

कृते श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड
हस्ता /
दीपिका सिंघवी
(कंपनी सचिव)

दिनांक: 02 सितंबर, 2022
स्थान : नई दिल्ली

श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड

(पूर्व में एस्कॉर्ट्स सिक्योरिटीज लिमिटेड के रूप में प्रचलित)
701, 7वीं मंजिल, अंसल भवन बिल्डिंग, 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली–110001
सीआईएन: U74899DL1994PLC062140 , दूरभाष: 011–43587500
ईमेल आईडी: complianceofficer@shreeyamsecurities.com
वेबसाइट: www.shreeyamsecurities.com

सार्वजनिक सूचना

सेबी मर्चेंट बैंकिंग पंजीकरण का समर्पण

श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड (पूर्व में एस्कॉर्ट्स सिक्योरिटीज लिमिटेड के रूप में प्रचलित), सेबी पंजीकरण संख्या INM000010726, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स), विनियमनों के तहत एक मर्चेंट बैंकर के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत है।

व्यावसायिक पुनर्गठन के एक भाग के रूप में, श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड, मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं के तहत सेबी पंजीकरण को वापस कर रहा है। इसके मद्देनजर, कोई भी पीड़ित पक्ष इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर कंपनी और/या सेबी के समक्ष समर्पण के खिलाफ कोई भी अभ्यावेदन दे सकता है।

सेबी पंजीकरण संख्या: INM000010726
सेबी के साथ मध्यस्थ की श्रेणी: मर्चेंट बैंकर

कृते श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड
हस्ता /
दीपिका सिंघवी
(कंपनी सचिव)

दिनांक: 02 सितंबर, 2022
स्थान : नई दिल्ली

पश्चिम मध्य रेल

आज़ादी का अमृत महोत्सव

अभिव्यक्ति की अभिरूचि

रेल परिसर के सौंदर्यीकरण में आपकी भागीदारी!

रेलवे क्षेत्र/स्टेशन अप्रोच के सौंदर्यीकरण हेतु पश्चिम मध्य रेल के
• भरतपुर • बयाना • सवाईमाधोपुर • श्रीमहावीर जी • कोटा
• भवानीमंडी • चौमहला • सुवासरा • विक्रमगढ़ आलोट • महिदपुर
• बून्दी • मांडलगढ़ • बारां • छबड़ा गुगोर एवं सालपुरा स्टेशनों के लिए अभिव्यक्ति की अभिरूचि आमंत्रित की जाती है।

ई.ओ.आई. जमा करने की अंतिम तिथि
12.09.2022 को 15:30 बजे तक है।
वरि. मण्डल इंजीनियर (समन्वय)मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, कोटा

एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा।

इस योजना से सम्बंधित किसी अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें:
9001017211, 9001017202

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट - https://wcr.indianrailways.gov.in पर जायें।

@wc_railway @wc_railway @wc_railway West Central Railway

जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड

[CIN No. L17111UP1974PLC003979]
पंजीकृत कार्यालय: 19वाँ कि.मी., हापुर–बुलन्दशहर रोड, पी.ओ. गुलावथी, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश–203408
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 12, सेक्टर बी–1, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070, **फैक्स:** (011) 40322129
टेली.: 011–40322100, **ई–मेल: cs_jpoly@jindalgroup.com,**
वेबसाईट: www.jindalpoly.com

सार्वजनिक सूचना : 48 वीं वार्षिक आम सभा

सूचित किया जाता है कि जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड (''कम्पनी'') की 48वीं वार्षिक आम सभा ("एजीएम'') सेबी द्वारा जारी सर्वयुलर नं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2022/62 तिथि 13 मई, 2022 के साथ पठित पूर्व वर्षों में इस संदर्भ में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण सर्वयुलर्स 2/2022 तिथि 5 मई, 2022 तथा 19/2021 तिथि 8 दिसम्बर, 2021 तथा अन्य सर्वयुलर्स (यहाँ के बाद सामूहिक रूप से सर्वयुलर्स' वर्णित) के अनुपालन में विडियो कान्फ्रेंसिंग (

केनरा बैंक Canara Bank

सिंडिकेट Syndicate

अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस

क्र. सं.	शाखा	ऋणी / गारंटर का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	स्पीड / रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा डिमांड नोटिस भेजने की तारीख: 27.08.2022
1.	**पीलीभीत शाखा**	**1.श्री काशिफ हसन पुत्र श्री नसीम अहमद,** मौहल्ला हविबुल्लाह खान, जानुबी पुलिया, बीसलपुर, जिला पीलीभीत **2.श्री जुनैद अकबर पुत्र श्री नसीम अहमद,** मौहल्ला हविबुल्लाह खान, जानुबी पुलिया,बीसलपुर, जिला पीलीभीत इसके अलावा **3. श्री काशिफ हसन पुत्र श्री नसीम अहमद,** दुकान स्थित वार्ड नंबर 26, मौहल्ला केसरी सिंह, पीलीभीत **4. श्री जुनैद अकबर पुत्र श्री नसीम अहमद,** दुकान स्थित वार्ड नंबर 26, मौहल्ला केसरी सिंह, पीलीभीत	दुकान स्थित वार्ड नंबर 26, मौहल्ला केसरी सिंह, पीलीभीत, क्षेत्रफल 11.21 वर्गमीटर, संपत्ति श्री काशिफ हसन और श्री जुनैद अकबर दोनों पुत्र श्री नसीम अहमद के नाम, **सीमायें**:–उत्तरः विक्रेता की दुकान, दक्षिणः दानिश की दुकान, पूर्वः रास्ता, पश्चिमः शरफुद्दीन के एलआरएस का प्लॉट	डिमांड नोटिस की तारीख: 25.08.2022 नोटिस के अनुसार देय राशि रु0 1215144.00 + ब्याज व अन्य खर्चे from 01.08.2022 in Working Capital , from 23.08.2022 in TL1, from 28.07.2022 in TL2

सिक्योरिटाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एवं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के नियम 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी / ऋणियों / गारन्टर्स को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था, जो बैंक की शाखा में डाक विभाग / कोरियर द्वारा बिना वितरण के **(Undelivered)** वापस आ गया / लेने से इन्कार किया। आपको सूचित किया जाता है कि आप वापस आये नोटिस को मूल रूप मे अधोहस्ताक्षर से प्राप्त कर सकते हैं

आप अपनी समस्त देयताओं का निस्तारण इस नोटिस की तिथि से 60 दिन के अन्दर करा दें अन्यथा बैंक **(secured creditor)** वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुर्नानिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों अथवा किसी एक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकारी होगा।

दिनांक 01.09.2022 स्थान : पीलीभीत प्राधिकृत अधिकारी

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003

कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

सिलवराडो इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
(CIN:U70100DL2011PTC215619)

जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट न०-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट न०-4, दयानन्द विहार, दिल्ली- 110092 के मामले में .....याचिकाकर्त्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **"एनसीटी ऑफ दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना **या तो एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में दाखिल कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विरोध के कारणों के स्वभाव तथा हित एवं विरोध के आधारों समर्थित शपथपत्र की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एमसीए, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल आईडी gaurav.kumar@gulshanhomz.com को भी प्रेषित करे।

आवेदक की ओर से
हस्ता०/–
गुलशन नागपाल
निदेशक
DIN: 00461209

तिथि : 02.09.2022
स्थानः नई दिल्ली

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003

कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

एसएनएसपी डिवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
(CIN:U45400DL2007PTC164449)

जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट न०-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट न०-4, दयानन्द विहार, दिल्ली- 110092 के मामले में .....याचिकाकर्त्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **"एनसीटी ऑफ दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना **या तो एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में दाखिल कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विरोध के कारणों के स्वभाव तथा हित एवं विरोध के आधारों समर्थित शपथपत्र की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एमसीए, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल आईडी legal@gulshanhomz.com को भी प्रेषित करे।

आवेदक की ओर से
हस्ता०/–
युक्ति नागपाल
निदेशक
DIN: 02878920

तिथि : 02.09.2022
स्थानः नई दिल्ली

GOGIA CAPITAL SERVICES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059674
Regd. Office:- The Capital Court, 6th Floor, OLOF Palme Marg, Munirka New Delhi - 110067
Email:-compliance@gogiacap.com, Website:- www.gogiacap.com,
Contact no: 011-49418888

NOTICE

Notice is hereby given that 28th Annual General Meeting (AGM), of members of Gogia Capital Services Limited will be held on Friday, 30th September 2022 at 10:30 A.M. at The Capital Court, 6th Floor, OLOF Palme Marg, Munirka, Delhi-110067, to transact the businesses given in Notice.

The copy of Notice of AGM, Attendance Slip, Proxy Form and Route Map are being sent only by electronic mode to those members whose email address is registered with the Company/Depositories. Members may note that Notice of AGM and Annual Report 2021-2022 will also be available on company's website www.gogiacap.com.

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 and as per Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 24th September 2022 to Friday, 30th September 2022 (both days inclusive).

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and voting at AGM is 21st September 2022.

The remote e-voting period commences on Tuesday, 27th September, 2022 (9.00 am) and ends on Thursday, 29th September, 2022 (5.00 pm), after which e-voting will not be allowed.

The facility of voting by papers and polling will also be made available at the AGM Venue to the members who did not cast their votes through e-voting.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

For Gogia Capital Services Limited
SD/-
Satish Gogia
Managing Director

Place: Delhi
Date: 03.09.2022

SRI AMARNATH FINANCE LIMITED

CIN No. L74899DL1985PLC020194
Regd. Office: 4883-4884, Second Floor, Main Road,Kucha Ustad Dag, Chandni Chowk, Delhi-110006
Phone No.: 011-23953204/23392222
Email: amarnath01finance@gmail.com
www.sriamarnathfinance.in

NOTICE OF THE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Members of SRI AMARNATH FINANCE LIMITED will be held on Saturday, 24th day of September, 2022 at 10:00 A.M. at "**NISKAM SANKIRTAN MANDAL",19/31-32, MOTI NAGAR (BHAGAT DES RAJ CHANNA MARG), NEW DELHI-110015** to transact the business (es) as mentioned in the notice of AGM which is being circulated for convening the AGM. The Company has sent the notice of AGM for Financial Year 2021-22 on September 02, 2022 through electronic mode to the members whose 'email addresses are registered with the Company/Depositories. The Annual Report for Financial Year 2021-22 is available and can be downloaded from the Company's website (www.sriamarnathfinance.in)

In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of The Companies (Management & Administration) Rules, 2014("the Rules') including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), guidelines prescribed by the MCA, the members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting of members shall be in proportion the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Saturday, 17th September, 2022 ("Cut-off date").

The remote E-Voting period commences on Wednesday, 21st September, 2022 (9:00 am) and ends on Saturday, 24th September, 2022 (5:00 pm). During this period members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The facility for voting, either through electronic voting system or polling paper shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day. Pursuant to regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013, The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 17th September, 2022 to Saturday, 24th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 37th AGM of 'the Company. .

'Any person who acquires shares and become member of the Company after the dispatch of notice of the AGM by the Company and whose name appear in the register of members of the Company or in the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories as on cut-off date ie. 17th September, 2022 can view the notice convening the AGM on the website of the Company viz www.sriamarnathfinance.in, website of stock exchange viz BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL viz www.evoting.nsdl.com. Such members can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the said notice of AGM Members are also informed that In case of any queries, members may refer the "Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members" available at the 'Downloads' section of www.evoting.nsdl.com. For any further grievance related to the remote e-voting, members may call on the toll free no. 1800222990 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, Trade World, 'A' wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013 at the designated e-mail ids: evoting@nsdl.co.in or AmanG@nsdl.co.in or at telephone no. 022-24994545/1800-222-990.

For Sri Amarnath Finance Limited
Rakesh Kapoor
Managing Director
DIN:00216016

Date: 02.09.2022
Place: Delhi

SHYAM TELECOM LIMITED

Regd. Office : Shyam House, Plot No. 3, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur-302021, Rajasthan, India Ph.: 91-141-5100343, Fax: 91-141-5100310
Corp Office: A-60, Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110028
Ph.: 91-11-41411071/72, Fax: 91-11-25792194
Website : www.shyamtelecom.com, **Email :** investors@shyamtelecom.com
CIN : L32202RJ1992PLC017750

NOTICE OF THE TWENTY NINTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twenty Ninth Annual General Meeting (AGM) of **Shyam Telecom Limited (Company)** will be held on Tuesday, September 27, 2022 at 02:00 P.M. through video conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses set out in the Notice of AGM in compliance of MCA Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with the circular No. 14/2020 dated April 08, 2020; 17/2020 dated April 13, 2020; 20/2020 dated May 05, 2020; and 19/2021 dated December 08, 2021 and SEBI Circular dated May 12, 2020 and May 13, 2022, without the physical presence of the Members at common place.

In Compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, since there is no requirement of sending physical copies of Annual Report to the Members of the Company, the Annual Report for the financial year 2021-22 along with the Notice of 29th AGM have been sent through e-mail to all the members of the Company on September 2, 2022, whose name appear in the Register of Members at the closing of business hours on Friday, August 26, 2022 and whose email addresses are registered with the Company/Company's Registrar and Share Transfer Agent, Indus Portfolio Private Limited /Depository Participant(s). Further, the aforesaid Notice and Annual Report is also available on Company's Website at **www.shyamtelecom.com**, and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India (NSE) Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** respectively, and also on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.

Book Closure : Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members of the Company and Transfer Books will remain closed from Wednesday, September 21, 2022 to Tuesday, September 27, 2022 (both days inclusive).

Voting through Electronic Mode – In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members, holding Equity shares in dematerialized or physical form as on September 20, 2022 (Cut off date), the facility to exercise their voting rights in electronic mode in the following manner in respect of the businesses proposed to be transacted at the AGM, through e-voting services provided by NSDL.

- **Remote e-voting:** The Remote e-voting period will commence on Saturday, September 24, 2022 at 09:00 A.M. and end on Monday, September 26, 2022 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond said period.
- **E-voting at the AGM:** The facility of remote e-voting shall also be available at the AGM to those members who have not cast their vote by remote e-voting and are attending the meeting through VC/OAVM.

Further, the manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the members holding the shares in dematerialized or physical form & Members who have not registered their e-mail id, instructions and procedure related to login id and password for e-voting are provided in the Notice of AGM.

Any Person, who acquires shares and become a member of the Company after sending the Notice of AGM and holds shares as on cut off date i.e. September 20, 2022 may obtain the login id and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in.** However, if you are already registered with NSDL for e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting vote.

The Members who have already cast their vote by remote e-voting, prior to the date of AGM, may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

Manner of registering/updating e-mail addresses

(a) **Shares Held in physical Form:** Please send the PAN and KYC details to the Company's Registrar and transfer Agent, Indus Portfolio Private Limited at G – 65, Bali Nagar, New Delhi- 110015 or email at **shankar.k@indusinvest.com** / **priti.g@indusinvest.com** in prescribed form ISR-1 duly filled and signed along with other relevant documents. The Company has already sent letters to the Shareholders for furnishing the required details as per SEBI Circular: SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021.

(b) **Shares held in Demat Mode:** Please contact your Depository Participant(s) to register/ update your e-mail address as per the process advise by your Depository Participant(s),

Members are requested to read carefully all the notes/ instruction set out in the Notice of AGM including instruction joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting/e-voting during the AGM.

In case of any queries, Members may contact to Company Secretary of the Company having phone number 011-41411071 or email at **shyamtelecom.cs@gmail.com** or to Company's Registrar and transfer Agent, Indus Portfolio Private Limited at email id **shankar.k@indusinvest.com** / **rs.kushwaha@indusinvest.com** or call at 011- 47671200/47671214.

For SHYAM TELECOM LIMITED
Sd/-
Kirti Kesarwani
(Company Secretary)

Date: 2nd September, 2022
Place: New Delhi

Bharat Rasayan Limited

Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008
CIN: L24119DL1989PLC036264
Email: investors.brl@bharatgroup.co.in **Website:** www.bharatgroup.co.in

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the following share certificate has been reported to be lost/misplaced/stolen and the registered shareholder/claimant therefore has requested the Company for issuance of duplicate share certificate in lieu of lost share certificate:

Folio No.	Name of the Shareholder	Certificate No.	No. of Shares	Distinctive Nos. (From - To)
0013369	SITARA DEVI jointly with SUDARSHAN AGRAWAL	16221	100	2948441-2948540

Any person(s) who has/have and claim(s) in respect of the aforesaid share certificate should lodge the claim in writing with us at the above mentioned address within 15 days from the publication of this notice. The Company will not thereafter be liable to entertain any claim in respect of the said share certificate and shall proceed to issue the duplicate share certificate pursuance to Rule 6 of the Companies (Share Capital & Debentures) Rules, 2014.

For BHARAT RASAYAN LIMITED
Sd/-
(Nikita Chadha)
Company Secretary
Memb. No. FCS10121

New Delhi,
September 2, 2022.

Best Agrolife Limited

Think Big, Think Best

बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड
CIN:L74110DL1992PLC116773
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: बी -4, भगवान दास नगर, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
फोन: 011-45803300 | ईमेल: info@bestagrolife.com | वेबसाइट: www.bestagrolife.com

कम्पनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक से सम्बन्धित सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रयोज्य प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों और कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 2/2022 तथा 19/2021 एवं अन्य परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 एवं सेबी द्वारा जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 (इसके पश्चात सामूहिक रूप से 'परिपत्र' सन्दर्भित) के अनुपालन में एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को 12.30 बजे अप.(भा.मा.स.) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के उद्देश्य से माना जाएगा।

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण के साथ-साथ निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं संलग्न किये जाने वाले अन्य अपेक्षित दस्तावेजों (सामूहिक रूप से 'वार्षिक रिपोर्ट' के रूप में संदर्भित) केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम में भाग लेने का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है।

सदस्य, जिनके पास भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं और उनके ई-मेल पते कंपनी/उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, से अनुरोध है कि वे अपना नाम, पूरा पता, फोलियो नंबर, कंपनी के साथ धारित शेयरों की संख्या के साथ पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी और सदस्य के कम्पनी के साथ पंजीकृत पते के प्रमाण के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज का उल्लेख करते हुए विधिवत हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की गई प्रति यथाशीघ्र ई-मेल द्वारा info@bestagrolife.com अथवा info@skylinerta.com पर भेजकर अपने ई-मेल पते को जल्द से जल्द पंजीकृत करें ताकि वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 और एजीएम की सूचना ई-मेल द्वारा प्राप्त कर सकें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं। शेयरधारक अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने के लिए किसी स्पष्टीकरण के मामले में हमारे कॉपोरेट कार्यालय में कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जो एनईसीएस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, वे कंपनी को अपने एनईसीएस मैंडेट के साथ निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत कर सकते हैं, जिसे कंपनी की वेबसाइट www.bestagrolife.com से डाउनलोड किया जा सकता है और एनईसीएस के माध्यम से लाभांश के भुगतान के लिए अनुरोध अधिकतम 21 सितंबर, 2022 तक info@bestagrolife.com पर भेजना होगा और डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जो एनईसीएस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को निर्धारित फॉर्म में मैंडेट भेज सकते हैं।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश प्राप्त करने के हकदार सदस्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि 21 सितंबर, 2022 निर्धारित की है और उक्त नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.bestagrolife.com पर भी उपलब्ध है।

वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट यानी www.bestagrolife.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर अपलोड की जाएगी।

कृते बेस्टएग्रोलाइफ लिमिटेड
ह./–
आस्था वाही
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 2 सितम्बर, 2022

DCM LIMITED

पंजी. कार्यालयः यूनिट नं0. 2050 से 2052, दुसरा तल, प्लाजा–II, सेंट्रल स्क्वायर, 20, मनोहर लाल खुराना मार्ग, बारा हिंदु राव, दिल्ली–110006
CIN- L74899DL1889PLC000004 फोनः 011-41539170
ई–मेल आईडीः investors@dcm.in, वेबसाइटः www.dcm.in

132वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के सदस्यों को सूचना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 एवं 2/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 एवं 5 मई, 2022 ("एमसीए परिपत्र") और सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 और 13 मई, 2022 (सामूहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना एजीएम विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीयन विनियम") और एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में निदेशक मंडल ने आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना कंपनी की 132वीं एजीएम शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया है।

132वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.dcm.in), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) तथा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 132वीं एजीएम में शामिल एवं भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के प्रयोजन हेतु की जाएगी। (132वीं एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश 132वीं एजीएम की सूचना में दिये गये हैं)।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को 132वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए रिमोट ई–वोटिंग (एजीएम से पूर्व) एवं ई–वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा उपलब्ध करा रही है। (रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश 132वीं एजीएम की सूचना में दिये गये हैं)।

एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में 132वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते कंपनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी ("डीपी") के पास पहले से ही पंजीकृत हैं।

डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार डिमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिनका ई–मेल पता अपने डीपी के पास पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे 132वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं ई–वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 132वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए केवल अपने डीपी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं। पंजीकृत ई–मेल पते का उपयोग भविष्य में संचार भेजने के लिए भी किया जाएगा।

इसके अलावा, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिनका ई–मेल पता कंपनी या आरटीए के पास पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे 132वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं ई–वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 132वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना नाम, फोलियो नम्बर, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन प्रति एवं पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति एवं आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी कंपनी को ई–मेल investors@dcm.in या आरटीए अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को admin@mcsregistrars.com पर अनुरोध भेजकर अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं या फोन नं. 011 41406149-52 पर सम्पर्क करें।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे सेबी परिपत्र सं. सेबी/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी–आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवम्बर, 2021 के साथ पठित स्पष्टीकरण परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी–आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/687 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 के तहत किये गये अधिदेश के अनुसार 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद अपना फोलियो फ्रीज करने से रोकने के लिए अनिवार्य दस्तावेज (पैन, ई–मेल पता, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता विवरण एवं नामांकन) उपलब्ध कराएं।

कोई भी व्यक्ति जो शेयर अधिग्रहित करता है और 132वीं एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को शेयर धारण करता है, वह 132वीं एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार निर्देशों का पालन करके या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर अपना लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण सुश्री पल्लवी महात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से 1800-1020-990 या 1800-224-430 पर सम्पर्क कर सकते हैं या ई–मेल evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या कंपनी के अनुपालन अधिकारी को ई–मेल investors@dcm.in पर लिख सकते हैं। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सदस्यों की जानकारी एवं लाभ के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए एवं अन्य लागू परिपत्रों के अनुपालन में है।

कृते डीसीएम लिमिटेड
हस्ता/–
यदविंदर गोयल
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 02 सितम्बर, 2022

कार्यालय
आयकर आयुक्त (न्यायिक)
कमरा सं. 162–ए, केंद्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ली
दूरभाष एवं फैक्सः 23379308, ईमेलः delhi.cit.judicial@incometax.gov.in

फा. सं.– आयकर आयुक्त (न्या.)/एन.सी.एल.टी. मामला/2022-23/824 **दिनांकः**–02.09.2022

एन.सी.एल.टी. विषयों के मामलों की सुनवाई से संबंधित नोटिस

एन.सी.एल.टी. विषयों/मामलों के संबंध में आवश्यक अनुपालन के लिए निम्नलिखित कंपनियों और उनके निदेशकों को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है, जो माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal), सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

गुमशुदा की तलाश



रूपा देवी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक महिला (फोटो में प्रदर्शित) **नामः** रूपा देवी **पत्नीः** राघव साह **निवासीः** मकान नं. 38, टिकरी कलाँ दिल्ली जो दिनांक 18.04.2022 से थाना मुण्डका, दिल्ली के क्षेत्राधिकार से लापता है। इस संदर्भ में डी.डी. सं. 85ए दिनांक 22.04.2022 थाना मुण्डका, दिल्ली में दर्ज है। जिसका शारीरिक विवरण इस प्रकार हैः–

उम्रः 40 वर्ष, **कदः** 5'2'', **रंगः** सांवला, **चेहराः** गोल, **शरीरः** पतला, **कपड़ेः** पीले रंग की कमीज और काले रंग की सलवार तथा पैरों में चप्पल पहने हुये है।

यदि किसी व्यक्ति को इस गुमशुदा महिला के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें। ई–मेल आईडी–**cic@cbi.gov.in** वेबसाईट **http://cbi.nic.in**

फोनः
011-24368638,24368641
फैक्स नं.:011-24368639
DP/418/OD/2022

थानाध्यक्ष
थाना मुण्डका, दिल्ली
बाहरी जिला, दिल्ली
दूरभाष सं. 9310677807, 7065036126

South West Pinnacle

साउथ वेस्ट पिनैकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड

सीआईएन : L13203HR2006PLC049480

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : भूतल, प्लॉट नंबर 15, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122003
फोनः +91 124 4235400; **ईमेलः** investors@southwestpinnacle.com;
वेबसाइटः www.southwestpinnacle.com

16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और बुक क्लोजर, रिकॉर्ड तिथि, रिमोट ई-वोटिंग और अंतिम लाभांश के संबंध में जानकारी

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि:

1. एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय के लेन-देन के लिए मैसर्स साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 16वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को अपराह्न 03:00 बजे (आईएसटी) केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') सुविधा/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 और परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021; 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020;17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020; 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी अन्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और सेबी के परिपत्रों दिनांक 13 मई, 2022, 15 जनवरी, 2021 और 12 मई, 2020 (सामूहिक रूप से 'सेबी सर्कुलर' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुसार एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है और कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के लिंक के साथ 16वीं एजीएम की सूचना शुक्रवार, 02 सितंबर, 2022 को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, केवल उन सदस्यों को, जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, भेज दी है। एजीएम के नोटिस की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।
3. इसके अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 की कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, 16वीं एजीएम की सूचना और व्याख्यात्मक विवरण कंपनी की वेबसाइट www.southwestpinnacle.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जिस पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं यानी वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। इसकी एक प्रति नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20, भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा सामान्य बैठक और विनियमन पर जारी सचिवीय मानक-2 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में उल्लिखित साधारण व्यवसाय और विशेष व्यवसाय के संबंध में एजीएम से पहले और उसके दौरान अपने सदस्यों को 'रिमोट ई-वोटिंग' और 'ई-वोटिंग' सुविधा प्रदान कर रही है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

i. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं, सहित एजीएम से पहले या उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के लिए निर्देश 16वीं एजीएम की सूचना के भाग के रूप में प्रदान की जा रही है।
ii. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे भा.मा.स. से शुरू होगी।
iii. रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे भा.मा.स. पर समाप्त होगी।
iv. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि गुरुवार 22 सितंबर, 2022 है।
v. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2022 तक शेयर धारण करता है, evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से मानना चाहिए।
vi. सदस्य ध्यान दें कि: क) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए उक्त तिथि और समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा एक संकल्प पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी; ग) वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन एजीएम में अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे; और घ) कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज किया गया है, केवल वे ही एजीएम से पहले/उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होंगे।
vii. जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी (स्थायी आधार पर) या कंपनी के आरटीए (अस्थायी आधार पर) अर्थात मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ https:// linkintime.co.in/emailreg/email register.html पर पंजीकृत करें (डीमैट रूप में 100% शेयरों के रूप में)
viii. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholder देख सकते हैं या ईमेल द्वारा एनएसडीएल से evoting@.nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।
ix. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in / 1800 1020 990 और 1800 224 430 पर संपर्क कर सकते हैं या कंपनी से investors@southwestpinnacle.com पर संपर्क कर सकते हैं।

5. इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच के साथ-साथ एजीएम के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करने के लिए मैसर्स केकेएस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव के प्रोपराइटर श्री कृष्ण कुमार सिंह को नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन के 48 घंटे के भीतर घोषित किया जाएगा। स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.southwestpinnacle.com पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जिस पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं यानी www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।
6. बुक क्लोजर, रिकॉर्ड तिथि और अंतिम लाभांश के भुगतान के संबंध में विवरण
क) अधिनियम की धारा 91 और सेबी विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, 16वीं एजीएम और वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 से गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।
ख) कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुशंसित वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 0.50 रुपये का अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए कंपनी के सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। उक्त लाभांश यदि आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाता है, तो उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 को व्यावसायिक घंटों के अंत में सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज होंगे।
ग) संबंधित परिपत्रों के अनुसार, उन सदस्यों को लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है और लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे।
घ) तदनुसार, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डीमैट खाते से जुड़े अपने बैंक खातों के संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें ताकि कंपनी संबंधित बैंक खातों में लाभांश को समय पर जमा कर सके। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खातों के विवरण को अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे या तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (स्थायी आधार पर) या कंपनी के आरटीए (अस्थायी आधार पर) यानी मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को https://linkintime.co.in/emailreg/email register.html पर अपेक्षित दस्तावेज जमा करके बैंक विवरण अपडेट करें। (डीमैट रूप में 100% शेयरों के रूप में)
ङ) सदस्य ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में 01 अप्रैल, 2020 से कर योग्य होगी और कंपनी को शेयरधारकों को देय लाभांश पर निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर की कटौती करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया उस संचार को देखें जो पहले ही सदस्यों को भेजा गया था और एनएसई की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट यानी www.southwestpinnacle.com पर भी उपलब्ध है।

7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

बोर्ड के आदेशानुसार
साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड
ह./-
विकास जैन
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00049217

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 02.09.2022

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement or the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated August 26, 2022 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

7NR RETAIL LIMITED

Our Company was originally incorporated on December 21, 2012, as "7NR Retail Private Limited" as a Private Limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. Thereafter, our Company was converted into a Public Limited Company and accordingly the name of our Company was changed to "7NR Retail Limited" pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at the EGM held on March 11, 2017. A fresh certificate of incorporation consequent upon conversion to Public Limited Company was issued on March 22, 2017 by Registrar of Companies, Ahmedabad, Gujarat.

Corporate Identification Number: L52320GJ2012PLC073076 | **Registered Office:** Godown No-1, 234/1+234/2, FP-69/3, Sadashiv Kanto, B/h Bajaj Process, Narol Chokdi, Narol, Ahmedabad – 382 405
Telephone: + 91-97271-23838; Email id: info@7nrretailltd.in | **Website:** www.7nrretailltd.in; | **Contact Person:** Ms. Prachi Chobisa, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. NIKUNJ AGRAWAL AND MR. UMANG TRIVEDI

ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR MARKET RENUNCIATION*	ISSUE CLOSES ON**
6th September, 2022	15th September, 2022	20th September, 2022

**Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.*
***Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time, provided that this Issue will not remain open in excess of 15 (Fifteen) days from the Issue Opening Date. Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.*

ISSUE OF 11,66,95,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RE. 1/- EACH ("EQUITY SHARES") OF 7NR RETAIL LIMITED ("7NR" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 1.40/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 0.40/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO RS. 16,33,73,000/- ON RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) EQUITY SHARE FOR EVERY 1 (ONE) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. 23RD AUGUST, 2022(THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS 1.40 TIMES OF FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 145 OF THIS FINAL LETTER OF OFFER.

ASBA	**Simple, Safe, Smart way of Application - Make useofit!!!** *Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blockingthe fund in the bank account, investors can avail the same. For further details read section on ASBA below.

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, bearing reference number SEBI/HO/CFD/CIR/CFD/DIL/67/2020 dated April 21, 2020,SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78 dated May 6, 2020, and SEBI circular bearingreference number SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/136 dated July 24, 2020 (Collectively hereafter referred to as "SEBI RightsIssue Circulars") and SEBI circular SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 dated December 30, 2009, SEBI circular CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 and the SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 datedJanuary 22, 2020 (Collectively hereafter referred to as "ASBACirculars"), all Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use either the ASBA process. Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. Fordetails, see "Making of an Application through the ASBA Process" on page 148 of the Letter of Offer.

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two working days prior to the Issue Closing Date i.e Friday, September 16, 2022, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date i.e Monday, September 19, 2022.

Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have opened their demat accounts after the Record Date, shall adhere to procedure for participating in this Issue mentioned on page 151 of the Letter of Offer

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company namely 7NR Retail Limited– RightsIssue Suspense Escrow Demat Account (Account Number –IN301330 41172945)

In accordance with the SEBI Rights Issue Circulars, the Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Sharesin physical formas on Record Date and who have not furnished the details of their demat account to the Registrar or our Company at leasttwo working daysprior to the Issue Closing Date, i.e. Friday, September16, 2022, shall not be eligible to make an Applicationfor Rights Equity Shares against their Rights Entitlements with respect to the equity shares held in physical form.

PROCEDURE FOR APPLICATION: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars, all Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use either the ASBA process. Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA.For details of procedure for application by the Resident Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form ason the RecordDate i.e. August 23, 2022, see "Procedure for Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Sharesin physical form" on page 151 of the Letter of Offer.

PROCEDURE FOR APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS: A shareholder, wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with an SCSB, prior to making the Application. Shareholders desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online / electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Shareholders should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorization to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application.

APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARESIN PHYSICAL FORM: Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two working days prior to the Issue Closing Date i.e Friday, September 16, 2022,, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date i.e Monday, September 19, 2022. They may also communicate with the Registrar with the help of the helplinenumber (+91-44-40020710 / 0706 / 0741) and their email address (priya@cameoindia.com).

ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM: PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES APPLIED FOR IN THIS ISSUE CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH OUR EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE I.E. AUGUST 23, 2022.

DISPATCH OF THE ABRIDGED LETTER OF OFFER ("ALOF") AND APPLICATION FORM: The Dispatch of the ALOF andApplication Form for the Issue was completed on September01, 2022 by the Registrarto the Issue.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS: In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account (namely, 7NR Retail Limited Rights Issue Suspense Escrow Demat account) opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in the account of the IEPF authority; or (b) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or the Equity Shares which are lying in the unclaimed suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations) or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (c) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (d) credit of the Rights Entitlements returned / reversed / failed; or (e) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings, if any; or (f) non- institutional equity shareholders in the United States.

APPLICATIONS ON PLAIN PAPER UNDER ASBAPROCESS: An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above. In such cases of non-receipt of the Application Form through e-mail or physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Registrar, Stock Exchanges. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB.

Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address or is a U.S. Person or in the United States.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not been titled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his / her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

a) Name of our Company, being 7NR Retail Limited;

b) Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);

c) Folio Number (in case of Eligible Equity Share holders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) / DP and Client ID;

d) Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to this Issue

e) Number of Equity Shares held as on Record Date;

f) Allotment option – only dematerialized form;

g) Number of Equity Shares entitled to;

h) Number of Equity Shares applied for within the Rights Entitlements;

i) Number of additional Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for);

j) Total number of Equity Shares applied for;

k) Total amount paid at the rate of Rs. 1.40/- per Equity Share;

l) Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB;

m) In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;

n) Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;

o) Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and

p) All such Eligible Equity Shareholders are deemed to have accepted the following:

"I/ We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Rights Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation except under circumstances that will result in compliance with any applicable laws or regulations. We satisfy, and each account for which we are acting satisfies, all suitability standards for Shareholders in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of our residence.

I/ We understand and agree that the Rights Entitlement and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulations, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act.

I/ We (i) am/ are, and the person, if any, for whose account I/ we am/ are acquiring such Rights Entitlement and/ or the Rights Equity Shares is/ are, outside the U.S., (ii) am/ are not a "U.S. Person" as defined in ("Regulations"), and (iii) is/ are acquiring the Rights Entitlement and/ or the Rights Equity Shares in an offshore transaction meeting the requirements of Regulations.

I/ We acknowledge that the Company, our affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements. "

In cases where Multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, as applicable, including cases where a Shareholders submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected.

Shareholders are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company and the Registrar not having any liability to the Shareholders. The plain paper Application form at will be available on the website of the Registrar at https://rights.cameoindia.com/7nrretail

Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by the SCSB or funds are not blocked in the Shareholders' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

LAST DATE FOR APPLICATION:

The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is 20th September, 2022, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 15 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB on or before the Issue Closing Date or such date as maybe extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in "Basis of Allotment" mentioned below.

Please note that on the Issue Closing Date, (i) Applications through ASBA process will be uploaded until 5:00 P.M. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges.

Please ensure that the Application Form and necessary details are filled in. In place of Application number, Shareholders can mention the reference number of the e-mail received from Registrar informing about their Rights Entitlement or last eight digits of the demat account. Alternatively, SCSBs may mention their internal reference number in place of application number.

PROCEDURE FOR RENUNCIATION OF RIGHTS ENTITLEMENTS:

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchanges **(the "On Market Renunciation")**; or (b) through an off-market transfer **(the" Off Market Renunciation"),** during the Renunciation Period. The Shareholders should have the demat Rights Entitlements credited / lying in his / her own demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism.

Shareholders may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of trading in the Rights Entitlements. Shareholders who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisor or stock-broker regarding any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied for trading in Rights Entitlements.

Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Shareholders on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

Our Company accept no responsibility to bear or pay any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Shareholders.

On Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading / selling them on the secondary market platform of the Stock Exchanges through a registered stock-broker in the same manner as the existing Equity Shares of our Company.

In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchanges under ISIN INE413X20019 subject to requisite approvals. Prior to the Issue Opening Date, our Company will obtain the approval from the Stock Exchanges for trading of Rights Entitlements. No assurance can be given regarding the active or sustained On Market Renunciation or the price at which the Rights Entitlements will trade. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchanges from time to time.

The Rights Entitlements are tradable in dematerialized form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is one Rights Entitlements.

The On Market Renunciation shall take place only during the Renunciation Period for On Market Renunciation, i.e., from 6th September, 2022 to 15th September, 2022 (both days inclusive).

The Shareholders holding the Rights Entitlements who desire to sell their Rights Entitlements will have to do so through their registered stock-brokers by quoting the ISIN INE413X20019 and indicating the details of the Rights Entitlements they intend to trade.

The Shareholders can place order for sale of Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The On Market Renunciation shall take place electronically on secondary market platform of BSE under automatic order matching mechanism and on 'T+2 rolling settlement basis', where 'T' refers to the date of trading. The transactions will be settled on trade-for-trade basis. Upon execution of the order, the stock- broker will issue a contract note in accordance with the requirements of the Stock Exchange and the SEBI.

Off Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by way of an off-market transfer through a depository participant. The Rights Entitlements can be transferred in dematerialised form only.

Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date to enable Renouncees to subscribe to the Equity Shares in the Issue.

The Shareholders holding the Rights Entitlements who desire to transfer their Rights Entitlements will have to do so through their depository participant by issuing a delivery instruction slip quoting the ISIN INE413X20019, the details of the buyer and the details of the Rights Entitlements they intend to transfer. The buyer of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt instruction slip to their depository participant. The Shareholders can transfer Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The instructions for transfer of Rights Entitlements can be issued during the working hours of the depository participants.

The detailed rules for transfer of Rights Entitlements through off-market transfer shall be as specified by the NSDL and CDSL from time to time.

INVESTORS TO KINDLY NOTE THAT AFTER PURCHASING THE RIGHTS ENTITLEMENTS THROUGH ON MARKETRENUNCIATION / OFF MARKET RENUNCIATION, AN APPLICATION HAS TO BE MADE FOR SUBSCRIBING THE RIGHTSEQUITY SHARES. IF NO APPLICATION IS MADE BY THE PURCHASER OF RIGHTS ENTITLEMENTSON OR BEFORE ISSUECLOSING DATE THEN SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS WILL GET LAPSED AND SHALL BE EXTINGUISHED AFTER THEISSUE CLOSING DATE. NO RIGHTS EQUITY SHARES FOR SUCH LAPSED RIGHTS ENTITLEMENTS WILL BE CREDITED,EVEN IF SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS WERE PURCHASED FROM MARKET AND THE PURCHASER WILL LOOSE THEAMOUNTPAID TO ACQUIRE SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS.

FOR PROCEDUREOF APPLICATION BY SHAREHOLDERS WHO HAVE PURCHASED THE RIGHT ENTITLEMENT THROUGH ON MARKET RENUNCIATION / OFF MARKET RENUNCIATION, PLEASE REFER TO THE HEADING TITLED "PROCEDUREFOR APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS" ON PAGE 148 OF THE LETTER OF OFFER.

***Listing and trading of the Equity Shares to be issued p

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003

कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

एस एस इन्फ्रामार्ट प्राईवेट लिमिटेड
(CIN:U52100DL2007PTC170504)

जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट न०-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट न०-4, दयानन्द विहार, दिल्ली- 110092 के मामले में .....याचिकाकर्त्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "**एनसीटी ऑफ दिल्ली**" से "**उत्तर प्रदेश राज्य**" में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना **या तो एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में दाखिल कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विरोध के कारणों के स्वभाव तथा हित एवं विरोध के आधारों समर्थित शपथपत्र की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एमसीए, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल आईडी legal@gulshanhomz.com को भी प्रेषित करे।

आवेदक की ओर से
हस्ता०/–
युक्ति नागपाल
निदेशक
DIN: 02878920

तिथि : 02.09.2022
स्थानः नई दिल्ली

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003

कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

जी डिजायन लैब प्राईवेट लिमिटेड
(पूर्व में नूमिरोयूनो बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड के नाम से विदित)
(CIN:U45400DL2007PTC164128)

जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट न०-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट न०-4, दयानन्द विहार, दिल्ली- 110092 के मामले में .....याचिकाकर्त्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "**एनसीटी ऑफ दिल्ली**" से "**उत्तर प्रदेश राज्य**" में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना **या तो एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में दाखिल कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विरोध के कारणों के स्वभाव तथा हित एवं विरोध के आधारों समर्थित शपथपत्र की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एमसीए, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल आईडी legal@gulshanhomz.com को भी प्रेषित करे।

आवेदक की ओर से
हस्ता०/–
दीपक कपूर
निदेशक
DIN: 02878920

तिथि : 02.09.2022
स्थानः नई दिल्ली

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003

कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

एस० जे० इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
(CIN:U45200DL2006PTC155904)

जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट न०-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट न०-4, दयानन्द विहार, दिल्ली- 110092 के मामले में .....याचिकाकर्त्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "**एनसीटी ऑफ दिल्ली**" से "**उत्तर प्रदेश राज्य**" में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना **या तो एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में दाखिल कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विरोध के कारणों के स्वभाव तथा हित एवं विरोध के आधारों समर्थित शपथपत्र की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एमसीए, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल आईडी legal@gulshanhomz.com को भी प्रेषित करे।

आवेदक की ओर से
हस्ता०/–
दीपक कपूर
निदेशक
DIN: 00462283

तिथि : 02.09.2022
स्थानः नई दिल्ली

एवन मर्कैंटाइल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ग्लोबल नॉलेज पार्क, प्लॉट नंबर 19ए और 19बी, सेक्टर–125, नोएडा–201301 (यूपी)
ई–मेलः avonsecretarial@gmail.com; वेबसाइटः www.avonmercantile.co.in
सीआईएनः L17118UP1985PLC026582

37वीं वार्षिक आम बैठक, बही समापन और ई–वोटिंग की सूचना के प्रेषण के समापन के संबंध में सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आईओ सिस्टम लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') रविवार, 25 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') या अन्य ऑडियो विजुअल संसाधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से एजीएम आयोजन की सूचना में बताए गए अनुसार व्यापार करने के लिए आयोजित की जाएगी। एमसीए और सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना कंपनी की वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत ई–मेल पतों पर ई–मेल द्वारा भेजी गई है। कंपनी ने 2 सितंबर, 2022 को उक्त वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम बुलाने की सूचना भेजने का काम पूरा कर लिया है।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई–मेल पते को अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीमैट रूप में धारित शेयरों के संबंध में) या मास सर्विसेज लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) (भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में) के पास पंजीकृत कराएं।

सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.avonmercantile.co.in) पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की ई–वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 108 के अनुसार, समय–समय पर संशोधित इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पठित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 (''सूचीकरण विनियमावली'') के विनियम 44 के साथ और उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग (एजीएम से पहले) और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे 37वीं एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट दे सकें। सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि ई–वोटिंग सुविधा के लिए पात्र सदस्यों का पता लगाने के उद्देश्य से कट–ऑफ तिथि रविवार, 17 सितंबर, 2022 निर्धारित की गई है। एक व्यक्ति, जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपाजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का अधिकारी होगा।

सदस्यों से यह ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और शनिवार, 24 सितंबर, 2022 को सायं 5.00 बजे तक खुली रहेगी। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा का उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी शेयरधारकों ने डिपॉजिटरी/आरटीए के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/ अद्यतन नहीं करायें हैं, उनसे आग्रह है कि sonalmercantile@yahoo.in पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स/आरटीए एवं कंपनी से सम्पर्क कर ईमेल आईडी अपडेट करा लें। कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 (दोनों दिवस सहित तक बंद रहेंगे। इसके पश्चात ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

1)रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में मतदान हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारण की कट–ऑफ तिथि	शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022
2)रिमोट ई–वोटिंग प्रारम्भ होने की दिन, तिथि और समय	मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे प्रातः (आईएसटी)
3)रिमोट ई–वोटिंग समाप्त होने का दिन, तिथि और समय	बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी)

कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 तक कम्पनी के शेयर धारण करता है वह evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग हेतु पहले से एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो मतदान हेतु वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग किया जा सकता है।

रिमोट ई–वोटिंग से सम्बन्धित विवरण के लिए कृपया एजीएम की सूचना का सन्दर्भ लें। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान से सम्बन्धित पूछताछ के लिए www.evoting@nsdl.co.in के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का सन्दर्भ लें या टोलफ्री नं. 1800–222–990 तथा 1800 224430 पर सम्पर्क करें अथवा evoting.nsdl.com पर अनुरोध भेजें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबन्धक, सुश्री सोनी सिंह, सहा. प्रबंधक एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 से निर्दिष्ट ई–मेल पता : evoting@nsdl.co.in अथवा दूरभाष नं. +91 22 2499 4545, 9122 24994559 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते **सोनल मर्कैंटाइल लिमिटेड**
ह./–
अक्षय खरे
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 2 सितम्बर, 2022

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–।।, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 के समक्ष

ओए सं. **172/19** दिनांक: **03.08.2022**

डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड — आवेदक
विरूद्ध
रनकेम प्रा. लि. एवं अन्य — प्रतिवादी

सेवा में,

प्रतिवादीगण

1. रनकेम प्रा. लि.
2. आरएचसी होल्डिंग प्रा. लि.
3. फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग्स प्रा. लि.

प्रतिवादी सं. 1 से 3

ए. 54, जनपथ, नई दिल्ली–110001

बी. रेलीगेयर बिल्डिंग, छठा तल, टावर ए, जीवाईएस सेक्ट.–125, नोएडा, जिला जी. बी. नगर, उत्तर प्रदेश

सी. प्रायस प्लैटीनम, भू तल, डी–3, डिस्टि. सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक (कों) ने आपके विरूद्ध **रू. 4,51,76,849.62/– (रू. चार करोड़ इक्यावन लाख छहत्तर हजार आठ सौ उन्चास तथा पैसे बासठ मात्र)** की वसूली के लिए एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 07.09.2022 को पूर्वा. 10.30 बजे** इस न्यायाधिकरण में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

वैश्विक महामारी की वर्तमान स्थिति के कारण, सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की जाएगी और उस प्रयोजन हेतु :–

(i) सभी अधिवक्ता/विवादी **"Cisco Webex"** ऐप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे ;

(ii) माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा मामलों की सुनवाई की अगली तिथि हेतु **"Meeting ID"** तथा **"Password"** डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल नामतः thकतजण्हवअण्पदह पर दैनिक कार्य सूची के अंतर्गत स्वतः प्रकाशित किया जाएगा।

(iii) किसी कार्याधिक्य की स्थिति में, अधिवक्ता/विवादी संबंधित पदाधिकारी से **फोन नंबर 23748478** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 03 अगस्त, 2022 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी–।।, दिल्ली

Form No. INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Advertisement to be published in the newspaper for change of Registered office of the company from one state to another
Before the Central Government
(REGIONAL DIRECTOR)
NORTHERN REGION
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of M/s Worldone Private Limited having its Registered Office at Plot No. 2, Sector- 32 Gurgaon, Haryana - 122001.

…….. Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on Saturday, 20th of August, 2022 to enable the company to change its Registered Office from "State of Haryana" to "State of Chhatisgarh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, Delhi, within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Plot No. 2, Sector- 32 Gurgaon, Haryana - 122001.

For and on behalf of
WORLDONE PRIVATE LIMITED
Sd/-
Rajeev Jain
(Director)
DIN: 00053627

Plot No. 2, Sector-32, Gurgaon, Haryana- 122001

Date- September 2, 2022
Place- Gurgaon

प्रेसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

CIN: L32104DL1979PLC009590

पंजी. कार्यालयः डी–1081, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110025
ईमेलः cs@pel-india.in, वेबसाईटः www.pel-india.in
फोनः1202551556/7 फैक्सः 120–2524337

सूचना

क) शेयरधारकों ध्यान रहे कि कम्पनी की 43वीं वार्षिक आम सभा विडियो कान्फ्रैंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') सुविधा द्वारा बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को 12.00 बजे अप. में आयोजित होगी। कोविड–19 महामारी को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने एमसीए साधारण सर्क्युलर सं. 03/2022 तिथि 5 मई, 2022 के साथ पठित एमसीए साधारण सर्क्युलर सं. 20/2020, 5 मई, 2020, साधारण सर्क्युलर सं. 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021, साधारण सर्क्युलर सं. 19/2021 तिथि 8 दिसम्बर, 2021 तथा 21/2021 तिथि 14 दिसम्बर, 2021 एवं सेबी द्वारा जारी सर्क्युलर सं. SEBI/HO/DDHS/DDHS_Div2/P/CIR/2022/079 तिथि 03 जून, 2022 के द्वारा कंपनियों को किसी सामूहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से एजीएम के आयोजन की अनुमति दी गई है जिसमें भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशा निर्देशों के अनुसार सभा की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

ख) उक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में वित्त वर्ष 2021–22 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ऐसे सभी शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास सूचीबद्ध है।

ग) ईमेल पता के पंजीकरण/अपडैटिंग का तरीकाः

i) डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरीज के पास अपना ईमेल पता तथा मोबाईल नंबर पंजीकृत कराऐं।

ii) भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि compliances@sky-linerta.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट (स्काइलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्रा. लि.) के पास अपना ईमेल पता तथा मोबाईल नंबर प्रस्तुत करें।

घ) 43वें एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021–22 का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.pel-india.in स्टॉक एक्सचैंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा।

ड.) शेयरधारक के पास इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली द्वारा एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर रिमोटली अपना मतदान करने का अवसर होगा। डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति, भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों अथवा ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिये रिमोटली वोटिंग की प्रक्रिया शेयरधारकों के लिये सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी।

च.) 43वीं एजीएम की सूचना शेयरधारकों को लागू होने वाले कानूनों के अनुसार नियत समय पर उनके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजी जाएगी।

प्रेसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिये
हस्ता/–
वृन्दा मोहन गुप्ता
कम्पनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

स्थानः नोएडा
तिथिः 3 तिसम्बर, 2022

सोनल मर्कैंटाइल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 365, वर्धमान प्लाजा, तीसरी मंजिल, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–85
सीआईएन : L51221DL1985PLC022433, दूरभाष : 011–49091417
ई–मेल : sonalmercantile@yahoo.in, वेबसाइट : www.sonalmercantile.in

सोनल मर्कैन्टाइल लिमिटेड की 37वीं वार्षिक आम बैठक की सदस्यों को सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित किये जाने वाले प्रकार्य के लेन–देन के लिए सोनल मर्कैंटाइल लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. आईएसटी में आयोजित की जायेगी।

कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (एमसीए) द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 28 सितम्बर, 2020, 31 दिसम्बर 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र वर्णित तथा (सेबी) परिपत्र तिथि 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 (''सेबी परिपत्र'') के अनुसार, कम्पनियों को किसी कॉमन स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गयी है।

अन्य बातों के साथ–साथ एजीएम की सूचना तथा बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वित्त वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जायेगी जिन्होंने अपने ई–मेल पते उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत कराये हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.sonalmercantile.in, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdi.com, तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं सेबी (सूचीबद्धता एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत आम बैठक के सचिवीय मानक (एसएस–2) के प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रावधानित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई–वोटिंग') का उपयोग करते हुए एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त संकल्पों पर अपना मतदान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

कट ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2022 तक भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के पात्र होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा एजीएम स्थल पर भी उपलब्ध होगी और जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया है वे एजीएम के दौरान मतदान कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे एजीएम में उपस्थित तो रह सकते हैं किन्तु पुनः अपना मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। सदस्यों द्वारा किसी संकल्प पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि किसी शेयरधारकों ने डिपॉजिटरी/आरटीए के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/ अद्यतन नहीं करायें हैं, उनसे आग्रह है कि sonalmercantile@yahoo.in पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स/आरटीए एवं कंपनी से सम्पर्क कर ईमेल आईडी अपडेट करा लें। कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 (दोनों दिवस सहित तक बंद रहेंगे। इसके पश्चात ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

1)रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में मतदान हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारण की कट–ऑफ तिथि	शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022
2)रिमोट ई–वोटिंग प्रारम्भ होने की दिन, तिथि और समय	मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे प्रातः (आईएसटी)
3)रिमोट ई–वोटिंग समाप्त होने का दिन, तिथि और समय	बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी)

कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 तक कम्पनी के शेयर धारण करता है वह evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग हेतु पहले से एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो मतदान हेतु वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग किया जा सकता है।

रिमोट ई–वोटिंग से सम्बन्धित विवरण के लिए कृपया एजीएम की सूचना का सन्दर्भ लें। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान से सम्बन्धित पूछताछ के लिए www.evoting@nsdl.co.in के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का सन्दर्भ लें या टोलफ्री नं. 1800–222–990 तथा 1800 224430 पर सम्पर्क करें अथवा evoting.nsdl.com पर अनुरोध भेजें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबन्धक, सुश्री सोनी सिंह, सहा. प्रबंधक एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 से निर्दिष्ट ई–मेल पता : evoting@nsdl.co.in अथवा दूरभाष नं. +91 22 2499 4545, 9122 24994559 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते **सोनल मर्कैंटाइल लिमिटेड**
ह./–
अक्षय खरे
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 2 सितम्बर, 2022

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003

कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

फ्लेयर रीयलकॉन प्राईवेट लिमिटेड
(CIN:U45400DL2010PTC203747)

जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट न०-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट न०-4, दयानन्द विहार, दिल्ली- 110092 के मामले में .....याचिकाकर्त्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "**एनसीटी ऑफ दिल्ली**" से "**उत्तर प्रदेश राज्य**" में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना **या तो एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में दाखिल कर अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, के पते : बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

त्रिलोकेश्वर इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
वूनिट नं. 207, एसीवाई–अग्रवाल सिटी स्क्वॉयर, प्लॉट नं. 1, डेस्ट. सेन्टर, मंगलम प्लेस, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–110085

**त्रिलोकेश्वर इस्टेट्स प्राईवेट लि

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

निगमित कार्यालय: 425, उद्योग विहार, फेज IV, गुड़गांव–122015 (हरियाणा)
दूरभाष: 0124–4212530 / 31 / 32, ई–मेल: customercare@shubham.co, वेबसाइट: www.shubham.co

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत 'अधिनियम' संबोधित) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

आपको सूचित करना है कि आपके ऋण खाता को प्रतिभूत ऋणदाता शुभम हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय डी–305, भूतल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली–110017 (यहां इसमें इसके उपरांत 'एसएचडीएफसीएल' संबोधित) में स्थित है, के द्वारा एनपीए के रूप में घोषित कर दिया गया है तथा आप अपने ऋण के विरुद्ध निर्धारित कुल बकाया राशि का एसएचडीएफसीएल को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

आप आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि के साथ उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। अतः हम एतद्द्वारा आपको इस सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर एसएचडीएफसीएल के प्रति निर्धारित अपने संपूर्ण भुगतान–दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश देते हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर एसएचडीएफसीएल, अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त होगी। ऋणकर्ताओं तथा प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या ऋणकर्ता(ओं) के नाम	आवेदक का पता	मांग सूचना राशि एवं तिथि	सुरक्षित सम्पत्ति
1.	0CTR19100000005023621, पूजा सरोहा, जगमिंदर, दीपक कादियान	मकान सं. 488, न्यू कॉलोनी, गाबा हाउस के समीप, गुरुग्राम, हरियाणा–122001	रु. 18,63,031/– एवं 20–08–2022	प्लैट नंबर 202, द्वितीय तल (लिफ्ट का सामना करते समय बाएं हाथ का प्लैट), एम. एम. रेजीडेंसी, प्लॉट नंबर 07, खेवट/खाता नंबर 1907/2723, खसरा नंबर 3624/1246, (1–13–0) न्यू कॉलोनी, लेडी फातिमा स्कूल के समीपस्थ, नेहरू लेन के समीप, ग्राम और जनपद गुरुग्राम, हरियाणा, 122001
2.	0FBD19110000005024470, राज कुमार, अजय, कृष्णा	मकान संख्या–1041/4, ब्लॉक सी एस जी एम नगर, राहुल पब्लिक स्कूल फरीदाबाद, हरियाणा – 121001	रु. 1,59,659/– एवं 20–08–2022	पूर्वी भाग प्लॉट नंबर 84, खसरा एमओ नंबर–99, किला नंबर–6/2, मौजा बडकल, तहसील और जनपद फरीदाबाद, हरियाणा–121001
3.	0KHI16080000005001732, प्रभात कुमार चौधरी, सोनी कुमारी	प्लॉट नंबर 4857, प्रथम तल, गली नंबर 24, अंसारी रोड, दरियागंज, संजीवन चिकित्सालय, मध्य दिल्ली –110002	रु. 20,19,958/– एवं 20–08–2022	पी. नं. 100 और 101, तृतीय तल, ख. सं. 51/10, 51/11, गली नंबर 8, पश्चिमी गुरु अंगद नगर हरमिंदर कॉलोनी, पटपड़गंज रोड, ग्राम खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, पूर्वी दिल्ली –110092
4.	0DEL21070000005037813, संदीप आनंद, चाहत आनंद	ए1, 165, जनकपुरी, मेट्रो पिलर नंबर 619, पश्चिमी दिल्ली–110018	रु. 23,77,712/– एवं 20–08–2022	संपत्ति संख्या 351, खसरा संख्या 52/32/4, ग्राम रामपुरा की लाल डोरा आबादी, उत्तर पश्चिम दिल्ली–110035
5.	0NHP20090000005029737, रवि गोस्वामी, रूबी गोस्वामी	आर.जेड. 93बी, गली नंबर 10, तुगलक. बाद एक्सटेंशन, सरदार बल्लभ पटेल स्कूल, दक्षिण दिल्ली – 110019	रु. 6,97,772/– एवं 20–08–2022	तृतीय तल (छताधिकारों के बिना), संपत्ति संख्या आरजेड–49 बी, खसरा संख्या 496–497, जो तुगलकाबाद एक्सटेंशन दिल्ली दक्षिण दिल्ली –110019 में स्थित है
6.	0M0D1611000005002976, अफसाना, यूनुस अंसारी	गली नंबर 04, ईदगाह बस्ती, वार्ड नंबर 01 के समीप, मदरसा वाली गली, मुरादनगर, जनपद–गाजियाबाद–201206	रु. 7,75,482/– एवं 20–08–2022	मकान संख्या 424, खसरा नंबर 1306 ग्राम सरना मुरादनगर, मारूफ मोह–ईदगाह बस्ती, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201206
7.	SHB_1509_044970, किशोर कुमार, मधु बाला	कृष्णा विहार कॉलोनी, ग्राम बेहटा हाजीपुर खसरा नंबर–1969, लोनी गाजियाबाद ,यू.पी.–201003	रु. 6,88,300/– एवं 20–08–2022	प्लॉट नंबर 25, खसरा नंबर–1969, मिन कृष्णा, विहार कॉलोनी, ग्राम बेहटा हाजीपुर, परगना लोनी, तहसील एवं जनपद–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005
8.	0REW17120000005010063, सुनील कुमार, मनोज कुमार	6567, वार्ड 15, दारा तालाब हनुमान मंदिर के समीप, रेवाड़ी, हरियाणा – 123401	रु. 6,29,758/– एवं 20–08–2022	हाउस टैक्स नंबर–6572, वाका मोहल्ला बस सिताब राय, तहसील जनपद–रेवाड़ी, हरियाणा – 123401

स्थान: गुड़गांव
दिनांक: 02.09.2022

प्राधिकृत अधिकारी,
शुभम हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

SCI Navratna Company (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified)

शिपिंग हाउस, २४५ मदाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई – ४०००२१.
वेबसाइट: www.shipindia.com; Twitter: @shippingcorp; सीआईएन: L63030MH1950GOI008033
टेली.: ९१–२२ २२०२६६६६, २२७७ २०००; फैक्स: ९१–२२ २२०२६९०५

एजीएम और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

इस सूचना के द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की ७२वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, २८ सितंबर, २०२२ को १२:०० बजे (भारतीय मानक समय) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो–विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लेन–देन करने के लिए आयोजित की जाएगी:

१	०२.०९.२०२२ को ७२वीं एजीएम की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों के प्रेषण की तिथि (सूचना सहित, वित्तीय वर्ष २०२१–२०२२ के लिए निदेशकों की रिपोर्ट संलग्नक के साथ)। वार्षिक रिपोर्ट www.shipindia.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
२	कंपनी की ७२वीं एजीएम और घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक **२४.०९.२०२२ से २८.०९.२०२२ (दोनों दिन शामिल)** तक बंद रहेंगे। लाभांश की रिकॉर्ड तिथि **२३.०९.२०२२** है।
३	रिमोट ई–वोटिंग अवधि – **२५.०९.२०२२ पूर्वाह्न ९:०० बजे (भारतीय मानक समय) से २७.०९.२०२२ शाम ५:०० बजे (भारतीय मानक समय)।**
४	रिमोट ई–वोटिंग के लिए पात्रता के प्रयोजन के लिए कट–ऑफ–डेट **शुक्रवार, २३.०९.२०२२** है।
५	कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के माध्यम से एजीएम के सूचना में निर्धारित प्रस्तावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे इस दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। सदस्यों को एनएसडीएल ई–वोटिंग व्यवस्था वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य इसे https://www.evoting.nsdl.com पर शेयरधारकों/ सदस्यों के लॉगिन के तहत रिमोट ई–वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके एक्सेस कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN यानी १२९६६ प्रदर्शित होगा। एजीएम से पहले या उसके दौरान ई–वोटिंग/सहायता के संबंध में किसी भी प्रश्न या मुद्दों के मामले में, आप एजीएम की सूचना देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक से १८००१०२०९९० एवं १८००२२४४३० पर संपर्क कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ईमेल कर सकते हैं।
६	एजीएम की ई–सूचना के प्रेषण के बाद शेयर प्राप्त करने वाला और २३.०९.२०२२ को शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति, 'Financials → Financial Results → Annual Reports' खंड के तहत ७२वीं वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी के लिए एससीआई की वेबसाइट www.shipindia.com पर जा सकता है।
७	ई–वोटिंग के तरीके, ईमेल आईडी / बैंक खाते को अपडेट करने, वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, लाभांश पर टीडीएस की प्रयोज्यता के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप 'Investors → Information for Shareholders → Notices' के तहत www.shipindia.com पर जा सकते हैं।

हस्ता/–
निदेश मंडल के आदेश से
कृते भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
श्रीमती स्वप्निता विकास यादव
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : ०२.०९.२०२२

कार्गो मंजिल तक पहुँचाए. जीवन को राह दिखाए.

CRANEX LIMITED

CIN: L74899DL1973PLC006503
Registered Office: 9, DDA Market, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Corporate Office: 57/1, Industrial Area, Site-IV, Sahibabad (U.P.)-201010
E mail: investors@cranexltd.com, Website: http://www.cranexltd.com
BSE Script Code: 522001 ISIN: INE608B01010

NOTICE OF THE 47TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Forty-Seventh Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Cranex Limited ('Company') will be held on Friday, September 30, 2022 at 3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM') in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 (collectively referred as 'MCA Circulars') and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 ('DEBI Circular') (MCA Circulars and SEBI Circular collectively referred as 'Circulars') without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the business as set out in the AGM notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the Circulars, AGM Notice along with the Annual Report for FY 2021-22 will be sent in due course only through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ('RTA')/Depository Participant ('DP'). Notice of AGM will also be available on the Company's website at www.cranexltd.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-voting facility (before AGM) , on all the resolutions set forth in the Notice. The facility of casting votes will be provided by NSDL. Facility for e-voting at the AGM will be made available to those Members present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible to vote at the AGM. Detailed process and manner of remote e-voting, e-voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is being provided in the AGM Notice.

Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions for remote e-voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice. Members who have not registered their email-ids, are requested to register the same, for receiving all communications including Annual Report, Notice etc. form the Company electronically as per process mentioned below. Upon successful registration of email id, the login ID and password for e-voting shall be shared on the member's registered email id:-

(i) Members holding equity shares of the Company in demat are requested to approach their respective DP and follow the process as advised by DP to register their email ids.
(ii) Members holding Equity Shares of the Company in physical are requested to send their Folio No., Name, Contact No. email id Copy of PAN (self attested), Copy of Aadhar (Self attested) at email id of RTA that is beetalrta@gmail.com
(iii) Alternatively, Members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user ID and password for e-Voting by providing documents as mentioned in the AGM Notice or call on toll free number 18001010990.

For Cranex Limited
sd/-
Renu
Company Secretary

Date:02/09/2022
Place: Delhi

कार्यालय ग्राम पंचायत उमरा वि0ख0–बल्दीराय, सुलतानपुर

पत्रांक–मेमो/विज्ञापन/2022–23 दिनांक–02–09–2022

अल्पकालीन निविदा सूचना

ग्राम पंचायत उमरा वि0ख0 बल्दीराय सुलतानपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्य की स्वीकृति के पश्चात कार्य कराये जाने हेतु इच्छुक फर्म/ठेकेदार सीलबंद निविदाएं दिनांक–08–09–2022 को अपरान्ह 02:00 बजे तक ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्राप्त निविदाएं दिनांक–08–09–2022 को ही अपरान्ह 03:00 बजे सार्वजनिक रूप में निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोली जायेगी।

क्र0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1	जू0हा0 उमरा में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	7,93,061/–
2	प्रा0वि0 पूरे जवाहर तिवारी में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	6,34,727/–
3	प्र0वि0 उमरा द्वितीय में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	5,54,760/–

नोट:– नियम व शर्ते किसी भी कार्यालय दिवस में देखी पढ़ी व जानी जा सकती है।

प्रधान/सचिव
ग्राम पंचायत उमरा वि0ख0 बल्दीराय जनपद सुलतानपुर

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट(टी0जी0)/अपर कलेक्टर, लखनऊ।

संख्या–481/रीडर–टी0जी0/2022 दिनांक : 01 सितम्बर, 2002

नोटिस

1. एस आर मेडिकल्स प्रो0 मकसूद अहमद खान पता 418/27 क गढी पीर ख देवीदास मार्ग लखनऊ।
2. नजीरा खातून पता मकान सं0 431/648 मोमिन नगर कैम्पेल रोड लखनऊ।
3. मकसूद अहमद खान पता मकान सं0 431/648 मोमिन नगर कैम्पेल रोड लखनऊ।

एतद्द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि एचडीबी फा0 सर्विसेज लि0 लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा उक्त बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान अभी तक अदा नही किया गया है। अतः आप दिनॉक 16.09.2022 को समय 12.00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा–14 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में कथित सम्पत्ति को कब्जे में लेकर बैंक को ऋण अदायगी वसूली के संबंध में दे दी जाय। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित नही होते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ नही कहना है और तद्नुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

(राकेश सिंह)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(टी0जी0)/ अपर कलेक्टर,लखनऊ।

फॉर्म–आईएनसी–26

[कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (6) (ए) और

सरला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड , जिसका पंजीकृत कार्यालय: 2,सैनिक फार्म सी–1 लेन, नई दिल्ली 110062 के मामले में, ... याचिकाकर्ता

आम जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने में सक्षम बनाने के लिए 31.08.2022 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2वीं तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा आवेदक कम्पनी के उपरोक्त दिए गए पते पर पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए या वितरित कर सकता है या पंजीकृत डाक से भेज सकता है:

पंजीकृत कार्यालय: 2,सैनिक फार्म सी–1 लेन, नई दिल्ली 110062

हस्ता ./–
नाम :– रमा शंकर तिवारी
पदनाम :– कंपनी सचिव
पता: – 2, सी–1 लेन सैनिक फार्म नई दिल्ली–110062

कृते और उसकी ओर से
सरला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
दिनांक – 02/09/2022
स्थान:– नई दिल्ली

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ENGINEERS INDIA LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

पंजीकृत कार्यालय : इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, भारत
Regd.Office: Engineers India Bhawan,1, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066, India
ई–मेल/e-mail: company.secretary@eil.co.in, दूरभाष/Phone: 011-26762855/2580
कंपनी सचिवालय/COMPANY SECRETARIAT

57वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना ई–वोटिंग/रेकार्ड तिथि की जानकारी

कम्पनी की 57वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) **मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को अप. 03.00 बजे (आईएसटी)**, एजीएम आयोजन की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020, सर्कुलर नंबर 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, सर्कुलर नंबर 19/2021 दिनांकित 08 दिसम्बर, 2021, सर्कुलर नंबर 21/2021 दिनांकित 14 दिसम्बर, 2021 तथा सर्कुलर नंबर 02/2022 दिनांकित 05 मई, 2022 और सेबी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1 /सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 (सामूहिक रूप से **"संबद्ध सर्कुलर्स"** कहे गए हैं) के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर कम्पनी के सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से, आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

संबद्ध सर्कुलर्स एवं सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु पृथक्कृत और समेकित वित्तीय विवरण, निदेशकगण की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ 01 सितम्बर, 2022 को कम्पनी के उन सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई–मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (पार्टिसिपैंट्स) के पास पंजीबद्ध है अथवा जो एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के प्रयोजनार्थ अपनी ई–मेल आईडी हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट (आरटीए), अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड https://mailupd.alankit.com के पास अस्थायी रूप से पंजीकृत करवा चुके हैं। सूचनाओं की भौतिक प्रतियां वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित डाक द्वारा उन शेयरधारकों को भेजी जा रही हैं, जिनके द्वारा अनुरोध किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य अपना अनुरोध कम्पनी/आरटीए को **company.secretary@eil.co.in** अथवा **rta@alankit.com** पर भेज सकते हैं। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट **www.engineersindia.com** पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** क्रमानुसार पर और नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु एजेन्सी) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध होंगे। एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज निरीक्षण के लिए कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग हेतु अनुदेश :

कम्पनी इसके सदस्यों को एजीएम में पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों पर उनके वोट डालने के अधिकार के प्रयोग हेतु इलेक्ट्रॉनिक साधनों (**"ई–वोटिंग"**) द्वारा वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यगण यहां नीचे वर्णित तिथियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (**"रिमोट ई–वोटिंग"**) का प्रयोग करते हुए अपना वोट रिमोटली डाल सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिन सदस्यों ने अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकेंगे।

कम्पनी ने ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एजेन्सी के तौर पर एनएसडीएल की सेवाएं अनुबंधित की हैं।

ई–वोटिंग के संबंध में जानकारी और अनुदेश सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए रिमोट ई–वोटिंग के लॉगइन क्रेडेन्शियल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। भौतिक रूप, अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, उनके द्वारा रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की विधि एजीएम की सूचना में दी गई है।

रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी :

रिमोट ई–वोटिंग का आरंभनः	**शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को पूर्वा. 9.00 बजे (आईएसटी)**
रिमोट ई–वोटिंग का समापनः	**सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को अप. 5.00 बजे (आईएसटी)**

उपरोक्त तिथि और समय के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल उपरोक्त अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

कोई व्यक्ति, जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 को दर्ज मौजूद है, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने अथवा एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का हकदार होगा।

ई–मेल पता पंजीकरण/अद्यतनीकरण की विधि निम्नानुसार है :

• भौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता कम्पनी में पंजीकृत/अद्यतन नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे हमारे कम्पनी के आरटीए मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, कार्यालय पता : 205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 से सम्पर्क करें अथवा **rta@alankit.com** पर ई–मेल भेजें।

• अभौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट पंजीकृत/अद्यतन नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई–मेल पता संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट पास पंजीकृत/अद्यतन करवा लें, जिनके पास उनका डीमैट खाता है।

• कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी का सदस्य बनता है अथवा कोई सदस्य जिसने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाई है और कट–ऑफ तिथि को शेयरों का धारक है, वह भी एजीएम की सूचना, जोकि कम्पनी की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है, में दिए गए अनुदेशों के अनुरूप विधि में एनएसडीएल को **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर लॉगइन क्रेडेन्शियल्स प्राप्त कर सकता है। ये सदस्य एजीएम की सूचना में कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट विधि में ई–वोटिंग अनुदेशों का प्रयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं।

रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके सदस्य भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु एजीएम में पुनः वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

सदस्यगण यह भी नोट करें कि कम्पनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश (₹ 1/– प्रति इक्विटी शेयर), यदि सदस्यों की 57वीं एजीएम में उनके द्वारा अनुमोदित किया गया, की अधिकारिता के अभिनिश्चयन के प्रयोजन हेतु **सोमवार, 5 सितम्बर, 2022** की तिथि रेकार्ड तिथि निर्धारित की गई है।

यदि आपको एजीएम में भाग लेने एवं ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग के संबंध में कोई संदेह अथवा समस्या है, तो आप **www.evoting.nsdl.com** में डाउनलोड सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यूज") तथा ई–वोटिंग मैनुअल देखें अथवा सुश्री सोनी सिंह को **evoting.nsdl.co.in** पर ई–मेल भेजें। सदस्यगण टोल फ्री नंबर 18001020 990 अथवा 1800224430 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। किसी अन्य पूछताछ के लिए, आप हमसे भी नीचे दिए विवरण के अनुसार सम्पर्क कर सकते हैं :

कम्पनी सेक्रेटरी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, फोन : 011–2610 0258, ई–मेल : company.secretary@eil.co.in

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
एस. के. पाढ़ी
कम्पनी सेक्रेटरी

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 02.09.2022

STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED

CIN: L74899DL1987PLC027057
Regd. Off: 401-A, PP Towers, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034
E-mail: stancap.delhi@gmail.com
Website: www.stancap.co.in, Phone: 011- 47461199

NOTICE OF CONVENING 35th ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC / OAVM

Notice is hereby given that the **35th Annual General Meeting ("AGM") of Standard Capital Markets Limited ("the Company") will be held on Friday, September 30, 2022 at 04.00 P.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules made thereunder and SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) general circular dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, January 13, 2021 and May 5, 2022 and SEBI Circulars dated May 12, 2020 and January 13, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 on May 13, 2022 (collectively referred to as "relevant Circulars") to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22, will be sent only by electronic mode to the members whose e-mail address is registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.stancap.co.in and on the website of Stock Exchange i.e BSE Limited at www.bseindia.com.

Manner of registering / updating email addresses by the Members:

- For shares held in physical form - Send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company, Skyline Financial Services Private Limited at info@skylinerta.com
- For shares held in demat form - Please contact your Depository Participant (DP)

Manner of casting vote(s) through e-voting :

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting facility. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. The manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM, by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses, has been provided in detail in the Notice of the AGM.

For Standard Capital Markets Limited
Sd/-
Vineeta Gautam
Company Secretary

Date: 02/09/2022
Place: New Delhi

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD

Regd. Office : D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave - I, New Delhi - 110048,
Tel : 011-49025758, Fax : 011-41633812, CIN : L65929DL1991PLC043182
Website

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः 502, टॉवर–ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई–400013
परिमंडल कार्यालयः कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 9–बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110060

परिशिष्ट–IV–ए [नियम 8(6) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधककृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत लेनदार द्वारा रचनात्मक/भौतिक आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है, वह नीचे वर्णित ऋणकर्ता से कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार को देय–भुग्तेय निम्नांकित राशि की वसूली हेतु निम्नलिखित तिथियों पर "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" एवं "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेची जायेगी। आरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति के विवरण नीचे वर्णित हैं।

क्र.सं.	1. ऋणकर्ता(ओं) के नाम 2. बकाया राशि	बंधककृत संपत्ति के विवरण	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 2. धराज जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की धराज 3. वृद्धिशील मूल्य
1.	1. श्री विजय सिंह ("ऋणकर्ता") 2. श्यामवती (अब मृतक) (सह–ऋणकर्ता) ऋण खाता संख्या LNHLGUR000028307 रु. 25,93,390/– (रुपए पच्चीस लाख तिरानबे हजार तीन सौ नब्बे मात्र) 31.08.2022 के अनुसार लागू योग्य भावी ब्याज के साथ	फ्लैट सं. 102, प्रथम तल (आगे बाएं हाथ की ओर), क्षेत्राधिमापन 550 वर्ग फुट, जो भूखंड सं. 1074 व 1074ए पर निर्मित, गली सं. 3 में, खेवट/खाता सं. 1405/1916, खसरा सं. 6310/161(1–1–0), 157(2–13–0) में से, ग्राम गुड़गांव की राजस्व संपदा, अब महालक्ष्मी गार्डन–।।/राजेंद्र पार्क के रूप में विदित कॉलोनी, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है	1. ई–नीलामी तिथिः 11.10.2022 (3.00 से 4.00 बजे के मध्य) 2. केवाईसी के साथ धराज जमा करने की अंतिम तिथिः 10.10.2022 3. निरीक्षण की तिथिः 08.10.2022	आरक्षित मूल्यः रु. 20,45,000/- (रुपए बीस लाख पैंतालिस हजार मात्र) धरोहर राशि जमाः रु. 2,05,000/- (रुपए दो लाख पांच हजार मात्र) वृद्धिशील मूल्यः रु. 10,000/- (रुपए दस हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् www.Capriglobal.in/auction/ में उपलब्ध लिंक का सन्दर्भ लें।
ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें:
1. सम्पत्ति की बिक्री "जैसी है जहां है, वहां जो कुछ भी है एवं बिना वसूली आधार" पर की जा रही है। क्योंकि बिक्री बिना किसी आश्वस्ति एवं क्षतिपूर्ति के है।
2. ई–नीलामी बिक्री सूचना में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति/परिसंपत्तियों के विवरण (जैसे विस्तार तथा माप) प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं और प्रतिभूत लेनदार किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण–विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। वास्तविक विस्तार तथा माप में अन्तर हो सकता है।
3. प्रतिभूत लेनदार द्वारा निर्गत ई–नीलामी बिक्री सूचना अपनी संविदाएँ जमा करने हेतु जनसामान्य के लिए एक आमन्त्रण है और यह प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में कोई प्रतिबद्धता या अभिवेदन संस्थापित नहीं करती और संस्थापित करती हुई नहीं मानी जायेगी। इच्छुक संविदाकारों को प्रतिभूत लेनदार के साथ अपने हकदारी विलेखों का अनुशीलन करने और अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व सम्पत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व तथा वर्तमान दशा एवं सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के विषय में अपनी स्वतन्त्र पूछताछ/समुचित परिश्रम करने की सलाह दी जाती है।
4. नीलामी/बोलीदान केवल वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" में अथवा सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद, जो ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था तथा समन्वयन करेंगे, द्वारा प्रावधानित ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप के माध्यम से संचालित की जायेगी।
5. संविदाकार अपने मनचाहे स्थान से संविदान हेतु ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था संविदाकार को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकेंगे।
6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन बोलीदान के लिए सम्भावित संविदाकार सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नं. 079. 68136880/68136837), श्री राम कुमार, मोबाइल नं. 8000023297, ई–मेलः ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक संविदाकारों को अग्रिम रूप से अपने नाम https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पंजीकृत करने होंगे और यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने होंगे। इच्छुक संविदाकारों को सेवा प्रदाता की ओर से प्राप्त होने के तुरन्त बाद केवल अपना पासवर्ड बदल लेने की सलाह दी जाती है।
8. ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकारों को आरक्षित मूल्य (उपरोक्त अंकितानुसार) के 10% की प्रतिदेय ईएमडी जमा करनी होगी जो 10 अक्टूबर, 2022 को या इससे पूर्व "कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी है।
9. इच्छुक संविदाकारों को, ईएमडी के प्रति डिमाण्ड ड्राफ्ट रेमिटेंस सहित विधिवत भरे गए संविदा प्रपत्र (प्रारूप https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) एक मुहरबन्द लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सम्बोधित, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, राजिंदर प्लेस, नई दिल्ली–110 060 के पास अधिकतम 10 अक्टूबर 2022 को 03.00 बजे अप. तक भेजने होंगे। मुहरबन्द लिफाफे पर "कर्जदार का नाम" की सम्पत्ति हेतु ऋण खाता सं. ..... (जैसा ऊपर उल्लिखित है) में ई–नीलामी बिक्री..... में भाग लेने हेतु संविदा" लिखा होना चाहिए।
10. ईएमडी सहित संविदाएं जमा करने की अन्तिम तिथि समाप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी अपने द्वारा प्राप्त संविदाओं की जाँच करेंगे और योग्य संविदाकारों (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक के मूल्य पर अपनी बोलियां कोट की हैं और प्रतिभूत लेनदार के पास निर्दिष्ट ईएमडी जमा कर दी है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास करेंगे ताकि ई–नीलामी बिक्री सूचना में उल्लिखित तिथि एवं समय पर केवल वे संविदाकार ही ऑनलाइन परस्पर बोलीदान/नीलामी प्रक्रियाओं में भाग ले सकें।
11. योग्य संविदाकारों के मध्य परस्पर बोलीदान, योग्य संविदाकारों द्वारा उद्धृत की गई उच्चतम बोली के साथ प्रारम्भ होगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान यहां "10" मिनट प्रत्येक का असीमित विस्तारकृत समय होगा अर्थात यदि बोली अन्तिम विस्तार के 10 मिनट के भीतर लगायी जाती है तो ई–नीलामी बोली का अन्तिम समय प्रत्येक बार स्वतः ही 10 मिनट बढ़ जायेगा।
12. एक बार लगाई गयी बोली निरस्त या वापस नहीं होगी। संविदाकार को प्रदत्त यूजर आईडी से लगायी गयी समस्त बोलियां, केवल उसी के द्वारा लगायी गयी मानी जायेंगी।
13. ई–नीलामी प्रक्रियाओं के बन्द होने के तुरन्त बाद उच्चतम संविदाकार, ई–नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में सफल संविदाकार के रूप में घोषित होने के लिए, ई–मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय/प्लॉट सं. 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, राजिंदर नगर, नई दिल्ली–110 060 तथा सेवा प्रदाता दोनों के पास, अपने द्वारा कोट की गयी अन्तिम संविदा राशि की पुष्टि करेगा।
14. सफल संविदाकार को अपने पक्ष में घोषित होने पर संविदा राशि का 25% (ईएमडी सहित) बिक्री के दिन ही 24 घंटे के अंदर जमा करना होगा तथा बोली राशि की शेष 75% राशि कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में आहरित डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक द्वार बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
15. सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय में उपर्युक्त निर्दिष्ट राशियों का भुगतान करने में चूक करने पर बिक्री निरस्त कर दी जायेगी और पहले से जमा राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः बिक्री पर रख दिया जायेगा।
16. सफल संविदाकार के निवेदन पर प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से संविदा राशि का शेष भाग जमा करने हेतु लिखित में अधिक समय की स्वीकृति दे सकते हैं।
17. सफल संविदाकार बिक्री मूल्य का 1% टीडीएस (बिक्री कार्यवाहियों में से) (यदि लागू है) अदा करेगा और प्राधिकृत अधिकारी के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि से 15 कार्यकारी दिनों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर किसी अन्य विस्तारित तिथि तक ईएमडी समायोजित करने के पश्चात बिक्री मूल्य की सम्पूर्ण राशि (1% टीडीएस कटौती को घटाकर) जमा करनी होगी जिसमें असफल रहने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
18. नगर निगम/पंचायत कर, बिजली के बकाये (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण के बकाये (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल संविदाकार को करना होगा। संविदाएँ सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विधिक बकायों पर विचार करते हुए तैयार की जायेंगी।
19. सम्पूर्ण क्रय राशि/संविदा राशि जमा करने तथा सम्पूर्ण करों/प्रभारों के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बिक्री प्रमाणपत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल संविदाकार के पक्ष में निर्गत किया जाएगा।
20. कन्वीएंस, स्टैम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभार एवं अन्य आकस्मिक प्रभारों हेतु प्रयोज्य विधिक प्रभारों का भुगतान नीलामी क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।
21. प्राधिकृत प्राधिकारी बिना कोई कारण बताये ई–नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं। यदि ई–नीलामी बिक्री, बिक्री की निर्धारित तिथि के 30 दिनों से पूर्व किसी बाद की तिथि को स्थगित की जाती है तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी तथा प्रश्नरहित होगा।
23. संविदाएँ जमा करने वाले समस्त संविदाकारों के लिए माना जायेगा कि उन्होंने ई–नीलामी बिक्री के नियमों एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे उनसे सहमत हैं।
24. संपत्ति में पड़ी हुयी चल वस्तु या मद (यदि कोई) विक्रय के साथ दिया जानेवाला ऑफर नहीं है।
25. अधिक विवरणों एवं पूछताछ के लिए सम्पर्क करें: प्राधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, श्री प्रार्थना सम्पत, मोबाइल नं. 7400445137/9990275365 पर, तथा अन्य पूछताछों के लिए सुश्री कल्पना चेतनवाला को 7738039346 पर संपर्क करें।
26. यह प्रकाशन उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित होने के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उक्त उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतियों हेतु 30 (तीस) दिनों की सूचना भी है।
विशेष निर्देश/चेतावनी: अन्तिम मिनट/सेकण्ड में बोली लगाने से संविदाकार स्वयं के हित में बचें। न तो कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में संविदाकार की ओर से किसी कमी/विफलता (इंटरनेट विफलता, विद्युत विफलता आदि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी विषम परिस्थिति से बचने के लिए संविदाकारों से अनुरोध है कि समस्त अनिवार्य व्यवस्थाएँ/विकल्प, जैसे बैक–अप विद्युतापूर्ति तथा जो कुछ भी अन्य अपेक्षित हो, तैयार कर लें ताकि वे ऐसी विषम परिस्थिति से निपट सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।
स्थानः दिल्ली दिनांकः 03.09.2022 **हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः 502, टॉवर–ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई–400013
परिमंडल कार्यालयः कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, 9–बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110060

परिशिष्ट–IV–ए [नियम 8(6) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधककृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत लेनदार द्वारा रचनात्मक/भौतिक आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है, वह नीचे वर्णित ऋणकर्ता से कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार को देय–भुग्तेय निम्नांकित राशि की वसूली हेतु निम्नलिखित तिथियों पर "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" एवं "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेची जायेगी। आरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति के विवरण नीचे वर्णित हैं।

क्र. सं.	1. ऋणकर्ता(ओं) के नाम 2. बकाया राशि	बंधककृत संपत्ति के विवरण	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 2. धराज जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की धराज 3. वृद्धिशील मूल्य
1.	1. श्री भूपेंद्र सिंह ("ऋणकर्ता") 2. सुश्री धनवती देवी अर्थात् मुन्नी देवी (सह–ऋणकर्ता) ऋण खाता संख्या LNCGCJPGTL0000005055 एवं LNCGCPURTL0000009209 रु. 39,56,823/– (रुपए उनतालिस लाख छप्पन हजार आठ सौ तेईस मात्र) 31.08.2022 के अनुसार लागूयोग्य भावी ब्याज के साथ	संपत्ति विवरण एमसीएस नं. 253/5 (क्षेत्र माप 4 मारला), वार्ड नं. 5, किला/एमयू नं. 219, 6/2/1 (2–0), 6/1 (2–8), 7/1/1/ (0–13), 7/2/2 (3–5), शिव कॉलोनी, सोहना, गुड़गांव, हरियाणा–122003	1. ई–नीलामी तिथिः 11.10.2022 (3.00 से 4.00 बजे के मध्य) 2. केवाईसी के साथ धराज जमा करने की अंतिम तिथिः 10.10.2022 3. निरीक्षण की तिथिः 08.10.2022	आरक्षित मूल्यः रु. 25,15,000/- (रुपए पच्चीस लाख पंद्रह हजार मात्र) धरोहर राशि जमाः रु. 2,51,500/- (रुपए दो लाख इक्यावन हजार पांच सौ मात्र) वृद्धिशील मूल्यः रु. 10,000/- (रुपए दस हजार मात्र)
2.	1. श्री राकेश अरोड़ा ("ऋणकर्ता") 2. श्रीमती वंदना अरोड़ा 3. श्री वैभव अरोड़ा (सह–ऋणकर्ता) ऋण खाता संख्या LNCGCCHATL0000006211 रु. 22,26,447/– (रुपए बाईस लाख छब्बीस हजार चार सौ सैंतालीस मात्र) 31.08.2022 के अनुसार लागूयोग्य भावी ब्याज के साथ	संपूर्ण तृतीय तल छताधिकारों के साथ जो निर्मित संपत्ति सं. 4/51 पर है जिसका क्षेत्राधिमापन 100 वर्ग गज है और जो रमेश नगर, दिल्ली–110015 में स्थित है	1. ई–नीलामी तिथिः 11.10.2022 (3.00 से 4.00 बजे के मध्य) 2. केवाईसी के साथ धराज जमा करने की अंतिम तिथिः 10.10.2022 3. निरीक्षण की तिथिः 08.10.2022	आरक्षित मूल्यः रु. 48,40,000/- (रुपए अड़तालीस लाख चालीस हजार मात्र) धरोहर राशि जमाः रु. 4,84,000/- (रुपए चार लाख चौरासी हजार मात्र) वृद्धिशील मूल्यः रु. 20,000/- (रुपए बीस हजार मात्र)
3.	1. मैसर्स बालाजी वेजिटेबल शॉप ("ऋणकर्ता") 2. श्री विनय कुमार 3. श्रीमती सविता देवी (सह–ऋणकर्ता) ऋण खाता संख्या LNCGCAZDTL0000004605, LNCGCPURTL0000009200 एवं LNBLAZD000051846 रु. 29,15,544/– (रुपए उनतीस लाख पंद्रह हजार पांच सौ चौवालीस मात्र) 31.08.2022 के अनुसार लागूयोग्य भावी ब्याज के साथ	एक दूकान जो भूतल पर है जिसका प्राइवेट नंबर 02 है जो छताधिकारों के बिना, जिसका क्षेत्राधिमापन 17.65 वर्ग मीटर, निर्मित संपत्ति नगर निगम सं. 1202 के एक भाग के रूप में, वार्ड सं. VIII, इमली मोहल्ला, कूचा पाती राम, सीताराम बाजार, दिल्ली–110006 में स्थित और इस प्रकार परिसीमित है: पूर्व– आम दीवाल और अन्य दूकानें, पश्चिम– आम दीवाल और अन्य दूकानें, उत्तर– मोहल्ला इमली, दक्षिण– आम दीवाल और संपत्ति का भाग	1. ई–नीलामी तिथिः 11.10.2022 (3.00 से 4.00 बजे के मध्य) 2. केवाईसी के साथ धराज जमा करने की अंतिम तिथिः 10.10.2022 3. निरीक्षण की तिथिः 08.10.2022	आरक्षित मूल्यः रु. 31,20,000/- (रुपए इकतीस लाख बीस हजार मात्र) धरोहर राशि जमाः रु. 3,12,000/- (रुपए तीन लाख बारह हजार मात्र) वृद्धिशील मूल्यः रु. 20,000/- (रुपए बीस हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् www.Capriglobal.in/auction/ में उपलब्ध लिंक का सन्दर्भ लें।
ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें:
1. सम्पत्ति की बिक्री "जैसी है जहां है, वहां जो कुछ भी है एवं बिना वसूली आधार" पर की जा रही है। क्योंकि बिक्री बिना किसी आश्वस्ति एवं क्षतिपूर्ति के है।
2. ई–नीलामी बिक्री सूचना में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति/परिसंपत्तियों के विवरण (जैसे विस्तार तथा माप) प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं और प्रतिभूत लेनदार किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण–विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। वास्तविक विस्तार तथा माप में अन्तर हो सकता है।
3. प्रतिभूत लेनदार द्वारा निर्गत ई–नीलामी बिक्री सूचना अपनी संविदाएँ जमा करने हेतु जनसामान्य के लिए एक आमन्त्रण है और यह प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में कोई प्रतिबद्धता या अभिवेदन संस्थापित नहीं करती और संस्थापित करती हुई नहीं मानी जायेगी। इच्छुक संविदाकारों को प्रतिभूत लेनदार के साथ अपने हकदारी विलेखों का अनुशीलन करने और अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व सम्पत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व तथा वर्तमान दशा एवं सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के विषय में अपनी स्वतन्त्र पूछताछ/समुचित परिश्रम करने की सलाह दी जाती है।
4. नीलामी/बोलीदान केवल वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" में अथवा सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद, जो ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था तथा समन्वयन करेंगे, द्वारा प्रावधानित ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप के माध्यम से संचालित की जायेगी।
5. संविदाकार अपने मनचाहे स्थान से संविदान हेतु ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था संविदाकार को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकेंगे।
6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन बोलीदान के लिए सम्भावित संविदाकार सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नं. 079-68136880/68136837), श्री राम कुमार, मोबाइल नं. 8000023297, ई–मेलः ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक संविदाकारों को अग्रिम रूप से अपने नाम https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पंजीकृत करने होंगे और यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने होंगे। इच्छुक संविदाकारों को सेवा प्रदाता की ओर से प्राप्त होने के तुरन्त बाद केवल अपना पासवर्ड बदल लेने की सलाह दी जाती है।
8. ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकारों को आरक्षित मूल्य (उपरोक्त अंकितानुसार) के 10: की प्रतिदेय ईएमडी जमा करनी होगी जो 10 अक्टूबर, 2022 को या इससे पूर्व "कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड" के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी है।
9. इच्छुक संविदाकारों को, ईएमडी के प्रति डिमाण्ड ड्राफ्ट रेमिटेंस सहित विधिवत भरे गए संविदा प्रपत्र (प्रारूप https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) एक मुहरबन्द लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को सम्बोधित, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, राजिंदर प्लेस, नई दिल्ली–110 060 के पास अधिकतम 10 अक्टूबर 2022 को 03.00 बजे अप. तक भेजने होंगे। मुहरबन्द लिफाफे पर "कर्जदार का नाम" की सम्पत्ति हेतु ऋण खाता सं. ..... (जैसा ऊपर उल्लिखित है) में ई–नीलामी बिक्री..... में भाग लेने हेतु संविदा" लिखा होना चाहिए।
10. ईएमडी सहित संविदाएं जमा करने की अन्तिम तिथि समाप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी अपने द्वारा प्राप्त संविदाओं की जाँच करेंगे और योग्य संविदाकारों (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक के मूल्य पर अपनी बोलियां कोट की हैं और प्रतिभूत लेनदार के पास निर्दिष्ट ईएमडी जमा कर दी है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास करेंगे ताकि ई–नीलामी बिक्री सूचना में उल्लिखित तिथि एवं समय पर केवल वे संविदाकार ही ऑनलाइन परस्पर बोलीदान/नीलामी प्रक्रियाओं में भाग ले सकें।
11. योग्य संविदाकारों के मध्य परस्पर बोलीदान, योग्य संविदाकारों द्वारा उद्धृत की गई उच्चतम बोली के साथ प्रारम्भ होगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान यहां "10" मिनट प्रत्येक का असीमित विस्तारकृत समय होगा अर्थात यदि बोली अन्तिम विस्तार के 10 मिनट के भीतर लगायी जाती है तो ई–नीलामी बोली का अन्तिम समय प्रत्येक बार स्वतः ही 10 मिनट बढ़ जायेगा।
12. एक बार लगाई गयी बोली निरस्त या वापस नहीं होगी। संविदाकार को प्रदत्त यूजर आईडी से लगायी गयी समस्त बोलियां, केवल उसी के द्वारा लगायी गयी मानी जायेंगी।
13. ई–नीलामी प्रक्रियाओं के बन्द होने के तुरन्त बाद उच्चतम संविदाकार, ई–नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में सफल संविदाकार के रूप में घोषित होने के लिए, ई–मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय/प्लॉट सं. 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, राजिंदर नगर, नई दिल्ली–110 060 तथा सेवा प्रदाता दोनों के पास, अपने द्वारा कोट की गयी अन्तिम संविदा राशि की पुष्टि करेगा।
14. सफल संविदाकार को अपने पक्ष में घोषित होने पर संविदा राशि का 25% (ईएमडी सहित) बिक्री के दिन ही 24 घंटे के अंदर जमा करना होगा तथा बोली राशि की शेष 75: राशि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में आहरित डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक द्वार बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
15. सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय में उपर्युक्त निर्दिष्ट राशियों का भुगतान करने में चूक करने पर बिक्री निरस्त कर दी जायेगी और पहले से जमा राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः बिक्री पर रख दिया जायेगा।
16. सफल संविदाकार के निवेदन पर प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से संविदा राशि का शेष भाग जमा करने हेतु लिखित में अधिक समय की स्वीकृति दे सकते हैं।
17. सफल संविदाकार बिक्री मूल्य का 1% टीडीएस (बिक्री कार्यवाहियों में से) (यदि लागू है) अदा करेगा और प्राधिकृत अधिकारी के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि से 15 कार्यकारी दिनों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर किसी अन्य विस्तारित तिथि तक ईएमडी समायोजित करने के पश्चात बिक्री मूल्य की सम्पूर्ण राशि (1% टीडीएस कटौती को घटाकर) जमा करनी होगी जिसमें असफल रहने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
18. नगर निगम/पंचायत कर, बिजली के बकाये (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण के बकाये (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल संविदाकार को करना होगा। संविदाएँ सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विधिक बकायों पर विचार करते हुए तैयार की जायेंगी।
19. सम्पूर्ण क्रय राशि/संविदा राशि जमा करने तथा सम्पूर्ण करों/प्रभारों के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बिक्री प्रमाणपत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल संविदाकार के पक्ष में निर्गत किया जाएगा।
20. कन्वीएंस, स्टैम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभार एवं अन्य आकस्मिक प्रभारों हेतु प्रयोज्य विधिक प्रभारों का भुगतान नीलामी क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।
21. प्राधिकृत प्राधिकारी बिना कोई कारण बताये ई–नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं। यदि ई–नीलामी बिक्री, बिक्री की निर्धारित तिथि के 30 दिनों से पूर्व किसी बाद की तिथि को स्थगित की जाती है तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी तथा प्रश्नरहित होगा।
23. संविदाएँ जमा करने वाले समस्त संविदाकारों के लिए माना जायेगा कि उन्होंने ई–नीलामी बिक्री के नियमों एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे उनसे सहमत हैं।
24. संपत्ति में पड़ी हुयी चल वस्तु या मद (यदि कोई) विक्रय के साथ दिया जानेवाला ऑफर नहीं है।
25. अधिक विवरणों एवं पूछताछ के लिए सम्पर्क करें: प्राधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, श्री सुशील गुप्ता, मोबाइल नं. 7400445137 पर, तथा अन्य पूछताछों के लिए सुश्री कल्पना चेतनवाला को 7738039346 पर संपर्क करें।
26. यह प्रकाशन उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित होने के विषय में प्रतिभूति हित (प्र

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II (51521)

तृतीय और चतुर्थ तल स्टेट बैंक हाऊस, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005, फोन नं. 011-28752163, फैक्स नं. 28755674 ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) चल/अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

ई–नीलामी दिनांक 20.09.2022 हेतु सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्तियां की धारा 13(4) जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का (सांकेतिक/भौतिक) कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है", जैसा है" और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नवर्णित उधारकर्ता, गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूतदाता, से प्रतिभूत लेनदार भारतीय स्टेट बैंक की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **20.09.2022** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय: 18.09.2022 को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा 03.00 बजे तक

इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पूर्व एमएसटीसी के पास प्री–बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई–नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री–बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।

ई–नीलामी की तिथि व समय **20-09-2022** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पाह्न 03.00 बजे तक 4 घंटे प्रत्येक 10 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए सम्पत्ति की बिक्री की जा रही है	सम्पत्ति(यों) का विवरण और टाईटल डीड धारक का नाम	आरक्षित मूल्य (रु.) जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नही की जाएगी / धरोहर राशि (ईएमडी) आरक्षित मूल्य का 10% / बोली वृद्धि राशि	सम्पर्क हेतु नाम एवं मो.
1	**मैसर्स ऑक्सीजन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्रा. लि.,** 2433, भूतल, तिलक गली, चूना मंडी, पहाड़गंज, दिल्ली–110055 **गारंटर मनीषा गौर और पवन गौर,** फ्लैट नं. ए–304, पार्श्वनाथ मैजेस्टिक, प्लॉट नंबर 18 ए, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद	₹ 71,49,040/- दिनांक 19.05.2016 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी फ्लैट नं. ए–304, तृतीय तल, ब्लॉक–ए, पर्श्वनाथ मैजेस्टिक, प्लॉट नं. 18ए, वैभव खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल (फ्लैट) 1396 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्रीमती मनीषा गौड़ और पवन गौड़ के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 78.43 लाख / ₹ 7.84 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री धीरज कुमार मो. 9560205656 श्री डिगम्बर एस बिष्ट मो. 9971846693
2	**मैसर्स अर्जुन ट्रेडर्स, ई–74, मनसा राम पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली–110059 और मैसर्स विशाल ट्रेडर्स, ई–45/46ए भूतल, मनसा राम पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली–110059**	₹ 47.93 लाख (अर्जुन ट्रेडर्स) और रु. 138.72 लाख (विशाल ट्रेडर्स) (दिनांक 31.03.2022) तक (कुल रु. 186.65 लाख) और भविष्य का ब्याज एवं प्रभार	भूमि एवं भवन प्लॉट नं. 45–46ए, ब्लॉक ई, मनसा राम पार्क उत्तम नगर, दिल्ली–110059 में स्थित, क्षेत्रफल 154.07 वर्ग गज (128.82 वर्ग मी.) 200. 00 वर्ग गज (167.00 वर्ग मी.) में से, यह सम्पत्ति श्रीमती हेमा सिंह पत्नी नेपाल सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 142.28 लाख / ₹ 14.23 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री धीरज कुमार मो. 9560205656 श्री डिगम्बर एस बिष्ट मो. 9971846693
3	**मैसर्स डिजिटल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय** ए42, सेक्टर 63, नोएडा, जिला जी बी नगर, यूपी 201301 **गारंटर: मैसर्स एस 3 सिनर्जी प्रा. लि., पंजीकृत कॉर्यालय:** प्लॉट नं. 110, ज्ञान खंड –1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201010	₹ 7,40,44,363/- दिनांक 06-08-2021 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	फ्री होल्ड सम्पत्ति जोकि पॉकेट – एफ, ईडीएम माल के पीछे, कौशाम्बी, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स एस 3 सिनर्जी प्रा. लि. के नाम पर है। क्षेत्रफल 854.36 वर्ग मी. (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 880.00 लाख / ₹ 88.00 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री धीरज कुमार मो. 9560205656 श्री डिगम्बर एस बिष्ट मो. 9971846693
4	**मैसर्स सिंघल इंटरप्राइजेज (प्रोपराईटर) श्री गौरव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री प्रवेश कुमार अग्रवाल, निवासी: 127, बारी मंडी पाटिया, जिला हापुड़ – 245101 (यू.पी.) गारंटर: श्रीमती हेमलता और श्री प्रवेश कुमार अग्रवाल**	कैश क्रेडिट रु. 25.50 लाख दिनांक 05.02. 2019 तक और होम लोन रु. 66.56 लाख दिनांक 04.09.2021 तक (प्लस भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी मकान नं. 4, खसरा नं. 2668 और 2699 का हिस्सा, मोहल्ला रामगंज, जिला हापुड़ में स्थित, क्षेत्रफल 104.55 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती हेमलता के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – 18' चौडा रास्ता, पश्चिम में – 18' चौडा रास्ता, उत्तर में – श्री देवेन्द्र कुमार जग्गी का प्लॉट नं. 5, दक्षिण में – प्लॉट नं. 3 (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 77.75 लाख / ₹ 7.80 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्रवण कुमार झा मो. 7408433898 आर के पोपली मो. 9891161345
5	**श्री क्षितिज सरपाल पुत्र देवेंद्र सरपाल**	₹ 29.86 लाख दिनांक 31-05-2020 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 5–जे/27, नॉर्थ ईस्ट हिस्सा, द्वितीय तल, एनएच–5, एनआईटी, फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री क्षितिज सरपाल पुत्र देवेंद्र सरपाल के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 29.07 लाख / ₹ 2.91 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्रवण कुमार झा मो. 7408433898 आर के पोपली मो. 9891161345

खाता/वालेट जिसमें ईएमडी भेजी जानी है: मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के साथ इसकी ई–नीलामी साइट **https://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp** पर पंजीकृत बोलीदाताओं के निजी वालेट एनईएफटी के माध्यम से। बोलीदाताओं को सुरक्षित मूल्य की ईएमडी मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड की ई–नीलामी वेबसाइट **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर इसके पास अनुरक्षित अपने बोलीदाता खाते पर जनित चालान द्वारा अपने बैंक के एनईएफटी द्वारा अंतरित करनी होगी। किसी सहायता हेतु कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क को नं. **033-40602403, 033-40609118, 033-40645316** पर तथा/अथवा प्राधिकृत अधिकारी (सम्पर्क हेतु व्यक्ति) को कॉल करें।

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. ई–नीलामी "जहां है, जैसा है, जो कुछ भी है के आधार पर" पर आयोजित की जा रही है तथा "ऑनलाइन" संचालित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता एमएसटीसी ई–कॉमर्स के माध्यम से उनके वेबपोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर संचालित की जाएगी।
2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, सम्पत्ति/यों पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/ बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं स्वतंत्र जांच, अपनी बोली देने से पहले, कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न कोई वचनबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जाएगा। सम्पत्ति/यां, बैंक को ज्ञात और अज्ञात समस्त विद्यमान और भावी ऋणभारों सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रत्याभूत क्रेडिटर किसी तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/ देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
3. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) बिक्री प्रतिफल के अंश के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की मंजूरी पर तत्काल जमा करनी होगी तथा बिक्री मूल्य की शेष राशि बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक करने की स्थिति में पहले जमा की चुकी र्ग राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी और सम्पत्ति/राशि के संबंध में चूककर्ता बोलीदाता को कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक के सेवा प्रदाता के वेबपोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi.index.jsp** तथा बैंक के पोर्टल **https://www.sbi.co.in** पर उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक : 01-09-2022, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी–।।, करोल बाग, (शाखा कोड 51521)

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा–।।,

एसबीआई हाऊस, चौथा तल, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

नियम–8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अन्तर्गत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत भारतीय स्टेट बैंक, 18/4, एसबीआई हाऊस, चौथा तल, आर्या समाज रोड, नई दिल्ली का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता/गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।**

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **भारतीय स्टेट बैंक, 18/4, एसबीआई हाऊस, चौथा तल, आर्या समाज रोड, नई दिल्ली** के प्रभार वास्ते निम्नांकित बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं	खाते / कर्जदार का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (धारा 13/2 नोटिस में उल्लिखित राशि)
1	श्री किशन सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह (उधारकर्ता), एच–22बी, नजफगढ़ रोड के पास, कुंवर सिंह नगर, नांगलोई, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110041. सी/ओ रिचो प्रा. लि., प्लॉट नं.–72 फेज–1, उद्योग विहार गुड़गांव हरियाणा	एफ–1404, एफ–ब्लॉक, 13वां तल, टेरा एलिगेंस अलवर एक्सप्रेस हाईवे नं. 25, भिवाड़ी अलवर राजस्थान– 301019 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री किशन सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह के नाम पर है।	19-07-2021 / 30-08-2022	रु. 31,11,029.00 दिनांक 28. 03.2022 तक और संविदात्मक दर से उक्त राशि भविष्य का ब्याज, लागत, प्रभार इत्यादि सहित
2	श्री प्रशांत कुमार पुत्र श्री शैलेंद्र कुमार सिंह (उधारकर्ता), बी–163, भूतल तल, सेक्टर–22, नोएडा मदर डेयरी आउटलेट के पास गौतमबुद्ध नगर यू.पी. 201301, 130 शिव मंदिर गांव के पास–धमढ़ी पोस्ट–बेलडीहा, धामराही बांका बिहार 813207 और क्वेस कॉर्पोरेशन लि., बी–1/1–1, प्रथम तल, मोहन कोऑपरेटिव इंडस एस्टेट मेट्रो पिलर नं. – 335 के पास, दिल्ली– 110044	जी–1506, टॉवर–जी, 14वीं मंजिल, टेरा एलिगेंस, अलवर एक्सप्रेस हाईवे नंबर 25, भिवाड़ी राजस्थान में स्थित, यह सम्पत्ति श्री प्रशांत कुमार पुत्र पुत्र श्री शैलेंद्र कुमार सिंह के नाम पर है।	28-03-2021 / 30-08-2022	रु. 31,08,134.00 दिनांक 28. 03.2022 तक और संविदात्मक दर से उक्त राशि भविष्य का ब्याज, लागत, प्रभार इत्यादि सहित

दिनांक : 30–08–2022, स्थान : नई दिल्ली — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

पंजाब नैशनल बैंक
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
प्रधान कार्यालय: मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
पहली मंजिल, सी-13, सैक्टर - 1, नोएडा - 201301 (उ. प्र.)

25 GSM MICR पेपर के 2,50,000 KGs की खरीद के लिए ई-निविदा

आई.बी.ए. अनुमोदित पेपर मिलों या उनके नामित डिलरों से खुली निविदाएं 25 जी.एस.एम. एम.आई.सी.आर. पेपर के 2,50,000 किलोग्राम की सप्लाई के लिए बैंक के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम द्वारा आमंत्रित की जाती हैं।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता निविदा दस्तावेज देख सकते हैं जिसे बैंक के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://eprocure.gov.in/ या बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

इसी पंजाब नेशनल बैंक, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट, पहली मंजिल, सी-13 सेक्टर -1, नोएडा (यूपी) से कार्य के घंटों के दौरान 03.09.2022 से 19.09.2022 तक किसी भी कार्य दिवस पर व्यक्तिगत रूप से भी एकत्र किया जा सकता है।

बैंक के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 19.09.2022 अपराह्न 01:00 बजे तक है।

(मुख्य प्रबन्धक)

UNIMODE OVERSEAS LIMITED

304A/10178, IIIrd Floor, Ravinder Plaza, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005
Email ID: unimodeoverseaslimited@gmail.com, Website: www.unimodeoverseas.in
CIN No. L51909DL1992PLC048444, Tel. No. 011-43685156

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of M/s UNIMODE OVERSEAS LIMITED will be held on Friday, 30th September, 2022 at Ravinder Plaza, III Floor, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, at 2:30 P.M. through Remote e-voting facility.

Notice of 30th AGM together with the Annual Report of the Company for the financial year 2021-2022, will be send electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories participants in terms of the circular issued by the MCA and SEBI. The said Notice and Annual Report are also being hosted in the Company's Website at https://www.unimodeoverseas.in and on website of e-voting Agency-NSDL at www.evoting.nsdl.com

In compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013, rules made there under and Regulation 44 of the SEBI- listing Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting services provided by NSDL on all resolutions set-forth in the Notice of AGM.

The remote e-voting period begins on Tuesday, 27th September, 2022 (09:00 A.M.) and ends on Thursday, 29th September, 2022 (05:00 P.M.). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The cut-off date to be eligible to vote by electronic means is Friday 23rd September, 2022.

The share transfer books and Register of Members of the Company will remain close during the period from Saturday, 24th September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (Both day inclusive).

For UNIMODE OVERSEAS LIMITED
Sd/-
Bhuwan Singh Taragi
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 02.09.2022

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

सर्कल शस्त्र केंद्र, पूर्वी दिल्ली, पॉकेट–ई, मयूर विहार, फेज–II , दिल्ली–110091
ई–मेल: cs8075@pnb.co.in, फोन नंबर (कार्या.): 011–22779758,22785289

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि,अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल शस्त्र केंद्र पूर्वी दिल्ली,सीएससी, पहली मंजिल, पॉकेट–ई, मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 05.01.2021 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें मैसर्स गौतम केमिकल कंपनी (उधारकर्ता), कार्यालय डी–33, सीसी कॉलोनी, आर.पी. बाग, दिल्ली–110007, श्रीमती नीना छाबड़ा पत्नी श्री गिरीश छाबड़ा (मालिक), निवासी डी–33, सीसी कॉलोनी, आर.पी. बाग, दिल्ली–110007, यहाँ भी–796, शाहबाद दौलतपुर, दिल्ली–110007, यहाँ भी– 27 ए/2, एम.आई.ई., बहादुरगढ़, झाझर, हरियाणा–124507, श्री गौतम छाबड़ा पुत्र गिरीश छाबड़ा (गारंटर सह बंधक), निवासी: डी –33, सीसी कॉलोनी, आर.पी. बाग, दिल्ली–110007 को 11.02.2020 के अनुसार नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 8187003. 95 (रुपये इक्यासी लाख सत्तासी हजार तीन और पैंसठ पैसे मात्र), जो कि 30.06.2022 की स्थिति के अनुसार रु. 11954611.95 (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख चौवन हजार छह सौ ग्यारह और पंचानबे पैसा मात्र) और उस पर अतिरिक्त ब्याज, खर्च और अन्य शुल्क आदि के साथ नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहा गया। उधारकर्ताध्गारंटर राशि का भुगतान करने में विफल रहे है, अतः उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 अगस्त 2022 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता/गारंटरों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/ गारंटर और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल शस्त्र केंद्र पूर्वी दिल्ली,सीएससी, पहली मंजिल, पॉकेट–ई, मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली को 11.02.2020 के अनुसार रु. 8187003.95 (रुपये इक्यासी लाख सत्तासी हजार तीन और पैंसठ पैसे मात्र) , जो कि 30.06.2022 की स्थिति के अनुसार रु. 11954611.95 (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख चौवन हजार छह सौ ग्यारह और पंचानबे पैसा मात्र) और उस पर अतिरिक्त ब्याज, खर्च और अन्य शुल्क आदि प्रभार के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

श्री गौतम छाबड़ा पुत्र श्री गिरीश छाबड़ा (गारंटर) के नाम पर दिल्ली राज्य सरकार कर्मचारी सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, सीसी कॉलोनी, सामने राणा प्रताप बाग, दिल्ली–110007 में स्थित फ्री होल्ड संपत्ति संख्या डी 33, मापक्षेत्र 200 वर्ग गज की छत के बिना पूरी दूसरी मंजिल।
सीमाबद्धः उत्तर पूर्व में: लेन, दक्षिण पूर्व में : अन्य संपत्ति
उत्तर पश्चिम में: अन्य संपत्ति, दक्षिण पश्चिम में : आतंरिक सड़क

दिनांकः 29.08.2022 स्थानः दिल्ली — अधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
सर्किल सस्त्र केंद्र: दक्षिणी दिल्ली, ऊपरी भूतल, 7, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066, ईमेल आईडी– cs4168@pnb.co.in

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट IV (नियम 8 (।) देखें)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 23.06.2022 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता मैसर्स वी के इम्पेक्स (स्वामी) श्री विनोद कुमार, एसबी151, यूजीएफ, जयपुरिया मॉल, अहिंसा खण्ड–।, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014, श्रीमती सुरंती देवी पत्नी श्री बानी सिंह निवासी ग्राम सिखेड़ा, पत्रालय पिलखुवा, तहसील–धौलाना, हापुड़–245304 और श्रीमती प्रीति सिंह पत्नी श्री विनोद कुमार निवासी एच–1105, स्टेलर जीवन जी, नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा–201306 तथा श्रीमती प्रमोद पत्नी संजय सोलंकी (गारंटर) निवासी मकान सं. 75, अमीनगर सराय, खिंदोड़ा, बागपत, यू.पी.–250609 को सूचना में अंकित, 23.06.2022 के अनुसार, राशि रु. 5,20,23,024.53/- (रुपये पांच करोड़ बीस लाख तेईस हजार चौबीस एवं तिरेपन पैसे मात्र) का राशि पर भावी ब्याज एवं व्ययों के साथ, सूचना की तिथि/उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, 23.06.2022 के अनुसार, रु. 5,20,23,024.53/- (रुपये पांच करोड़ बीस लाख तेईस हजार चौबीस एवं तिरेपन पैसे मात्र) की एक राशि तथा पूर्ण भुगतान होने तक राशि पर आकलित भावी ब्याज एवं व्ययों हेतु पंजाब नैशनल बैंक के प्रभाराधीन होगा।

अचल संपत्तियों के विवरण:

क्र. सं.	शाखा का नाम	खाता का नाम	ऋणकर्ता का नाम (संपत्ति के स्वामी)	मांग सूचना की तिथि	चिपकाई गई आधिपत्य सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि	प्राधिकृत अधिकारी/रियों के नाम
1.	सर्किल सस्त्र दक्षिणी दिल्ली	मैसर्स वी के इम्पेक्स	(1) श्रीमती प्रमोद पत्नी संजय सोलंकी (2) श्रीमती सुरंती देवी पत्नी बानी सिंह	23.06.2022	30.08.2022	रु. 5,20,23,021.53	श्री पवन कुमार

बंधक संपत्ति का विवरण : (1) कारखाना एवं भवन जो खसरा सं. 440 मिन. खाता सं. 00149, ग्राम हवल (धौलाना मार्ग), परगना डासना, तहसील एवं जनपद–हापुड़, उत्तर प्रदेश (एल एंड टी प्रशिक्षण केंद्र के निकट), माप 6537 वर्ग मीटर जो श्रीमती प्रमोद पत्नी श्री संजय सोलंकी के नाम पर है।

(2) फर्म मैसर्स वी के इम्पेक्स, खसरा सं. 440 मिन. खाता सं. 00149, ग्राम हवल (धौलाना मार्ग), परगना डासना, तहसील एवं जनपद–हापुड़, उत्तर प्रदेश (एल एंड टी प्रशिक्षण केंद्र के निकट) के स्टॉक एवं बही ऋणों, अन्य चालू परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधन

(3) संपत्ति खसरा सं. 508 मिन., ग्राम सिखेड़ा, परगना–डासना, हापुड़ जनपद गाजियाबाद, माप 2530 वर्ग मीटर, जो श्रीमती सुरंती देवी पत्नी बानी सिंह के नाम पर है

दिनांकः 30.08.2022, स्थानः हापुड़ — प्राधिकृत अधिकारी : पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

सर्किल सस्त्र केंद्र, सर्किल कार्यालय बुलंदशहर, ईमेलः CS8212@pnb.co.in, दूरभाष सं- 8171640088

आधिपत्य सूचना [धारा 13(4) के साथ पठित नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न तालिका में वर्णितानुसार मांग सूचना/एं निर्गत की थी/थीं, जिनमें संबंधित ऋणकर्ता/ओं को तालिका में अंकितानुसार राशि का, सूचना(ओं) की तिथि/उक्त सूचना(ओं) की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्ता(गण) निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

ऋणकर्ता/ओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्तियों का लेन–देन न करें तथा संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, एक निर्धारित राशि तथा पूर्णतः भुगतान होने तक अन्य व्ययों हेतु पंजाब नैशनल बैंक के प्रभाराधीन होगा।

अचल संपत्तियों का विवरण:

क्र. सं	ऋणकर्ता का नाम	बंधककृत संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	चिपकाई गई आधिपत्य सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि
1.	**श्री बनवारी लाल शर्मा पुत्र प्रकाश चंद शर्मा**	1. एक आवासीय भूखंड, कुल क्षेत्र माप

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: एसीई (डीआर) परि.-III, द्वारा कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर-VIII
यमुना विहार सीवेज शोधन संयंत्र (डा. अम्बेदकर कॉलेज के समीप), दिल्ली-110094
फोन: 011-22813593, ईमेल: eecdr8@gmail.com

प्रैस एनआईटी सं. 08(2022-23), ईई(सी)डीआर-VIII

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित अनुबंध मूल्य (ईसीबी)/ निविदा राशि (रु.)	धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.)	निविदा प्रॉसेसिंग शुल्क (रु.)	निविदा जारी की तिथि/ निविदा आईडी	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	मंडोली जेल दिल्ली के निकट वजीराबाद रोड से लगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पम्प के समीप हर्ष विहार में 3.85 एमजीडी डब्ल्यू पीएस के चारो ओर बाउण्ड्री वाल का निर्माण।	5424214/-	108500/-	1000/-	2022_DJB_ 228669-1 तिथि 2.9.2022	23.9.2022 के 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 318(2022-23)
हस्ता./- (आर.के.जैन)
कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर-VIII

"कोरोना रोकें; मास्क पहनें; शारीरिक दूरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें"

महाराष्ट्र के तारापुर में परमाणु संयंत्र पर तैनात सीआइएसएफ जवान लापता

पालघर, 2 सितंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में पालघर जिले के तारापुर में परमाणु विद्युत संयंत्र में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के एक जवान लापता होने की जानकारी मिली है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि जवान मनोज यादव के लापता होने को लेकर गुरुवार को पालघर थाने में गुमशुदगी शिकायत दर्ज कराई गई।

उन्होंने बताया कि यादव राइफल और 30 कारतूस के साथ लापता हैं। उन्होंने कहा कि कालोनी में यादव अकेले रहते थे और अन्य कर्मियों को लगा कि कुछ समय बाद वह लौट आएंगे लेकिन वहीं नहीं लौटे।

आग लगने की घटनाओं के बाद ई-वाहन बैटरी प्रावधान बदलेंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई वाहन) में बार बार हो रही आग लगने की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने वाहनों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी के प्रावधान बदलने का निर्णय लिया है। प्रावधानों में बदलाव इस मामले में बनी विशेष समिति की सिफारिश के आधार पर किया जा रहा है और इस प्रावधानों के माध्यम से केंद्र सरकार ने प्रयोग की जा रही बैटरी की क्षमता बढ़ाने की पहल की है। इसके लिए सड़क और परिवहन मंत्रालय ने एक प्रारूप तैयार किया गया है और आम जनता से सुझाव मांगे हैं।

ई वाहनों में इस साल की शुरुआत में ही बड़ी संख्या में आग लगने के मामले सामने आए थे और गर्मियां बढ़ने के साथ इन मामलों की संख्या भी बढ़ गई थी। इसके बाद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने एक विशेष समिति का गठन किया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह समिति टाटा नरसिंह राव (निदेशक, एआरसी, हैदराबाद) की अध्यक्षता में बनाई थी। समिति की रिपोर्ट के बाद ही केंद्र सरकार ने बैटरी संबंधी मौजूदा नियमों में बदलाव का प्रारूप तैयार किया है। विशेषज्ञ समिति ने एक अक्तूबर, 2022 से नए बैटरी प्रावधान लागू करने की सिफारिश की है।

संशोधनों में बैटरी सेल, बीएमएस, आन-बोर्ड चार्जर, बैटरी पैक का प्रारूप, आंतरिक सेल में शार्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रसार आदि से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एल श्रेणी (चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन) के मोटर वाहनों की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। साथ ही एम श्रेणी (यात्रियों को ले जाने वाली कम से कम चार पहिया मोटर गाड़ी) और एन श्रेणी (माल ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन, जो माल के अलावा लोगों को भी ले जा सकता है) के मोटर वाहनों की अलग आवश्यकताएं होती है। इसलिए बैटरी प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है।

बलात्कार के दोषियों को अब रहना पड़ सकता है आखिरी सांस तक जेल में

भोपाल, 2 सितंबर (भाषा)।

आजीवन कारावास की अवधि के निर्धारण के लिए मध्यप्रदेश सरकार की प्रस्तावित नीति में नाबालिग के साथ बलात्कार एवं समूहिक बलात्कार, आतंक और नशीले पदार्थों के अवैध व्यवसाय में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों को अब आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न अधिनियमों में आजीवन कारावास से दंडित बंदियों की रिहाई की अवधि की प्रस्तावित नीति 2022 पर चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में वर्ष 2012 की नीति लागू है। वर्तमान में प्रदेश के 131 जेलों में 12,000 से अधिक बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों के संबंध में जो नई नीति तैयार की गई है, उसमें जघन्य अपराधियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। आतंकी गतिविधियों और नाबालिगों से बलात्कार के अपराधियों का कारावास 14 वर्ष में समाप्त नहीं होगा। मध्यप्रदेश में ऐसे अपराधियों को अंतिम सांस तक कारावास में ही रहने का प्रावधान किया गया है।

अधिकारी ने बताया, 'ऐसे अपराधियों में विभिन्न अधिनियम में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए दोषी, नाबालिग से बलात्कार के दोषी, सामूहिक बलात्कार के दोषियों, जहरीली शराब बनाने, विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों, दो या दो से अधिक प्रकरण में हत्या के दोषी को अब अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।'

मुंबई : महिला से मारपीट का वीडियो आने पर मनसे के तीन कार्यकर्ता गिरफ्तार

मुंबई, 2 सितंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के तीन कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर उस वीडियो के प्रसारित होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें वे एक महिला के साथ सार्वजनिक रूप से कथित तौर पर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। 28 अगस्त को हुई इस घटना को लेकर गुरुवार को पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया था। पुलिस के कहा, महिला ने मनसे के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा मध्य मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में उसकी दुकान के सामने एक विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए खंभा स्थापित करने पर आपत्ति जताई थी।

SBI भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II
एसबीआई हाऊस, चौथा तल, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

श्री रेशम सिंह पुत्र श्री मनबीर सिंह, फ्लैट सी-359, कारगिल वीर आवास अपार्टमेंट, सेक्टर-18ए, द्वारका, नई दिल्ली-110075
श्री रेशम सिंह (प्रोपराईटर), मैसर्स लैक्रेस ईटर वर्ल्ड, के-266, साइट-वी, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, कासना, ग्रेटर नोएडा-201310
श्री रेशम सिंह पुत्र श्री मनबीर सिंह, बी-401, उपकारी अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 09, सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली-110078

विषय: गिरवी रखे हुए फ्लैट से घरेलू सामान हटाने के लिए नोटिस

यह सूचित किया जाता है कि बैंक ने सीएमएम आदेश, द्वारका कोर्ट, दिनांक 27.07.2022 के अनुसार 25.08.2022 को बंधक रखी गई संपत्ति (फ्लैट सी-359, कारगिल वीर आवास अपार्टमेंट, सेक्टर-18ए, द्वारका, नई दिल्ली) का भौतिक कब्जा ले लिया है।
उक्त बंधक सम्पत्ति में उपरोक्त ऋणी का घरेलू सामान नही हटाया गया जबकि कब्जे की कार्यवाही की पूर्व सूचना दी गयी थी।
अतः उपरोक्त ऋणी को यह निर्देशित किया जाता है कि अपना उपरोक्त सामान बंधक सम्पत्ति से 7 दिवस के अंतर्गत उपयुक्त खर्चे भरने के पश्चात हटा लें अन्यथा इसे कानून के अंतर्गत उपयुक्त निस्तारण किया जायेगा तथा इसके खर्चे की वसूली उपरोक्त ऋणी से की जाएगी।

दिनांक 02-09-2022, स्थान : नई दिल्ली — हस्ता0/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

मण्डल सस्त्रा केन्द्र, मण्डल कार्यालय लखनऊ
(पीएनबी आईटी), प्रथम तल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 ईमेल:cs8272@pnb.co.in

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002(सरफेसी एक्ट 2002) धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस

आप सभी निम्नलिखित पार्टियों को एतदद्वारा अधोहस्ताक्षरी सूचित करता है कि आप सभी के खिलाफ बैंक ने वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के अन्तर्गत कारवाई प्रारम्भ करते हुए एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत आप सभी को अलग-अलग रजिस्ट्रर पोस्ट द्वारा नीचे वार्णित तिथियों को नोटिस भेजी गई थी जोकि बगैर तामील हुए वापस आ गई है। इसलिए आप सभी को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि इस नोटिस के 60 दिन के अन्दर आप संयुक्त/पृथक रूप से बकाया राशि अदा कर दें अन्यथा बैंक इस एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों के प्रति बकाया राशि मय ब्याज व एक्ट के अन्तर्गत अपेक्षित लागत की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर देगा। यह कहना आवश्यक नही है कि बैंक के पास और कोई उपाय न होने के कारण यह सूचना बगैर किसी पूर्वाग्रह के जारी की जा रही है। ऋणियों, गारन्टर्स, बन्धककर्ताओं तथा जनसाधारण को आगाह किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्तियों के प्रति कोई संव्यवहार न करें और इन सम्पत्तियों के प्रति किये गये संव्यवहार पर यदि कोई कार्य होता है, तो ब्याज सहित बैंक की बकाया राशि हेतु पहला अधिकार पंजाब नैशनल बैंक का होगा।

खाता/उधारकर्ता/जमानतकर्ता का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	नोटिस की रकम(रू.)
उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता-श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री प्रदीप शर्मा, द्वारा इनके (स्वर्गीय संगीता शर्मा पत्नी श्री प्रदीप शर्मा के) कानूनी उत्तराधिकारी: 1. श्री शानू, 2. श्री ऋषभ दोनों निवासी: (1.) फ्लैट नंबर 3 म.नं. 15, तृतीय तल गुरुद्वारा पेपर मिल कॉलोनी लखनऊ यूपी 226004। (2) निवासी: मकान नं. 13/1/16 सेक्टर-13 विकास नगर लखनऊ (3) ईडी सेक्टर ए-35 कपूरथला अलीगंज लखनऊ। **जमानतकर्ता-श्री अशोक कुमार त्रिपाठी** निवासी डी-1/248, सेक्टर-एफ रिंग रोड निकट इंजीनियरिंग कॉलेज जानकीपुरम लखनऊ। खाता संख्या 873500NC00000077 और 8735009900000025 **शाखा: मामा चौराहा, लखनऊ (873500)**	सभी भाग एवं हिस्सों सहित मकान नं.-13/1/16, सेक्टर-13 विकास नगर लखनऊ क्षेत्र: 167.62 वर्गमीटर जोकि श्रीमती संगीता शर्मा के नाम पर है। विलेख के अनुसार चौहददी: उत्तर-मकान स.- 13/1/15, दक्षिण-मकान स.- 13/1/17 पूर्व-मकान स.- 13/1/30, पश्चिम-15 मीटर चौड़ी सड़क	02-08-2022	दि. 31.07.2022 को रू. 20,78,225.00 (रूपये बीस लाख अठात्तर हजार दो सौ पच्चीस मात्र) सहित ब्याज एवं अन्य खर्चे

आप को सलाह दी जाती है। कि – (1) मूल नोटिस/लिफाफा जो आपको सम्बोधित है तथा डाक अधिकारियों द्वारा वापस की गई है, को शाखा से प्राप्त कर लें एवं (2) सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत कार्यवाही से बचने के लिए नोटिस जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण बकाया धनराशि ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित का भुगतान कर दें।

दिनांक 02.09.2022, स्थान: लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक ... भरोसे का प्रतीक !
सस्त्र सेन्टर, क्षेत्रीय कार्यालय : बरेली
सी-18/बी, प्रथम तल, डी.डी. पुरम, बरेली
Ph: 0581-2520446 (Fax)
E-mail : cs8194@pnb.co.in

कब्जा धारण की सूचना

अधोहस्ताक्षरी जो कि पंजाब नैशनल बैंक ने सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत प्राधि त अधिकारी है ने धारा 13(2) जिसे सिक्योरिटी इंट्रैस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के साथ पढ़ा जाये, में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए माँग सूचना जारी की थी तथा ऋणी को माँग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान नोटिस की दिनांक सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था भुगतान करने में असमर्थ रहने के कारण ऋणी/मोर्टगेजर तथा सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपरोक्त एक्ट की धारा 13 (4) जिसे इंफोर्समैंट नियम 8 के साथ पढ़ा जाये में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा दिनांक 27, 28 अप्रैल एवं 2 मई 2022 को प्राप्त कर लिया है ऋणी व मोर्टगेजर को विशिष्ट रूप से तथा सामान्य रूप से सतर्क किया जाता है कि निम्न सम्पत्तियों का सौदा न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार/लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक की सम्बन्धित शाखा की ऋण राशि, ब्याज एवं अन्य व्यय के भार के आधीन होगा। **जिन सम्पत्तियों पर कब्जा किया गया उनका विवरण इस प्रकार है**

क्र. सं.	ऋणी खाते का नाम व पता गारन्टर का नाम व पता शाखा का नाम	धारा 13 (2) के अंतर्गत बकाया राशि एवं मांग सूचना दिनांक	गिरवी रखी अचल सम्पत्तियों का विवरण
1.	**ऋणी :** श्री यशदीप पाण्डेय पुत्र श्री रविकान्त पाण्डेय एवं श्रीमती मिथलेश पाण्डेय पत्नी श्री रविकान्त पाण्डेय **गारन्टर :** श्री धर्मेन्द्र मौर्य पुत्र श्री सोनपाल मौर्य **पीएनबी, घूरान तलैय्या, शाहजहाँपुर**	**रू. 35,12,369/-** + दिनांक 01.05.2022 से ब्याज एवं अन्य खर्चे **सूचना दिनांक 25.05.2022 एवं प्रतिकात्मक दिनांक 01.09.2022**	आवासीय मकान के साम्यिक बन्धक गाटा सं. 28 क्षेत्रफल 92.94 वर्ग मी. श्री यशदीप पाण्डेय पुत्र श्री रविकान्त पाण्डेय के नाम स्थित ग्राम चिनौर, पर. व तह. सदर जिला, शाहजहाँपुर बिक्री विलेख के अनुसार बुक सं. 01, वाल्यू सं. 10060, पेज नं. 325 से 368, क्रम सं. 4676, दिनांक 27.04.2016 को उप रजिस्ट्रार सदर से पंजीकृत **चौहद्दी : पूरब** - नव खरीददार राजेश वर्मा, **पश्चिम** - शेष आराजी विक्रेता, **उत्तर**- रास्ता कच्चा 18फिट चौड़ा, **दक्षिण** - रास्ता कच्चा 18फिट चौड़ा
2.	**ऋणी : मैसर्स अमन ट्रेडर्स प्रोपराइटर :** श्री अशरफ अली पुत्र श्री अख्तर अली **गारन्टर :** श्री अख्तर अली पुत्र श्री अहमद अली, श्री मो. सलीम पुत्र श्री इकरार अहमद एवं श्री मो. कलीम पुत्र श्री नसीम **पीएनबी, घूरान तलैय्या, शाहजहाँपुर**	**रू.35,14,593.42/-** + दिनांक 01.05.2022 से ब्याज एवं अन्य खर्चे **सूचना दिनांक 26.05.2022 एवं प्रतिकात्मक दिनांक 01.09.2022**	1. आवासीय प्लाट के साम्यिक बन्धक क्षेत्रफल 278.32 वर्ग मी. श्री अशरफ अली पुत्र श्री अख्तर अली के नाम स्थित ग्राम नगरिया बहाव पर. व तह. सदर, जिला शाहजहाँपुर बिक्री विलेख के अनुसार बुक सं. 01, खण्ड सं. 9731, पेज नं. 69 से 104, क्रम सं. 13828, दिनांक 26.10.2015 को उप रजिस्ट्रार सदर से पंजीकृत **चौहद्दी : पूरब** - (बिकी हुई) आराजी आसिफ खान वाली, **पश्चिम** - (बिकी हुई) आराजी आसिफ खान वाली, **उत्तर**- (बिकी हुई) आराजी आसिफ खान वाली, **दक्षिण** - कच्चा रास्ता 2. आवासीय प्लाट के साम्यिक बन्धक क्षेत्रफल 190.64 वर्ग मी. श्री अख्तर अली पुत्र श्री अहमद अली के नाम स्थित जई जलालनगर, तह. सदर, जिला शाहजहाँपुर बिक्री विलेख के अनुसार बुक सं. 01, खण्ड सं. 3335, पेज नं. 257 से 270, क्रम सं. 2977, दिनांक 01.05.2004 को उप रजिस्ट्रार सदर से पंजीकृत **चौहद्दी : पूरब** - नत्थू खान का मकान, **पश्चिम** - आराजी एवं हिग्गू खान का मकान, **उत्तर**-खण्डजा रास्ता, **दक्षिण** - मकान एवं आराजी रामधुन 3. आवासीय सम्पत्ति के साम्यिक बन्धक खसरा सं. 467 का भाग क्षेत्रफल 98.14 वर्ग मी. श्री मो. कलीम पुत्र श्री मो. नसीम एवं श्री मो. सलीम पुत्र श्री इकरार अहमद के नाम स्थित ग्राम सतवान बुजुर्ग पर. व तह. सदर, जिला शाहजहाँपुर बिक्री विलेख के अनुसार बुक सं. 01, खण्ड सं. 8658, पेज नं. 87 से 110, क्रम सं. 2672, दिनांक 26.02.2014 को उप रजिस्ट्रार सदर से पंजीकृत **चौहद्दी : पूरब** - प्रसादी एवं अन्य का मकान, **पश्चिम** - 20फिट कच्चा रास्ता, **उत्तर**- आराजी सईद खान, **दक्षिण** - आराजी सईद खान
4.	**ऋणी : मैसर्स स्काई प्रिन्टर्स प्रोपराइटर/बन्धककर्ता :** श्री फहीम अहमद पुत्र श्री नईम अहमद **गारन्टर :** श्री मो. असलम पुत्र श्री इमरान अली, श्री बजरंग लाल जांगिड़ पुत्र श्री सियो करन जांगिड़, श्री निशहत अहमद पुत्र श्री नईम अहमद **पीएनबी, शाहजहाँपुर(यू.पी.)**	**रू.14,92,364.50/-** + दिनांक 01.02.2022 से ब्याज एवं अन्य खर्चे **सूचना दिनांक 07.02.2022 एवं प्रतिकात्मक दिनांक 31.08.2022**	आवासीय मकान/प्लाट के साम्यिक बन्धक क्षेत्रफल 152.54 वर्ग मी. श्री फहीम अहमद पुत्र नईम अहमद के नाम स्थित मोहल्ला सिंजई, तह. सदर, जिला शाहजहाँपुर बिक्री विलेख के अनुसार बुक सं. 01, जिल्द सं. 7693, पेज नं. 93 से 130, क्रम सं. 9108, दिनांक 22.08.2012 को उप रजिस्ट्रार सदर, शाहजहाँपुर से पंजीकृत **चौहद्दी : पूरब** - नाले के बाद पक्का रास्ता, **पश्चिम** - वारिसान अमीर हसन का मकान, **उत्तर**- नत्थू वाला का मकान एवं हवलदार पाल एवं रमेश पाल, **दक्षिण** - वारिसान हरद्वारी लाल का मकान एवं हवलदार आदि

नोट : किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अंग्रेजी में प्रकाशित अंग्रेजी के विज्ञापन को वरीयता दी जायेगी
दिनांक : 3.09.2022 — स्थान : बरेली — प्राधिकृत अधिकारी

केनरा बैंक Canara Bank
सी-34, 3सरा तल, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, मूलचन्द अस्पताल के सामने, लाजपत नगर, दिल्ली-24
ई-मेल : cb19208@canarabank.com
दूरभाष : 011-79676467

बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका केनरा बैंक की दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन (सैम) शाखा, सी-34, 3सरा तल, डीडीए ऑफिस-सह-शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, मूलचन्द अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-1100024 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, केनरा बैंक की सैम शाखा के मैसर्स यूनाइटेड कोल्ड चेन एण्ड फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : सी-88, न्यू फ्रूट मार्केट, आजादपुर, दिल्ली-110033, जमानती : श्री अभिनव जग्गी, श्री पवन जग्गी, श्रीमती ज्योति जग्गी से मैसर्स यूनाइटेड कोल्ड चेन एण्ड फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड को स्वीकृत ऋण रु. 104,36,83,439 (रुपये एक सौ चार करोड़ छत्तीस लाख तिरासी हजार चार सौ उनतालीस मात्र) तथा 01.10.2017 से ब्याज एवं लागतों की वसूली के लिये 27.09.2022 को "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

1. ज्ञात ऋणभारों, यदि कोई, सहित अचल सम्पत्ति का विवरण तथा पूर्ण मसौदा : औद्योगिक सम्पत्ति किला सं. 95/14 एवं 17, जंती कुलान रोड, ग्राम कुंडली, सोनीपत (हरियाणा) के क्षेत्र में स्थित, माप 8468.17 वर्ग गज, मैसर्स यूनाइटेड कोल्ड चेन एण्ड फूड प्रोसेसिंग के नाम पर।

चौहद्दी:
पूर्व: अन्य खाली प्लॉट, पश्चिम: 60 फीट चौड़ी एचएसआईआईडीसी रोड
उत्तर: मैसर्स ओसराम लाइट फैक्ट्री दक्षिण: जंती कुलान रोड

सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रु. 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) तथा जमा धरोहर राशि रु. 2,50,00,000/- (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) होगी।
बैंक की जानकारी के अनुसार उपर्युक्त सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है।
स्थानीय स्वशासन का बकाया देय (सम्पत्ति कर, पानी सीवरेज, बिजली बिल आदि : बैंक के संज्ञान में नहीं)

2. संयन्त्र तथा मशीनरी का पूर्ण विवरण :
किला सं. 95/14 एवं 17(6-13), जंती कुलान रोड, ग्राम कुंडली, सोनीपत (हरियाणा) के क्षेत्र में स्थित भूमि पर संयन्त्र तथा मशीनरी, माप 8468.17 वर्ग गज, मैसर्स यूनाइटेड कोल्ड चेन एण्ड फूड प्रोसेसिंग के नाम पर ।
मशीनरी के लिये आरक्षित मूल्य रु. 83,00,000/- (रुपये तिरासी लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 8,30,000/- (रुपये आठ लाख तीस हजार मात्र) है।
बैंक की जानकारी के अनुसार उपर्युक्त सम्पत्ति पर कोई ऋणभार/बकाया नहीं है।
नोट : सम्पत्ति तथा मशीनरी एक साथ बेची जायेगी।
जमा धरोहर राशि 23.09.2022 को 5.00 बजे अप. तक जमा की जायेगी। सम्पत्ति का निरीक्षण 20.09.2022 को 11.30 बजे पूर्वा. से 3.30 बजे अप. तक अधिकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकता है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया केनरा बैंक की वेबसाइट (https://www.canarabank.com) तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://indianbankseauction.com में प्रावधानित लिंक "ई-ऑक्शन" का सन्दर्भ लें या अधिकृत प्राधिकारी, केनरा बैंक, सैम शाखा, सी-34, IIIरा तल, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, मूलचन्द अस्पताल के सामने, लाजपत नगर, नई दिल्ली-1100024, दूरभाष नं. 011-79676467, 9653220988, 8979872232 से किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय घण्टों के दौरान सम्पर्क करें।

तिथि : 2 सितम्बर, 2022 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली — केनरा बैंक

LIC HFL LIC HOUSING FINANCE LTD
एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: बॉम्बे लाईफ बिल्डिंग, दूसरा तल, 45/47, वीर नरीमन रोड, मुम्बई-400001
बेक ऑफिस: लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, ऑसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 सीआईएन: L65922MH1989PLC052257

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [नियम 8(1) देखें]

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के प्रवर्तन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** ने लेखाओं के अधीन वर्णित राशि को कथित सूचना की तिथि से साठ दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए एक मांग सूचना जारी की। कथित कर्जदार राशि का भुगतान करने में असफल रहे इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम-9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सम्मुख तिथि को नीचे वर्णित सम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। विशेषकर कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार और उस पर आगे ब्याज के भुगतान के अधीन होगा। **जिस सम्पत्ति का कब्जा लिया गया है उसका विवरण निम्नानुसार है:**

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार एवं गारंटर का नाम	बंधक/चार्ज्ड संपत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	आवेदक: मिस अरूणा दास (ऋण खाता सं.14011051533)	प्लॉट नं. डी-21, दूसरी मंजिल, अशोका एन्क्लेव, पार्ट-1, फरीदाबाद, हरियाणा से युक्त सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से। क्षेत्रफल 615 वर्ग फीट। निम्नानुसार घिरा है:- उत्तर: सड़क दक्षिण: अन्य की भूमि पूर्व: प्लॉट नं. डी 20 पश्चिम: प्लॉट नं. डी 22	30.05.2022	01.09.2022	रू.4,94,038.21 (चार लाख चौरानबे हजार अड़तीस रूपये एवं इक्कीस पैसे मात्र) प्लस उस पर ब्याज एवं अन्य शुल्क

कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है
दिनांक: 01/09/2022 स्थान: फरीदाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लि.

पंजाब नैशनल बैंक .....भरोसे का प्रतीक
मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद,
केजे-13, कविनगर, गाजियाबाद - 201001,
मोन : 8283810870, 9971720088,
ई-मेल: cs8228@pnb.co.in

शुद्धि पत्र

दिनांक **12.08.2022** को इस समाचार पत्र (जनसत्ता) में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को विशेष रूप से उधारकर्ता को सूचित किया जाता है कि **श्रीमती मीनाक्षी सक्सेना एवं श्री अमिताभ प्रकाश सक्सेना (क्र.सं. 1) और श्री सुखदेव राव पुत्र श्री विट्ठल राव (क्र.सं. 2)** की सम्पत्तियों की ई-नीलामी की तिथि 20.09.2002 के स्थान पर संशोधित ई-नीलामी की तिथि **20.09.2022** पढ़ा जाऐ। शेष खाते / विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक .....भरोसे का प्रतीक
मण्डल शस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली,
9/90, प्रथम तल, पी-ब्लॉक, कर्नोट सर्कस,
नई दिल्ली 110001

शुद्धिपत्र

दिनांक 10.08.2022 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस में शाखा करमपुरा शाखा के कर्जदार **मैसर्स केमरी फुटवियर इंडिया (क्र.सं. 1), की सम्पत्ति प्रथम तल, ए-1/155 पश्चिम विहार, नई दिल्ली में स्थित के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह सम्पत्तियां अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं।**
इन संपत्तियों को बैंक ने 16.09.2022 को होने वाली ई-नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है
शेष अन्य खाते/विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक .....भरोसे का प्रतीक
मण्डल शस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली,
9/90, प्रथम तल, पी-ब्लॉक, कर्नोट सर्कस,
नई दिल्ली 110001

शुद्धिपत्र

दिनांक 24.08.2022 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस में शाखा ओल्ड राजिंदर नगर के कर्जदार **मैसर्स एन.वी टेक्सटाइल्स (क्र.सं. 5), की सम्पत्ति म्युनिसिपल नं. 11830, भूतल, खसरा नं. 3712/2529, प्लॉट नं. 11, ब्लॉक 2-ए, बस्ती रैघर, सत नगर, करोल बाग, दिल्ली-110005 में स्थित के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह सम्पत्तियां अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं।**
इन संपत्तियों को बैंक ने 16.09.2022 को होने वाली ई-नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है
शेष अन्य खाते/विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
सिंडिकेट Syndicate

सामान्य प्रशासन अनुभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय, सी-2, प्रथम तल,
महालक्ष्मी मॉल, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद

खबर कोना



पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक जिले में बाढ़ की वजह से घर छोड़कर आई एक महिला रैनबसेरे में अपने बच्चों के साथ।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ अंतिम चरण में

लंदन, 2 सितंबर (भाषा)।

कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस के बीच दौड़ शुक्रवार को अंतिम चरण में है। जिसमें पार्टी के सदस्य अपने पसंदीदा उम्मीदवार के चुनाव के लिए अंतिम रूप से मतदान करेंगे। सुनक (42) और ट्रस (47) कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 1,60,000 सदस्यों के मत पाने और उन्हें प्रभावित करने के लिए कई बार आमने-सामने की बहस कर चुके हैं। भारतीय मूल के पूर्व मंत्री ने अपने अभियान में तत्काल प्राथमिकता के रूप में बढ़ती मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने की बात कही है। वहीं, विदेश मंत्री ट्रस ने वादा किया है कि यदि वह प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं तो कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही करों में कटौती करने का आदेश जारी करेंगी। सुनक अंतिम दो उम्मीदवार चुनने के लिए पार्टी के सांसदों द्वारा किए गए मतदान में जहां ट्रस से आगे थे।

डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक लोकतंत्र के लिए खतरा : बाइडेन

वाशिंगटन, 2 सितंबर (भाषा)।

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वह और उनके समर्थक अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। बाइडेन ने अमेरिकियों से उन चरमपंथियों का सामना करने का आह्वान किया, जो सत्ता की चाह में राजनीतिक हिंसा की लपटों को हवा देते हैं। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नवंबर में होने हैं। गुरुवार को फिलाडेल्फिया में अपने संबोधन में बाइडेन ने कहा कि आज समानता और लोकतंत्र खतरे में है।

यूक्रेन के परमाणु संयंत्र के पास लड़ाई जारी

जपोरिज्जिया (यूक्रेन), 2 सितंबर (एपी)।

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी के विशेषज्ञों द्वारा विशाल संरचनात्मक क्षति को लेकर चिंता व्यक्त किए जाने के एक दिन बाद पूर्वी यूक्रेन के रूस-नियंत्रित क्षेत्र में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास शुक्रवार को भीषण लड़ाई जारी रही। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जिस जिले में जपोरिज्जिया परमाणु संयंत्र है, वहां गोलाबारी जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा कि रूस की गोलाबारी में नीपर नदी के दूसरे तट पर निकोपोल क्षेत्र में घर, गैस पाइपलाइन और अन्य बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए। आइएईए के निरीक्षकों की टीम मार्ग में गोलाबारी के बीच संयंत्र की सुरक्षा में मदद करने के लिए गुरुवार को जपोरिज्जिया संयंत्र तक पहुंचने के लिए सीमा रेखा को पार कर गई।

मुरुग मठ के महंत को पांच सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

चित्रदुर्ग/बेंगलुरु, 2 सितंबर (भाषा)।

कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित मुरुग मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुग शरणारु को दो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में शुक्रवार को, पांच सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। महंत को बृहस्पतिवार रात को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि महंत पर लगे आरोप 'गंभीर' हैं। आरोपी को शुक्रवार को एक अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने पांच दिन की हिरासत की मांग की। महंत ने भगवा कपड़ों के ऊपर सफेद वस्त्र पहना था और उन्हें अदालत में वीलचेयर पर लाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय हुआ विस्फोट

अफगानिस्तान : हेरात शहर की मस्जिद में धमाका, 18 की मौत

हेरात, 2 सितंबर (एपी)।

उत्तरी अफगानिस्तान के हेरात शहर में शुक्रवार को एक मस्जिद में धमाका हुआ। इस धमाके में एक प्रमुख मौलवी समेत कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई जबकि 21 अन्य घायल हो गए।

तालिबान के अधिकारियों ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि हेरात शहर की गुजारगाह मस्जिद में शुक्रवार दोपहर की नमाज के समय यह विस्फोट हुआ। गौरतलब है कि जुमे की नमाज के दौरान आमतौर पर अधिक भीड़ होती है। इस विस्फोट में मुजीब-उल रहमान अंसारी की भी मौत हो गई, जो एक प्रमुख मौलवी थे। पिछले दो दशकों में अफगानिस्तान की पश्चिम-समर्थित सरकारों की आलोचना के लिए अंसारी को पूरे अफगानिस्तान में पहचाना जाता था। अंसारी को तालिबान का करीबी समझा जाता है, जिसने विदेशी बलों के वापस जाने के बाद पिछले साल देश की सत्ता पर नियंत्रण हासिल किया था। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने धमाके में अंसारी की मौत की पुष्टि की है। वहीं एक हेरात एंबुलेंस सेंटर के एक अधिकारी मोहम्मद दाउद मोहम्मदी ने कहा कि एंबुलेंस से 18 मृत और 21 घायलों को अस्पताल लाया गया है। शुक्रवार के इस धमाके की अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।



तालिबान के अधिकारियों ने बताया कि हेरात शहर की गुजारगाह मस्जिद में शुक्रवार दोपहर की नमाज के समय यह विस्फोट हुआ। *हादसे* में मुजीब-उल रहमान अंसारी की भी मौत हो गई, जो एक प्रमुख मौलवी थे।

सू की को तीन साल की सजा

बैंकाक, 2 सितंबर (एपी)।

म्यांमा की एक अदालत ने शुक्रवार को देश की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को चुनावी धोखाधड़ी में संलिप्तता का दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई। सैन्य शासित देश में सू की को पहले ही कई अन्य मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है और 17 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ऐसे में इस सजा के बाद उन्हें अब और अधिक समय जेल में काटना होगा।



इससे सू की की 'नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी पार्टी' का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। सेना ने देश में 2023 में नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की है। सू की की पूर्व सरकार के दो वरिष्ठ सदस्यों को भी मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि एक फरवरी 2021 को म्यांमा की सेना ने देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और सू की तथा म्यांमा के कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया था। सू की की पार्टी ने पिछले आम चुनाव में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन सेना का कहना है कि चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई।

आज श्रीलंका लौटेंगे गोटबाया

कोलंबो, 2 सितंबर (भाषा)।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे शनिवार तड़के थाईलैंड से स्वदेश लौटेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की। राजपक्षे श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच उनके तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर महीनों से जारी विरोध-प्रदर्शनों के नौ जुलाई को हिंसक रूप अख्तियार करने के बाद 13 जुलाई को देश छोड़कर भाग गए थे। उस समय प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति आवास सहित कई अन्य सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया था।



आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राजपक्षे शनिवार सुबह श्रीलंका लौटेंगे। हालांकि, उनकी उड़ान के बारे में अभी कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह कोलंबो के पूर्वी उपनगर मिरिहाना स्थित अपने निजी आवास में ठहरेंगे या नहीं। राजपक्षे पहले श्रीलंका वायुसेना के विमान के जरिए कोलंबो से मालदीव भागे थे। मालदीव से वह सिंगापुर रवाना हुए थे, जहां से उन्होंने 14 जुलाई को अपना इस्तीफा भेजा था।

अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति की हत्या की कोशिश नाकाम

हमलावर ने तान दी थी पिस्तौल, लेकिन चली नहीं

ब्यूनस आयर्स, 2 सितंबर (एपी)।

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने बताया कि देश की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के घर के बाहर उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। एक हमलावर ने उन पर पिस्तौल तान दी थी, लेकिन वह चली नहीं।

अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार रात हुई घटना के तुरंत बाद संदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया गया। राष्ट्रपति ने घटना के बाद एक राष्ट्रीय प्रसारक से कहा कि एक व्यक्ति ने उनके सिर पर (गुरुवार रात) हथियार ताना। उन्होंने कहा कि गोली नहीं चली, जबकि उसने ट्रिगर खींच दिया था। उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज 2007 से 2015 तक देश की राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उपराष्ट्रपति को कोई चोट नहीं आई है। संदिग्ध हमलावर उनके समर्थकों के बीच खड़ा था, जिसे घटना के तुरंत बाद पकड़ लिया गया। मौके पर मौजूद जिना दे बई ने बताया कि उन्होंने ट्रिगर खींचने की आवाज सुनी थी। उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मियों के संदिग्ध को पकड़ने तक उन्हें एहसास नहीं हुआ था कि वह किसी हथियार की आवाज है। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने इसे 1983 में देश में लोकतंत्र बहाल होने के बाद की अभी तक की सबसे गंभीर घटना बताया। घटना ऐसे समय में हुई है, जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ उनके 2007-2015 के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कथित कृत्यों के संबंध में मुकदमे चल रहे हैं।

स्थानीय टेलीविजन चैनल पर प्रसारित घटनास्थल के वीडियो में फर्नांडीज अपने घर के बाहर समर्थकों से घिरे अपने वाहन से बाहर निकलती दिख रहीं है। तभी एक व्यक्ति पिस्तौल जैसी दिखने वाली कोई एक वस्तु लिए नजर आ रहा है। हालांकि, उपराष्ट्रपति वहां से निकलने में कामयाब रहीं। वीडियो में मौके पर मौजूद उपराष्ट्रपति के समर्थक भी स्तब्ध नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित असत्यापित वीडियो में हथियार फर्नांडीज के चेहरे को लगभग छूता नजर आ रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि हमलावर की पहचान ब्राजील के नागरिक फर्नांडो आंद्रे सबाग मोंटिएल के तौर पर हुई है। उसका कोई आपराधिक रेकार्ड नहीं है। उसके पास .32-कैलिबर बर्सा पिस्तौल थी। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के साथ एकजुटता व्यक्त करने और लोगों को इस घटना से उबरने का समय देने के लिए शुक्रवार को छुट्टी की घोषणा की है। गौरतलब है कि एक अभियोजक ने पिछले सप्ताह सार्वजनिक कार्यों में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में फर्नांडीज को 12 साल की सजा देने की मांग की थी, जिसके बाद से उपराष्ट्रपति के समर्थक उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए उनके घर के आसपास सड़कों पर जमा होते रहे हैं। सरकार के अधिकारियों ने इस घटना को हत्या का प्रयास बताया है।

वित्त मंत्री सर्जियो मास्सा ने कहा कि जब विचारों पर नफरत व हिंसा थोपी जाती है, तो समाज बर्बाद हो जाते हैं और आज जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यह हत्या का प्रयास है। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज की सरकार में मंत्रियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वे उपराष्ट्रपति की हत्या के प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं।



उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के सिर पर पिस्तौल ताने हुए हमलावर (घेरे में)।

शुभेंदु की फरियाद सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

ममता बनर्जी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका को दूसरे हाईकोर्ट में भेजने की मांग वाली भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालयों के इस विकल्प की अनुमति नहीं दे सकती। जिस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, मामले की सुनवाई वहीं होगी।

पीठ ने अधिकारी को चुनाव याचिकाकर्ता के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संपर्क करने की स्वतंत्रता दे दी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिका को स्थानांतरित करने से संदेश जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय में विश्वास की कमी जता रहा है। हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने माना कि उच्च न्यायालय को उनके अधिकार क्षेत्र के मुकदमे पर नियंत्रण रखने में सक्षम होना चाहिए।

अधिकारी ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के माध्यम से पीठ को अपनी दुर्दशा से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में चुनावी याचिका की सुनवाई के लिए माहौल अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद एक पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि क्योंकि उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति में से एक का विरोध किया था, इसलिए उन्हें एक संबंधित मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए। जिन न्यायाधीशों ने अधिकारी के अनुकूल राहत प्रदान की है, उन्हें राज्य प्रशासन का कोप भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन्होंने पश्चिम बंगाल में वर्तमान सरकार के प्रतिकूल आदेश पारित किए हैं। वहां जो हो रहा है, वह चिंताजनक है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ अन्य न्यायाधीशों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं कि चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान अनुकूल माहौल बनाए रखा जाए। उनके कंधे इससे निपटने के लिए काफी चौड़े हैं। साल्वे ने जवाब दिया कि उन्होंने न्यायाधीशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है।



पीठ ने अधिकारी को चुनाव याचिकाकर्ता के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संपर्क करने की स्वतंत्रता दे दी।



इंतजार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती संसद की 62वीं स्थापना वर्षगांठ पर प्रस्तुति देने की प्रतीक्षा में तिब्बती बच्चे।

सत्ता में आए तो एमएसपी पर खरीदेंगे फसलें : केजरीवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में उनकी सरकार बनने पर किसानों की पांच फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का वादा किया है।



उन्होंने कहा कि अगले साल से अगर बाजार में गेहूं, चावल, कपास, चना व मूंगफली के दाम एमएसपी से कम रहे तो सरकार इन पांच फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। वे शुक्रवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे थे और एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गुजरात में सरकार बनने पर दिल्ली की तर्ज पर गुजरात में भी फसल बर्बाद होने पर 20 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा देने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि हर बार सरकार फसल की एमएसपी जारी तो कर देती है, लेकिन बाजार में कोई एमएसपी पर फसल खरीदता नहीं है। अगर कोई किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेचना चाहता है, तो सरकार उसकी फसल खरीदेगी। वो सीधे सरकार को एमएसपी पर अपनी फसल भेज सकता है। अगले साल से अगर बाजार में पांचों फसलों का दाम एमएसपी से कम मिल रहा है।

रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विकसित होंगे 'माडल विद्यार्थी क्लब'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) देश के तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों में रुचि, रचनात्मकता एवं नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने की योजना (स्पाइसेज) के तहत 'विद्यार्थी क्लबों' को 'माडल क्लब' के रूप में विकसित करेगी।

इसके तहत विविध प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के कार्यों, रुचियों, कल्पनाशक्ति, नवाचार एवं नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि इसके तहत एआइसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से एक मौजूदा विद्यार्थी क्लब को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आनलाइन प्रस्ताव मांगा गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विद्यार्थी क्लबों को माडल क्लब में विकसित करने के लिए एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। संस्थान इसके लिए 30 सितंबर, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

एआइसीटीई ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यार्थी क्लबों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसी साल विद्यार्थियों में रुचि, रचनात्मकता एवं नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने की योजना (स्पाइसेज) बनाई थी। योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी क्लबों को संस्थान के अन्य क्लबों के लिए माडल के रूप में काम करना चाहिए। योजना के मसौदे के अनुसार इसके तहत एआइसीटीई ऐसे संस्थानों के प्रस्तावों को मंजूरी देगी, जिनकी स्थापना के कम से कम पांच साल पूरे हो गए हों। एक संस्थान से क्लब के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा, जिनमें कम से कम 50 विद्यार्थी सदस्य हों। संस्थान को भी क्लब के लिए एक लाख रुपए का योगदान देना होगा। इसमें कहा गया है कि क्लब का अपना वेबपेज होना चाहिए, जिसमें उसकी विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई हो। इस उद्देश्य के लिए एक संयोजक बनाया जाएगा, जो पूर्णकालिक शिक्षक होगा और उसे कम से कम 10 सालों का शिक्षण अनुभव होना चाहिए।

पूर्वानुमान युवा आबादी में 2011 से गिरावट से नामांकन में आ रही कमी : एनसीईआरटी

स्कूलों में नामांकन में आएगी गिरावट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के एक अध्ययन में यह पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है कि 2011 से शुरू होकर 2025 तक स्कूलों में विद्यार्थियों के सकल नामांकन में 14 फीसद से अधिक गिरावट आएगी। वहीं, लड़कों की तुलना में लड़कियों के दाखिले में दो फीसद कमी आएगी। एनसीईआरटी के शैक्षणिक सर्वेक्षण प्रकोष्ठ (ईएसडी) के अध्ययन में कहा गया है कि 5-10 साल के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले में कोई बदलाव नहीं आएगा, जबकि 2023-24 के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का दाखिला स्थिर हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि दाखिला आबादी से जुड़ा होता है,



ऐसे में 6-11, 11-14 और 14-16 साल के आयु वर्ग के बच्चों की आबादी में गिरावट का प्रभाव हर वर्ग में दाखिले पर दिखाई देता है।

'2025 तक स्कूलों में दाखिले का पूर्वानुमान एवं लक्षण' शीर्षक से रिपोर्ट में एनसीईआरटी द्वारा कराए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) और शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के आंकड़ों को लिया गया है। अध्ययन में 21 राज्यों के एनएएस रिपोर्ट पर विचार किया गया है और 2011 के बाद से आबादी को ध्यान में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में आंकड़ों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है और कुछ आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे। 2011 तक प्रारंभिक शिक्षा के स्तर तक नामांकन ऊपर की ओर गया, लेकिन 2011 के बाद से दाखिले में गिरावट आई और यह 2025 तक तक जारी रहेगा। इसमें कहा गया है कि 2011 से 2025 तक नामांकन में गिरावट की दर 14.37 फीसद रहेगी और इसमें लड़कों के दाखिले में 13.28 फीसद और लड़कियों के दाखिले में 15.54 फीसद गिरावट आएगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़के एवं लड़कियों के नामांकन में गिरावट 2016 से शुरू हुई और सकल नामांकन गिरावट 9.47 फीसद रही। इसमें लड़कों के दाखिले में 8.07 फीसद और लड़कियों के नामांकन में 10.94 फीसद गिरावट आई।

'नवजात की मृत्यु पर महिला कर्मी को 60 दिन का विशेष अवकाश'

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

आदेश में कहा गया है कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु से मां को पहुंचने वाली भावनात्मक चोट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है क्योंकि ऐसी घटनाओं का मां के जीवन पर बहुत गहरा प्रभव पड़ता है। डीओपीटी ने बताया कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु होने पर अवकाश/मातृत्व अवकाश के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध करने वाले कई आवेदन उसे मिले हैं। विभाग ने आदेश में कहा, 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया है। मृत नवजात शिशु के जन्म या प्रसव के तुरंत बाद उसकी मौत से पहुंचने वाले सदमे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को ऐसी स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया गया है।' डीओपीटी ने अपने आदेश में कहा है, अगर केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी पहले ही मातृत्व अवकाश ले चुकी है और मृत शिशु पैदा होने या शिशु की मृत्यु होने तक उसका अवकाश जारी है तो, ऐसा होने की तारीख तक कर्मचारी द्वारा लिए गए अवकाश को उसके पास मौजूद अन्य किसी अवकाश में तब्दील किया जा सकता है, जिसमें किसी प्रकार के मेडिकल प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

खबर कोना



चेक गणराज्य के प्राग में यूरोबास्केट ग्रुप डी बास्केटबाल मैच के दौरान फिनलैंड के खिलाफ इजराइल के जेक कोहेन चुनौती देते हुए।

जडेजा चोट के कारण एशिया कप से बाहर, अक्षर लेंगे जगह

दुबई, 2 सितंबर (भाषा)।

भारतीय हरफनमौला रविंद्र जडेजा घुटने की चोट के कारण शुक्रवार को एशिया कप के बचे हुए मैचों से बाहर हो गए और टीम में उनकी जगह अक्षर पटेल लेंगे। जडेजा ने भारत की टूर्नामेंट के शुरूआती मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीसीसीआइ ने एक बयान में कहा, 'अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने मौजूदा एशिया कप में रविंद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल को चुना है।' इसके अनुसार, 'रविंद्र जडेजा को दाएं पैर के घुटने में चोट लगी है और वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वह इस समय बीसीसीआइ की चिकित्सा टीम की देखरेख में हैं।' बयान में कहा गया, 'अक्षर पटेल को टीम में 'स्टैंडबाय' खिलाड़ियों में चुना गया था, वह जल्द ही दुबई में टीम से जुड़ेंगे।'

मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रीमियर लीग में लगातार तीसरी जीत

लीस्टर, 2 सितंबर (एपी)।

मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लीस्टर सिटी को 1-0 से हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबाल प्रतियोगिता में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। यूनाइटेड के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से मैच के आखिरी क्षणों में ही मैदान पर उतरे। जादौन सांचो के 23वें मिनट में किए गए गोल से यूनाइटेड ने बढ़त बनाई और आखिर तक उसे बरकरार रखा। यूनाइटेड ने इससे पहले लिवरपूल और साउथम्पटन को हराया था। रोनाल्डो ने 68वें मिनट में मैदान पर कदम रखा और उन्होंने इसके बाद अपनी जीवंत छाप छोड़ी। उनका बाईसिकिल किक से लगाया गया एक शाट मामूली अंतर से गोल में जाने से रह गया था। कर अपने करियर का दूसरा डब्ल्यूटीए खिताब जीता।

राष्ट्रमंडल खेल में नहीं खेल पाना निराशाजनक : नवजोत

बंगलुरु, 2 सितंबर (भाषा)।

भारतीय महिला हाकी टीम की मिडफील्डर नवजोत कौर ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेल जैसी बड़ी खेल प्रतियोगिता में नहीं खेल पाना निराशाजनक था। वह कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण इस प्रतियोगिता में नहीं खेल पाई थी। यह 27 वर्षीय खिलाड़ी बर्मिंघम पहुंचने पर कोविड-19 से संक्रमित पाई गई थी और उन्हें स्वदेश लौटना पड़ा था। भारत की तरफ से 200 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी नवजोत ने यहां राष्ट्रीय शिविर से इतर कहा, ' इस तरह से टीम को छोड़ना बेहद निराशाजनक था। इसे स्वीकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था।' उन्होंने कहा, 'मैं इससे पहले कभी किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलने से नहीं चूकी थी इसलिए पहली बार अपने करिअर में इस तरह की परिस्थिति से पार पाना मेरे लिए आसान नहीं था।'

कल्याण ने भूटिया को हराया, पहले खिलाड़ी जो बने अध्यक्ष

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ) को अपने 85 साल के इतिहास में शुक्रवार को पहली बार कल्याण चौबे के रूप में पहला ऐसा अध्यक्ष मिला जो पूर्व में खिलाड़ी रह चुके हैं। चौबे ने अध्यक्ष पद के चुनाव में पूर्व दिग्गज फुटबालर बाइचुंग भूटिया को हराया।

सिक्किम के रहने वाले 45 वर्षीय भूटिया का नामांकन पत्र भरते समय उनके राज्य संघ का प्रतिनिधि भी प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं बना था। पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर सीट से हारने वाले भाजपा के राजनीतिज्ञ चौबे कभी भारतीय सीनियर टीम से नहीं खेले हालांकि वह कुछ अवसरों पर टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने हालांकि आयु वर्ग के टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के लिए गोलकीपर के रूप में खेले हैं। भूटिया और चौबे एक समय ईस्ट बंगाल में साथी खिलाड़ी थे।

कर्नाटक फुटबाल संघ के अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक एनए हारिस ने उपाध्यक्ष के एकमात्र पद पर जीत दर्ज की। उन्होंने राजस्थान फुटबाल संघ के मानवेंद्र सिंह को 29-5 से हराया। अरुणाचल प्रदेश के किपा अजय ने आंध्र प्रदेश के गोपालकृष्णा कोसाराजू को 32-1 से हराकर कोषाध्यक्ष पद हासिल किया। कोसाराजू ने अध्यक्ष पद के लिए भूटिया के नाम का प्रस्ताव रखा था जबकि मानवेंद्र ने उसका समर्थन किया था। कार्यकारिणी के 14 सदस्यों के लिए इतने ही उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था और उन्हें निर्विरोध चुना गया।

एआइएफएफ के चुनाव के साथ ही भारतीय फुटबाल में पिछले कुछ महीनों में चले नाटकीय घटनाक्रम का भी पटाक्षेप हो गया। इस दौरान भारतीय फुटबाल ने दिसंबर 2020 में चुनाव न कराने के कारण पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को बर्खास्त होते हुए देखा। इसके बाद प्रशासकों की समिति गठित की गई जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय ने बर्खास्त कर दिया था। विश्व फुटबाल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने 'तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव' का हवाला देकर इस बीच भारत को निलंबित भी कर दिया था।

नई कार्यकारी समिति में जीपी पालगुना, अविजीत पाल, पी अनिलकुमार, वलंका नताशा अलेमाओ, मालोजी राजे छत्रपति, मेनला एथेनपा, मोहन लाल, आरिफ अली, के नीबौ सेखोज, लालनघिंग्लोवा हमर, दीपक शर्मा, विजय बाली और सैयद इम्तियाज हुसैन शामिल हैं।

अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ)



मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर 45 वर्षीय चौबे ने 33-1 से जीत दर्ज की। उनकी जीत पहले ही तय लग रही थी क्योंकि पूर्व कप्तान भूटिया को राज्य संघों के प्रतिनिधियों के 34 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में बहुत अधिक समर्थन हासिल नहीं था।

भूटिया ने चुनाव के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, ' मैं भारतीय फुटबाल की बेहतरी के लिए भविष्य में भी काम करता रहूंगा। कल्याण को बधाई। मुझे उम्मीद है कि वह भारतीय फुटबाल को आगे लेकर जाएंगे।' उन्होंने कहा,'भारतीय फुटबाल प्रशंसकों का आभार जिन्होंने मेरा समर्थन किया। मैं चुनाव से पहले भी भारतीय फुटबाल के लिए काम कर रहा था और आगे भी इसे जारी रखूंगा। हां मैं कार्यकारी समिति का सदस्य हूं।'



मुकाबला

स्पेन के राफेल नडाल यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे दौर के दौरान इटली के फैबियो फोगनिनी को शाट रिटर्न करते हुए।

'केंद्रीय मंत्री ने चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया'

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

राजस्थान फुटबाल संघ प्रमुख और कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ) के चुनावों के नतीजे को 'प्रभावित' किया। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में महान भारतीय फुटबालर बाईचुंग भूटिया को पश्चिम बंगाल से भाजपा नेता और ईस्ट बंगाल के पूर्व साथी कल्याण चौबे से 1-33 से करारी हार झेलनी पड़ी।

राजस्थान के पूर्व सांसद सिंह ने पत्रकारों से कहा, 'चुनाव प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप जारी रहा और बीती रात केंद्रीय मंत्री (रिजीजू) ने संघ के सदस्यों पर दबाव बनाया कि उन्हें बाईचुंग के लिए वोट नहीं करना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह हस्तक्षेप अस्वीकार्य है और भारतीय फुटबाल के लिए नुकसानदायक है। फुटबाल तो पहले ही परेशानी में घिरी है और अब यह परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी।'

एआइएफएफ



कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह ने दावा किया कि केंद्रीय कानून मंत्री रिजीजू ने चुनाव की पूर्व संध्या पर राज्य संघ सदस्यों के होटल जाकर उन्हें भूटिया के खिलाफ वोट देने का दबाव बनाया।

जापान ओपन : कड़ी चुनौती पेश करने के बाद क्वार्टर फाइनल में हारे प्रणय

ओसाका, 2 सितंबर (भाषा)।

एचएस प्रणय को शुक्रवार को यहां विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता चीनी ताइपे के चाउ तिएन चेन से तीन गेम तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इससे जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती भी समाप्त हो गई। इस 30 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने आखिर तक हार नहीं मानी लेकिन चाउ ने भी किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती और एक घंटा 20 मिनट तक चले इस मैच में 21-17, 15-21, 22-20 से जीत दर्ज की। बाकी खिलाड़ियों के जल्दी बाहर होने के बाद भारत की उम्मीदें प्रणय पर ही टिकी थी।

पिछले कुछ समय से निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहे प्रणय ने पहला गेम गंवाने के बाद अच्छी वापसी की और तीसरे व निर्णायक गेम में भी आखिरी क्षणों तक खुद को मुकाबले में बनाए रखा। इस मैच से पहले पिछले दो मैचों में चाउ पर जीत दर्ज करने वाले प्रणय ने पहले गेम में शुरू से दबदबा बना दिया था और एक समय वह 12-8 से बढ़त पर थे। चाउ ने हालांकि प्रणय की गलतियों का फायदा उठाया और जल्द ही 15-14 से आगे हो गए।

सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट

निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहे प्रणय ने पहला गेम गंवाने के बाद अच्छी वापसी की और तीसरे व निर्णायक गेम में भी आखिरी क्षणों तक खुद को मुकाबले में



बनाए रखा। इस मैच से पहले पिछले दो मैचों में चाउ पर जीत दर्ज करने वाले प्रणय ने पहले गेम में शुरू से दबाव बना दिया था।

राफेल नडाल ने की शानदार वापसी, स्वियातेक भी जीतीं

न्यूयार्क, 2 सितंबर (एपी)।

राफेल नडाल पहला सेट गंवाने और गलती से अपनी नाक को चोट पहुंचाने के बावजूद यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बनाने में सफल रहे जबकि महिलाओं में दो बार की फ्रेंच ओपन चैंपियन इगा स्वियातेक ने आसान जीत दर्ज की। बाईस बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल ने फैबियो फोगनिनी पर 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 से जीत दर्ज की। इस बीच चौथे सेट में गलती से वह अपने ही रैकेट से नाक पर चोट लगा बैठे जिससे उनकी नाक से खून बहने लग गया था।

स्वियातेक ने 2017 की यूएस ओपन विजेता स्लोएन स्टीफंस को दूसरे दौर में 6-3, 6-2 से हराकर इस सत्र में अपनी डब्लूटीए टूर की 50वीं जीत दर्ज की। महिला वर्ग में पिछले साल से फाइनल में पहुंचने वाली चार खिलाड़ियों में से अब केवल छठी वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका ही टूर्नामेंट में बनी हुई हैं। उन्होंने दूसरे सेट में 5< ु> —< ु> 1 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके काया कानेपी को 2-6, 7-6 (8), 6-4 से हराया।

यूएस ओपन टेनिस

लेकिन चौथी वरीयता प्राप्त पाउला बडोसा को क्रोएशियाई पेट्रा मार्टिच से 6-7 (5), 6-1, 6-2 से हार का सामना करना पड़ा।

महिला वर्ग में गुरुवार को जिन अन्य खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की उनमें जेसिका पेगुला, गार्बिने मुगुरुजा, बेलिंडा बेनसिच और विक्टोरिया अजारेंका शामिल हैं।

विजय विश्व चैंपियनशिप के लिए भारत की 48 सदस्यीय टीम में

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

ओलंपिक रजत पदक विजेता विजय कुमार को आगामी आइएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में चुना गया। वह लंदन ओलंपिक खेलों में पोडियम स्थान हासिल करने के बाद अपने पहले बड़े टूर्नामेंट में खेलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआइ) ने मिस्र के काहिरा में 12 से 25 अक्तूबर तक होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए 48 सदस्यीय भारतीय राइफल और पिस्टल टीम की घोषणा की।

निशानेबाजी

लंदन ओलंपिक में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल रजत पदक विजेता पिस्टल निशानेबाज ने इस साल राष्ट्रीय टीम में वापसी की थी। उन्होंने कंधे की गंभीर चोट के कारण ब्रेक लिया था। शिमला में हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में तैनात पुलिस उपाधीक्षक विजय ने पांच साल के अंतराल बाद प्रतिस्पर्धी निशानेबाजी में वापसी की थी। पांच बार के राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता विजय 2017 में सेना छोड़कर हिमाचल प्रदेश पुलिस से जुड़ गए थे। क्रोएशिया के ओसिजेक में 19 सितंबर से शुरू हो रही शाटगन विश्व चैंपियनशिप के लिए 24 सदस्यीय टीम पहले ही घोषित हो चुकी है।

मौजूदा टीम में कई निशानेबाज पहली बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे जिसमें विजय और अंजुम मोदगिल (विश्व चैंपियनशिप की पूर्व पदक विजेता) अनुभव लेकर आएंगे।

बीसीसीआइ ने पिछले साल ई-नीलामी में खरीदा था नीरज चोपड़ा का भाला

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मृति चिन्हों के संग्रह की जब ई नीलामी हुई थी तब ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का भाला बीसीसीआइ ने डेढ करोड़ रुपए में खरीदा था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी । चोपड़ा ने तोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर उनसे मुलाकात में उन्हें अपना भाला उपहार में दिया था। इस भाले समेत कई चीजों की ई नीलामी की गई जिनसे मिली रकम 'नमामि गंगे कार्यक्रम ' को गई । यह नीलामी सितंबर-अक्तूबर 2021 में हुई थी।

बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा, 'बीसीसीआइ ने नीरज के भाले पर बोली लगाई थी। इसके अलावा भी कुछ और वस्तुओं पर बोली लगाई । नमामि गंगे एक नेक काम है और बोर्ड के पदाधिकारियों को लगा कि देश के प्रमुख खेल संगठनों में से एक होने के नाते यह देश के प्रति हमारा कर्तव्य है ।' बीसीसीआइ ने कोरोना महामारी के दौरान भी 'पीएम केयर्स फंड' में 51 करोड़ रूपए दिए थे।



बोर्ड ने चोपड़ा के भाले के अलावा भारतीय पैरालम्पिक दल के हस्ताक्षर वाला अंगवस्त्र भी एक करोड़ रुपए में खरीदा था। चोपड़ा का भाला ई नीलामी में सबसे महंगा बिका जबकि भवानी देवी की तलवार सवा करोड़ रूपए में और पैरालम्पिक चैंपियन सुमित अंतिल का भाला एक करोड़ 20 हजार रुपए में बिका। लवलीना बोरगोहेन के मुक्केबाजी दस्ताने 91 लाख रूपए में बिके । ई नीलामी में 1348 स्मृति चिन्ह बिके जिनमें खेलों से जुड़े सामान भी थे।

विलियम्स बहनों की जोड़ी हारी | **टेनिस** | **दर्शकों ने खड़े होकर किया अभिवादन**

महिला युगल के पहले दौर में हारीं सेरेना और वीनस

न्यूयार्क, 2 सितंबर (एपी)।

सेरेना और वीनस विलियम्स साढे चार साल बाद जब कोर्ट पर एक साथ उतरी तो उन्होंने हर पल का भरपूर लुत्फ उठाया लेकिन विश्व टेनिस की मशहूर विलियम्स बहनों की जोड़ी को यूएस ओपन के महिला युगल के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा।

विलियम्स बहनों को फ्लशिंग मीडोज में लूसी हेराडेका और लिंडा नोस्कोवा की चेक गणराज्य की जोड़ी ने 7-6 (5), 6-4 से हराया। वीनस और सेरेना जब कोर्ट से बाहर निकल रही थी तो दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उनकी प्रतिद्वंदी भी उनका सामना करके अभिभूत थी।

ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पदार्पण कर रही 17 वर्षीय नोस्कोवा ने कहा, 'जब मुझे पता चला कि हमें उन दोनों का सामना करना है तो मैं अवाक रह गई। मेरे कहने का मतलब है कि वे दोनों दिग्गज है और मैं हमेशा उनकी विशेषकर सेरेना की प्रशंसक रही हूं। वह शुरू से मेरी आदर्श रही हैं।' उनकी साथी हेराडेका ने कहा, 'मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने उन पर जीत दर्ज की है। मुझे अफसोस है कि हमने उन्हें हराया है लेकिन मैं बहुत खुश भी हूं कि हमने ऐसा किया।' आर्थर ऐस स्टेडियम में इससे पहले महिला या पुरुष वर्ग में पहले दौर के युगल मैच कभी नहीं खेले गए थे लेकिन एक ही परिवार की इन दो सदस्यों के लिए यूएस ओपन के आयोजकों ने अपने नियम भी बदल दिए और दर्शकों ने भी इस मैच का भरपूर आनंद लिया। वीनस और सेरेना ने मिलकर युगल में 14 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं।

विलियम्स बहनों ने मैच के बाद इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने इससे पहले आखिरी बार फ्रेंच ओपन 2018 में जोड़ी बनाई थी। यह चौथा अवसर है जबकि किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के महिला युगल में उन्हें पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2013 में फ्रेंच ओपन में वे पहले दौर में बाहर हो गई थी।

विलियम्स बहनों ने इससे पहले आखिरी बार फ्रेंच ओपन 2018 में जोड़ी बनाई थी। यह चौथा अवसर है जबकि किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के महिला युगल में उन्हें पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा।





रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. UPHIN/2007/21637, वर्ष 16 अंक 110
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा प्रकाशित और मुद्रित। दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड प्रेस, सी-26, अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, लखनऊ से मुद्रित और 1/8, विवेक खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। फोनः (0522) 2391233, ई-मेलः jansatta.noi@expressindia.com, फैक्सः (0522) 2391302,
बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक : मुकेश भारद्वाज* *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।